ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय

प्रथम अंक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
ई-निर्णय पत्रिका
की प्रस्तुति

मुक़दमा चौरी चौरा

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का फैसला

(हिन्दी में अनुवादित)

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन
एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लोकार्पित

राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की
आहुति देने वाले असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों
को
श्रद्धांजलि स्वरुप समर्पित

न्यायमूर्ति अजित कुमार
अध्यक्ष

न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान
सदस्य

न्यायमूर्ति, मोहम्मद फैज़ आलम खान
सदस्य

ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी और ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अस्वीकरण

ई- पुस्तिका मे प्रकाशित निर्णय को ए.आई. तकनीक का प्रयोग कर अनुवादित किया गया है।

अनुवादित संस्करण में पूर्ण एवं उचित जानकारी प्रदान करने के लिए सतर्कता और सावधानी बरती गई है। फिर भी, गलत या अशुद्ध अनुवाद अथवा अनुवादित निर्णय की अंतर्वस्तु में, किसी भी त्रुटि, चूक या विसंगति के लिए उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उसकी लखनऊ खंडपीठ की रजिस्ट्री/ सुवास प्रकोष्ठ, उत्तरदायी नहीं होगा ।

अगर आप मूल निर्णय (अंग्रेजी) को पढ़ना चाहते है, तो आपकी सुविधा के लिए

मूल निर्णय स्त्रोत : https:@www2-allahabadhighcourt-in@others@ChauriChaura19&02&2021-pdf

(पीडीएफ़ पृष्ठ संख्या 19 से 115 तक)

उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ताँ होगा।
रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियाँ होगा ।।

चखाएँगे मज़ा बर्बादी-ए-गुलशन का गुलची को।
बहार आ जाएगी उस दम जब अपना बाग़बाँ होगा।

ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं ऐ ख़ंजर-ए-क़ातिल।
पता कब फ़ैसला उनके हमारे दरमियाँ होगा ।।

जुदा मत हो मेरे पहलू से ऐ दर्दे वतन हरगिज़।
न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ औ तू कहाँ होगा ।।

वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है।
सुना है आज मक़तल में हमारा इम्तहाँ होगा ।।

शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले
वतन पर मरनेवालों का यही बाकी निशाँ होगा

कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे।
जब अपनी ही ज़मीं होगी और अपना आसमाँ होगा ।।

जगदंबा प्रसाद मिश्र 'हितैषी'

चौरी चौरा शहीद

शहीद भगवान | शहीद सम्पति | शहीद रामस्वरुप | शहीद रामलगन

शहीद लौटू | शहीद रघुबीर | शहीद रुदली | शहीद अब्दुल्ला

शहीद कलीचरण | शहीद लाल बिहारी | शहीद सहदेव | शहीद रामपति

शहीद लाल अहमद | शहीद नजर अली | शहीद श्यामसुंदर | शहीद दुधई

शहीद विक्रम | शहीद महादेव | शहीद सीताराम

Vinay Saran
Senior Advocate

प्रिय पाठकगण,

आप सभी का इस ई- पुस्तिका **ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय** के प्रथम अंक में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइजरी एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी द्वारा की गई इस पहल का स्वागत करता हूँ, साथ ही इस अवसर पर मैं उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय एस.ओका जी, उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, कमेटी के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार जी कमेटी के सदस्य माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद फैज आलम खान जी एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बहुत बधाई देता हूँ जिनके मार्गदर्शन में इस ई- पुस्तिका का प्रकाशन संभव हुआ है।

इस प्रथम अंक का आरम्भ उच्च न्यायालय के एक ऐसे निर्णय से कर रहे हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूर और दमनकारी नीतियों का द्योतक है और ये हमें शहीदों के बलिदान की याद दिलाता है। इस दुखद घटना ने वर्ष १९२२ में भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की दिशा परिवर्तित कर दी थी। इस अपराधिक वाद को सामान्यतः **चौरी चौरा केस** के नाम जाना जाता है। यह बात उस समय की है जब गांधीजी का असहयोग आंदोलन पूरे चरम पर था परंतु इस दुखद हिंसक घटना से उन्हें लगा कि आंदोलनकारी अहिंसा छोड़ कर कहीं हिंसक ना हो जाएँ, इस कारण इस घटना के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। घटना फरवरी ४ वर्ष १९२२ गोरखपुर के चौरी चौरा क्षेत्र की है जिसके दो दिन पहले असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले आंदोलनकारियों को पुलिस बल द्वारा बर्बरता पूर्वक पीटा गया और कई नेताओं को गिरफ्तार कर गोरखपुर के चौरा पुलिस थाने में बंद कर दिया गया।

इस घटना के विरोध में, ४ फरवरी को लगभग तीन हजार प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र पुलिस बल ने हवाई फायर किये जिससे उत्तेजित होकर भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया, स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस द्वारा भीड़ पर गोलियां चलायी गई, जिसमें तीन आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रतिक्रिया में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस निरीक्षक सहित अंदर फंसे तमाम पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई।

सत्र परीक्षण में, गोरखपुर सत्र न्यायाधीश एच. ई. होम्स ने कुल २२५ लोगों को आरोपित किया, परंतु इनमें से परीक्षण के दौरान तीन अभियुक्तों की मृत्यु हो गई तथा एक अभियुक्त के विरुद्ध बीमारी व वृद्धावस्था के कारण अभियोजन वाद वापस ले लिया गया। जनवरी ९ वर्ष १९२३ को अपने निर्णय में सत्र न्यायाधीश ने ४७ अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया, दो अभियुक्तों को दो वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई तथा १७२ को दोषी ठहराते हुए मृत्यु दण्ड से दंडित किया।

सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्या ५१, वर्ष १९२३ प्रस्तुत की गई जिसमें अप्रैल ३० वर्ष १९२३ को, उच्च न्यायालय के द्वय न्यायमूर्ति ग्रिमवुड मियर्स तथा टी जी पिगॉट की खंडपीठ ने अंतिम निर्णय सुनाया। इस निर्णय में ३८ अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया, ३ अभियुक्तों को दो वर्ष का सश्रम कारावास व १२९ अभियुक्तों को अंतर्गत धारा ३०२ सपठित धारा १४९ आई.पी.सी. का दोषी पाते हुए १२९ अभियुक्तों में से १९ को मृत्यु दण्ड दिया गया तथा १४ को आजीवन कारावास से दंडित किया गया, जबकि शेष अभियुक्तों को क्रिमिसी क्लीमेंसी शासनादेश पर विचार कर के, उनकी उम्र, जीवन में उनकी स्थिति आदि को देखते हुए, कम दंड देने के लिए १९ अभियुक्तों को आठ वर्ष, ५७ अभियुक्तों को पाँच वर्ष तथा २० अभियुक्तों को तीन वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया गया। अपील में महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी श्री अभियुक्तों के अधिवक्ता थे। ये वो समय था जब मृत्यु दण्ड ही मानव वध की विधिक सजा थी और आजीवन कारावास अपवाद था। आशा करता हूँ आप सब इस ई- पुस्तिका में प्रकाशित इस ऐतिहासिक निर्णय के हिन्दी अनुवाद से लाभान्वित होंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(विनय सरन)
वरिष्ठ संपादक

चौरी चौरा घटना

घटना क्रमबद्ध विस्तार

वर्ष १९२० से भारतीय, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, एक राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन में संलग्न थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह के अहिंसक नागरिक अवज्ञा के माध्यम से रौलट एक्ट जैसे दमनकारी सरकारी नियामक उपायों को चुनौती दी गई, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज (स्वशासन) की प्राप्ति था।

घटना से दो दिन पूर्व, दिनांक २ फरवरी, १९२२ को, भगवान अहीर नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे स्वयंसेवकों ने गौरी बाजार में खाद्य पदार्थों की उच्च कीमतों एवं मदिरा बिक्री के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय दरोगा गुप्तेश्वर सिंह एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेल दिया गया। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी चौरा पुलिस थाने में अभिरक्षित कर दिया गया। इसके विरोध में दिनांक ४ फरवरी को बाजार में पुलिस के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया।

दिनांक ४ फरवरी को, लगभग ३,००० से ४,००० प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए और चौरी चौरा के बाजार मार्ग की ओर कूच करना प्रारंभ किया। वे गौरी बाजार में एक मदिरा की दुकान पर धरना देने हेतु एकत्रित हुए थे। प्रदर्शनकारियों के ब्रिटिश-विरोधी नारे लगाते हुए बाजार की ओर बढ़ने पर स्थिति को नियंत्रित करने हेतु सशस्त्र पुलिस बल को भेजा गया। भीड़ को भयभीत कर तितर-बितर करने के प्रयास में, दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने अपने १५ स्थानीय पुलिसकर्मियों को हवा में चेतावनी फायर करने का आदेश दिया। इससे भीड़ और उत्तेजित हो गई तथा पुलिस पर पथराव करने लगी।

स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर, उप-निरीक्षक पृथ्वीपाल ने पुलिस को आगे बढ़ती भीड़ पर गोलीबारी करने का आदेश दिया, जिसमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई एवं कई अन्य घायल हुए।

पुलिस की पीछे हटने के कारण के संबंध में विभिन्न रिपोर्टें हैं, कुछ के अनुसार कांस्टेबलों के पास गोला-बारूद समाप्त हो गया था, जबकि अन्य का दावा है कि गोलीबारी के प्रति भीड़ की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया इसका कारण थी। उत्पन्न अराजकता में, संख्या में कम पुलिसकर्मी नगर चौकी (पुलिस स्टेशन) में शरण लेने को विवश हुए, जबकि क्रोधित भीड़ आगे बढ़ी। अपनी पंक्तियों में हुई गोलीबारी से आक्रोशित भीड़ ने चौकी को आग के हवाले कर दिया, जिसमें निरीक्षक गुप्तेश्वर सिंह सहित अंदर फंसे सभी पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई। इस आगजनी में थाने के अंदर मौजूद २२ पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारी जिंदा जल गए।

मृतकों की सूची

इस घटना में न केवल पुलिसकर्मी मारे गए, बल्कि प्रदर्शनकारियों के बीच भी कई लोग पुलिस गोलीबारी में मारे गए। इन नामों को इतिहास में पूरी तरह दर्ज नहीं किया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर इन्हें आज भी श्रद्धांजलि दी जाती है।

वरिष्ठ अधिकारीगण

१. निरीक्षक (दरोगा) गुप्तेश्वर सिंह २. उप-निरीक्षक पृथ्वीपाल

आरक्षकगण (कांस्टेबल)

१.	आरक्षक जमा खान	२.	आरक्षक बशीर खान	३.	आरक्षक हसन खान
४.	आरक्षक मंगलू चौबे	५.	आरक्षक कपिल देव	६.	आरक्षक इंद्रासन सिंह
७.	आरक्षक मर्दाना खान	८.	आरक्षक जयगई सिंह	९.	आरक्षक जगदेव सिंह
१०.	आरक्षक मोहम्मद अली	११.	आरक्षक रामबली पांडेय	१२.	आरक्षक रामलखन सिंह
१३.	आरक्षक गदाबख्श खान	१४.	आरक्षक कपिल देव सिंह	१५.	आरक्षक विशेश्वर राम यादव

चौकीदारगण

१.	चौकीदार वजीर	२.	चौकीदार जथई राम
३.	चौकीदार घिसई राम	४.	चौकीदार लखई सिंह
५.	चौकीदार कटवारू राम		

विचारण एवं दोषसिद्धि का विधिक विवरण

माननीय न्यायाधीश एच. ई. होम्स की गोरखपुर सत्र न्यायालय में चौरी चौरा कांड के संबंध में घटना एवं आगजनी के आरोप में कुल २२५ व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया। आठ माह तक चले इस विचारण में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए

प्रारंभिक विचारण परिणाम (दिनांक ९ जनवरी, १९२३)

- २ दोषियों को दो वर्ष का कारावास
- ६ दोषियों की पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु
- ४७ दोषियों को दोषमुक्त किया गया
- १७० दोषियों को फांसी की सजा

विशेष टिप्पणी

यह अभिलिखित किया जाता है कि आरक्षक रघुवीर सिंह, जिन्हें मृत घोषित किया गया था, घटना के कुछ माह पश्चात जीवित पाए गए। वे बाद में न्यायालय में घटना के एकमात्र साक्षी के रूप में प्रस्तुत किए गए।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय (दिनांक ३० अप्रैल, १९२३)

१७० मृत्युदंड प्राप्त दोषियों की अपील पर विचार के पश्चात निम्नलिखित दंडादेश पारित किए गए

मृत्युदंड (१९ दोषियों को)

१.	संपत	२.	रुदाली	३.	मोहन
४.	सहदेव	५.	रघुवीर	६.	रामरूप
७.	अब्दुल्ला	८.	सीताराम	९.	दूधी सिंह
१०.	रामलखन	११.	मेघू अली	१२.	श्यामसुंदर
१३.	नजर अली	१४.	काली चरण	१५.	लौटी कुमार
१६.	महादेव सिंह	१७.	विक्रम अहीर	१८.	भगवान अहीर
१९.	लाल मोहम्मद				

विशेष टिप्पणी

मृत्युदंड प्राप्त १९ दोषसिद्ध व्यक्तियों को २ जुलाई से ११ जुलाई, १९२३ के मध्य फांसी दी गई।

२. अन्य दंडादेश

आजीवन कारावास	१४ व्यक्ति
८ वर्ष का कारावास	१९ व्यक्ति
५ वर्ष का कारावास	५७ व्यक्ति
३ वर्ष का कारावास	२० व्यक्ति
२ वर्ष का कारावास	३ व्यक्ति
दोषमुक्त	३८ व्यक्ति

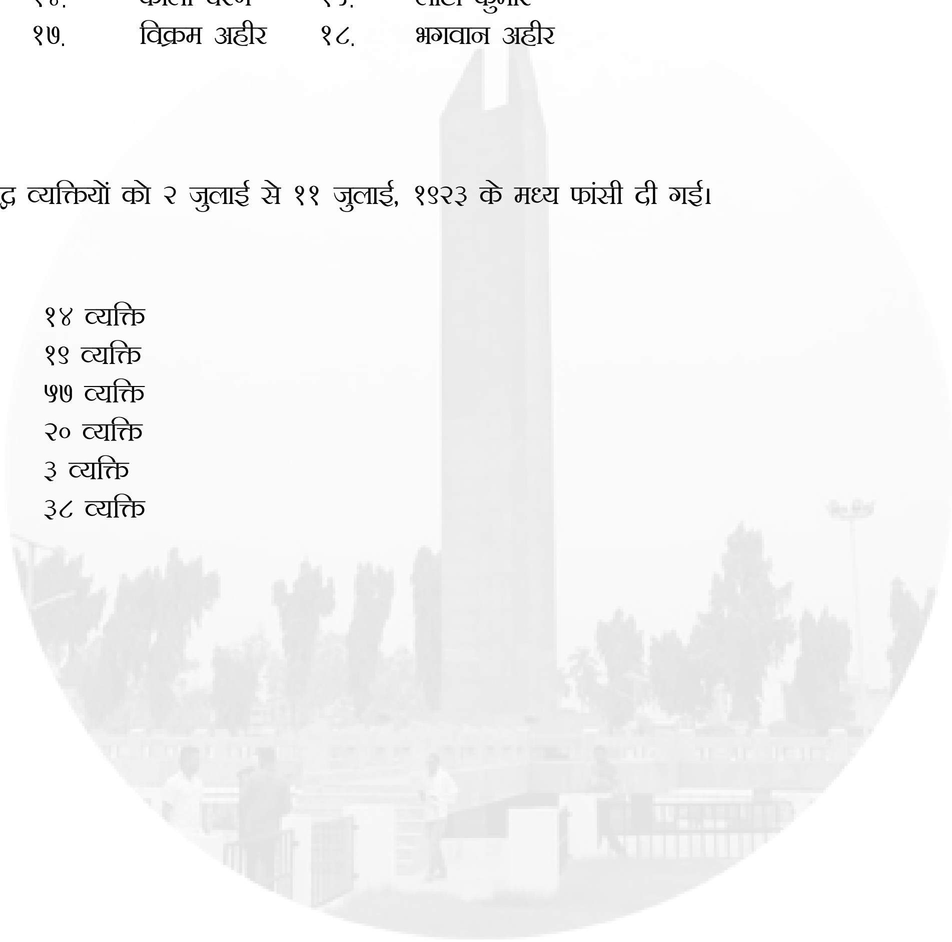

आपराधिक अपील
सं. ५१ सन् १९२३ का हिन्दी अनुवाद

मु. न्या. मेयर्स एवं न्या. पिगॉट- दिनांक ४ फरवरी, १९२२ की दोपहर को, गोरखपुर जिले के चौरा पुलिस थाने के ठीक बाहर, पुलिस और गांव के चौकीदारों की एक छोटी टुकड़ी और पड़ोसी गांवों से एकत्रित ३,००० से ४,००० किसानों की भीड़ के बीच टकराव हुआ। पुलिस बल में सब-इंस्पेक्टर और सशस्त्र पुलिस के आठ जवान सम्मिलित थे, जिनके पास पुरानी राइफलें थीं, जिन्हें मूल रूप से बॉल कार्ट्रिज या बक-शॉट के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया, ऐसे कारतूसों में आमतौर पर पाउडर का कम चार्ज लोड किया जाता था। हमने इन हथियारों और पुलिस गार्ड को दिए गए गोला-बारूद के नमूनों का परीक्षण किया है, और हम संतुष्ट हैं कि वे उन लोगों के हाथों में दिए जाने के लिए विलक्षण रूप से अक्षम हथियार थे, जिनसे बहुत अधिक संख्या में किए गए दृढ़ हमले से निपटने की उम्मीद की जाती थी। जिस भीड़ से इन पुलिसकर्मियों को निपटना था, वह महज एक भीड़ नहीं थी, जो संयोगवश या अशांत रूप से पुलिस थाने के आसपास एकत्र हो गई थी। यह भीड़ दो मील या उससे अधिक की दूरी से एक निश्चित उद्देश्य से वहां पहुंची थी, और संगठित संरचना की तरह आगे बढ़ने और सीटी के माध्यम से पूर्वनिर्धारित संकेतों के अनुरूप चलने में सक्षम थी। यह भीड़ अत्यधिक उत्तेजना की स्थिति में पुलिस थाने पहुँची और ऐसी परिस्थितियों में पहुँची जिसमें इसके अधिकांश सदस्यों में, किसी भी स्थिति में, असामान्य स्तर का संकल्प और व्यक्तिगत खतरे से बेपरवाही थी। पुलिस बल द्वारा सामान्य बर्ताव किया गया और किसी भी वास्तविक टकराव से पहले, वे उस एकमात्र स्थान से बाहर निकल गए जहाँ उन्हें सफल प्रतिरोध करने का कोई वास्तविक मौका मिलता। भीड़ के अधिकांश लोग, जब पुलिस थाने पहुँचे, तो उनके पास किसी भी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, यहाँ तक कि बांस की छड़ियाँ भी नहीं थीं; लेकिन ऐसा हुआ कि पुलिस थाने के घेरे के ठीक उत्तर में रेलवे लाइन की गिट्टी के रूप में खतरनाक मिसाइलों की असीमित आपूर्ति हाथ में तैयार थी। पुलिस थाने के बदकिस्मत प्रभारी अधिकारी, सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ द्वारा इन मिसाइलों का उपयोग शुरू करने के बाद, हवा में पहली गोली चलाने का आदेश देकर अंतिम और घातक गलती कर दी। पुलिस बल ईंट-पत्थरों और रेलवे लाइन से तोड़े गए कंकड़ (चूने के पत्थर के गांठदार कार्बोनेट के टुकड़े) की बढ़ती हुई बौछार के नीचे दब गया। हमें बहुत संदेह है कि क्या उन्होंने भागने से पहले कुल मिलाकर बीस राउंड गोला-बारूद दागा होगा, सभी सामंजस्य और संरचना खोकर उन्होंने पुलिस थाने की इमारतों के अंदर शरण ले लिया, जिसका प्रवेश द्वार उन्होंने बंद कर दिया था। उन्होंने दो हमलावरों को मार गिराया और शायद कई अन्य लोगों को हताहत किया, मुख्य रूप से बक शॉट घावों से, जिनकी मामूली प्रकृति इस्तेमाल किए गए कारतूसों की अप्रभावी लोडिंग का स्पष्ट प्रमाण है। विजयी भीड़ ने अपने हमले को अंजाम दिया और अपने पराजित विरोधियों को कोई मौका नहीं दिया। पुलिस थाने का गेट उखाड़कर तोड़ दिया गया, इस प्रकार भीड़ के कई सदस्यों ने गेट से लकड़ी के सलाखों और पुलिस थाने के बाड़े से तोड़े गए खतरनाक हथियारों से खुद को लैस कर लिया। यह भी निश्चित है कि इस समय तक कई दंगाइयों ने खुद को बांस के डंडे और उससे भी अधिक खतरनाक हथियारों से लैस करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। बाद में कुछ पुलिसकर्मियों के शवों पर देखी गई चोटें, और बाद में घटनास्थल पर मिले कुछ साक्ष्य यह साबित करते हैं कि अंतिम कत्लेआम में कुछ भालों का इस्तेमाल किया गया था, और यह भी संभव है कि पुलिस शस्त्रागार से ली गई तलवारें भीड़ के सदस्यों के हाथों में आ गईं। उपस्थित पुलिसकर्मियों में से केवल एक ही बच निकला। उस समय थाने में या उसके आस-पास मौजूद कई चौकीदार ज्यादातर भागने में सफल रहे, हालांकि उनमें से दस नरसंहार में शामिल थे। आसपास की दुकानों से लूटे गए तेल का प्रयोग पुलिस भवनों को नष्ट करने और वहां शरण लिए हुए जीवित पुलिसकर्मियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया। काफी मात्रा में सरकारी और निजी संपत्ति दोनों की कई तरह से लूटपाट हुई। कुल मिलाकर २३ पुलिसकर्मी और चौकीदार मारे गए। कई परिस्थितियाँ इस बात को स्पष्ट करती हैं कि यह कार्य किस भावना से किया गया था। पुलिस थाने के अभिलेखों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। लाठी, या बांस के क्वार्टर-स्टाफ, जिनसे गाँव के चौकीदार हथियारबंद होते हैं, भीड़ के हाथ में आने पर उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया और पुलिस की पगड़ियाँ फाड़ दी गईं। लाशों को जलती हुई इमारतों में फेंककर उन्हें ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया और यह आशा ही की जा सकती है कि इस तरह से ऐसे किसी शव को ठिकाने नहीं लगाया गया जिसमें जीवन पूरी तरह से समाप्त न हो गया हो। पुलिस थाने के ठीक बाहर पड़ी एक लाश के चेहरे और हाथ पर जूते का पाया जाना यह साबित करता है कि विजयी भीड़ के कुछ सदस्यों ने मृतकों का भी अपमान किया और उनकी प्रतिशोध की भावना, जो मृत्यु से भी शांत नहीं हुई, ने उन्हें अपमान का यह विशेष रूप चुनने के लिए प्रेरित किया, जिसे हम भारतीय भावनाओं के लिए विशेष रूप से विद्रोही मानते हैं। जब यह सब चल रहा था, भीड़ के अन्य सदस्य पड़ोसी रेलवे स्टेशन और डाकघर के अधिकारियों को डराने में लगे हुए थे, जिसका घोषित

उद्देश्य गोरखपुर से सहायता के लिए भेजे जाने वाले टेलीग्राम को रोकना था। टेलीग्राफ के तार भी काट दिए गए और चौरी चौरा रेलवे स्टेशन के गोरखपुर की तरफ रेलवे लाइन में काफी दरार आ गई। हमारे पास रिकॉर्ड पर प्रचुर साक्ष्य है कि, जब सब कुछ खत्म हो गया, तो भीड़ के सदस्य अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए और खुलेआम इसका बखान करते हुए खुशी की भावना में अपने घरों को चले गए। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के साथ श्री गांधी का नाम भी जोड़ा, जिनका उन्होंने शुरू से ही उल्लेख किया था, यह कहते हुए कि 'महात्मा गांधी का राज्य आ गया है' (अन्य बातों के साथ-साथ सत्र रिकॉर्ड, पृष्ठ २०७, २५०, ३०८, ३६१, ३७९, ५१६, ५५० ५७६, ५७९, ६६१, ७१४ देखें)।

यह उल्लास का माहौल बेशक कुछ ही देर तक रहा। गोरखपुर से अधिकारी आधी रात से पहले ही मौके पर पहुंच गए और स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। जांच जो तुरंत शुरू हुई, उसमें बाधा यह आई कि खंडहर हो चुके पुलिस थाने के कई मील के दायरे में आने वाले गांवों से संदिग्ध लोग बड़ी संख्या में फरार हो गए। सौभाग्य से श्री सी.ई.डब्लू. सैंड्स, पुलिस उप महानिरीक्षक के रूप में उच्च पदस्थ, व्यापक अनुभव और असाधारण योग्यता वाले पुलिस अधिकारी उपलब्ध थे, जिन्होंने तुरंत जांच का कार्यभार संभाला और ३,००० या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध की जांच और अभियोजन से जुड़ी कई और जटिल कठिनाइयों को सुलझाने में अथक उत्साह, बुद्धि और विवेक के साथ काम किया। २५ मार्च, १९२२ को कमिटिंग मजिस्ट्रेट श्री एम.बी. दीक्षित की अदालत में साक्ष्य दर्ज करने का काम शुरू हुआ और १८ जून, १९२२ को पारित एक आदेश के द्वारा २२५ व्यक्तियों को विभिन्न आरोपों में गोरखपुर के सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए भेजा गया।

सत्र न्यायालय में सुनवाई २१ जून, १९२२ को शुरू हुई और साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग २३ अक्टूबर, १९२२ तक जारी रही, अंततः एक गवाह को ३० अक्टूबर को आगे की जांच के लिए वापस बुलाया गया। इसके बाद विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपना फैसला तैयार करने का काम शुरू किया, जिसे अंततः ९ जनवरी, १९२३ को सुनाया गया। अभियुक्तों में से तीन की सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी और एक अन्य अभियुक्त के खिलाफ मामला अभियोजन पक्ष ने (हम समझते हैं) उसके स्वास्थ्य की स्थिति के कारण वापस ले लिया था। शेष में से विद्वान सत्र न्यायाधीश ने ४७ को बरी कर दिया। दो अन्य के खिलाफ वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दंगे में भाग लेने का केवल मामूली आरोप ही स्थापित होता है। इन पर तुलनात्मक रूप से छोटी सजाएँ पारित की गईं और उन्होंने इस न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। सत्र न्यायाधीश ने १७२ अभियुक्तों को अधिक गंभीर आरोपों में दोषी ठहराया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण, और जिस पर उनमें से प्रत्येक के खिलाफ दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के तहत जानबूझकर हत्या का आरोप था, जो उसी संहिता की धारा १४९ के प्रावधानों के कारण सभी अभियुक्तों पर लागू होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३६७ के खंड ५ की आवश्यकताओं के लिए अपने फैसले के अंत में संदर्भित करते हुए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपनी सुविचारित राय दर्ज की कि वह ऐसा कोई भी वैध कारण नहीं पा सके कि क्यों दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए उन्होंने वह किया, जो इस तरह से बनाई गई राय के मद्देनजर, कानून के प्रावधानों द्वारा उनसे अनिवार्य रूप से अपेक्षित कर्तव्य था, जिसे लागू करने के लिए वह बाध्य थे। उन्होंने सभी १७२ अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाई, जिन्हें उन्होंने मृत्युदंड के आरोप में दोषी पाया। इन लोगों में से दो की जेल में मृत्यु हो गई, इससे पहले कि उनके मामले इस अदालत द्वारा विचार के लिए आए; ये नस्सू और राम नगीना हैं; उनकी अपीलें उपशमित हो गईं। इसलिए हमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३७४ के तहत सत्र न्यायाधीश के संदर्भ पर विचार करना है, जिसमें १७० अभियुक्तों को दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई है। इन सभी ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ इस न्यायालय में अपील भी की है। अभियुक्तों में से अधिकांश की जीवन की स्थिति और मामले के आंतरिक महत्व को देखते हुए, स्थानीय सरकार ने अपीलकर्ताओं द्वारा चुने गए वकीलों के खर्चों का भुगतान करने का बहुत ही उचित रूप से बीड़ा उठाया, जिन्होंने हमारे समक्ष अपील में अभियुक्तों के विशेष समूहों का प्रतिनिधित्व किया। यह हमारे लिए अत्यंत संतुष्टि की बात है कि इन अपीलकर्ताओं के मामले पर हमारे समक्ष पूरी तरह से कुशल तरीके से बहस की गई है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस प्रकार प्राप्त सहायता के बिना हमारे लिए इस जिम्मेदारियों का सामना करना वास्तव में कठिन होता। प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत मामले का सटीक और श्रमसाध्य विश्लेषण, जिसे क्राउन की ओर से श्री कादरी और बचाव पक्ष की ओर से पंडित काशी नारायण मालवीय एवं उनके सहयोगी पंडित देबी एन. मालवीय और श्री कृष्ण चंद्र श्रीवास्तव द्वारा, समय और ऊर्जा के अत्यधिक किन्तु सुव्यवस्थित व्यय के साथ किया गया था, हमारे लिए इन १७० अभियुक्तों में से प्रत्येक के पक्ष या विपक्ष में अंतिम निर्णय सुनाने के अपने अंतिम कार्य तक पहुंचना संभव बना दिया है, यह कार्य इस निश्चितता के साथ किया गया है कि उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध साक्ष्य को छांटा गया है और हमारे समक्ष ऐसे रूप में रखा गया है, जिससे उसका सही मूल्यांकन किया जा सके,

जैसे कि प्रत्येक अभियुक्त पर अलग-अलग मुकदमा चलाया गया हो; और यह भी कि न केवल पूरे मामले के संबंध में, बल्कि प्रत्येक अभियुक्त को प्रभावित करने वाले साक्ष्य के संबंध में भी अंतिम संभव बात कही गई है।

हमने अपने निर्णय की शुरुआत में ही उपरोक्त टिप्पणी की है, क्योंकि यह उचित ही था कि हम अभियुक्तों की ओर से हमें संबोधित एक तर्क पर ध्यान दें, जिसका प्रभाव यह था कि २२५ अभियुक्तों को संयुक्त रूप से विचारण में रखने में अपनाई गई प्रक्रिया ने उनमें से प्रत्येक को उनके बचाव की तैयारी में अनिवार्य रूप से बाधा उत्पन्न की है। इस संबंध में कमिटल आदेश और सत्रों में विचारण की शुरुआत के बीच समय के तुलनात्मक रूप से कम अंतराल के बारे में कुछ टिप्पणी की गई थी। यहां प्रक्रिया की किसी भी कथित अवैधता का कोई सवाल ही नहीं है, विचारण में रखे गए सभी व्यक्ति वास्तव में एक ही अपराध के आरोपी थे, इस हद तक कि उनमें से प्रत्येक पर एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों द्वारा जानबूझकर हत्या करने के अपराध का आरोप लगाया गया था, उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में, उस समय जब इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर उक्त सभा का सदस्य होने का आरोप लगाया गया था, धारा ३०२/१४९ भारतीय दंड संहिता। इसलिए इस आरोप पर संयुक्त विचारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २३९ के तहत निर्विवाद रूप से वैध था। यह बिलकुल सच है कि यह मामला विचारण न्यायालय के विवेक पर निर्भर था। अभियुक्त व्यक्तियों पर एक साथ या अलग-अलग आरोप लगाए जा सकते थे और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता था, जैसा कि न्यायालय उचित समझे। तर्क में हमें जो सुझाव दिया गया है वह यह है कि न्याय के हितों की पूर्ति बेहतर होती अगर सत्र न्यायालय अभियुक्तों के खिलाफ़ बैचों में मुकदमा चलाने का आदेश देना उचित समझता या किसी भी कीमत पर ऐसा करने पर जोर देता जब तक कि सरकारी अभियोजक मुकदमे के लिए सौंपे गए बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तियों के खिलाफ़ अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार न हो। पहले विकल्प के संबंध में, हमारे लिए यह कहना पर्याप्त है कि इस अनिवार्य रूप से श्रमसाध्य और लंबे मुकदमे की नकल करने, या तीन गुना करने या उससे भी अधिक बढ़ाने के रास्ते में व्यावहारिक कठिनाइयाँ और असुविधाएँ ऐसी थीं कि इस रास्ते को अपनाना व्यावहारिक रूप से असंभव हो गया। हम इस बिंदु पर और कुछ कहना आवश्यक नहीं समझते। भारतीय सत्र न्यायालय की प्रक्रिया से परिचित प्रत्येक वकील, और वास्तव में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो हमारे सामने मौजूद विशाल मुद्रित अभिलेखों को भी (?) देखता है, वह हमारी राय पर पहुँचेगा। अभियुक्तों की संख्या कम करने में सरकारी अभियोजक की ओर से संभावित कार्रवाई का प्रश्न, जो हमें तर्क में सुझाया गया था, अधिक जटिल है, और यह हमारे विचार के लिए उपयुक्त नहीं है। हम इस स्पष्ट तथ्य को पूरी तरह समझते हैं कि हम एक अपराध, या अपराधों की श्रृंखला से निपट रहे हैं, जिसमें संबंधित अपराधियों की संख्या कम से कम ३,००० थी। हम श्री कादरी द्वारा दिए गए बयान की सच्चाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जो उन्होंने बहस के दौरान हमें दिया था। श्री कादरी एक योग्य वकील हैं, जिन्हें निचली अदालत में अभियोजन का संचालन करने तथा हमारे समक्ष सुनवाई में विद्वान सरकारी वकील की सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस जांच के परिणामस्वरूप ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनमें कम से कम १,००० व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया है। इसलिए सत्र न्यायालय में इस मुकदमे में शामिल व्यक्तियों की संख्या को घटाकर २२५ करने से पहले काफी हद तक चयन और भेदभाव किया गया था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें सार्वजनिक हितों की निश्चित रूप से मांग थी कि अपराध के होने और सत्र परीक्षण के शुरू होने के बीच का समय अंतराल उससे अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जितना कि बिल्कुल आवश्यक था। अभियोजन पक्ष के संचालन के लिए जिम्मेदार लोग, परिस्थितियों के तहत, अनिवार्य रूप से समय के सापेक्ष काम कर रहे थे। यह प्रश्न कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय ३३ (धारा ४९२-४९५ सहित) के प्रावधानों में, 'सरकारी अभियोजक कहलाने वाले अधिकारियों' की नियुक्ति और कर्तव्यों के बारे में, कुछ संशोधन की आवश्यकता नहीं है, और आगे का प्रश्न कि क्या प्रावधानों का उपयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि (?) सरकारी अभियोजन के संचालन के लिए अधिक प्रभावी विभाग की आवश्यकता हो, निस्संदेह गंभीर विचार के योग्य हैं। मौजूदा स्थिति में (?) संदेह है कि क्या इस असाधारण अपराध की जांच और अपराधियों के अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मुद्दों को अधिक कुशलता से संभाला जा सकता था, या प्रत्येक व्यक्तिगत आरोपी के अपने खिलाफ व्यक्तिगत रूप से आरोपों की गहन जांच के अधिकार के विचार के साथ किया जा सकता था।

एक बात पर हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। वास्तव में अपनाई गई प्रक्रिया को देखते हुए, एक ठोस और निष्पक्ष जांच और संतोषजनक सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए इससे अधिक कुछ नहीं किया जा सकता था। श्री ओ.ई.डब्लू. सैंड्स द्वारा जांच के दौरान की गई गहन और निरंतर निगरानी रिकॉर्ड के लगभग हर पृष्ठ पर स्पष्ट है, और हम अपनी राय व्यक्त करते हुए उनके साथ न्याय कर रहे हैं कि यह न्याय के हितों के लिए अतुलनीय सेवा है। जिस भावना से पुलिस जांच की गई, वह हमारी राय में सीधी-सादी और सराहनीय थी। व्यावहारिक रूप से इसके विपरीत कोई सुझाव नहीं दिया गया है। अगर पुलिस ऐसा सोचती तो वे कमजोर सबूतों को ऐसे लोगों से पूरक बना सकते थे जो अभियुक्त से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बता सकते थे और जिनके सबूत,

गवाह की स्थिति से, सच्चाई से भरे होते। वे इसी तरह के अप्रत्यक्ष तरीकों से पहचान के सबूत भी हासिल कर सकते थे। हमने इस तरह की कोई भी चीज नहीं पकड़ी है; बल्कि इसके विपरीत इस तरह के किसी भी गलत काम से स्पष्ट रूप से परहेज किया गया है। पहले से ही उल्लेखित सेवाओं के अलावा, श्री सैंड्स ने प्रभावी व्यवस्था तैयार करने के लिए खुद को लगाया, जिसके द्वारा एक ही मुकदमे में अदालत के सामने इतने सारे अभियुक्तों को पेश करने से होने वाली शारीरिक कठिनाइयों को उस हद तक दूर किया जा सका, जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता था। अभियुक्तों की ओर से यह भी स्वीकार किया गया है कि निचली अदालत में मुकदमे की शुरुआत से ही उन्होंने उनके वकील के काम को हल्का करने और बचाव पक्ष के लिए कास्ट को कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक सामग्री के संग्रह में हर संभव तरीके से उनकी सहायता करने के लिए खुद को लगाया। यह हमारे लिए भी बड़ा लाभकारी रहा है कि श्री सैंड्स ने इन अपीलों की सुनवाई के पहले दिनों के दौरान हमारी अदालत में उपस्थित होने और मामले की सामान्य रूपरेखा, नक्शे और रिकॉर्ड पर अन्य महत्वपूर्ण प्रदर्शों की उचित समझ संभव बनाया।

इस विषय पर हम श्री आर.बी. कादरी, बैरिस्टर-एट-लॉ की सेवाओं के लिए हमेशा के लिए अपनी उच्च प्रशंसा व्यक्त करने का यह अवसर ले सकते हैं, जिन्होंने विचारण न्यायालय में अभियोजन पक्ष का संचालन पूरी ईमानदारी और उत्कृष्ट योग्यता के साथ किया और जिन्होंने हमारे समक्ष सुनवाई में सरकारी वकील की सहायता की, जिससे हमें मामले के सभी विवरणों से उनकी गहन जानकारी और इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं की पूरी समझ का लाभ मिला। हम मामले के व्यापक पहलुओं पर अपार सहयोग के लिए सरकारी वकील के आभारी हैं। उन्होंने बेंच से हर उस सूचना को स्वीकार करने के लिए पूरी तत्परता दिखाई जो किसी भी आरोपी के पक्ष में थी और मामले को उचित संयम के साथ प्रस्तुत किया। हम उन तीन सज्जनों द्वारा दिखाए गए उत्साह, योग्यता और परिश्रम की भी प्रशंसा करते हैं जिन्होंने व्यावहारिक रूप से सभी आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया। हम पंडित के.एन. मालवीय, श्री गोकुल दास और श्री एन.के. सान्याल का उल्लेख करते हैं।

अब हमारे लिए यह सुविधाजनक होगा कि हम अपीलकर्ताओं की ओर से हमें संबोधित एक अन्य तर्क पर विचार करें, जो इतने सारे अभियुक्तों पर एक साथ मुकदमा चलाने में अपनाई गई प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है, बल्कि एक ही मुकदमे में इतने सारे आरोपों को एक साथ जोड़ने के विरुद्ध है। यह अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह केवल सरकारी अभियोजक या विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए विवेक के विरुद्ध नहीं है, बल्कि पूरे मुकदमे की वैधता के विरुद्ध है। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध छह आरोप लगाए गए थे। एक सातवाँ आरोप था जो पूरी संख्या में से केवल छब्बीस को प्रभावित करता था और आठवाँ आरोप था जो उन्हीं छब्बीस और बारह अन्य को प्रभावित करता था। इन आरोपों को अपील के तहत फैसले के शुरुआती पन्नों में विस्तार से बताया गया है और हम उन्हें फिर से दोहराने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। हालाँकि वे एक निश्चित वर्गीकरण को स्वीकार करते हैं। हम पहले ही पुलिस पर हमला करने वाली भीड़ के बारे में बात कर चुके हैं जो एक निश्चित संरचना में आगे बढ़ रहे लोगों की एक सभा थी और एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित थी। अभियोजन पक्ष के लिए यह मामले का एक अनिवार्य हिस्सा है कि इस भीड़ का केंद्र शायद १,००० या शायद १,५०० लोगों का एक समूह था, जो चौरा पुलिस थाने से लगभग दो मील या उससे भी कम दूरी पर स्थित डुमरी खुर्द के छोटे से गाँव से निकला था। सभी अभियुक्तों के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि वे डुमरी (?) गाँव में इस मूल सभा का हिस्सा थे, और उस स्थान से चलने से पहले, उन्होंने आपस में कुछ ऐसे अवैध कार्य करने के लिए समझौता किया था जो इस तरह की प्रकृति के थे कि भारतीय दंड संहिता की धारा १२० बी के तहत दंड के लिए उत्तरदायी होंगे। इस पर तर्क में 'षडचंत्र के आरोप' के रूप में बात की गई है और हम आगे इसी नाम से इसका उल्लेख करने का प्रस्ताव करते हैं। इस समय, हमें जिस बिंदु पर ध्यान देना है, वह यह है कि निचली अदालत में अभियोजन पक्ष के लिए यह मामले का एक अभिन्न अंग था (?) चौरा पुलिस थाने के पड़ोस में दिन में बाद में घटित घटनाएं, डुमरी खुर्द के रूप में इस कथित आपराधिक साजिश के बाद इस तरह से हुई और न केवल समय के अनुक्रम से, बल्कि कार्य-कारण की कड़ी से भी जुड़ी हुई थी, जिससे डुमरी में साजिश और चौरा में पुलिसकर्मी पर बाद में किया गया हमला, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २३ के अर्थ में एक ही कार्य का हिस्सा बन गया।

अगले पाँच आरोप सं. २, ३, ४, ५ और ६, ४ फरवरी, १९२२ की दोपहर को चौरा पुलिस थाने और उसके आस-पास के इलाकों में हुई घटनाओं से संबंधित हैं। इन्हें एक ही आरोप के अलग-अलग प्रस्तुतीकरण के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो कम या ज़्यादा गंभीर रूप में हैं। वे दूसरे आरोप से शुरू होते हैं, जिसमें सभी अभियुक्तों के खिलाफ़ सिर्फ़ यह आरोप लगाया गया है कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा १४१ के अर्थ के भीतर एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, उस समय जब सभा के सदस्यों द्वारा अपने सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल किया गया था। इसलिए यह आरोप

भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के अंतर्गत आता है। अभियोजन पक्ष का यह भी कहना है कि इस प्रकार इस्तेमाल की गई ताकत या हिंसा में २३ पुलिस चौकीदारों की हत्या, उक्त अधिकारियों और सरकार की संपत्ति की लूट, पुलिस थाने की इमारतों में आग लगाकर उन्हें नष्ट करना और कई पुलिसकर्मियों और चौकीदारों को जानबूझ कर चोट पहुंचाना शामिल है। इसलिए हमने धारा ३०२, ३०५, ४३६ और ३३२, भा.दं.सं. के तहत आरोप दर्ज किए हैं, जिन्हें प्रत्येक मामले में उसी संहिता की धारा १४९ के साथ पढ़ा जाएगा।

७वें और ८वें आरोप, जो केवल कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, को एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है। वे रेलवे लाइन और टेलीग्राफ तारों को पहुँचाए गए नुकसान से संबंधित हैं और क्रमशः रेलवे अधिनियम सं. ९, १८९० की धारा १२० और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सं. १३, १८८५ की धारा २५ के तहत बनाए गए हैं।

वास्तव में एक और आरोप है, जो इतना कम महत्व का है कि लगभग अनदेखा कर दिया गया है। यह केवल एक अभियुक्त, अपीलकर्ता सुखारी को प्रभावित करता है, इसलिए इसे भारतीय दंड संहिता की धारा ४१२ के तहत बनाया गया है। मूल रूप से यह धारा ३९५/१४९, भा.दं.सं. के तहत डकैती के आरोप का संदर्भ देता है, जिसमें सुखारी पहले से ही शामिल था, और उसके खिलाफ वैकल्पिक रूप से आरोप लगाया गया है कि, यदि वह वास्तव में उक्त डकैती में शामिल नहीं था, तो उसके पास किसी भी स्थिति में बाद में ऐसी संपत्ति पाई गई थी जो उसी दौरान चोरी हो गई थी। आरोप कुछ ढीले-ढाले शब्दों में लिखा गया है और सुखारी के विरुद्ध यह मूल बात आरोपित नहीं की गई है कि वह जानता था कि प्रश्नगत संपत्ति का कब्जा डकैती के द्वारा हस्तांतरित किया गया था, लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर हम जोर देना आवश्यक समझते हैं।

अब अपीलकर्ताओं का पक्ष यह है कि ४ फरवरी, १९२२ की सुबह डुमरी खुर्द में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपराधिक साजिश नहीं की गई थी; या वैकल्पिक रूप से, यदि ऐसी कोई साजिश थी, तो यह ऐसी नहीं थी जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा १९६ ए के प्रावधानों के मद्देनजर स्थानीय सरकारों द्वारा लिखित आदेश के बिना अभियोजन शुरू किया जा सकता था। इस तर्क पर हमें बाद में लौटना होगा। हमारे सामने मौजूदा मुद्दा यह है कि, ४ फरवरी, १९२२ की दोपहर को डुमरी खुर्द में जो भी अपराध हुआ हो या न हुआ हो, वह उसी दिन बाद में चौरा में किए गए अपराधों से इतना जुड़ा हुआ नहीं था कि इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २३९ के अर्थ में 'एक ही कार्य में किया गया' माना जा सके। इस दलील पर अपीलकर्ता आगे तर्क देते हैं कि आरोपों का गलत संयोजन हुआ है, जो निचली अदालत में पूरे मुकदमे को अमान्य करने के लिए पर्याप्त है। हमें लगता है कि हम पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ही योग्य वकील हैं जिन्होंने अपीलकर्ताओं की ओर से मामले के इस हिस्से पर बहस की, जब हम कहते हैं कि यह हमारी धारणा नहीं है कि उन्होंने इस तर्क को तार्किक निष्कर्ष तक गंभीरता से जोर दिया है, अगर हमें लगता है कि यह सही है, तो हमारे पास पूरे मामले की फिर से सुनवाई का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर वह इस तरह के विवाद के संभावित परिणामों का सामना करने में हिचकिचाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए, यदि यह इस अदालत में मान्य हो। इस प्रश्न के बारे में हमारा अपना दृष्टिकोण पहले से ही उन अभिव्यक्तियों से संकेतित है, जिनका हमने आरोपों को निर्धारित करने में उपयोग किया है, लेकिन हमें शायद इसे और अधिक स्पष्ट करना चाहिए। जब विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, और उनके सामने यह प्रश्न आया कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २३९ के प्रावधान उन्हें न केवल अपने समक्ष उपस्थित २२५ अभियुक्तों पर एक ही सुनवाई करने के लिए अधिकृत करते हैं, बल्कि उन्हें कमिटिंग मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत उन पर लगाए गए सभी आरोपों पर सुनवाई करने के लिए अधिकृत करते हैं, तो संभवतः वे यह नहीं जान सकते थे कि पूरे साक्ष्य को सुनने के बाद वे किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। उन्हें अभियोजन पक्ष के मामले को आरोपों में ही देखना था। इसलिए, उन कारणों से, जिन्हें हम पहले ही बता चुके हैं, उन्हें कानून द्वारा २२५ अभियुक्तों पर लगाए गए आरोपों के आधार पर इस सुनवाई में शामिल होने का अधिकार था। उन्होंने जो दोषसिद्धि दर्ज की है, वे उन निष्कर्षों से प्रमाणित होती है, जिन पर वे साक्ष्य के आधार पर पहुंचे थे। चूँकि उन्हें केवल 'आरोपों' पर विचार करना था, इसलिए उनके लिए यह विचार करना आवश्यक नहीं था कि यदि वे अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते कि ४ फरवरी, १९२२ की दोपहर को डुमरी खुर्द में किसी भी व्यक्ति द्वारा धारा १२०बी, आई.पी.सी. के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध नहीं किया गया था, या यदि कोई अपराध किया गया था तो वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १९६ए के अंतर्गत उनके संज्ञान से बाहर रखा गया था, तो स्थिति क्या होगी। किसी भी स्थिति में, षडयंत्र के आरोप में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिए जाने से मुकदमे की वैधता पर किसी भी संभावित आपत्ति को दूर किया जा सकता था। यह संभव है कि कुछ मामलों में अभियोजन पक्ष को बहुत अधिक साबित करने का प्रयास करने का दण्ड भुगतना पड़े, क्योंकि उसे दोषमुक्ति का निर्णय दर्ज होते देखना पड़े, जिसे अन्यथा टाला जा सकता था।

हमें नहीं लगता कि हम इस चरण में विभिन्न आरोपों के स्वरूप पर चर्चा करने के लिए बहुत चिंतित हैं, जब तक कि हम संतुष्ट हैं कि आरोपों में ऐसा कोई गलत संयोजन नहीं हुआ है जिससे केवल इस आधार पर सभी दोषसिद्धियों को रद्द करके कानून को सही साबित करने का कर्तव्य और परिणामस्वरूप ऐसे आरोप या आरोपों पर नए विचारण के आदेश के प्रश्न पर विचार करने की जिम्मेदारी पर बल दिया जाए, जिन्हें हम तय करने का निर्देश दें। अभियोजन पक्ष के मामले में, हमने जिन तीन समूहों के आरोपों को प्रस्तुत किया है, वे धारा २३९, दंड प्रक्रिया संहिता के अर्थ के भीतर एक ही कार्यकारण में किए गए अपराधों के संबंध में थे। अकेले आरोपी सुखारी के खिलाफ अंतिम आरोप वास्तव में अन्य में से एक के विकल्प की प्रकृति के थे। विचारण न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में कुछ भी अवैध नहीं था। इस मामले में हमारे कर्तव्य के बारे में हमारी जो धारणा बनी है, वह यह है कि हमें मामले में एक महत्वपूर्ण आरोप पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे सामने अब कोई भी अपीलकर्ता ऐसा नहीं है, जिसे किसी अन्य आरोप में दोषी ठहराया गया हो, लेकिन उसे दंगे के दौरान की गई हत्या के अपराध में भी दोषी ठहराया गया हो और जो भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के तहत दंडनीय हो। किसी भी अपीलकर्ता के संबंध में, जिसके खिलाफ यह आरोप हमारी राय में संतोषजनक रूप से साबित नहीं हुआ है, लेकिन जो सभी आरोपों से बरी होने के स्पष्ट फैसले का हकदार नहीं है, हमारी राय में स्थापित एकमात्र अपराध साधारण दंगा है जो भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के तहत दंडनीय है। यह अपराध विरचित आरोपों में से दूसरे में वर्णित है। साजिश के आरोप के संबंध में, मामले के कुछ पहलू हैं जिन पर हमें आगे विचार करना होगा क्योंकि उनका संबंध हत्या के आरोप में संदर्भित चौरा पुलिस थाने के आसपास गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों के महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रश्न से है। अन्यथा हम भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के तहत आरोपों पर अपना ध्यान केंद्रित करने और यह विचार करने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या यह सभी या किसी भी अपीलकर्ता के खिलाफ साबित होता है। सजा के सवाल पर उस एक आरोप के तहत पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से विचार किया जा सकता है। जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, उस आरोप में दोषी पाए गए किसी भी आरोपी व्यक्ति पर कानूनी तौर पर आजीवन निर्वासन से कम सजा नहीं दी जा सकती है।

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने धैर्यपूर्ण और अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से मुकदमे का संचालन करके तथा अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए अत्यंत श्रमसाध्य और विस्तृत निर्णय द्वारा हमारे कार्य को अत्यंत सरल बना दिया है। हमने पाया है कि साक्ष्यों का उनका सामान्य सारांश पूर्ण और विश्वसनीय है; उन्होंने विशेष गवाहों पर जो टिप्पणियाँ की हैं, वे ठोस और सहायक हैं। विशेष रूप से हम प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक और सटीक सारांश के लिए उनके आभारी हैं; यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई लंबी बहसों में अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा इस पर व्यावहारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी गई। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि निचली अदालत में उपस्थित दो सौ पच्चीस अभियुक्तों में से प्रत्येक को अपने पक्ष और विपक्ष में मामले के मूल्यांकन का लाभ मिला है, जो कि यदि वह अपने मुकदमे में अकेले होता तो इससे अधिक सावधानीपूर्वक और पूर्ण नहीं हो सकता था; हम समझते हैं कि ऐसा कहकर हम विद्वान सत्र न्यायाधीश को बहुत उच्च लेकिन उचित प्रशंसा दे रहे हैं।

मामले के तथ्यों और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए, हमें अनिवार्य रूप से अपील के तहत फैसले में, सबसे पहले, यह जांच करने का मार्ग अपनाना चाहिए कि ४ फरवरी, १९२२ की त्रासदी किस तरह से 'असहयोग आंदोलन' के रूप में जानी जाने वाली गतिविधियों से उत्पन्न हुई। भारत में इस आंदोलन के नायक श्री एम.के. गांधी द्वारा फरवरी, १९२१ के महीने में किए गए दौरे से गोरखपुर जिले में इन गतिविधियों को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। हमारा सीधा सरोकार उस संगठन से है जिसे 'नेशनल वॉलंटियर्स' के नाम से जाना जाता है, जो राष्ट्रीय कांग्रेस की समिति और खिलाफत समिति के तत्वावधान में नामांकित था जिसका मुख्यालय गोरखपुर शहर में था। इस संगठन का घोषित उद्देश्य निष्क्रिय प्रतिरोध के विभिन्न रूपों द्वारा भारत में मौजूदा सरकार की प्रणाली को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना और इसके स्थान पर स्वराज - 'स्व-शासन', या 'स्वतंत्रता' के नाम से अस्पष्ट रूप से समझी जाने वाली प्रणाली को स्थापित करना था - जिसके बारे में एक गवाह ने न्यायालय को ताज़ा स्पष्टता के साथ बताया कि वह समझता है कि इसका अर्थ 'किसी और का शासन' है।

हमारे सामने मौजूद साक्ष्यों में यह बात उल्लेखनीय है कि गोरखपुर के किसानों के मन में किस तरह से "स्वराज" का नाम श्री गांधी के नाम से जुड़ा हुआ था। साक्ष्यों में और विभिन्न अभियुक्तों द्वारा समय-समय पर दिए गए बयानों में हम पाते हैं कि यह "गांधीजी का स्वराज" या महात्माजी का स्वराज था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। जहां तक हमारे सामने मौजूद साक्ष्यों से इस आदर्श के किसी ठोस अवतार का पता चलता है, हम पाते हैं कि इन किसानों ने इसे एक सहस्राब्दी के रूप में देखा था जिसमें कराधान खेतों और खलिहानों से छोटे नकद योगदान या वस्तु के रूप में शुल्क के संग्रह तक सीमित होगा,

और जिसमें किसान अपनी जमीनों को नाममात्र के किराए से थोड़ा अधिक पर रखेंगे। दूसरों ने कल्पना की थी कि प्रत्येक स्वयंसेवक स्वराज की पहली किस्त के रूप में किसी अनिर्दिष्ट स्रोत से १२ रुपये प्रति माह की आय प्राप्त करेगा। एक बात जो ध्यान देने योग्य है, वह यह है कि आंदोलन के आयोजकों के प्रयासों का उद्देश्य एक 'इम्पेरियम इन इम्पेरियो' की स्थापना करना था, जो सरकार की पूरी मौजूदा मशीनरी को लगातार बदलने में सक्षम हो। स्वयंसेवकों को अपने गांवों की पुलिसिंग करना सिखाया गया; और न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई, जहाँ किसानों से मौजूदा न्यायालयों के स्थान पर अपने विवादों को संदर्भित करने का आग्रह किया गया। रिकॉर्ड पर मौजूद एक प्रदर्श कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में तैयार किया गया आने वाले वर्ष के लिए एक आदर्श बजट है। एक और बात जिस पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है उन प्रतिबद्धताओं की प्रकृति जिसे स्वयंसेवक के रूप में नामांकित व्यक्तियों ने स्वीकार किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद विभिन्न 'प्रतिज्ञा प्रपत्रों' में, जो प्रदर्श हैं, सभी परिस्थितियों में पूर्ण अहिंसा का कर्तव्य निश्चित रूप से कड़े शब्दों में निर्धारित किया गया है। हालाँकि, इसके साथ ही, हम व्यक्तिगत स्वयंसेवकों की ओर से अपने 'अधिकारियों' के आदेशों का बिना किसी सवाल के पालन करने की एक बिनाशर्त प्रतिबद्धता पाते हैं; और यहां तक कि अहिंसा की प्रतिज्ञा भी इस शर्त के अधीन है कि यह तभी तक कायम रहेगी जब तक अहिंसा 'राष्ट्र' की नीति बनी रहेगी। हमें इस बात पर संदेह है कि हमने जिन 'प्रतिज्ञा प्रपत्रों' की जांच की है, उनकी भाषा कितने नामांकित स्वयंसेवकों को आसानी से समझ में आएगी, बिना उन व्यक्तियों की व्याख्या और टिप्पणी के जो उनसे बेहतर शिक्षित हैं। इन दस्तावेजों में से एक की समग्र रूप से जांच करने पर, हमें यह कहना उचित अनुमान से अधिक कुछ नहीं लगता कि एक अनपढ़ किसान, जिस वर्ग से हमारे सामने अपील करने वाले अधिकांश लोग आते हैं, यह मान कर चलेगा कि उसने 'प्रतिज्ञा' को समझने का वास्तविक प्रयास किया है, कि उसे सभी मामलों में अपने 'अधिकारियों' का पालन करना है, निष्क्रिय और पूरी तरह से 'अहिंसकष बने रहना है जब तक कि वे उसे ऐसा करने के लिए कहें, और जब वे उसे बताएं कि ऐसी कार्रवाई का समय आ गया है तो वह जो भी कार्रवाई करने का निर्देश दें, उसे करना है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण प्रदर्श ११८ पर ध्यान देने के लिए बाध्य हैं, जिसके द्वारा स्वयंसेवकों के विभिन्न संघों को अर्ध-सैन्य संगठन रूप देने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।

यह एक ऐसे संगठन की गतिविधियों और तरीकों का सारांश है जो हमारे सामने मौजूद सामग्रियों से संकलित किया जा सकता है, जो कम से कम नौ महीने की अवधि से गोरखपुर जिले के गांवों पर लगातार अपना प्रभाव डाल रहा था, इससे पहले कि गठित अधिकारियों द्वारा दमनकारी प्रकृति की कार्रवाई की जाती। अधिसूचना सं. २९३२, दिनांकित २२ नवम्बर, १९२१, तथा २६ नवम्बर, १९२१ के राजपत्र में प्रकाशित द्वारा गवर्नर इन काउंसिल ने वर्तमान में खिलाफत वालंटियर्स, कांग्रेस वालंटियर्स तथा नेशनल वालंटियर्स के नाम से जाने जाने वाले संगठनों को भारतीय दंड विधि संशोधन अधिनियम, १९०८ के भाग २ के अर्थ में 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया। यह कार्रवाई स्थानीय सरकार के अधिकार क्षेत्र में थी, जैसा कि १९२० के हस्तांतरण अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा १६ के तहत उल्लेख किया गया था। गोरखपुर जिले में ये संगठन एक ही निकाय में विलीन हो गए, जिसे 'नेशनल वालंटियर्स' के नाम से जाना जाता है। हमारे सामने अभिलेखों में पर्याप्त तथा निर्विवाद साक्ष्य हैं कि इस संगठन के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार लोगों ने इस मामले में स्थानीय सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने का निश्चय किया। न केवल नेशनल वालंटियर्स का नामांकन जारी रहा, बल्कि एक ऐसा फॉर्म भी पेश किया गया, जिसका उद्देश्य इस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को राजपत्र अधिसूचना तथा इसके परिणामों के बारे में पूरी जानकारी तथा समझ रखने के लिए बाध्य करना था। इन फॉर्मों पर सैकड़ों अनपढ़ किसानों के अंगूठे के निशान लिए गए और नामांकित स्वयंसेवकों के लिए अभ्यास की व्यवस्था की गई। यह ध्यान रखना उचित है कि इस अभ्यास में हथियारों के इस्तेमाल का कोई भी अभ्यास शामिल नहीं था, यहाँ तक कि लाठी या बांस के डंडे का भी नहीं, जिसे उत्तरी भारत के किसानों का राष्ट्रीय हथियार कहा जा सकता है। हालाँकि इसमें नियमित रूप से मार्च करने का अभ्यास और सीटी की आवाज़ पर शुरू करने, रोकने, वापस लौटने और फिर से शुरू करने जैसे प्राथमिक युद्धाभ्यास शामिल थे। अपीलकर्ता भगवान अहीर को मेसोपोटामिया में एक श्रमिक दल के साथ प्राप्त सैन्य प्रशिक्षण के बल पर, चौरा के पड़ोस में स्वयंसेवकों के लिए ड्रिल-प्रशिक्षक के रूप में काम पर रखा था।

इस प्रकार स्थापित सरकार की कार्रवाई को चुनौती देने का बीड़ा उठाने वालों पर जो जिम्मेदारी थी, वह निस्संदेह गंभीर थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हमें उनके रवैये के बारे में एक सक्षम और संयमित तर्क के साथ समझाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे सभी संभावित या कल्पनीय परिस्थितियों में हिंसा से दूर रहने के वचन पर निर्भर थे, जो नामांकन के समय प्रत्येक स्वयंसेवक से ली गई शपथ का हिस्सा था। वे स्वयंसेवकों को गैरकानूनी संघ घोषित करने की स्थानीय सरकार की कार्रवाई के खिलाफ विरोध दर्ज कराना चाहते थे, उनका तर्क था कि आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कभी भी ऐसे संघ के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए जिसके सदस्यों ने इस प्रकार पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा की हो। यदि नेताओं का

दृष्टिकोण और ईमानदार विश्वास था, तो हमें लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से कृत्रिम और अवास्तविक मानक अपनाया। हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि वे जीवन की वास्तविकताओं से इतने अलग थे कि अपने अनुयायियों को मौजूदा सरकार के खिलाफ वास्तविक, काल्पनिक या निर्मित शिकायतों से उकसाए जाने पर सामूहिक रूप से शांत, दूर और भावशून्य रहने की क्षमता का श्रेय देते हैं और वे शायद ही इस परिस्थिति को अनदेखा कर सकते हैं कि स्वयंसेवकों, पुलिस और सेना के बीच टकराव निश्चित रूप से समय-समय पर विकसित होगा। वास्तव में, केवल स्वयंसेवकों के नामांकन को जारी रखने से कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होता; इस तरह से संगठित और जोड़े गए साधन को कुछ प्रभावी उपयोग में लाया जाना चाहिए। अन्यथा सरकार इसके अस्तित्व को अनदेखा कर सकती थी और इस उपकरण के स्वयं ही जंग खाकर नष्ट हो जाने का इंतजार कर सकती थी। शराब और नशीली दवाओं की बिक्री के लिए लाइसेंस प्राप्त दुकानों के खिलाफ अभियान ने तुरंत ही स्वयंसेवी संघों की गतिविधियों के लिए एक सुविधाजनक वस्तु के रूप में खुद को सुझाया। यह विभिन्न दृष्टिकोण ों से उपयुक्त था। यह स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बाध्य था; फिर भी इसका उद्देश्य सार्वजनिक सहानुभूति को आकर्षित करने के लिए गणना के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता था, और इसे किसी भी तरह से अहिंसा के सिद्धांत से विचलित हुए बिना किया जा सकता था। हमारे पास इस अभिलेख पर साक्ष्य हैं जो हमें विलक्षण सटीकता के साथ उन चरणों का पता लगाने में सक्षम बनाता है जिसके द्वारा एक आंदोलन, जिसे वास्तव में शराब और नशीली दवाओं की दुकानों की व्यवस्थित धरपकड़ से अधिक कुछ नहीं माना जा सकता था, तेजी से और हम लगभग कह सकते हैं कि अपरिहार्य रूप से, सामूहिक हिंसा और बर्बर क्रूरता के भयावह प्रदर्शन में बदल गया, जिसकी विवेचना के लिए हमें आहूत किया गया है।

शुरू में, यह स्पष्ट रूप से असंभव पाया गया कि अभियान को नशीली दवाओं के विक्रेताओं के खिलाफ़ ही सीमित रखा जाए। स्थापित तथ्यों से हमें यह अनुमान लगाने से ज़्यादा कुछ नहीं लगता कि स्वयंसेवकों की ऊर्जा के लिए कुछ अतिरिक्त उद्देश्य खोजना होगा, जो उनकी व्यक्तिगत सहानुभूति को और अधिक सीधे अपील योग्य बना सकती। किसान वर्ग उच्च कीमतों से बुरी तरह पीड़ित था, और निस्संदेह यह मानने के मूड में था कि खाद्य-सामग्री के विक्रेता अपनी ज़रूरतों का व्यापार इस तरह से कर रहे थे जिसे हम 'मुनाफ़ाखोरी' शब्द से परिभाषित करना सीख गए हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि अभियान खाद्यान्नों की कीमतों के विरुद्ध नहीं था; यहाँ किसानों के हितों पर विचार किया जाना था, क्योंकि उत्पादक उच्चतम संभव बाजार में बेचना चाहते थे। यह आंदोलन मांस और मछली के विक्रेताओं के विरुद्ध था, उन्हें अपनी दुकानों को जबरन बंद करने या लूटने के दंड के तहत अस्सी या नब्बे प्रतिशत तक कीमतें कम करने के लिए कहा जाना था। स्वयंसेवकों के नामांकन को एक प्रचार द्वारा बढ़ावा दिया गया था जिसने अज्ञानी किसानों को इसे 'स्वराज' की स्थिति प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखना सिखाया था जो कि उनके भौतिक समृद्धि को उन तरीकों से बढ़ाना था जिनका हमने पहले ही उल्लेख किया है। यह ध्यान में रखते हुए कि स्वयंसेवकों को यह समझाना चाहिए कि उनकी ओर से थोड़ी सी गतिविधि से मांस और मछली की कीमतों में तुरंत बड़ी कमी आएगी।

नीचे की ओर जाने वाले मार्ग पर अगला कदम स्वयंसेवकों द्वारा यह पता लगाना था कि जब तक वे भारी संख्या में कार्य करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। जिन लोगों पर हम विचार कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा चौरा पुलिस थाने के उत्तर में स्थित मुंडेरा गांव की ओर निर्देशित थी। साक्ष्य में सुझाव हैं कि स्थानीय भूस्वामियों की प्रतिद्वंद्विता ने विशेष रूप से स्वयंसेवी गतिविधि के प्रदर्शन के लिए मुंडेरा बाजार के चयन में कुछ निर्णायक प्रभाव डाला था। यह स्वाभाविक रूप से काफी संभावित है कि, एक अनिवार्य रूप से अराजक बल के अस्तित्व में आने के बाद, निजी व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसकी ऊर्जा का दोहन करने या किसी भी स्थिति में इसकी गतिविधियों को उनके लिए हानिरहित दिशा में मोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि, जनवरी, १९२२ के अंत में, यह संदेश प्रसारित हुआ था कि स्वयंसेवकों को मुंडेरा बाजार में देशी शराब, ताड़ी, भांग की दवाइयों, मांस और मछली की 'बिक्री बंद' करनी थी। यह सप्ताह में दो बार, बुधवार और शनिवार को आयोजित किया जाता था।

हमारे सामने दुकानदारों के साक्ष्य हैं, जिन्हें चेतावनी दी गई थी और स्वयंसेवकों के छोटे समूहों द्वारा उन्हें डराया-धमकाया गया था। 'हमने उनसे कहा कि अगर वे सस्ते में नहीं बेच सकते तो हम इसे फेंक देंगे '(सत्र रिकॉर्ड, पृष्ठ ३)' - अगर वे हमारी बात नहीं मानते तो हमें बल का प्रयोग करना चाहिए' (सत्र रिकॉर्ड, पृष्ठ ४९)। जिस साक्ष्य पर हम विचार कर रहे हैं, वह अपील के तहत फैसले में पूरी तरह से वर्णित है; हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि कहानी इतनी पूरी तरह से स्थापित है कि हमें लगता है कि अपीलकर्ताओं और अभियोजन पक्ष की ओर से हमें संबोधित तर्कों में इसके

सबसे आवश्यक बिंदुओं को स्वीकार कर लिया गया है।

१ फरवरी, १९२२ को बुधवार के बाजार के अवसर पर स्वयंसेवकों का एक दल, जिसकी संख्या तीस से चालीस थी, मुंडेरा की ओर बढ़ा और सुबह गांव के बाहर रुक गया, ताकि बाजार के ठीक शुरू होते ही काम शुरू कर सके। गांव के बड़े जमींदार (?) के कारिंदे और दुकानदार सतर्क थे। कारिंदे बाहर आए और स्वयंसेवकों से पूछा और उन्हें साफ-साफ कह दिया कि बाबू संत बख्श सिंह उन्हें अपने बाजार में दखल नहीं देने देंगे। साक्ष्यों को थोड़ा-बहुत समझने पर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि स्वयंसेवकों की ओर से किसी भी तरह की जबरदस्ती का बलपूर्वक विरोध किया गया होगा। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट है कि स्थानीय पुलिस थाने को सूचना भेज दी गई थी, क्योंकि सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह पुलिस और चौकीदारों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ मुंडेरा में घुस आए थे। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही स्वयंसेवकों ने अपना काम छोड़ दिया था। बाजार के प्रभारी एजेंटों के दृढ़ रवैये के सामने, स्वयंसेवकों को लगा कि वे संख्या में बहुत कम हैं और वे कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर सकते। वे तितर-बितर हो गए और उनमें से अधिकांश अपने घरों को लौट गए।

लेकिन दो बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वयंसेवकों के नेताओं ने जाने से पहले अपने वार्ताकारों से स्पष्ट रूप से कहा कि वे अगले बाजार के दिन (शनिवार, ४ फरवरी) को इतनी संख्या में वापस आएंगे कि अपनी मांगों को मनवा सकें। स्वाभाविक रूप से इस्तेमाल की गई सटीक भाषा के बारे में कुछ विवाद की गुंजाइश है; लेकिन यह एक धमकी थी, और इसे उसी रूप में समझा गया, यह न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य से, बल्कि इस तथ्य से भी पूरी तरह साबित होता है कि जमींदार ने अगले शनिवार को अपने बाजार के लिए विशेष पुलिस सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट से व्यक्तिगत रूप से अपील करने के लिए गोरखपुर में एक विश्वसनीय एजेंट को नियुक्त किया। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि ऐसी अपील की गई थी, और इसके परिणामस्वरूप ४ फरवरी को सुबह लगभग ९ बजे चौरी चौरा रेलवे स्टेशन पर नौ बंदूकधारियों के साथ सशस्त्र पुलिस की एक छोटी टुकड़ी ट्रेन से पहुंची।

दूसरी परिस्थिति, जो अपने आप में मामूली है, लेकिन दूरगामी परिणाम वाली है, वह यह है कि कुछ स्वयंसेवक भीड़ के तितर-बितर हो जाने के बाद मुंडेरा बाजार में घुसे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने वास्तव में कुछ भड़काऊ काम किया और हम अभियुक्तों को यह विश्वास दिलाते हैं कि स्वयंसेवकों का काम उस दिन के लिए वास्तव में छोड़ दिया गया था और जो लोग बाजार में घुसे थे, वे अपने निजी काम से ऐसा कर रहे थे। दुर्भाग्य से, बाजार में उनकी मौजूदगी ही ऐसी परिस्थितियों में भड़काऊ साबित हुई। सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह मुंडेरा पहुंचे, उन्हें लगा कि उन्हें किसी आपात स्थिति में कार्रवाई करनी होगी और उन्होंने पाया कि बाजार के प्रभारी लोग उत्तेजित और भयभीत हैं। इसके बाद जो हुआ, उसके विवरण के बारे में कुछ साक्ष्य विरोधाभासी हैं। वास्तव में, एक गवाह, जिससे कोई स्पष्ट और सुसंगत विवरण की उम्मीद कर सकता था, वह पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक (वह कांस्टेबल जो नरसंहार में बच गया) भ्रमित और आत्म-विरोधाभासी है। साक्ष्य को समग्र रूप से देखने पर हमें यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सब-इंस्पेक्टर, दोपहर के समय स्थानीय जमींदार के कार्यालय में था, जब बाजार में मिले पुलिसकर्मियों ने कुछ स्वयंसेवकों को उसके सामने लाया। संभवतः वे केवल दो ही थे; हो सकता है कि वे तीन या चार रहे हों, लेकिन उनमें से एक निश्चित रूप से अभियुक्त भगवान अहीर था, जिसे हमने 'ड्रिल-इंस्ट्रक्टर' के रूप में बताया है। सब-इंस्पेक्टर ने स्वयंसेवकों से कठोरता से बात की। उसका क्रोध विशेष रूप से भगवान के विरुद्ध था, जिसे उसने सरकार से पेंशन लेने के लिए गाली दी, जबकि वह 'अवैध संगठन' में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य उस सरकार को उखाड़ फेंकना था (चाहे किसी भी तरीके से) जिसका वह नमक खा रहा था। एक आरोप है कि (?) भगवान अहिर ने अशिष्टता से उत्तर दिया; एक सुझाव यह भी है कि सब-इंस्पेक्टर को जमींदार के रघुबर दयाल नामक एक एजेंट ने किसी तरह से उस व्यक्ति के खिलाफ और अधिक भड़का दिया था। हम इस बात के बारे में निश्चित हैं कि सब-इंस्पेक्टर ने अपना आपा पूरी तरह से खो दिया और उस व्यक्ति पर प्रहार किया; हम मानते हैं कि यह साबित हो गया कि उसने उसे हल्के बेंत से दो वार किए थे, और बहुत संभव है कि उसने उसे खुले हाथ से भी मारा हो।

भगवान और उसके साथ कोई भी स्वयंसेवक या स्वयंसेवकगण वहाँ से भाग गए और मुंडेरा को पूरी तरह से छोड़ दिया। सब-इंस्पेक्टर ने किसी की गिरफ्तारी को ज़रूरी नहीं समझा और उस तारीख़ को पुलिस और स्वयंसेवकों के बीच किसी टकराव के बारे में कभी कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं दी गई। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हमें न केवल सिद्दीक के साक्ष्य से बल्कि खुद अभियुक्त भगवान द्वारा दिए गए बयान (प्रदर्श २२६) से पता चला है कि भगवान अगली सुबह (२ फ़रवरी) स्वेच्छा से पुलिस थाने में पेश हुआ और सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के साथ स्पष्टीकरण दिया। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, इस स्पष्टीकरण के विवरण

कुछ हद तक अलग-अलग हैं; लेकिन वे इस हद तक सहमत हैं कि स्पष्टीकरण और माफ़ी मांगी गई और स्वीकार की गई और इस प्रकरण में मुख्य लोगों के बीच, दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुँच गई।

फिर भी कुछ अन्य हितबद्ध पक्ष भी थे, जिन्होंने सब-इंस्पेक्टर के आपा खोने और उसके अनुचित कार्य में एक ऐसा लीवर देखा, जिसका उपयोग प्रभावशाली परिणामों के साथ किया जा सकता था। इसके तुरंत बाद जो हुआ, उसके लिए हम अनुमोदक शिकारी के साक्ष्य की ओर मुड़ते हैं। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि यह व्यक्ति अपने ज्ञान के भीतर सभी तथ्यों को साफ-साफ बताकर अपनी क्षमा प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। इसके अलावा, हम उसके साक्ष्य में सभी मामलों की प्रचुर पुष्टि पाते हैं, जो हमें आवश्यक लगती है। वह हमें बताता है कि मुंडेरा में विफल कवायद की शाम, यानी बुधवार, १ फरवरी १९२२ को, उसके घर पर एक छोटी सी सभा हुई थी। भगवान अहीर मौजूद था, और साथ ही नज़र अली, लाल मुहम्मद, महादेव, ठग का बेटा और राम रूप (बढ़ई) जैसे सरगना भी मौजूद थे। शिकारी ने जो बातचीत की, उससे यह समझा कि, केवल भगवान ही नहीं, बल्कि महादेव और राम रूप को भी सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने पीटा था। यह दावा किया गया कि बाबू संत बख्श सिंह (मुंडेरा बाजार के मालिक) ने उन्हें पकड़वाकर मुंडेरा स्थित अपने कार्यालय में बुलवाया था, जहां पुलिस ने उनकी पिटाई की थी। इस पर यह सहमति बनी कि पड़ोसी गांवों में स्वयंसेवी संगठनों को पत्र भेजे जाने चाहिए, ताकि वे एक मजबूत समूह में इकट्ठा होकर सब-इंस्पेक्टर से मिलने जाएं और उससे पूछें कि उसने हमारे लोगों को क्यों पीटा। अगली सुबह (गुरुवार, २ फरवरी, १९२२) वही लोग शिकारी के घर पर फिर से एकत्र हुए और चूंकि अधिकारी और सरगना अनपढ़ थे, इसलिए ग्यारह साल के एक लड़के, गवाह नकछेद (पी.डब्लू. १२५) को पड़ोसी स्वयंसेवकों को सम्मन के रूप में भेजे जाने वाले पत्र की पांच प्रतियां लिखने के लिए नियुक्त किया गया। प्रस्तावित सभा के लिए चुने जाने वाले वास्तविक स्थान के बारे में कुछ चर्चा हुई। किसी ने चतुराई से यह अनुमान लगाया कि यदि यह चौरा पुलिस थाने के निकटवर्ती क्षेत्र में तय किया जाता, तो सब-इंस्पेक्टर स्वयंसेवकों के आते ही उन्हें गिरफ्तार करके सभा को समाप्त कर देते। अंततः शिकारी के घर के निकटवर्ती (?) खुर्द में एक खलिहान को सभा स्थल के रूप में तय किया गया। यह तय किया गया कि स्वयंसेवकों को पहले चौरा पुलिस थाने जाकर सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के साथ अपने मतभेदों को सुलझाना चाहिए और फिर वहाँ से उत्तर की ओर मुंडेरा बाजार की ओर बढ़ना चाहिए ताकि वहाँ के अड़ियल दुकानदारों पर अपनी इच्छा थोपी जा सके। इस प्रकार उनके सामने एक लंबा दिन का काम होगा, जिसे उपवास करके पूरा करना मुश्किल था। इसलिए कच्ची चीनी के रूप में आपूर्ति एकत्र करने की व्यवस्था की गई, जिसे सभा में उपस्थित लोगों में वितरित किया जा सके। हमारे पास स्वतंत्र साक्ष्य हैं कि यह वास्तव में हुआ था। वास्तव में जारी किए गए पांच पत्रों को पांच सौ से सात सौ पचास लोगों के लिए सम्मन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था; लेकिन हम दिलचस्प रूप से देखते हैं कि शिकारी कहता है कि उसे शुरू से ही भरोसा था कि खबर बाहर फैलने के बाद इस संख्या से ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे। उन्हें दो से तीन हज़ार लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद थी।

शायद लड़का नकछेद गंभीर जिरह के तनाव में थोड़ा भ्रमित था; लेकिन मुख्य रूप से उसने एक सुसंगत कहानी बताई है, और हमें कोई संदेह नहीं है कि वह अपनी याददाश्त के अनुसार सच बताने की कोशिश कर रहा था। १६ फरवरी, १९२२ को जांच करने वाली पुलिस को उसने जो विवरण दिया (देखें प्रदर्श, सं. १३१) वह उन पत्रों की सामग्री के बारे में था जिन्हें उसे लिखना था, जबकि उसकी याददाश्त अभी भी ताजा थी। संदेश के सार के सारांश के रूप में यह गवाह द्वारा बाद में दिए गए साक्ष्य के पूर्ण अनुरूप है और हम इसे एक सटीक सारांश के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह इस प्रकार है-

चौरा का सब-इंस्पेक्टर स्वयंसेवकों को खोज-खोजकर पीटता है, इसलिए अपने सभी स्वयंसेवकों को डुमरी ले आओ। हम लोग जाकर सब-इंस्पेक्टर से पूछेंगे कि वह स्वयंसेवकों को क्यों पीटता है; अगर वह हमें गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहता है तो वह हम सभी को लेकर ऐसा कर सकता है।

इस अंतिम वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट है। स्वयंसेवकों को इतनी संख्या में इकट्ठा होना था कि सब-इंस्पेक्टर के लिए उन सभी को गिरफ्तार करने का प्रयास करना स्पष्ट रूप से बेतुका हो जाए। तर्क में यह सुझाव दिया गया कि हमें इन शब्दों में स्वयंसेवकों के नेताओं की ओर से पहले से ही एक घोषणा देखनी चाहिए कि उनमें से प्रत्येक और सभी पूर्ण अहिंसा के प्रति अपनी प्रतिज्ञा का ईमानदारी से पालन करेंगे, गिरफ्तारी के लिए या पुलिस द्वारा अपने वैध अधिकार की सीमाओं के भीतर की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई के लिए विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत होंगे। हम इस वाक्यांश के विडंबनापूर्ण मोड़ और इसके

खतरनाक निहितार्थों से काफी प्रभावित हैं। स्वयंसेवकों को केवल पर्याप्त संख्या में इकट्ठा होना था, और अपने दृढ़ संकल्प में इतना दृढ़ होना था कि उनमें से किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सके जो पूरे के साथ नहीं किया गया था (?) और वे अपनी मर्जी से काम कर सकते थे; यहाँ तक कि दो हज़ार (?) की गिरफ्तारी भी एक ज्ञात असंभवता थी।

सत्र विचारण में अपने साक्ष्य में नकछेद ने कुछ हद तक पूर्ण कथन देने का प्रयास किया। जैसा कि हम उसके साक्ष्य को पढ़ते हैं, वह पत्रों की पूरी प्रतिलिपि स्मृति से देने का दावा करता है। इस संस्करण में हम उत्तेजक कथन पाते हैं कि उप-निरीक्षक स्वयंसेवकों को पीटने के लिए खोज रहा है। समापन वाक्यांश एक भ्रमित रूप में दिखाई देता है, जिसमें पिटाई और कारावास दोनों का संदर्भ है। आवश्यक बिंदु वही रहता है। किसी व्यक्ति की पिटाई नहीं की जानी थी, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाना था। हालाँकि, इस संस्करण में, सभा के लिए एक और उद्देश्य का संदर्भ है; उन्हें मुंडेरा जाना था और मछली और मांस की बिक्री बंद करानी थी।

हमें नहीं लगता कि अगर हम पत्रों की विषय-वस्तु के बारे में इस विस्तृत विवरण पर जोर देते हैं, जैसा कि हमारे मुद्रित रिकॉर्ड के पृष्ठ ५४३ पर दिखाई देता है, तो यह बचाव पक्ष की मदद करेगा और हम इस बात को लेकर थोड़े संशय में हैं कि ग्यारह साल का यह लड़का अपनी याददाश्त से पूरी विषय-वस्तु को फिर से बता सकता है। हमें लगता है कि उस सारांश पर कायम रहना सुरक्षित है, जो उसने तब दिया था, जब उसकी याददाश्त अपेक्षाकृत ताज़ा थी। सब-इंस्पेक्टर द्वारा अभियुक्त भगवंत पर किए गए हमले के बारे में बेतुके ढंग से बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए विवरण के आधार पर स्वयंसेवकों को डुमरी खुर्द बुलाया गया था। सभा का तत्काल उद्देश्य यह था कि वे संगठित रूप से चौरा पुलिस थाने तक मार्च करें और सब-इंस्पेक्टर से पूछें कि उसका क्या आशय था। बैठक शनिवार की सुबह, ४ फरवरी, १९२२ के लिए तय की गई थी।

इस बीच आगे की कार्रवाई की गई जिसके बारे में शिकारी को जाहिर तौर पर बहुत कम या कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जिसके बारे में बहुत सारे सबूत हैं। अभियुक्त लाल मुहम्मद ने गोरखपुर में खिलाफत समिति के जिला मुख्यालय को एक रिपोर्ट भेजी। इस बिंदु पर सबूत में कुछ दस्तावेज शामिल हैं जो पुलिस ने ५ फरवरी को खिलाफत कार्यालय पर छापा मारने के दौरान जब्त किए थे, और आंशिक रूप से गोरखपुर में खिलाफत की कार्यकारी समिति के विभिन्न सदस्यों के साक्ष्य हैं, जिन्हें अभियोजन पक्ष ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में पूरी सच्चाई जानने की उम्मीद में एक के बाद एक गवाह को कठघरे में खड़ा किया। हमें नहीं लगता कि कोई बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिली है। विस्तार के एक मामले में गवाही में स्पष्ट विरोधाभास है। मौलवी सुभानउल्लाह (पी.डब्लू. १३४) को सकारात्मक रूप से लगता है कि लाल मुहम्मद या तो अपनी लिखित रिपोर्ट खुद गोरखपुर लाया था, या किसी भी तरह से व्यक्तिगत रूप से उसका दौरा किया था। खिलाफत समिति के सचिव मुहम्मद सुलेमान अदमी (पी.डब्लू. १७०) को नहीं लगता कि लाल मुहम्मद व्यक्तिगत रूप से गोरखपुर आया था, और उसे पूरा विश्वास है कि मौलवी सुभानउल्लाह गलती कर रहा है अगर वह कहता है (जैसा कि वह जाहिर तौर पर कहता है) कि ष्लाल मुहम्मद को उस सज्जन के घर से खिलाफत समिति के कार्यालय में उसके पत्र या लिखित रिपोर्ट के साथ उसके हाथ में भेजा गया था। इस बात को लेकर भी साक्ष्यों में विरोधाभास है कि क्या यह कागज, प्रदर्श ९५, मूल रूप से यह रिपोर्ट है; वास्तव में हमें इस बात पर थोड़ा संदेह है कि क्या लाल मुहम्मद या किसी अन्य स्वयंसेवक के पास इस तरह का दस्तावेज तैयार करने की क्षमता थी। हम अनिच्छुक गवाहों की गवाही पर विचार कर रहे हैं, जो सच्चाई से उतने ही बचकर निकले जितना वे बचकर निकलने की हिम्मत कर सकते थे। हालाँकि कुछ तथ्य पूरी तरह से स्थापित हैं। लाल मुहम्मद ने खिलाफत समिति के कार्यालय को एक पत्र या रिपोर्ट भेजी थी, जिसका प्रदर्श ९५ किसी भी मामले में एक सही प्रतिलिपि है। यह रिपोर्ट हाथ से भेजी गई थी, ताकि इसमें दी गई जानकारी को पूरक बनाया जा सके, और निस्संदेह पूरक बनाया गया था। मौखिक संचार के माध्यम से उस व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ जो इसे ले गए थे। यह संचार ऐसा था जिसमें तत्काल उत्तर की मांग की गई थी। यदि कोई लिखित उत्तर लौटा था तो वह गायब हो गया है, और न ही गोरखपुर खिलाफत समिति के पत्राचार रजिस्टरों में इसका कोई निशान पाया जा सकता है, किसी प्रकार का उत्तर, मौखिक या लिखित, या दोनों, निस्संदेह वापस आ गया था।

पत्र प्रदर्श ९५ इस आशय का है कि दो स्वयंसेवक, जब अपने स्वयं के विपणन (बाजार का नाम नहीं दिया गया है) के बारे में शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, उन्हें स्थानीय पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी ने पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। पत्र के अंत में लिखा है, 'इसलिए हम इस मामले की रिपोर्ट आपको देते हैं, ताकि आप आकर मामले की जांच कर सकें। आपके कारण ही हम (हम-लोग, यानी स्थानीय स्वयंसेवक) ने किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि हम जो भी कार्रवाई करेंगे, वह (आप) हमारे वरिष्ठों

से पूछताछ के बाद होगी,' एक पुस्तक प्रस्तुत की गई है (प्रदर्श ९२) जिसके गोरखपुर में खिलाफत समिति के कार्यालय में प्राप्त पत्राचार का सार रजिस्टर होने का दावा किया गया है। इस रजिस्टर को उस समिति से बुलाए गए गवाहों ने (कुछ स्पष्ट सख्ती और झिझक के साथ) असली माना है। इस रजिस्टर में २ फरवरी १९२२ की तारीख के अंतर्गत लाल मुहम्मद, सचिव, चौरी चौरा से प्राप्त एक पत्र की प्रविष्टि है, जिसका दर्ज सारांश इस प्रकार है कि चौरा थाने के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर ने दो स्वयंसेवकों को बुरी तरह पीटा है, और 'उस स्थान के लोग' जवाब में पुलिस पर हमला करने के लिए तैयार थे, 'लेकिन उन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया'। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रदर्श ९५ का सटीक सारांश नहीं है। प्रदर्श ९२ की उपस्थिति के बारे में कई बिंदु हैं जो यह संदेह पैदा करते हैं कि क्या यह वास्तव में पत्राचार रजिस्टर है, (?) जिसे कार्यव्यवहार के नियमित क्रम में रखा जाता है। गोरखपुर खिलाफत कार्यालय से जारी पत्राचार का कोई सार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है; और प्रदर्श ९२ की पुस्तक के अपने शीर्षक में वर्णन के सामने हम नियाज अहमद आरिफ (पी.डब्लू. १७२) के विलंबित दावे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह प्रदर्श वास्तव में उस कार्यालय में प्राप्त पत्राचार और जारी किए गए पत्राचार के लिए रखा जाने वाला एकमात्र रजिस्टर है।

साक्ष्य की इस अनोखी स्थिति से निकाले जाने वाले निष्कर्षों पर विचार करते हुए हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि गोरखपुर में खिलाफत की कार्यकारी समिति का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य इस समय हमारे सामने अपने मुकदमे में उपस्थित नहीं है; लेकिन हमें इस बात पर अपनी राय बनाने के लिए बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ४ फरवरी की सुबह डुमरी खुर्द में राष्ट्रीय स्वयंसेवक किन उद्देश्यों के साथ एकत्र हुए थे और बैठक के पहले एकत्रित हुए लोगों ने उनके अनुसरण में क्या निर्णय लिए थे। इस दृष्टिकोण से मामले को देखते हुए, हम अपनी राय दर्ज करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं कि इस मुकदमे में पेश किए गए साक्ष्यों में २ और ३ फरवरी १९२२ के दौरान गोरखपुर में खिलाफत की कार्यकारी समिति और चौरा के पड़ोस में नेशनल वालंटियर एसोसिएशन के स्थानीय नेताओं के बीच हुए संचार के बारे में पूरी सच्चाई का खुलासा नहीं किया गया है। विशेष रूप से, हम यह नहीं मानते कि लाल मुहम्मद से प्राप्त पत्र-व्यवहार पर उक्त कार्यकारी समिति की ओर से या उसकी ओर से कभी कोई लिखित उत्तर दिया गया था। हमें दृढ़ता से संदेह है, इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, कि उस कार्यालय से जारी किए गए पत्राचार का रजिस्टर गायब हो गया है, ऐसा इसलिए नहीं कि उसमें कुछ था, बल्कि इसलिए कि उसमें कुछ नहीं था; अर्थात्, क्योंकि लाल मुहम्मद की रिपोर्ट के किसी लिखित उत्तर की कोई प्रविष्टि उसमें नहीं थी। इसका अर्थ यह है कि एक मौखिक उत्तर दिया गया था, और यह इस प्रकार का था कि इसके लिए जिम्मेदार लोग इसे लिखित रूप में प्रस्तुत करने का साहस नहीं कर सके। इस बिंदु पर हमारे संदेह को कुछ साक्ष्यों से बल मिलता है, जो समय आने पर पता चलेंगे, कि डुमरी खुर्द में बैठक में क्या हुआ था। ये विचार हमें लाल मुहम्मद के पत्र पर वह भयावह व्याख्या करने के लिए बाध्य करते हैं, जिसकी निस्संदेह संभावना है। मूलतः और प्रभावतः इस अभियुक्त ने गोरखपुर में अपने 'अधिकारियों' को सूचना दी कि स्थानीय स्वयंसेवक चौरा के सब-इंस्पेक्टर के अपमानजनक आचरण से इतने आक्रोशित हो गए हैं कि, यदि अधिकारी केवल यह कहें कि वे उस अधिकारी को, तथा आम तौर पर पुलिस को, कठोर सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। और अनुरोध किया कि इस मामले की जांच के लिए किसी को भेजा जाए।

जैसा कि हम मानते हैं और पहले ही कह चुके हैं, इस पत्र का उत्तर महीने के अंत में भेजा गया था। इसके अभिप्राय के बारे में सकारात्मक साक्ष्य एक या दो 'खिलाफत' गवाहों के बयानों में पाया जा सकता है, जो कहते हैं कि इसका आशय यह था कि स्वयंसेवकों को धैर्य रखना चाहिए। यदि वे सच बोल रहे थे, और इस आशय का लिखित उत्तर दिया गया था, तो हमें विश्वास है कि या तो लिखित उत्तर ही सामने आएगा, या इसके उद्देश्य के बारे में विश्वसनीय द्वितीयक साक्ष्य होगा। हम इस बिंदु पर अपनी राय इस बात के साक्ष्य से बनाने के लिए बाध्य हैं कि वास्तव में शनिवार, ४ फरवरी को क्या हुआ था।

उस दिन सुबह से ही डुमरी खुर्द में अपेक्षित सभा के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई थीं। अभियुक्त बिहारी (पासी) के घर के सामने खलिहान चुना गया था। स्थानीय स्वयंसेवकों ने इस मैदान की व्यवस्था की, नेताओं के केंद्रीय समूह के लिए बैठने की व्यवस्था के लिए टाट बिछाया गया। जलपान के लिए कच्ची चीनी से भरी टोकरियों के रूप में कुछ मामूली व्यवस्था की गई थी। जिन लोगों को सभा विशेष रूप से सम्मानित करना चाहती थी, उनके लिए फूल एकत्र किए गए और उनकी मालाएँ बनाई गईं। सुबह लगभग सात बजे से स्वयंसेवकों का आना शुरू हो गया। डुमरी के सामने कई मील के दायरे में विभिन्न गाँवों के गवाहों के बयानों में, अभिलेखों में बिखरे हुए साक्ष्य हैं, जो बताते हैं कि किस तरह इन लोगों को संदेश द्वारा बुलाया गया था और निर्धारित स्थान पर जाने से पहले आधा दर्जन या उससे अधिक की छोटी-छोटी टोलियों में इकट्ठा किया गया था।

डुमरी के गाँव के चौकीदार हरपाल (पी.डब्लू. ३१) को पहले से निर्देश मिल गए थे। उसने कार्यवाही को तब तक देखा जब तक दो या तीन सौ आदमी एकत्र नहीं हो गए, बातचीत के सामान्य रुझान से उसने अनुमान लगाया कि इरादा मुंडेरा बाजार पर मार्च करने का था और फिर चौरा पुलिस थाने में मामला दर्ज कराने के लिए चुपचाप चला गया। उसने कहा है कि जब वह डुमरी खुर्द से चला तो स्वयंसेवक अभी भी आ रहे थे। अनुमोदक शिकारी (पी. डब्लू. १) का अनुमान है कि लगभग आठ बजे सुबह पांच या छह सौ आदमी एकत्र हो गए थे, और जब चौरा पुलिस थाने के लिए चल रहे स्वयंसेवकों के संगठित समूह ने बैठक समाप्त की तो संख्या लगभग एक हजार हो गई थी। जहां तक हम अन्य गवाहों के साक्ष्य से इस अनुमान की पुष्टि कर पाए हैं, यह निश्चित रूप से अत्यधिक नहीं लगता है। हम संतुष्ट हैं कि डुमरी खुर्द से चौरा पुलिस थाने के लिए निकले लोगों की संख्या कम से कम एक हजार थी और पंद्रह सौ भी हो सकती थी।

इस बैठक की कार्यवाही के लिए, जिसे आम तौर पर साक्ष्यों और फैसले में 'डुमरी सभा' के रूप में वर्णित किया गया है, हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य हैं। सबसे पहले हमारे पास दो अनुमोदकों शिकारी और ठाकुर के बयान हैं। इसके बाद हम कई अभियुक्तों द्वारा कमिटमेंट से पहले जांच शुरू होने से पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६४ के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयानों में इस मामले का संदर्भ पाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रामरूप बढ़ई (प्रदर्श सं. २२५), भगवान अहीर (सं. २२६), महावीर सैंथवार (सं. २१६) और रघुबीर सुनार (सं. २५१) के बयान हैं। तीसरे स्थान पर, हमें तीन गवाहों, जगत नारायण पांडे (पी.डब्लू. ११), भवानी प्रसाद तिवारी (पी.डब्लू. २५) और शंकर दयाल राय (पी.डब्लू. १०२) से मामले के बारे में कमोबेश विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये तीनों व्यक्ति उन घटनाओं में मौजूद थे जिनका वे वर्णन करने का दावा करते हैं। पहला व्यक्ति हमें एक तरह का व्यर्थ और गैरजिम्मेदार व्यक्ति लगता है जिसे हम अक्सर किसी राजनीतिक या सामाजिक आंदोलन के सिलसिले में आगे बढ़ते हुए पाते हैं। डुमरी में उसके पहले आगमन पर जो स्वागत हुआ, वह यह दिखाने के लिए पर्याप्त है कि आस-पास के किसान न केवल उनकी जाति का सम्मान करते थे और उसे धर्म के प्रोफेसर के रूप में मानते थे, बल्कि उसे असहयोग आंदोलन के संबंध में कुछ अधिकार प्राप्त व्यक्ति के रूप में भी देखते थे। हमें यह मानने का कोई कारण नहीं दिखता कि गोरखपुर में कांग्रेस या खिलाफत आंदोलन के आयोजकों ने उन्हें कभी ऐसा स्वीकार किया (?), न ही दूसरी ओर हमें उन्हें पुलिस जासूस मानने का कोई वास्तविक आधार दिखाई देता है, हालाँकि डुमरी में बैठक समाप्त होने से पहले ही नाराज स्वयंसेवकों ने उस पर पुलिस जासूस होने का आरोप लगाया था। डुमरी में उसे किस बात ने पहुंचाया, इसका उसका अपना विवरण यह है कि जैसे ही उसने वहां की घटना सुनी, वह तुरंत वहां पहुंचा, क्योंकि स्थानीय स्वयंसेवकों के चरित्र के बारे में उसकी राय अच्छी नहीं थी और (पिछले बुधवार को मुंडेरा में जो कुछ हुआ था, उससे) उसे यकीन हो गया था कि महात्मा गांधी द्वारा बताए गए अहिंसा के सच्चे सिद्धांतों के विपरीत काम करके वह खुद को मुसीबत में डाल लेगा। स्वाभाविक रूप से वह अपने आचरण को सबसे अनुकूल प्रकाश में रखने की कोशिश करता है, और हमारी उसके आचरण को निर्धारित करने में उसकी जिज्ञासा और उसके अहंकार जो उसने सही समझा, उसके प्रति ईमानदार उत्साह, के बारे में पूछताछ करने में अधिक रूचि नहीं है। वह निश्चित रूप से डुमरी गया था और ऐसा लगता है कि उसने अपनी क्षमता के अनुसार उपद्रव को रोकने के लिए खुद को पूरी तरह से झोंक दिया था। भवानी प्रसाद पोखरबिंद टोले का एक जमींदार और ग्राम प्रधान है, जिसने स्वयंसेवकों की एक टुकड़ी डुमरी भेजी थी। वह सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के साथ दोस्ताना संबंध रखता था और शनिवार की सुबह उसे पुलिस थाने बुलाया गया था। गोरखपुर से सशस्त्र पुलिस की एक छोटी टुकड़ी को आते देखकर उसे राहत मिली और वह सब-इंस्पेक्टर के सुझाव पर डुमरी गया, ताकि देख सकें कि वास्तव में क्या हो रहा था और स्वयंसेवकों को चेतावनी दे सकें कि वे जो भी उपक्रम कर रहे थे, उसे छोड़ दें, चाहे वह चौरा पुलिस थाने या मुंडेरा बाजार के खिलाफ हो, खासकर इस सुदृढ़ीकरण के मद्देनजर जो पुलिस को मिला था, राय शंकर दयाल बलिया जिले का निवासी है जो गोरखपुर में जिला बोर्ड के ठेकों और मुंडेरा बाजार से जुड़े एक ठेके से अपनी आजीविका चला रहा था। इस मामले में उसकी दिलचस्पी ही उसे डुमरी ले गई ताकि वह देख सके कि स्वयंसेवक वास्तव में क्या कर रहे थे। उसने इस मुकदमे में अस्पष्ट भूमिका निभाई है और उसके साक्ष्य के कुछ हिस्सों पर विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा कड़ी टिप्पणी की गई है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों के लिए स्पष्ट रूप से अनुकूल गवाह माना जा सकता है।

इस साक्ष्य का प्रभाव समग्र रूप से डुमरी में हुई बैठक के बारे में अनुमोदक शिकारी द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि करना है, कम से कम इसकी व्यापक रूपरेखा में, ताकि हम इसकी सरलता और सामान्यता के बारे में आश्वस्त हो सकें। वर्तमान अभियुक्तों में से, नेतृत्व करने वाले लोग नजर अली और लाल मुहम्मद थे; इसके अलावा, कुछ हद तक श्याम सुंदर और अब्दुल्ला उर्फ सुखी, (?) इनमें शिकारी को शामिल किया जाना चाहिए, जो इंद्रजीत नाम का एक व्यक्ति था जिसे पुलिस निचली अदालत में मुकदमे के समय तक गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और एक तपस्वी था जिसके पास चिमटा था, जो आम तौर पर एक खास वर्ग के धार्मिक

भिक्षुओं द्वारा रखा जाता है। साक्ष्य में उसका बार-बार उल्लेख किया गया है; और शायद वह दूर से शरारती था। ऐसा लगता है कि कोई भी उसका नाम नहीं जानता। जगत नारायण पांडे और शंकर दयाल का उनके आगमन पर सौहार्दपूर्वक स्वागत किया गया, उन्हें माला पहनाई गई और बैठक को संबोधित करने की अनुमति दी गई। बाद वाले को स्पष्ट रूप से मुख्यालय से आए दूत (?) के रूप में गलत समझा गया, जिसका स्वयंसेवक 'अहरौली बाबू' के नाम से इंतजार कर रहे थे। दोनों ने सभा को भंग करने और चौरा पुलिस थाने और मुंडेरा बाजार में एक समूह में आगे बढ़ने के अपने व्यक्त इरादे को त्यागने के लिए मनाने की कोशिश की। जगत नारायण ने इस अर्थ में विशेष रूप से जोर दिया, 'गांधीजी' के उपदेशों और इस तथ्य का हवाला देते हुए कि सशस्त्र पुलिस चौरा में पहुंच गई थी। उसका नज़र अली द्वारा हिंसक विरोध किया गया, साथ ही लाल मुहम्मद, श्याम सुंदर और अब्दुल्ला उर्फ सुखी ने भी। उसे बताया गया कि वह एक पुलिस जासूस से कम नहीं हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और अंत में उसे अपमानजनक तरीके से बैठक से बाहर निकाल दिया गया। अंततः नज़र अली ने पूरी सभा को अपने साथ लेकर यह संकल्प लिया कि वे सब मिलकर पहले चौरा थाने जाएंगे, सब-इंस्पेक्टर से पूछेंगे कि उसने स्वयंसेवकों को क्यों पीटा, और फिर मुंडेरा बाजार जाएंगे, ताकि नशीले पदार्थों, मांस या मछली की बिक्री बंद हो सके। इन उद्देश्यों का निर्भीक होकर पालन किया जाना था और किसी भी विरोध का सामना करते हुए आगे बढ़ना था। कोई भी व्यक्ति अभियान पर नहीं निकल सकता था जो जोखिम उठाने के लिए तैयार न हो। जब नज़र अली ने ऐसा करने के लिए चुनौती दी, तो सभी उपस्थित लोगों ने अंत तक डटे रहने की शपथ ली। जो कोई भी बाकी लोगों के साथ तैयार होने के बाद वापस लौटता था, उसे माना जाता था कि उसने हिंदू होने पर गाय का मांस खाया है, और मुसलमान होने पर सूअर का मांस खाया है। शपथ का एक भद्दा रूप हो सकता है, लेकिन यह किसी भी अपराधी का वर्णन होने की अधिक संभावना है, शिकारी ने इसका उल्लेख विशेष रूप से ऐसे किसी व्यक्ति के लिए किया है 'जो थाने में गोलियों से बचने के लिए पीछे हट जाए।' सभा बहुत बड़ी थी और यह आसानी से समझा जा सकता है कि शपथ के एक से ज़्यादा रूपों का इस्तेमाल किया गया था। शपथ या वर्णन की सबसे भद्दी शपथ अपने आप में घिनौनी थी और यह भीड़ में मौजूद उन लोगों को ज़्यादा पसंद आ सकती थी, जो समाज के सबसे निचले तबके से आते थे और जिनका प्रतिनिधित्व हमारे सामने अपील करने वालों की सूची में बहुतायत में है।

डुमरी सभा की कार्यवाही के बारे में अब तक प्रस्तुत सभी बिंदुओं पर साक्ष्य स्पष्ट, सुसंगत और भारी हैं। फिर भी एक विवरण ऐसा है जिस पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है। जब शिकारी ने १६ मार्च १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने अपना पहला बयान दिया, तो उसने बैठक के अंतिम चरण के बारे में बात करते हुए कहा, 'इस बीच दो मुसलमान, जिनमें से एक ने चश्मा पहना हुआ था, वहाँ आए। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ रहते थे। उन्होंने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने गाना शुरू किया। इस गीत में मुहम्मद अली और शौकत अली का नाम बार-बार बोला गया, और यह उनके कारावास के बारे में था। गीत गाने के बाद वे पश्चिम की ओर चले गए। फिर हम उठे और खेतों की ऊँची सीमाओं से होते हुए सड़क पर पहुँचे। मुकदमे में अपनी गवाही में, पंडित जगत नारायण को बैठक से बाहर निकालने और रायशंकर दयाल के चले जाने की बात कहने के बाद - यह ध्यान देने वाली बात है कि वह भवानी प्रसाद को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर देता है - शिकारी आगे कहता है - दो और आदमी आए, एक हरा चश्मा पहने हुए था जो मेरी कद काठी का था, लेकिन उम्र में बड़ा, लगभग ३२ साल का, जो अपनी बातों से मुसलमान लग रहा था; दूसरा मुझसे कम उम्र का था - मैं नहीं कह सकता कि वह हिंदू था या मुसलमान। चश्मा पहने हुए आदमी ने (?) पर्ची से 'हम दोनों को दो-दो साल की सज़ा गाते हुए सड़क पर चलना शुरू किया। हमें समझ में आ गया कि जेल जाना है। तब नज़र अली खड़ा हुआ और सार्वजनिक रूप से शपथ दिलाई।

१३ मार्च १९२२ को अभियुक्त भगवान अहीर ने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया, जिसमें निम्नलिखित अंश हैं।- 'तभी चश्मा पहने हुए दो मुसलमान वहाँ आए। वे शौकत अली और मुहम्मद अली के कारनामों का वर्णन करते हुए गीत गाने लगे। गीत सुनकर सभी क्रोधित हो गए और बोले, चलो, हम सब थाने चलेंगे।

चार दिन बाद आरोपी महावीर पुत्र लालसा सैतवार ने इसी तरह दर्ज कराए गए बयान में मजिस्ट्रेट को बताया कि - दो मुसलमान वहां आए। उनमें से एक ने चश्मा पहना हुआ था और दूसरे ने दाढ़ी रखी हुई थी। वे वहां आए और गाना शुरू कर दिया। इसके बाद सभी स्वयंसेवक, जो लगभग तीन हजार थे, उठे और वहां से चिल्लाते हुए चले गए, 'महात्मा गांधी की जय'।

अभियुक्त रघुबीर, जद्दू का बेटा, जाति से सुनार है, जो अधिकांश अभियुक्तों से उच्च सामाजिक

स्थिति वाला व्यक्ति है। ४ मार्च १९२२ को, उसने एक मजिस्ट्रेट से इस प्रकार कहा।- व्याख्यान दिए गए। एक बाबू था जिसने अपने व्याख्यान में कहा कि हमें न तो मुंडेरा बाजार जाना चाहिए और न ही पुलिस थाना। अगर हम एक साथ गए तो दंगा हो जाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक मियाँ, जिसका नाम और निवास मुझे नहीं पता, ने एक व्याख्यान दिया और अपने सहयात्रियों से पूछा कि क्या वे मरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे तैयार हैं। फिर सब वहीं से चल पड़े।"

हमारे लिए यह पूरी तरह संभव है कि हम उन साक्ष्यों के आधार पर, जिनकी हमने पहले ही समीक्षा की है, डुमरी खुर्द में एकत्रित स्वयंसेवकों द्वारा किए गए समझौते की प्रकृति के बारे में अपना निष्कर्ष दर्ज करें और यह कि क्या वह समझौता आपराधिक साजिश के बराबर था या नहीं। हालाँकि, हम घटना के विवरण के साथ आगे बढ़ना बेहतर समझते हैं। स्वयंसेवकों ने आपस में क्या करने के लिए सहमति जताई थी, इस बारे में साक्ष्य को इस साक्ष्य से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता कि उन्होंने वास्तव में क्या किया। हमें अनुमोदकों शिकारी और ठाकुर द्वारा दिए गए कुछ बयानों के संबंध में विचार करना होगा कि क्या उनकी गवाही स्वयंसेवकों के बाद के आचरण से मेल खाती है या नहीं।

एक हद तक घटनाओं के क्रम के बारे में विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। जब स्वयंसेवक डुमरी में खलिहान से निकले, तो वे खेतों की सीमा के साथ-साथ चौड़ी, कच्ची सड़क पर पहुँचे जो गोरखपुर से देवरिया तक जाती है और पूर्व की ओर जाती है, जिसके साथ वे चौरा पुलिस थाने पहुँचते हैं, जो लगभग दो मील दूर है। इस सड़क पर लोगों को एक तरह की खुरदरी संरचना में खड़ा किया गया था। इस उद्देश्य के लिए ड्रिल-प्रशिक्षक भगवान की सेवाएँ ली गईं। पहले से तैयार किए गए झंडों को आगे भेजा गया और भीड़ अपने 'अधिकारियों' के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने लगी, जिन्होंने उन्हें रोका और सीटी की आवाज़ से उन्हें फिर से आगे बढ़ाया। वे उत्साहित मूड में थे, लगातार विजयी नारे और जयकारे लगा रहे थे। चौरा के लगभग आधे रास्ते पर वे भोपा बाज़ार में पहुँचे, जहाँ एक सड़क बाईं ओर, यानी उत्तर दिशा में, एक रेलवे क्रॉसिंग की ओर जाती है, जिसके आगे वह सीधे मुंडेरा बाज़ार जाती है। यह वह मार्ग था जिस पर भीड़ चलती अगर उन्होंने मुंडेरा जाने से पहले चौरा पुलिस थाने जाने का संकल्प न लिया होता। इस बिंदु पर उन्हें गवाह अवधू तिवारी द्वारा ले जाया गया, जो मुंडेरा बाजार के मालिक बाबू संत बख्श सिंह का नौकर था। इस गवाह की गवाही कि उसने भोपा में क्या देखा, शिकारी की बातों की पुष्टि करती है। गवाह का कहना है कि उस समय तक भीड़ बढ़कर २,५०० या ३,००० लोगों की हो गई थी। अवधू संख्या को काफी अधिक बताता है, लेकिन शायद वह अतिशयोक्ति कर रहा है। वह कहता है कि भीड़ झंडे लिए और विजयी नारे लगाते हुए उसके पास आई (?)। उसे नेता अभियुक्त नज़र अली और श्याम सुंदर और गवाह शिकारी लगे। उसने उनके साथ अपनी बातचीत का एक दिलचस्प और स्पष्ट रूप से वास्तविक विवरण दिया, जब उसने उन्हें वापस लौटने या तितर-बितर होने के लिए मनाने का प्रयास किया। नज़र अली ने बहुत ही अशिष्टता से बात की और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वह पिटाई खाने के लिए पुलिस थाने जा रहा था। उसने अपना झंडा फहराया और भीड़ आगे बढ़ गई, अभी भी 'जीत' चिल्ला रही थी। गवाह जल्दी से पुलिस थाने गया और सब-इंस्पेक्टर को बताया कि उसने क्या देखा था। इस बीच भीड़ एक इमारत तक आगे बढ़ गई, जिसे साक्ष्य में लाला हलवाई की फैक्ट्री के रूप में संदर्भित किया गया था। इससे वे पुलिस थाने के घेरे के करीब आ गए जो एक कोण पर स्थित है, जहां गोरखपुर और देवरिया के बीच राजमार्ग से उत्तर की ओर पक्की सड़क की एक छोटी लंबाई की रेलवे क्रॉसिंग और चौरा के बाजार की ओर जाती है, जिसके आगे यह मुंडेरा बाजार की ओर जाती है। पुलिस थाने का घेरा व्यावहारिक रूप से दक्षिण में गोरखपुर देवरिया हाईवे (?) से रेलवे क्रॉसिंग और उत्तर की ओर रेलवे की लाइन तक फैला हुआ है। पुलिस थाने का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, यानी राजमार्ग से उत्तर की ओर लेवल क्रॉसिंग तक जाने वाली पक्की सड़क की छोटी सी लंबाई पर खुलता है। इस प्रवेश द्वार के सामने और पक्की सड़क के उस पार कुछ इमारतें थीं, जिनमें थाने के प्रभारी सब-इंस्पेक्टर का निजी क्वार्टर भी शामिल था। शिकारी के अनुसार जैसे-जैसे भीड़ भोपा बाजार से चौरा की ओर बढ़ रही थी, उसकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। हम बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साक्ष्य को यह साबित करने के लिए स्वीकार करते हैं कि जब भीड़ लाला हलवाई की फैक्ट्री के सामने रुकी तो उसकी संख्या ३,००० से अधिक थी। शिकारी का कहना है कि 'वे सड़क के दोनों ओर पंक्तियों में बह रहे थे'। वह आगे कहता है।- 'जब हम फैक्ट्री में आए तो हमें पता था कि खतरा है और थाने पर बंदूकों के साथ एक गार्ड मौजूद है हमने सोचा कि वह हमें पीटने के लिए वहाँ खड़ा था। हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें लगा कि हम संख्या में बहुत ज़्यादा हैं; और वह हमारा क्या कर सकता था'। हमें शायद यह स्पष्ट करना चाहिए कि गवाह द्वारा इस्तेमाल किया गया स्थानीय शब्द, जिसका अनुवाद 'पीटना' किया गया है, व्यापक महत्व का शब्द है, जिसका अर्थ 'वार करना' और यहाँ तक कि 'मारना' भी है। इसमें निस्संदेह गोलियों या अन्य मिसाइलों (पत्थर) से प्रहार करना और साथ ही हाथ से हाथ की लड़ाई में वार करना शामिल होगा।

अपनी कहानी को फिर से शुरू करते हैंरू इस समय गवाह सरदार हरचरण सिंह पुलिस थाने की दिशा से भीड़ से मिलने के लिए आगे आया। उसके और उसके नेताओं के बीच एक बातचीत हुई। उसका अनुमान है कि भीड़ की संख्या तीन से चार हज़ार थी। उसके नेता उन्हें नज़र अली, श्याम सुंदर, शिकारी और चिमटा लिए हुए एक अज्ञात तपस्वी लग रहे थे, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया गया है। उसने पाया कि भीड़ एक अनोखी उग्र उत्तेजना की स्थिति में थी। उसने कहा कि उनके नेताओं ने उन्हें एक ऐसे लहज़े में संबोधित किया जो किसी भी तरह से सम्मानजनक नहीं था। उसने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि वे किसी भी कीमत पर चौरा पुलिस थाना जाने और फिर चौरा बाज़ार से होते हुए, बाले के गाँव से होते हुए मुंडेरा बाज़ार जाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। गवाह ने उन्हें तब तक इंतज़ार करने के लिए राजी किया जब तक वह सब-इंस्पेक्टर से बात करने नहीं चला जाता। यह याद रखना चाहिए कि इस समय पुलिस ने एक ऐसी स्थिति पर कब्ज़ा कर लिया था जो रणनीतिक रूप से मज़बूत थी। वे राजमार्ग के उस पार खड़े थे, जिसकी पर संभवतः सशस्त्र पुलिस की बंदूकों का नियंत्रण था। ये वे लोग थे जिन पर मुठभेड़ की स्थिति में सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह को भरोसा करना पड़ता था। सिविल पुलिस के चार या पाँच आदमी जो उसके साथ थे (?) लड़ाकू बल के रूप में शायद ही किसी काम के हों। जहाँ तक हम जानते हैं, उनके साथ ४० या ५० चौकीदार या गाँव के चौकीदार भी थे, जिनमें से कुछ को उन्होंने सुबह किसी मुसीबत की आशंका में पुलिस थाने बुलाया होगा और कुछ को उस दिन पुलिस थाने जाकर अपना वेतन लेने की बारी थी। ये लोग नज़दीकी मुठभेड़ के लिए पर्याप्त रूप से सशस्त्र थे, उनके पास मोटे बाँस की पीतल की बंधी हुई लाठियाँ थीं जो उनके आधिकारिक उपकरणों का हिस्सा थीं। हालाँकि वे गाँव के चौकीदारों का एक समूह थे जो संख्या में एक साथ काम करने के लिए बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं थे। इस न्यायालय में डकैती के मामलों के अभिलेख इस बात के प्रचुर प्रमाण देते हैं कि लड़ाकू बल के रूप में गाँव के चौकीदारों के समूह पर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। दूसरी ओर, इस अभिलेख का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति यह महसूस करने में असफल नहीं हो सकता कि जिन लोगों ने भीड़ को नजदीक से देखा था, उनके मन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, न केवल उनकी संख्या के कारण, बल्कि उनके उत्साह के कारण भी। डुमरी में उन्हें देखने के बाद भवानी प्रसाद ने सब-इंस्पेक्टर को सलाह दी कि वह तूफान के आगे सिर झुका ले और दिन को यूं ही बीत जाने दे। जाहिर है कि उसका मानना था कि स्वयंसेवकों के मार्च का सफल विरोध संभव नहीं है; बेहतर होगा कि उन्हें उस एक दिन मुंडेरा बाजार में अपनी मर्जी से काम करने दिया जाए और फिर देखें कि व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है। सरदार हरचरण सिंह बहुत परेशान था। हमें नहीं लगता कि उसके आचरण में कुछ भी ऐसा है जो उस पर लगाए गए विश्वासघात और दोहरे व्यवहार के आरोपों को पुष्ट करता हो। स्वयंसेवकों के नेताओं से बातचीत के बाद वह सब-इंस्पेक्टर के पास लौटा, उसके मन में साफ तौर पर यह दृढ़ विश्वास था (?) कि अगर वे आगे बढ़ते रहे, जैसा कि वे स्पष्ट रूप से करने के लिए दृढ़ थे, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हम मानते हैं कि इस भीड़ की भावना में एक प्रकार की चुंबकीय शक्ति थी, जिसे प्राचीन यूनानियों ने अलौकिक प्रभावों के रूप में वर्णित किया था, और जिसे अक्सर एक ऐसी सेना से निकलने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है, जो आसन्न मुठभेड़ में विजयी होने के लिए नियत थी। मनोवैज्ञानिक रूप से इसका आधार बल के प्रत्येक सदस्य की मान्यता में है, जिसने अपने चारों ओर चुनाव किया है, वह उसी संकल्प से है, जो वह स्वयं महसूस करता है। वह जानता है कि यदि वह आगे बढ़ने का चुनाव करता है, तो वह अकेला नहीं जाएगा। सरदार हरचरण सिंह का मानना था कि यदि उन्हें इस तरह से मुंडेरा बाजार में अपने गंतव्य की ओर बढ़ने दिया जाए, तो वे भीड़ और उसके नेताओं पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकते हैं, ताकि वे शांतिपूर्वक और बिना किसी अव्यवस्था के पुलिस थाने से आगे बढ़ सकें। नेताओं से उन्हें इस आशय का कुछ आश्वासन मिला। वे कहते हैं कि, सब-इंस्पेक्टर को अपने विचार बताते हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस थाने से आगे निकलने के बाद "भीड़ से निपटना" आसान होगा।

अगर सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने स्पष्ट रूप से अपने कर्तव्य का पालन किया होता, अगर उन्होंने भीड़ के आगे बढ़ने के खिलाफ सड़क को अवरुद्ध करना जारी रखा होता और उन्हें तितर-बितर होने के लिए उचित समय दिया होता, उनके इनकार करने की स्थिति में गोली चलाने की धमकी के साथ, तो उनकी संभावना भीड़ पर करीब से दो या तीन गोलियो के संभावित डराने वाले प्रभाव पर निर्भर करती (?)जो राजमार्ग पर और शिकारी के अनुसार, 'दोनों तरफ की सड़क भरी थी।' (?) भीड़ घबरा कर टूट पड़ती, तो चौकीदारों की विविध सेना उन्हें तितर-बितर करने और संभवतः उनके नेताओं को गिरफ्तार करने में काफी उपयोगी हो सकती थी। अगर भीड़ का संकल्प दृढ़ रहता, तो हमें बहुत संदेह है कि बल और अपने पास मौजूद हथियारों के साथ, सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह अपनी सेना को संख्या के वजन, उनके अलगाव और उसके बाद के नरसंहार से तितर-बितर होने से रोक सकते थे।

इस मामले को कसौटी पर नहीं रखा गया। अभागे सब-इंस्पेक्टर को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, या कम से कम उसे गंभीर रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यदि उसका

संकल्प डगमगा गया। उसे न केवल वास्तविक संघर्ष की संभावनाओं पर विचार करना था, बल्कि बाद में उस पर होने वाली प्रतिकूल आलोचनाओं के विरुद्ध अपनी कार्रवाई के औचित्य पर भी विचार करना था, जो निस्संदेह उस पर बरसने वाली थी। उसने सरदार हरचरण सिंह की सलाह मान ली, राजमार्ग के उस पार से अपनी सेना वापस ले ली और पुलिस के घेरे में वापस आ गया। उस क्षण से वह और उसके साथ के लोग बर्बाद हो गए। भीड़ ने सरदार हरचरण सिंह के साथ अपनी स्पष्ट या निहित सहमति इस हद तक बनाए रखी कि वे पुलिस थाने के दक्षिण में राजमार्ग के साथ कमोबेश व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े और अपनी बाईं ओर मुड़कर थाने के गेट से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग की ओर बढ़े और आगे चौड़ा बाजार में चले गए। इस बिंदु से हमें उन साक्ष्यों पर विचार करना है जिनके बारे में कुछ विवाद रहा है। हम उन सभी साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण करना बेकार समझते हैं, जिन पर हमारे निष्कर्ष आधारित हैं। विवरण के कुछ मामले संदेह में रहने चाहिए; लेकिन घटनाओं के मुख्य क्रम के संबंध में हमारा मानना है कि हमारे सामने उपस्थित सभी मुद्दों के निर्धारण के लिए पर्याप्त निष्कर्ष निकालना संभव है।

यह याद रखना चाहिए कि जब नज़र अली और लाल मुहम्मद ने स्वयंसेवकों को बुलाया था, तो उन्होंने ऐसा सिर्फ़ मुंडेरा बाज़ार में मादक पदार्थ, मांस और मछली बेचने वालों के खिलाफ़ अपनी पिछली धमकियों को पूरा करने के लिए नहीं किया था। उन्होंने अपने लोगों को इस समझ के साथ इकट्ठा किया था कि उन्हें चौरा पुलिस थाने जाना है और स्वयंसेवकों की पिटाई के मामले में सब-इंस्पेक्टर से बात करनी है। हम जानते हैं कि इस विषय पर बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बयान दिए गए थे। तदनुसार, जब भीड़ के लोग रेलवे क्रॉसिंग और मुंडेरा बाज़ार की ओर बढ़ रहे थे, तो उनके कुछ नेता, अपने बहुत से समर्थकों के साथ, पुलिस थाना के खुले गेट के सामने रुक गए और सब-इंस्पेक्टर से मिलने की मांग करने लगे। जिन मुद्दों पर काफ़ी विवाद हुआ है, वे हैं इस तरह रुकने वाले लोगों की संख्या और यह सवाल कि क्या भीड़ के आगे बढ़ने के दौरान, कभी भी पुलिस थाने के सामने रुके हुए समूह और बाकी भीड़ के बीच कोई ख़ास दूरी थी। जो कोई भी घटना की मानसिक तस्वीर बनाने का प्रयास करता है, उसे यह देखकर आश्चर्य नहीं हो सकता कि इस तरह के प्रश्नों पर उपलब्ध साक्ष्य विरोधाभासी हो सकते हैं। हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि जो लोग निश्चित रूप से सब-इंस्पेक्टर से बात करने के लिए थाने के गेट के सामने रुके थे, उनकी संख्या तीन सौ से अधिक नहीं थी। घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ा। तीन से चार हजार लोगों की भीड़ एक संकरी गली और रेलवे क्रॉसिंग से बहुत तेजी से नहीं गुजर सकती। हमें बहुत संदेह है कि क्या किसी भी क्षण उन लोगों के बीच स्पष्ट अंतराल था जो अभी भी उत्तर की ओर बढ़ रहे थे और जो लोग, चाहे जानबूझकर या केवल जिज्ञासा से, थाने के पूर्वी मोर्चे के आसपास रुके हुए थे। साक्ष्य हमें संतुष्ट करते हैं कि स्वयंसेवक या स्वयंसेवकों की पिटाई के मामले में स्पष्टीकरण की मांग अशिष्ट और दबंग लहजे में की गई थी और सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ से निष्पक्ष बात करके जो नीति अपनाई थी, उसका पालन किया। उन्होंने उन्हें बताया कि जिस व्यक्ति (आरोपी भगवान) को उन्होंने पीटा था, वह उनका भाई नहीं था; वह एक सरकारी पेंशनभोगी था और इसलिए उसे निष्पक्ष रूप से उसके (सब-इंस्पेक्टर के) अधिकार के अधीन माना जा सकता है। रिकॉर्ड में यहाँ-वहाँ ऐसे कथन हैं जो सब-इंस्पेक्टर के शब्दों और अभिव्यक्तियों को और भी अधिक अपमानजनक माफ़ी के रूप में दर्शाते हैं। उसने जो कुछ भी कहा, उसकी टिप्पणियों को भीड़ ने न केवल संतोष के साथ, बल्कि अहंकारी और मज़ाकिया जीत के साथ स्वीकार किया। कई गवाहों ने एक भद्दे मज़ाक में गवाही दी जो भीड़ में मुँह से मुँह तक पहुँची, निस्संदेह थोड़े-बहुत रूपांतरों के साथ, सब-इंस्पेक्टर को व्यक्तिगत रूप से, आम तौर पर पुलिस को और यहाँ तक कि उस अमूर्त इकाई को भी जिसे 'सरकार' कहा जाता है, घोर आतंकित करने के लिए। इसके साथ ही हाथों की व्यंग्यात्मक ताली भी बजने लगी, उसी तरह की ताली जिसने पंडित जगत नारायण को डुमरी में सभा से भगा दिया था। पुलिस थाने के गेट पर रुकी भीड़ में से कुछ लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि जब सब-इंस्पेक्टर का धैर्य जवाब दे गया, तब भी प्रवेश द्वार पर भीड़ थी। वह आदमी मर चुका है, और हम कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान पाएँगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। हम यह मान सकते हैं कि भीड़ के तानों, उनके भद्दे मज़ाक और उनके उपहासपूर्ण तालियों से वह क्रोधित हो गया था। हालाँकि यह पूरी तरह से कल्पना की जा सकती है कि वास्तव में ये ताने ही थे जिन्होंने उसे उस स्थिति के नुकसानों का एहसास कराया जिसमें उसने खुद को जाने दिया था। आखिरकार, सशस्त्र गार्ड को व्यक्तिगत रूप से उसका बचाव करने के लिए नहीं, बल्कि मुंडेरा बाज़ार के लाइसेंसधारी विक्रेताओं और अन्य दुकानदारों को आतंकवाद और भीड़ की हिंसा से बचाने के लिए भेजा गया था। स्वयंसेवकों की संगठित भीड़ अब मुंडेरा की ओर लगातार बढ़ रही थी, जबकि सब-इंस्पेक्टर खुद अपने ही पुलिस थाने के अंदर भीड़ द्वारा घेर लिया गया था जो अभी भी प्रवेश द्वार के आसपास खड़ी थी। अगर स्वयंसेवकों ने उस दिन मुंडेरा में अपने धमकी भरे उद्देश्य को हासिल कर लिया, और इससे भी अधिक अगर भीड़ के नीच तत्व वहाँ से निकलकर दुकानों को लूटने या इस तरह की कोई घटना करते, तो उसे अपने वरिष्ठों को जवाब देना होगा कि उसने किस लापरवाही से इन चीजों को होने दिया। उन्होंने यह महसूस किया होगा (?), और हम सोचते हैं कि मानवीय दृष्टि से उन्होंने यह महसूस किया होगा कि उस समय उनका पहला और सबसे जरूरी कर्तव्य पुलिस थाने के ठीक सामने की सड़क को साफ करके अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को पुनः प्राप्त करना था। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कई चौकीदारों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसा कि अपेक्षित था, उसके बाद जो संक्षिप्त और भ्रमित करने वाला दृश्य हुआ, उसके बारे में साक्ष्य कुछ हद तक विरोधाभासी थे। निस्संदेह भीड़ चौकीदारों के आगे बढ़ने से पहले तितर-बितर हो गई थी; वे गवाह हैं जो उन्हें अलग-अलग दिशाओं में भागते हुए बताते हैं। हालाँकि, भीड़ की स्वाभाविक प्रवृत्ति उत्तर की ओर रेलवे क्रॉसिंग की ओर बढ़ने की होगी, यानी उनके अपने सुदृढीकरण की दिशा में। इसलिए कुछ गवाहों ने चौकीदारों के बारे में कहा कि

वे भीड़ को रेलवे क्रॉसिंग की ओर ले जा रहे थे, जो कि पुलिस के लिए अपने आप में एक निरर्थक काम होगा। चौकीदारों द्वारा हिंसा की किस हद तक सटीक सीमा का उपयोग किया गया था, यह निर्धारित करना असंभव है। सरदार हरचरण सिंह, जो किसी भी अन्य गवाह की तरह ही घटना को देखने की अच्छी स्थिति में था, यह स्वीकार नहीं करेगा कि चौकीदारों ने वास्तव में किसी पर हमला किया था। उसने बताया कि उसने अपनी लाठियों को जमीन पर पटककर मारा, जो भीड़ को तितर-बितर करने और आगे बढ़ने का एक जाना-माना और अक्सर अपनाया जाने वाला तरीका है, जिसमें पैरों में दर्दनाक, लेकिन गंभीर नहीं, चोट पहुंचाने की धमकी दी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि कुछ चौकीदारों ने कुछ स्वयंसेवकों को "पीटा" और हम यह मानने के लिए तैयार हैं कि उन्हें मारा गया था। हमें लगता है कि सबूतों से जो एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आता है, वह यह है कि आम तौर पर भीड़, और विशेष रूप से भीड़ की रीढ़ की हड्डी का गठन करने वाले स्वयंसेवक और उन स्वयंसेवकों के नेता, ऐसी किसी भी आकस्मिकता के लिए पहले से ही तैयार थे। जैसे ही यह शोर फैला कि चौकीदार स्वयंसेवकों को पीट रहे हैं, सीटी बजाई गई और इस पूर्व-निर्धारित संकेत पर पूरी भीड़ पुलिस थाने की ओर लौट आई। लोग रेलवे लाइन के किनारे फैल गए, कंकड़ और मिट्टी से बने ईंट-पत्थरों से खुद को लैस किया, और मिसाइलों (पत्थर) को पुलिस थाने के पूर्वी मोर्चे की ओर ले गए। मिसाइलों (पत्थर) की लगातार बौछार ने कम संख्या में पुलिस बल को घेरना शुरू कर दिया, जो पहले से ही अव्यवस्थित और अस्थिर स्थिति में पहुंच गया था। हवा में पहली गोली चलने के बाद एक चीख सुनाई दी कि "महात्मा गांधी" स्वयंसेवकों के पक्ष में चमत्कारिक ढंग से काम कर रहे हैं और गोलियों को पानी में बदल रहे हैं। इस सज्जन की चमत्कारी शक्तियों में व्यापक विश्वास के बारे में हमारे पास इस रिकॉर्ड पर बहुत सारे सबूत हैं। हमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी चीख उठी होगी और इसने भीड़ के संकल्प को अंतिम रूप दिया। जब पुलिस ने गंभीरता से गोलियां चलानी शुरू कीं, और दो दंगाइयों को गोली मार दी गई और अन्य घायल हो गए, तो इसका एकमात्र परिणाम यह हुआ कि यह संकल्प और भड़क गया। इसके बाद जो हुआ, वह पहले ही बताया जा चुका है।

इन घटनाओं के आलोक में हमें अब इस प्रश्न पर वापस जाना चाहिए कि डुमरी में एकत्रित स्वयंसेवक क्या करने के लिए सहमत हुए थे? बचाव पक्ष द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत मामले को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। निस्संदेह समझौता यह था कि स्वयंसेवक पहले चौरा पुलिस थाने जाएंगे और फिर मुंडेरा बाजार जाएंगे। पहले स्थान पर उन्हें सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के समक्ष स्वयंसेवकों पर हमला करने के उनके अवैध आचरण के विरुद्ध एक गंभीर और गरिमापूर्ण प्रतिवाद प्रस्तुत करना था। उन्हें सामूहिक रूप से गिरफ्तारी के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत होना था, यदि वह इस दृष्टिकोण पर कार्य करने के लिए तैयार हों कि सरकार के आदेशों के तहत प्रत्येक नामांकित स्वयंसेवक स्वतः ही गिरफ्तारी और अभियोजन के लिए उत्तरदायी है। जब यह मामला संतोषजनक ढंग से निपट जाता, तो उन्हें मुंडेरा बाजार जाना था और वहां, मादक शराब और नशीली दवाओं के लाइसेंसधारी विक्रेताओं और उन लोगों के प्रति शांतिपूर्ण अनुनय-विनय करके, जो उन्हें इसे खरीदने का प्रयास करते हुए मिलें, इन हानिकारक मादक पदार्थों की सार्वजनिक बिक्री को रोकना था। साथ ही उन्हें मांस और मछली की बिक्री को पूरी तरह से बंद करना था, या तब तक जब तक विक्रेता कीमतों में व्यापक कमी के लिए तैयार न हो जाएं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप से इस दूसरे विकल्प पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा सकता। सभी को पता होना चाहिए कि स्वयंसेवकों द्वारा सुझाए गए मूल्य पर मांस और मछली नहीं बेची जाएगी और इस समय तक कम कीमतों पर मांस और मछली प्राप्त करने का विचार पूरी तरह से मुंडेरा बाजार में इन वस्तुओं के विक्रेताओं को उनकी अवज्ञा के लिए उनकी दुकानें पूरी तरह से बंद करके दंडित करने के विचार से बदल गया था। इस मुद्दे पर सभी सबूत सीधे और स्पष्ट रूप से इस बात के प्रभाव में हैं कि स्वयंसेवकों को मांस और मछली की बिक्री बंद करानी थी।

इस पर हमें सबसे पहले यह टिप्पणी करनी है कि ३,००० या उससे अधिक लोगों के समूह द्वारा शांतिपूर्ण अनुनय के माध्यम से मुंडेरा बाजार की दुकानों को नियंत्रित करने का विचार ही लगभग बेतुका है। शांतिपूर्ण धरना के पक्ष में जो कुछ भी कहा जा सकता है, जब यह किसी बड़े शहर के बाजार में व्यक्तियों द्वारा या गंभीर और उत्साही पुरुषों या महिलाओं के छोटे समूहों द्वारा किया जाता है, तो इसका मुंडेरा जैसे छोटे बाजार में ऐसे लोगों के समूह द्वारा प्रस्तावित घेराव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिनकी उपस्थिति मात्र से वह सारा कारोबार बंद हो जाएगा, जो उनकी सहमति से और वास्तव में उनकी सक्रिय सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। दूसरे, हम पिछले बुधवार की घटनाओं पर विचार किए बिना मुंडेरा बाजार में स्वयंसेवकों के आगे बढ़ने के उद्देश्य के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते। शनिवार, ४ फरवरी का अभियान स्पष्ट रूप से उन धमकियों की पूर्ति था, जो पिछले बाजार के दिन नज़र अली और स्वयंसेवकों के अन्य नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गई थीं। जहां तक मामले के इस भाग का संबंध है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुंडेरा बाजार में मादक पदार्थों, मांस और मछली की बिक्री को रोकने के लिए डुमरी में जो समझौता हुआ था, वह परिस्थितियों के तहत, कम से कम दो वर्ष के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए एक समझौता था, अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा ५०६ के तहत आपराधिक धमकी का अपराध।

चौरा पुलिस थाने के दौरे के संबंध में, शायद उन लोगों के इरादे के बीच अंतर करना आवश्यक हो सकता है जिन्होंने आंदोलन का आयोजन किया था और उस भीड़ के विशाल समूह का उद्देश्य जो उसमें शामिल हो गए थे। लाल मुहम्मद, नज़र अली और उनके साथ मौजूद लोगों ने अपने समर्थकों की सबसे बड़ी संभव भीड़

इकट्ठा करने के लिए स्वयंसेवकों के प्रति सब-इंस्पेक्टर की हिंसा का बहुत बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया था। वे सब-इंस्पेक्टर से यह पूछने के लिए उन्हें चौरा ले जा रहे थे कि उसने स्वयंसेवकों को क्यों पीटा। भीड़ के अधिकांश लोगों के मन में यह अभिव्यक्ति, हमें कोई संदेह नहीं है, ऐतिहासिक कविता में इसी अंग्रेजी वाक्यांश द्वारा व्यक्त की गई समान महत्ता रखती है, जो बताती है कि कैसे कॉर्निश लोगों ने "कारण जानने का प्रस्ताव रखा" कि बिशप ट्रेलावनी को राजा जेम्स द्वितीय द्वारा क्यों सताया जा रहा था। साथ ही, इस प्रदर्शन का आयोजन करने वालों के दिमाग में सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि भीड़ के मुंडेरा बाजार की ओर बढ़ने से पहले चौरा में पुलिस को डराकर शांत कर दिया जाए, ताकि वे बिना किसी हस्तक्षेप के वहां अपनी इच्छानुसार काम कर सकें।

हर दृष्टिकोण से यह समझौता आपराधिक साजिश के बराबर था। हमारे सामने साजिश के आरोप के प्रारूपण के खिलाफ बहुत आलोचना हुई है, और यह आलोचना पूरी तरह से निराधार नहीं है। जैसा कि हमने आरोप पढ़ा है, जिन अवैध कार्यों को करने के लिए अभियुक्तों ने आपस में सहमति जताई थी, वे दो जिला प्रमुखों के अंतर्गत आते हैं। -
(क)- बल प्रदर्शन के बल पर पुलिस को डराना,
(ख)- १ फरवरी को मुंडेरा में सब-इंस्पेक्टर और उसके अधीनस्थों द्वारा किए गए कृत्य के परिणामस्वरूप पुलिस को पीटना।

जैसा कि कहा गया है, आरोप का दूसरा भाग टिकने लायक नहीं है, केवल इस कारण से कि जब सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने आरोपी भगवान अहीर को पीटा तो वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा था। हमारे विचार में आरोप का पहला भाग साक्ष्यों से पुष्ट होता है। हमने यह भी अपनी राय व्यक्त की है कि मुंडेरा पहुंचने पर भीड़ द्वारा जो कुछ भी किया जाना था, उसके लिए जो सहमति बनी थी, वह आपराधिक साजिश के बराबर थी, हालांकि आरोप में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में, हालांकि हम तकनीकी रूप से धारा १२० बी भा.दं.सं. के तहत दर्ज किए गए संबंध की पुष्टि करने के लिए तैयार हैं, सिवाय इसके कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी विशेष अपीलकर्ता के मामले में किसी भी आरोप का समर्थन करने के लिए सबूत अपर्याप्त हैं, यह सवाल हमारे विचार से अकादमिक महत्व से थोड़ा अधिक है। हमें वास्तव में यह निर्धारित करना है कि क्या सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह को उस कार्रवाई के लिए कानूनी तौर पर वारंट दिया गया था, जो उन्होंने उस दोपहर चौरा पुलिस थाने में की थी, और वहां एकत्रित भीड़ का सामान्य उद्देश्य क्या था, कम से कम उस समय से जब उन्होंने पुलिस पर मिसाइलों (पत्थरों) की बौछार शुरू की थी।

पहले बिंदु पर हम पहले ही अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं। साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि चौकीदारों को थाने के गेट के सामने जमा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कहने से पहले, सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने भीड़ को तितर-बितर करने का औपचारिक आदेश जारी करने का प्रयास किया। यह काफी हद तक संभव है कि अभागे सब-इंस्पेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १२७ के प्रावधानों का औपचारिक अनुपालन करके अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया हो। यह अधिक से अधिक औपचारिक अनुपालन से अधिक कुछ नहीं होता, और इस बिंदु पर साक्ष्य विशेष रूप से विश्वसनीय नहीं हैं। हालांकि हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि जिस क्षण से स्वयंसेवकों की भीड़ डुमरी खुर्द से निकली, उस समय से लेकर जब वे चौरा पुलिस थाने के गेट से आगे बढ़ने लगे, उन्होंने न केवल एक गैरकानूनी भीड़ का गठन किया, बल्कि पूरे समय इस तरह से व्यवहार किया कि ऐसा करने के लिए कहे जाने पर भी वे तितर-बितर नहीं होने का सबसे बड़ा संभव दृढ़ संकल्प दिखा सकें। इसलिए, धारा १२८ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सब-इंस्पेक्टर द्वारा भीड़ को तितर-बितर करने का प्रयास करना पूरी तरह से उचित था। यदि वह अपने कर्तव्य में असफल रहे तो यह कि उन्होंने कुछ समय पहले ऐसा नहीं किया। अपील की सुनवाई के दौरान हमारे सामने जो तर्क रखे गए हैं, वे केवल यह संकेत देते हैं कि यदि सब-इंस्पेक्टर ने दृढ़तापूर्वक अपना कर्तव्य निभाया होता, जैसा कि हम समझते हैं, तो पुलिस थाने की दक्षिणी सीमा पर पहुंचने से पहले भीड़ को आगे बढ़ने से रोककर, तो उन पर आलोचनाओं का तूफान आ सकता था। इस संबंध में, हम इस तथ्य पर जोर देने के लिए बाध्य हैं कि स्वयंसेवकों ने इस अभियान पर, सामान्य रूप से, निहत्थे ही प्रस्थान किया था। हम सहमत हैं कि साक्ष्य इस निष्कर्ष को सही ठहराते हैं कि उन्होंने ऐसा किया था, हालांकि हम यह कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि मार्च में भीड़ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी इसी तरह निहत्थे थी। यह भी विचारणीय विषय हो सकता है कि भीड़ के सामने डंडों पर लगे झंडे, जरूरत पड़ने पर हथियार के रूप में कितनी दूर तक इस्तेमाल किए जा सकते थे। हालांकि, हम सोचते हैं कि इस आंदोलन को संगठित करने के लिए जिम्मेदार लोगों का इरादा था कि स्वयंसेवक बिना हथियारों के पुलिस थाने पर आगे बढ़ें और मुख्य रूप से, वे इस उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे। यह निष्कर्ष किसी भी तरह से उन निष्कर्षों के साथ विरोधाभासी नहीं है जो हमने सभा के गैरकानूनी चरित्र के बारे में दर्ज किए हैं। भीड़ इतनी शक्तिशाली थी कि उसके पास हथियार नहीं थे, और वह छोटे पुलिस

बल द्वारा किए गए किसी भी प्रतिरोध को परास्त कर सकती थी, बशर्ते कि वे पर्याप्त साहस और दृढ़ संकल्प दिखाते। अगर उनका संकल्प विफल हो जाता और वे पुलिस की बंदूकों से हताहत होने के बाद तितर-बितर हो जाते, तो इस तथ्य का कि उनके पास कोई हथियार नहीं था, निस्संदेह एक क्रूर सरकार के एजेंटों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के बेतहाशा नरसंहार की कहानी को समर्थन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता।

थाने पहुँचते ही सभा का तात्कालिक उद्देश्य सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और उनके साथ के पुलिसकर्मियों को धमकाना और उनके कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालना था, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा १५२ के तहत दंडनीय अपराध है, एक ऐसा उद्देश्य जो अपने आप में पर्याप्त है, और उसी संहिता की धारा १४१ के किसी भी अन्य खंड के अलावा, इस मामले को उक्त धारा के तीसरे खंड के दायरे में लाने के लिए पर्याप्त है। हालाँकि हम पहले ही अपनी राय बता चुके हैं कि इसके पीछे एक और अधिक खतरनाक उद्देश्य छिपा था। शिकारी ने अपने साक्ष्य में कहा कि डुमरी में जो संकल्प लिया गया था वह यह था कि सब-इंस्पेक्टर से यह पूछने के बाद कि उसने स्वयंसेवकों को क्यों पीटा, अगर उसका जवाब असंतोषजनक हो तो वे उसे पीटें। अनुमोदक ठाकुर ने कहा कि वे इस बात पर सहमत हुए थे कि अगर वह (सब-इंस्पेक्टर) 'हमें पीटता है तो हम उसे पीटेंगे।' हमें इन बयानों पर अविश्वास करने के लिए कहा गया है, जो विभिन्न तर्कों के आधार पर हैं, जो आंशिक रूप से सत्र विचारण में अनुमोदकों द्वारा दिए गए साक्ष्यों की तुलना मजिस्ट्रेट की अदालत में या अन्यत्र दिए गए पिछले बयानों से की गई है। हालाँकि, यह साक्ष्य और विशेष रूप से ठाकुर द्वारा इसमें बताई गई योजना का संस्करण स्वयंसेवकों के दिमाग में आया, जो वास्तव में चौरा में घटित हुआ था, उससे इतना मेल खाता है कि हमें कोई संदेह नहीं है कि ये विवादित बयान काफी हद तक सच हैं। स्वयंसेवकों को उनके वरिष्ठों से जो निर्देश मिले थे, हमें नहीं पता कि किस माध्यम से, वे थे कि वे हिंसा का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति नहीं होंगे; लेकिन, अगर पुलिस बल का प्रयोग करती है, तो उन्हें इस तरह से जवाबी कार्रवाई करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, जिसे वे सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी मान सकते। कुल मिलाकर साक्ष्य इस बिंदु पर हमारे मन में कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्वयंसेवकों ने पहले चौरा में और बाद में मुंडेरा में जो लक्ष्य निर्धारित किए थे, वे ऐसे थे कि देर-सवेर पुलिस अधिकारियों को अराजक भीड़ के विरुद्ध अपने वैध अधिकारों का बलपूर्वक प्रयोग करने का कष्ट उठाना पड़ता।

इसलिए डुमरी से निकलने के समय से ही स्वयंसेवकों की पूरी सभा का उद्देश्य पुलिस पर हमला करना था। जिस क्षण से सीटी बजी और भीड़ ने पीछे मुड़कर पुलिस थाने पर अपना संगठित और, जैसा कि हमने बताया है, पूर्व नियोजित हमला शुरू किया, भीड़ के हर सदस्य का उद्देश्य निस्संदेह किसी भी पुलिसकर्मी को अपनी शक्ति में अधिकतम नुकसान पहुंचाना था, जिस पर वह हाथ डालने में सफल हो सके। पहली प्रभावी गोलीबारी के बाद, और जब भीड़ ने अपना हमला जारी रखा और हताहतों के सामने उसे आगे बढ़ाया, तो उनका उद्देश्य, संदेह या विरोधाभास की संभावना से परे, बस वही करना जो उन्होंने किया था, यानी जान का बदला जान से लेना, हो गया। जिस भीड़ ने पुलिस थाने पर धावा बोला और पुलिसकर्मियों और चौकीदारों की हत्या की, वही भीड़ थी जिसने मिसाइलों (पत्थरों) की बौछार से हमला शुरू किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के अंतर्गत लगाए गए आरोप, किसी भी ऐसे अभियुक्त के विरुद्ध पूर्णतः स्थापित हो जाते हैं, जिसके बारे में साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि वह कंकड़ को फेंके जाने के बाद भी दंगे में सक्रिय भागीदार बना रहा, जब तक कि विश्वसनीय साक्ष्यों से यह अनुमान न लगाया जा सके कि उसने हत्या का अपराध किए जाने से पहले ही स्वयं को बाकी लोगों से अलग कर लिया था।

व्यक्तिगत अपीलकर्ताओं के मामलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हुए, हम विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए वर्णानुक्रम से हटना सुविधाजनक पाते हैं। किसी भी कीमत पर एक निश्चित बिंदु तक, हमें ऐसा लगता है कि हम अभियुक्त व्यक्तियों को, जहाँ तक संभव हो, उनके निवास स्थान के गांव के मुखिया के अधीन समूहबद्ध करके साक्ष्य के प्रभाव के बारे में अधिक स्पष्ट और अधिक तार्किक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम हैं। अभियोजन पक्ष का मानना था कि उनके पास इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए साक्ष्य हैं कि चौरा पुलिस थाने से लगभग पंद्रह मील की परिधि में स्थित कम से कम साठ गांवों के स्वयंसेवकों के दल ने पुलिस के साथ मुठभेड़ में भाग लिया था। अब हमारे सामने अपीलकर्ताओं की सूची में इन गांवों के एक बड़े हिस्से के प्रतिनिधि शामिल हैं; लेकिन काफी समूह पाँच या छह विशेष इलाकों से आते हैं, जिन्होंने परिणामस्वरूप मामले के इतिहास में एक विशेष महत्व प्राप्त कर लिया है। हम पहले इन समूहों को लेने का प्रस्ताव करते हैं।

हम डुमरी खुर्द गांव से शुरू करते हैं, जो स्वयंसेवकों का मिलन स्थल था और जहां से

१,००० से १,५०० लोगों का एक समूह चौरा पुलिस थाने और मुंडेरा बाजार की ओर अभियान पर निकला था। विद्वान सत्र न्यायाधीश के सामने इस गांव के कम से कम ३१ आरोपी थे। उन्होंने उनमें से छह के खिलाफ सबूतों को दोषसिद्धि के लिए अपर्याप्त पाया - एक तथ्य जो खुद हमारे दिमाग में यह सुझाव देता है कि जहां तक इस गांव का संबंध है, अभियोजन पक्ष का जाल थोड़ा बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ था। गांव के लगभग सभी आरोपियों में एक बात आम है कि वे शिकारी द्वारा दिए गए साक्ष्य में शामिल हैं। जिन परिस्थितियों में यह व्यक्ति गवाह के कठघरे में आया, वे अपील के तहत फैसले में पर्याप्त रूप से बताए गए हैं। उसने खुद को एक बुद्धिमान और विश्वसनीय गवाह साबित किया। उसके बयान को जिस तरह से पढ़ा गया है, वह विश्वसनीय लगता है। हमें विद्वान सत्र न्यायाधीश के साथ इस बात पर सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि शिकारी ने अपने साक्ष्य में जिस घटना का उल्लेख किया है, उसमें वह भाग लिया था, जिसे वह स्वयं का मानता है, संभवतः कहीं अधिक प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। मुख्य रूप से, जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि गवाह ने अपने ज्ञात तथ्यों को स्पष्ट रूप से बताकर ईमानदारी से अपनी क्षमा प्राप्त करने का मन बना लिया था। साथ ही, हम उस सिद्धांत से पूरी तरह सहमत हैं जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्वयं निर्धारित किया है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें न्यायालय व्यवहार के सामान्य नियम से हटने के बारे में सोचेगा जिसके अनुसार किसी विशेष अभियुक्त के अपराध के पर्याप्त सबूत के रूप में उस साक्ष्य को स्वीकार करने से पहले किसी साथी के साक्ष्य की कुछ विश्वसनीय पुष्टि की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्वयं यह संदेह करने का कारण पाया है कि शिकारी ने किसी पूर्वगामी रंजिश को संतुष्ट करने के लिए अपने विशेष पड़ोसियों के खिलाफ़ बात को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया होगा। इसके अलावा, वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने किसी ऐसे गांव वाले का नाम अपनी कहानी में शामिल कर सकता था, जिसके बारे में उसे लगता था कि जांच करने वाले पुलिस अधिकारी गंभीर संदेह कर रहे हैं। ऐसा न करने पर, अपने वर्ग के व्यक्ति की मानसिकता के अनुसार, पुलिस के मन में यह संदेह पैदा करके कि वह अपने पड़ोसियों को बचाने की कोशिश कर रहा है, जिसके बारे में वह अनभिज्ञता जता नहीं सकता, वह अपनी क्षमा को खतरे में डाल सकता था। हमने ये सामान्य टिप्पणियाँ इसलिए की हैं क्योंकि डुमरी के लोगों के खिलाफ पूरे सबूत की समीक्षा और उस सबूत की आगे की छानबीन के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इन छह लोगों के खिलाफ आने वाले पुष्टिकरण की पर्याप्तता के बारे में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए संदेह काफी बड़ी संख्या तक बढ़ाए जाने चाहिए थे। हम डुमरी खुर्द के इन अपीलकर्ताओं के मामलों को तुरंत लेते हैं जिनके संबंध में हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि आरोप उचित संदेह से परे साबित हुआ था।

भागीरथी (पासी) (सत्र न्यायाधीश की संख्या २३)

इस अपीलकर्ता का वाद एक ऐसा प्रश्न उठाता है जिसे एक सिद्धांत के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जहां तक चौरा पुलिस थाना की घटना का सवाल है, शिकारी के बयान में उस व्यक्ति को फंसाया गया है, हालांकि यह केवल सामान्य शब्दों में ही है। आगे आने वाले साक्ष्य इस बात के सबूत हैं कि भागीरथी को स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया गया था। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि इस बिंदु को सिद्ध करने के लिए जिस प्रतिज्ञा-पत्र, प्रदर्श १५० की सहायता लिया गया है, वह डुमरी के इस आरोपी, भागीरथी (पासी) को संदर्भित करता है, न कि किसी अन्य व्यक्ति को। हालांकि सवाल यह है कि क्या यह तथ्य, अपने आप में, शिकारी के इस कथन की पुष्टि करता है कि भागीरथी दंगे के दौरान मौजूद था (यानी चौरा पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस के साथ संघर्ष के समय भीड़ का सदस्य था) यह कि अदालत को उस कथन पर कार्रवाई करने का औचित्य सिद्ध हो। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपनी राय व्यक्त की है कि किसी भी विशेष अभियुक्त के मामले में, उसका स्वयंसेवक नामांकित होना इस बात की बहुत हद तक संभावना बनाता है कि उसने इस अपराध को करने में भाग लिया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से हमें यह पता चला है कि चौरा पुलिस स्टेशन की पहुंच के भीतर के गांवों से नामांकित स्वयंसेवकों की संख्या कम से कम २,४०० थी (प्रदर्श-१६-२०)। स्वीकृत रूप से यह संख्या और भी अधिक हो सकती है, क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध एक दस्तावेज से पता चलता है कि स्वयंसेवकों के नामांकन के लिए जिम्मेदार लोगों ने इस सिद्धांत को अपनाना शुरू कर दिया था कि स्वयंसेवकों की पूरी सूची को ऐसे रूप में संरक्षित करना उचित नहीं है जो अधिकारियों के हाथों में जाने की संभावना है। हालांकि हम यह नहीं मान सकते कि गोरखपुर की सदर तहसील में स्वयंसेवकों की संख्या २,४०० के इस आंकड़े से अधिक थी। हम जानते हैं कि १,००० से १,५०० लोगों का समूह, जो डुमरी से चला और उस भीड़ का मुख्य केंद्र बना जिसने एक या दो घंटे बाद पुलिस पर हमला किया, लगभग पूरी तरह से स्वयंसेवकों से बना था, जिन्हें आरोपी नज़र अली और लाल मुहम्मद द्वारा जारी किए गए पत्रों के पालन में मौके पर बुलाया गया था। हालाँकि, हम यह भी जानते हैं कि चौरा की ओर मार्च के दौरान इस समूह में कई वृद्धि हुई थी। हम संतुष्ट हैं कि पुलिस पर वास्तविक हमला ३,००० से कम लोगों के समूह का काम नहीं था और बहुत संभव है कि इससे भी अधिक। मूल केंद्र में ये वृद्धि काफी हद तक स्वयंसेवकों से बनी हो सकती है जो डुमरी में सभा के लिए बहुत देर से पहुँचे थे, या जिन्होंने किसी कारण से मार्च

के दौरान बल में शामिल होना अधिक सुविधाजनक समझा। वास्तव में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह कुछ निश्चित स्थानों पर हुआ था। साथ ही, हमें यह मानने के लिए बहुत अच्छे कारण लगते हैं कि इन वृद्धियों में केवल नामांकित स्वयंसेवक शामिल नहीं थे। स्थानीय पुलिस के खिलाफ़ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अव्यवस्थित चरित्र और आवारा लोगों को दिया जाने वाला प्रलोभन, और इसके अलावा मुंडेरा बाज़ार को लूटने के अवसर प्रदान करना, स्पष्ट रूप से बहुत बड़ा था। आंकड़ों पर उचित विचार करने के बाद हम इस तथ्य पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि एक अभियुक्त स्वयंसेवक था, जो पुष्टिकर्ता के इस कथन की पर्याप्त पुष्टि करता है कि वह वास्तव में दंगे में था। इसलिए, जहाँ तक अभियुक्त भागीरथी का सवाल है, हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से (?) कहते हैं और मानते हैं कि अभिलेख पर उपलब्ध सबूत इस मामले में उसकी मिलीभगत को साबित करने के लिए पर्याप्त (?) हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के तहत आरोप, जो कि हमने समीक्षा (?) में विचार के लिए हमारे सामने रखा है, इस अभियुक्त के खिलाफ़ विफल हो जाता है और हमें उसे किसी भी कमतर आरोप में दोषी ठहराने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं मिलता है। हम भागीरथी पासी के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को निरस्त करते हैं और उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हैं।

दुधई, पुत्र देबी दीन, चमार, (सत्र न्यायाधीश संख्या ४५)

इस व्यक्ति के खिलाफ़ शिकारी के साक्ष्य की पुष्टि के लिए, हमें पुष्टिकर्ता का स्वयं का कथन है कि वह व्यक्ति स्वयंसेवक है। स्वीकृत रूप से है, इससे आगे कुछ नहीं होता, अभियुक्त खुद इससे इनकार करता है। हमें चौकीदार जिउराखान द्वारा उसकी पहचान भी मिली है। यह व्यक्ति निस्संदेह दंगे के समय मौजूद था। उसने कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत बड़ी संख्या में अभियुक्तों की पहचान की और सत्र परीक्षण में कुछ कम संख्या के विरुद्ध उस पहचान को दोहराया। हमें यह कहना पर्याप्त लगता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्वयं, विशेष मामलों में, इस गवाह की ओर से पहचान में एक वास्तविक त्रुटि की संभावना को स्वीकार किया है। हम खुद यह महसूस करने से नहीं बच सकते कि अभियुक्तों की बहुत बड़ी संख्या, जिन्हें वह खुद पहचानने में सक्षम होने का दावा करता है, उनमें से किसी के खिलाफ़ उसकी गवाही के प्रभाव को कमजोर करती है। हम जिउराखान के साक्ष्य को शिकारी के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे अपीलकर्ता दुधई की मिलीभगत उचित संदेह से परे स्थापित हो जाती है। हम दुधई को सभी आरोपों में दोषी ठहराए जाने और उसके खिलाफ दी गई सभी सजाओं को निरस्त करते हैं। हम उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

गोबर्धन (पासी) (सत्र न्यायाधीश संख्या ६०)।

इस व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास एक बार फिर शिकारी का साक्ष्य है, जिसे दूसरे पुष्टिकर्ता ठाकुर की ओर से कुछ हद तक संदिग्ध पहचान से समर्थन मिला है। एकमात्र पुष्टि यह है कि गोबर्धन स्वीकृत रूप से वह एक नामांकित स्वयंसेवक है। पहले से दिए गए कारणों से, हम इसे पर्याप्त नहीं मानते। गोबर्धन के मामले में हमारा आदेश अभी निस्तारित किये गए दो अपीलकर्ताओं के मामलों के समान ही है। हम उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

झकरी (कहार) (सत्र न्यायाधीश क्रमांक ७९)

इस अपीलकर्ता के संबंध में हमारा आदेश वही है। यहाँ भी शिकारी के समर्थन में साक्ष्य यह तथ्य है कि वह व्यक्ति स्वयंसेवक है, साथ ही कुछ साक्ष्य यह भी हैं कि वह वास्तव में डुमरी खुर्द में सभा में मौजूद था। वह व्यक्ति डुमरी का निवासी है, और भाषण सुन रही भीड़ में उसकी उपस्थिति मात्र से हमारे विचार में उसके विरुद्ध मामला आगे नहीं बढ़ा सकते।

महादेव, पुत्र रामाधीन, (सत्र न्यायाधीश संख्या १०३)

इस व्यक्ति के खिलाफ मामला व्यावहारिक रूप से एक जैसा ही है। वह स्वयं स्वयंसेवक होने से इनकार करता है, और यह निश्चित रूप से संभव है कि कांग्रेस के खिलाफत समितियों द्वारा नियुक्त कुछ भर्ती एजेंटों ने अपनी गतिविधियों का सबूत पेश किया हो और उन लोगों के नाम भेजे हों, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने नामांकन किया है, जबकि उस व्यक्ति से पर्याप्त अधिकार नहीं लिया गया था। कई आरोपियों का कहना है कि उन्हें अपने नामांकन के बारे में पता नहीं था। किसी भी मामले में, हम इस राय के नहीं हैं कि शिकारी के साक्ष्य इस अपीलकर्ता के खिलाफ पर्याप्त रूप से पुष्ट होते हैं। हम रामाधीन के बेटे महादेव के खिलाफ सभी दोषसिद्धियों को निरस्त करते हैं और उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

मंगरू (चमार) (सत्र न्यायाधीश संख्या १०८)

इस व्यक्ति के खिलाफ हमारे पास शिकारी का साक्ष्य है, साथ ही डुमरी के

चौकीदार हरपाल का बयान भी है, जो यह प्रदर्शित करता है कि वह व्यक्ति स्वयंसेवक था, लेकिन शायद इस तथ्य को सिद्ध करने में कुछ हद तक विफल हो जाता है। उसके खिलाफ बाकी सबूत बहुत कम हैं। वह उन लोगों में से एक है, जिन्हें चौकीदार जीउराखान ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहचाना था, लेकिन जब वह सेशन जज के समक्ष आरोपी व्यक्ति को देखने आया तो वह उसे पहचान नहीं पाया। हमारे विचार में, इससे भी कम साक्ष्य मूल्य की बात यह है कि गवाह हरहंगी ने सोचा कि वह सेशन में इस व्यक्ति को पहचान लेगा, जबकि वह किसी भी पिछली पहचान परेड या मजिस्ट्रेट कोर्ट में ऐसा करने में विफल रहा था। इस आरोपी का बचाव यह था कि उसी नाम और जाति का एक और व्यक्ति, चौकीदार जट्टू (पी.डब्लू. ६४) का बेटा, पहले संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। उसने सुझाव दिया कि नाम और जाति की इस पहचान के कारण वह खुद बाद में मामले में फंस गया। हम इसे साक्ष्य द्वारा स्थापित पाते हैं कि जट्टू के बेटे मंगरू को वास्तव में गिरफ्तार किया गया था और आगे की पूछताछ के बाद उसे रिहा कर दिया गया था। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश के इस बचाव को विचार के अयोग्य मानने से सहमत नहीं हैं। इसमें कुछ तो हो सकता है। हम देखते हैं कि मूल्यांकनकर्ताओं की राय यह है कि इस व्यक्ति के खिलाफ़ आरोप संतोषजनक रूप से साबित नहीं हुए। हमें लगता है कि वे सही थे। हम मंगरू के खिलाफ़ दोषसिद्धि और सज़ा को निरस्त करते हैं और निर्देश देते हैं कि उसे दोषमुक्त किया जाए।

पूरनमाशी (चमार) (सत्र न्यायाधीश संख्या १४२)

अभियुक्तों के विरुद्ध शिकारी के इस कथन की कोई प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं है कि उसने दंगे में भाग लिया था। इस बात के कुछ प्रमाण हैं कि वह स्वयंसेवक है और दो गवाह, अवध बिहारी और शंकरदयाल, सिद्ध करते हैं कि वह डुमरी में सभा में उपलब्ध था। एकमात्र परिस्थिति जो इस वाद को अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध मामले से थोड़ा आगे ले जाती है, जिन्हें हम पहले ही दोषमुक्त कर चुके हैं, वह अवध बिहारी का कथन है कि पूर्णमासी उस भीड़ में सम्मिलित था जो डुमरी से पुलिस थाने की ओर कूच कर रही थी। यह अवध बिहारी (पी.डब्लू. १७) स्वयं डुमरी का किसान है। उस गांव में स्वयंसेवकों की सभा में जो कुछ हुआ, उसके बारे में उसका विवरण अधूरा और अविश्वसनीय है। स्वीकृत है कि वह बाहर से आए दो दूतों के आने और उनके अंतिम संबोधन या स्वयंसेवकों के डुमरी से प्रस्थान के तुरंत बाद गाए गए क्रांतिकारी भजनों के बारे में कुछ नहीं जानता। हमें संदेह है कि क्या उस व्यक्ति ने कार्यवाही पर इतनी बारीकी से नज़र रखी थी कि ऊपर दिए गए अभियोगात्मक कथन को कोई विशेष महत्व दिया जा सके। हम पूरणमाशी के खिलाफ मामले से संतुष्ट नहीं हैं, और यहां भी हम दोषसिद्धि और सजा को निरस्त करते हुए उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

रामदत्त (कहार) (सत्र न्यायाधीश संख्या १५४

इस अभियुक्त को वास्तव में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसे शिकारी के उसके खिलाफ दिए गए अखंडित बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। हमारा मत है कि उस बयान का उल्लेख करने लायक कोई पुष्टिकरण नहीं है और हमें उस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ फिर से हम दोषसिद्धि और सजा को निरस्त करते हैं और रामदत्त को दोषमुक्त करते हैं।

रसूल, इलाही (जुलाहा) का पुत्र (सत्र न्यायाधीश संख्या १७३)।

हम पुष्टिकर्ता की गवाही की पुष्टि में कुछ सबूत पेश कर रहे हैं कि वह व्यक्ति स्वयंसेवक था, हालांकि रसूल खुद इससे इनकार करते हैं। चौकीदार, हरपत डुमरी के खलिहान में सभा में अपनी उपस्थिति की गवाही देता है। पहले से बताए गए कारणों से हम इस पर विचार को पर्याप्त नहीं पाते है और वास्तव में, शिकारी द्वारा जिरह के दौरान किए गए स्वीकारोक्ति के संबंध में अभियुक्त के स्वयं के बयान पर विचार करने से हमारे मन में वास्तविक संदेह पैदा होता है कि क्या इस मामले में पुष्टिकर्ता ने एक ऐसे व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है जिसके खिलाफ उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी थी। हम दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं और इलाही के बेटे रसूल को बरी करते हैं।

तारबेनी (चमार) (सत्र न्यायाधीश संख्या २२१)।

इस आरोपी के खिलाफ सबूत हमें खास तौर पर कमजोर लगते हैं, शिकारी ने उसे कुछ हद तक अस्पष्ट रूप से फंसाया है और कहा है कि वह एक स्वयंसेवक था। आरोपी इससे इनकार करता है। मथुरा (पी.डब्लू. ७८) नाम के एक चौकीदार ने सत्र परीक्षण में इस आरोपी को उन लोगों में से एक के रूप में पहचाना जिन्हें उसने दंगे में ईंट-पत्थर फेंकते देखा था। उसने पहले कभी इस आरोपी की पहचान नहीं की थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसका सबूत हमें बिल्कुल नगण्य लगता है। हमें त्रिबेनी के खिलाफ पुष्टिकर्ता के सबूतों की कोई पुष्टि नहीं मिलती। हम उसके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा से संतुष्ट नहीं हैं

और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

औधी (सत्र न्यायाधीश संख्या १)

इस गांव से एक अन्य अपीलकर्ता है जिसके बारे में हम दोषमुक्ति का फैसला दर्ज करने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर भी हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि जिन आरोपों के लिए उसे दोषी ठहराया गया है, वे पूरी तरह से सिद्ध हैं। वह व्यक्ति (?) स्वयंसेवक है; शिकारी ने उसका नाम उन लोगों की सूची में रखा है जिन्हें उसने दंगे में भाग लेते देखा था। जिरह में उसने स्वीकार किया कि उसे याद नहीं है कि औधी कोई विशेष कार्य कर रहा था, न ही वह यह बताता है कि 'दंगा' किस विशेष चरण में पहुँच गया था जब उसे आखिरी बार औधी की उपस्थिति याद आई थी। तीन गवाहों, हरपाल, औधी बिहारी और शुभग के साक्ष्य का संचयी प्रभाव निश्चित रूप से साबित करता है कि औधी डुमरी के खलिहान में स्वयंसेवकों के जमावड़े के समय मौजूद था। हम यह मानने के हकदार हैं कि वह स्वयंसेवक के रूप में वहाँ मौजूद था, न कि एक दर्शक के रूप में। अगर अभियुक्त ने खुद ही वहां अपनी मौजूदगी स्वीकार की होती और यह स्पष्ट किया होता कि वह या तो दूसरों के साथ पुलिस स्टेशन नहीं गया था या मार्च के दौरान स्वयंसेवकों के समूह से खुद को अलग कर लिया था, तो शायद हम उसके बयान को कुछ महत्व दे पाते। हालाँकि हम पाते हैं कि औधी ने साफ इनकार कर दिया और यह भी स्वीकार नहीं किया कि जब स्वयंसेवक इकट्ठा होने लगे तो वह डुमरी खुर्द गया था। अभियोजन पक्ष के लिए स्वतंत्र साक्ष्य अब तक शिकारी की गवाही की पुष्टि करते हैं, कि हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि इस अभियुक्त की पहचान के मामले में वह कोई गलती नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम शिकारी की गवाही पर इस हद तक काम करने के लिए तैयार हैं कि हम यह मान लें कि औधी बाकी लोगों के साथ चौरा पुलिस स्टेशन गया था और दंगा शुरू होने के कुछ समय बाद वह वहां मौजूद गैरकानूनी जमावड़े का सदस्य था। हमें नहीं लगता कि हमें इससे आगे कुछ और कहना चाहिए। हम औधी को भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के तहत साधारण दंगा करने के अतिरिक्त अन्य सभी आरोपों में दोषी ठहराए जाने को खारिज करते हैं, साथ ही इन अन्य आरोपों पर दी गई सजाओं को भी खारिज करते हैं। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के तहत दिए गए दो साल के कठोर कारावास की सजा की पुष्टि करते हैं, जो सजा सत्र न्यायालय में दोषसिद्धि की तारीख से प्रभावी होगी। हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि उन आदेशों को पारित करते समय हम इस बारे में कोई अंतिम राय दर्ज नहीं कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने आपराधिक साजिश का अपराध किया था या नहीं, जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया था। भारतीय दंड संहिता की धारा १२० (बी) के तहत उस पर पारित सजा कारावास की एक समवर्ती सजा थी, जो साधारण दंगे के लिए पारित सजा के बराबर थी, और इसलिए यह केवल तकनीकी महत्व का मामला है कि हम इस विशेष सजा की पुष्टि करते हैं या उसे खारिज करते हैं।

डुमरी के शेष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध हम इस बात से संतुष्ट हैं कि पुष्टिकर्ता के साक्ष्य इस प्रकार पुष्ट हैं कि उनमें से प्रत्येक को उस मुख्य आरोप पर दोषी ठहराया जाना चाहिए जिस पर हम विचार कर रहे हैं, अर्थात्, दंगे के दौरान की गई हत्या का आरोप, जो गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के तहत दंडनीय है। हम इन लोगों में से प्रत्येक के खिलाफ सबूतों को विस्तार से फिर से प्रस्तुत करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं जो निचली अदालत के फैसले में पूरी तरह और सटीक रूप से दर्ज किए गए हैं। हमारे लिए यह पर्याप्त होगा कि हम उनमें से प्रत्येक के मामले में, सबूत की विशेष वस्तु या वस्तुओं को संक्षेप में इंगित करें जिन्हें हम शिकारी की गवाही की पर्याप्त और विश्वसनीय पुष्टि प्रदान करने के रूप में मानते हैं। यदि हमें किसी विशेष अभियुक्त द्वारा स्थापित बचाव पर कोई टिप्पणी करनी है तो हम निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।

बिक्रम (अहीर) (सत्र न्यायाधीश संख्या २८)

इस आरोपी के खिलाफ मामला गंभीर है। शिकारी के अनुसार वह एक सक्रिय स्वयंसेवक था। वह न केवल ४ फरवरी की सुबह डुमरी में हुई सभा में मौजूद था, बल्कि उस स्थान पर स्वयंसेवकों की पिछली बैठक में भी शामिल हुआ था। शिकारी द्वारा उसके खिलाफ निश्चित रूप से आरोप लगाया गया है कि, जब भीड़ ने चौरा पुलिस स्टेशन में जबरन घुसने का प्रयास किया, तो यह बिक्रम उन लोगों में से एक था, जिन्होंने पुलिस कांस्टेबलों की हत्या में भाग लिया था। दूसरे पुष्टिकर्ता ठाकुर ने सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के हत्यारों में बिक्रम का नाम लिया और निश्चित रूप से दावा किया कि वह उन लोगों में से एक था, जिन्होंने सब-इंस्पेक्टर के शव को पुलिस स्टेशन ले जाकर आग में फेंक दिया था। चौकीदार हरपाल का कहना है कि बिक्रम स्वयंसेवकों के नेताओं में से एक था। बिंध्याचल नाम के एक चौकीदार ने इस आरोपी की पहचान न केवल एक

ऐसे व्यक्ति के रूप में की, जिसने दंगे में सक्रिय रूप से भाग लिया था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की, जिसे उसने एक कांस्टेबल को डंडे या किसी ऐसे ही हथियार से मारते हुए देखा था। आरोपी को अभियोजन पक्ष के गवाह सरजा पहले से जानते थे, जिन्होंने उसे दंगाइयों में से एक के रूप में पहचाना और याद किया कि उन्होंने उसे पुलिस पर कंकड़ फेंकते हुए देखा था। उनका कहना है कि यह व्यक्ति स्वयंसेवकों के बीच एक स्वीकृत नेता था। अभियोजन पक्ष के गवाह रामबरन (सं. ८९) ने भी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों में इस अभियुक्त का नाम लिया, हालांकि उसके साक्ष्य केवल यह साबित करते हैं कि बिक्रम के रूप में डुमरी सभा में मौजूद था। शंकर दयाल नामक गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने भी उस सभा में मौजूद होने का नाम लिया था। हम एक बार और हमेशा के लिए कह सकते हैं कि हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि शंकर दयाल द्वारा दी गई गवाही मजिस्ट्रेट की अदालत में व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त के रूप में विश्वसनीय है और इसे एक ठोस सबूत के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही शंकर दयाल ने सत्र परीक्षण में इससे मुकरने का आधा-अधूरा प्रयास किया हो। वास्तव में, मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने बयान के साथ निष्पक्ष रूप से सामना किए जाने पर, शंकर दयाल ने कहा कि वह एक बार और हमेशा के लिए सहमत है कि शंकर दयाल ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के साथ निष्पक्ष रूप से विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष स्वीकार किया कि उसने मजिस्ट्रेट की अदालत में सच कहा था। इस अभियुक्त के बचाव में मुख्य बिंदु शिकारी के खिलाफ दुश्मनी की दलील है। मूल्यांकनकर्ता इस तथ्य से भी प्रभावित प्रतीत होते हैं कि वह व्यक्ति एक समय में चौकीदार था और एक दुर्भाग्यपूर्ण चौकीदार का भाई था जो भीड़ की हिंसा का शिकार हो गया था। अभियुक्त ने यह भी जोर दिया कि उसके खिलाफ सबूत देने वाले कुछ चौकीदार उसे नाम से जानते थे और अगर उनके खिलाफ दिए गए सबूत सच होते तो जांच के पहले चरण में उसका नाम बताते। इस कारण से, संभवतः, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के अतिरिक्त दो अन्य चौकीदार गवाहों, कुमार और लछमन द्वारा दिए गए दंगे में मिलीभगत के सबूतों पर भरोसा नहीं किया है, जिनके गवाह हम पहले ही देख चुके हैं। अभियुक्त की ओर से तर्क में इन बिंदुओं पर हम पर जोरदार तरीके से जोर दिया गया है; लेकिन हम इस बात पर पूरी तरह से सहमत हैं कि उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का संचयी प्रभाव विश्वसनीय है, और वास्तव में भारी है। उसने इस दावे के आधार पर एक बहाना बनाया कि वह २९ जनवरी, १९२२ को गोंडा जिले में दो बैल खरीद रहा था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह इंगित करने में ही संतोष कर लिया कि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है वह किसी भी तरह से निर्णायक नहीं है, क्योंकि २९ जनवरी, जो खरीद की कथित तिथि है, और ४ फरवरी के बीच का अंतराल बिक्रम के डुमरी लौटने के लिए काफी समय होता। हम खुद सोचते हैं कि यह बहाना पहली नजर में बेहद संदिग्ध है और यह किसी भी तरह से अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर हमारे विश्वास को नहीं हिलाता है। हमारी राय में, कथित बिक्री को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़, दिनांक २९ जनवरी, १९२२, जो कि इस मामले के आधार का आधार है, स्पष्ट रूप से संदिग्ध प्रतीत होता है। केवल एक जोड़ी बैल प्राप्त करने के उद्देश्य से अवध के एक जिले में इतनी लंबी यात्रा करने की आवश्यकता के लिए कोई उचित या विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसलिए हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि अपीलकर्ता बिक्रम के खिलाफ हत्या का आरोप साबित होता है। हम उसे हत्या में सक्रिय भागीदार मानते हैं, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के तहत वाद दायर करने का आरोप साक्ष्य द्वारा स्थापित किया गया है, जबकि धारा १४९ के विशेष प्रावधानों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बिरजा (चमार) (सत्र न्यायाधीश संख्या ३१)

हमारे पास एक और अभियुक्त है जो दोनों पुष्टिकर्ताओं की गवाही में फंसा हुआ है। शिकारी ने डुमरी खलिहान में स्वयंसेवकों के स्वागत की तैयारियों में उसकी विशेष रूप से सक्रिय भूमिका बताई है। दंगे में अभियुक्त द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में शिकारी को केवल इतना याद है कि उसने अभियुक्त को कंकड़ फेंकते हुए देखा था। दूसरे पुष्टिकर्ता, ठाकुर ने कहा कि जब उसने अभियुक्त को देखा तो वह पुलिस स्टेशन के बाहरी इलाके में खड़ा था, उसके हाथ में एक छोटा सा लकड़ी का डंडा था और वह चिल्ला रहा था, "मारो, मारो।" अभियोजन पक्ष के गवाह कल्लू ने भी उसे इसी तरह फंसाया है। हमारी राय में, दंगे में उसकी संलिप्तता भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के तहत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है, जो पूरी तरह से स्थापित है।

चिंगी (ताली) (सत्र न्यायाधीश संख्या ४१)

शिकारी ने इस अभियुक्त का वर्णन एक सक्रिय स्वयंसेवक के रूप में किया है, जो एक से अधिक सभाओं में मौजूद था और जो बुधवार, १ फरवरी को मुंडेरा बाजार में धरना देने के असफल प्रयास में शामिल लोगों में से एक था। उसने पुलिस स्टेशन में दंगे में चिंगी की भागीदारी के बारे में सामान्य शब्दों में गवाही दी। सरकारी गवाह ठाकुर का कहना है कि उसने चिंगी को भीड़ द्वारा लूटे जाने के बाद या लूट के दौरान सब-इंस्पेक्टर क्वार्टर से बाहर आते देखा था। उसने यह भी आरोप लगाया कि चिंगी उन लोगों में से एक था,

जिन्होंने टेलीग्राफ के तार काटने और रेलवे लाइन को तोड़ने में मदद की थी। डुमरी में हुई सभा में अभियुक्त की भागीदारी के बारे में गवाह हरपाल, जगतू, महादेव और शिवराज के पास बहुत अच्छे सबूत हैं। गवाह भवानी प्रसाद को सत्र परीक्षण में चिंगी को पहचानने में कुछ कठिनाई हुई, उन्होंने अंततः सत्र न्यायाधीश के आदेश के तहत तेरह अभियुक्तों के समूह से उसे चुना, जिसे उनके सामने अलग से पेश किया गया, और खुद को संतुष्ट घोषित किया कि यह वही व्यक्ति था जिसे उन्होंने चेहरे से पहचाना था। जब जिरह में दबाव डाला गया, तो उन्होंने गवाही दी कि उन्होंने दंगाइयों के बीच इस चिंगी को 'हड़ताल-हड़ताल' चिल्लाते हुए और दूसरों को पुलिस स्टेशन की इमारतों से निकलने वाले किसी भी कांस्टेबल पर हमला करने के लिए उकसाते हुए देखा था। इसलिए इस आदमी के खिलाफ़ अनुमोदन के साक्ष्य पूरी तरह से पुष्ट हैं। हम संतुष्ट हैं कि उसके खिलाफ़ मुख्य आरोप साबित हुआ है और हम उसके मामले को गंभीर मानते हैं।

गौस अली (सत्र न्यायाधीश संख्या ५८)

इस अभियुक्त के विरुद्ध वाद की एक विशेष बात यह है कि शिकारी ने उसके खिलाफ़ कुछ नहीं कहा। हालाँकि, जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बताया है, इस व्यक्ति के डुमरी सभा में उपस्थित होने के सबूत ही नहीं हैं, बल्कि वास्तविक दंगे में उसकी भागीदारी के लिए पहचान के बहुत से सबूत भी हैं। जेल क्लर्क शिवदास के बयान से साबित होता है कि जब इस अभियुक्त को जेल भेजा गया तो उसके दाहिने घुटने पर जलने का निशान था। उसका बचाव मुख्य रूप से यह था कि उसे सरदार हरचरण सिंह ने किराए के भुगतान और अन्य ज़मींदारी मामलों के विवाद के परिणामस्वरूप झूठा फंसाया है। यह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि असाधारण रूप से बड़ी संख्या में चौकीदार, जिनमें से प्रत्येक निस्संदेह दंगे में मौजूद था, इस व्यक्ति को उसी में सक्रिय भागीदार के रूप में पहचानने में सक्षम थे। हम संतुष्ट हैं कि मुख्य आरोप गौस अली के खिलाफ़ साबित हुआ है।

महाबत (सत्र न्यायाधीश संख्या ९९)

इस अभियुक्त को दोनों सरकारी गवाहों की गवाही में लिप्त किया गया है। ठाकुर ने उसके खिलाफ कुछ हद तक निंदनीय बयान दिया है कि पुलिस कांस्टेबलों की वास्तविक हत्या के दौरान, यह अभियुक्त पुलिस स्टेशन के बाहरी इलाके में एक स्थान पर खड़ा था, दूसरों को यह कहते हुए कि वह खुद वहाँ पहरा दे रहा है (संभवतः किसी दुर्भाग्यपूर्ण पुलिसकर्मी के भागने के खिलाफ) और उन्हें अन्य संभावित निकासों को अवरुद्ध करने का ध्यान रखना चाहिए। डुमरी सभा में उसकी उपस्थिति के बहुत ठोस सबूत हैं, और चार चौकीदारों ने उसे दंगे में भाग लेने के रूप में पहचाना। उसने कुछ हद तक विस्तृत बहाना बनाया, जिससे मूल्यांकनकर्ताओं पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि वे उसे बरी कर देते। हमने इस बहाने के सबूत की सावधानीपूर्वक जांच की और हमें पूर्ण विश्वास है कि अभियुक्त द्वारा बताई गई कहानी, जैसी कि वह है, झूठी है। यदि वह गोरखपुर में था, जैसा कि वह कहता है, ४ फरवरी की देर दोपहर तक, वह उस समय ट्रेन से मुंडेरा वापस नहीं आ सकता था, जिसका उसने खुद उल्लेख किया है। उसने दावा किया कि जिस ट्रेन से वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आया था, जिसे हम अन्य सबूतों से जानते हैं कि असंभव था। ट्रेन को रेलवे लाइन में उस जगह से आगे रुकने के लिए मजबूर किया गया था, जो दंगाइयों द्वारा बनाई गई थी, और ट्रेन में मौजूद अधिकारियों और उनके द्वारा किए गए काम के बारे में उनका विवरण स्पष्ट रूप से गलत था। हमें प्रतीत होता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा इस आरोपी के खिलाफ मुख्य आरोप सिद्ध करने में पूरी तरह से उचित थे।

महावीर, पुत्र लालसा (सत्र न्यायाधीश संख्या १००)

शिकारी का कहना है कि उसने इस व्यक्ति को डुमरी में एकत्रित स्वयंसेवकों के बीच और बाद में पुलिस स्टेशन में दंगाइयों के बीच देखा था। चौकीदार हरपाल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि अभियुक्त स्वयंसेवक नहीं था, इस सभा में उसकी उपस्थिति की गवाही दी और गवाह शिवराज ने उसकी पुष्टि की। दो गवाह हैं, रमेशर और रंजीत, जो उसे उन लोगों में से एक के रूप में पहचानते हैं जिन्हें उन्होंने दंगे में कंकड़ फेंकते देखा था। अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी के बाद खुद मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया, जिसमें उसने डुमरी सभा में शामिल होने और भीड़ के साथ पुलिस स्टेशन तक जाने की बात स्वीकार की। उसने कहा कि जब गोलियां चलीं तो वह भाग गया और अपने काम में लग गया। बाद में उसने इस बयान का खंडन किया, लेकिन हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि यह बयान स्वेच्छा से दिया गया था। (?) ने निस्संदेह, गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त द्वारा खुद को पेश किए जाने वाले सबसे अच्छे बचाव का प्रतिनिधित्व किया, उसके शरीर पर संदिग्ध चोटों के मद्देनजर जिसे उसने सोचा होगा कि उसके अपराध के लिए निर्णायक माना जाएगा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्य आरोप में उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

नागेशर (सत्र न्यायाधीश संख्या ११६)

हमारे पास यहां एक अन्य वाद है जिसमें दोनों पुष्टिकर्ताओं द्वारा दिए गए साक्ष्य

में एक व्यक्ति को फंसाया गया है। इस बात के प्रचुर प्रमाण हैं कि वह एक स्वयंसेवक था और वह डुमरी में स्वयंसेवकों की सभा में मौजूद था। दो चौकीदारों ने उसे दंगे में मौजूद होने के रूप में पहचाना, हालांकि इनमें से एक पहचान का कोई खास महत्व नहीं है, क्योंकि यह पहली बार सत्र न्यायालय में की गई थी। हमारी राय में शिकारी और ठाकुर द्वारा दिए गए साक्ष्यों की पर्याप्त पुष्टि है जो इस आरोपी को मुख्य आरोप में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

नज़र अली (सत्र न्यायाधीश संख्या १२७)

साक्ष्य के अनुसार, यह अपीलकर्ता स्वयंसेवकों के नेताओं में से एक था, जो ४ फरवरी की पूरी घटना डुमरी में खलिहान में एकत्र होने से लेकर सब-इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबलों की हत्या तक, और बाद में, रेलवे लाइन को तोड़ने और टेलीग्राफ के तारों को काटने तक के लिए सहभागी रूप से जिम्मेदार था। कार्यवाही के सामान्य इतिहास में उसका एक से अधिक बार और हमेशा सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में उल्लेख किया गया है। शिकारी और ठाकुर दोनों का आरोप है कि उसने सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह की वास्तविक हत्या में भाग लिया था, और इस बिंदु पर उनके साक्ष्य की प्रत्यक्ष पुष्टि है, सब-इंस्पेक्टर के वकील सधाई ने गवाही दी कि यह नज़र अली ही था, जिसने 'जब दारोगा थाने से भाग रहा था, तो उसे नीचे गिरा दिया और मार डाला।' औतार (धोबी) उसे 'दरोगा' को मारने वालों में से एक के रूप में पहचानता है। नज़र अली के खिलाफ़ कई अन्य सबूत जैसे डुमरी में उसकी मौजूदगी, पुलिस स्टेशन पर मार्च करने वाली भीड़ का नेता होना, भीड़ के नेताओं और सब-इंस्पेक्टर के बीच बातचीत में उसकी अहम भूमिका और दंगे के दौरान विभिन्न चरणों में उसकी सक्रिय भूमिका है। हम उसके खिलाफ़ ९ मार्च, १९२२ को अभियुक्त रामरूप (बरहाई) द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए महत्वपूर्ण कबूलनामे को भी ध्यान में रखते हैं, जो रिकॉर्ड प्रदर्श २२५ है। इस कबूलनामे को बाद में वापस ले लिया गया था, लेकिन हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि यह स्वेच्छा से किया गया था। इसमें १ फरवरी की कार्यवाही से लेकर पूरे मामले का एक विलक्षण रूप से ज्वलंत और विश्वसनीय विवरण है। इस कहानी में नज़र अली फिर से वही प्रमुख भूमिका निभाता है जो कि बाकी सबूतों में उसे सौंपा गया है। दंगे के दौरान नज़र अली के आचरण के संबंध में, राम रूप ने उसका नाम उन लोगों में से एक के रूप में लिया है, जिन्होंने पुलिस स्टेशन का गेट तोड़ने में मदद की और जिसने थाने की इमारतों को जलाने के लिए केरोसिन तेल लाने के लिए चिल्लाया। राम रूप ने सब-इंस्पेक्टर की हत्या देखने का दावा नहीं किया है, लेकिन वह चार नामित पुलिस कांस्टेबलों की हत्या में नज़र अली की भागीदारी को निश्चित रूप से दर्शाता है। नज़र अली का बचाव यह था कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी या अधिकांश कृत्य वास्तव में एक अन्य नज़र अली द्वारा किए गए थे, जो कि सरकारी गवाह शिकारी का चाचा है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस बचाव को व्यर्थ मानने के लिए संतोषजनक कारण दिए हैं। अभियुक्त का यह कथन कि वह दंगे के दिन अपने सामान्य व्यवसाय से गोरखपुर गया था और वह घर देर से पहुंचा, क्योंकि वह जिस ट्रेन से वापस लौटने वाला था, वह छूट गई थी, यह भी उतना ही गम्भीरता से विचार किए जाने योग्य नहीं है। इस अभियुक्त के विरुद्ध न केवल मुख्य आरोप पूरी तरह साबित हुआ है, बल्कि हमें उसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०२ के अन्तर्गत हत्या के स्पष्ट आरोप में बिना किसी संकोच के दोषी ठहरा देना चाहिए था।

नोहर (सत्र न्यायाधीश संख्या १३१)

शंकर दयाल, जिस गवाह का पहले उल्लेख किया गया है, के साक्ष्य को यह साबित करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है कि यह अभियुक्त स्वयंसेवकों की भीड़ में था, या तो डुमरी में उनके मूल सभा स्थल पर, या जब वे भूपा चौराहे पर अपने मार्च पर रुके थे। बंसी नामक एक चौकीदार द्वारा दंगे में मिलीभगत का एक और निश्चित सबूत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सिद्दीक, जो नरसंहार में जीवित बचा एकमात्र पुलिस कांस्टेबल था, ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में नोहर के खिलाफ गवाही दी। वह उस आदमी का चेहरा या रूप भूल गया था और सत्र परीक्षण में अभियुक्तों की भीड़ के बीच उसे पहचानने में असमर्थ था। हालाँकि गवाह की ओर से सद्भाव को देखते हुए, और हम मानते हैं कि यह सुदीक को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, यह तथ्य कि वह कमिटिंग मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एक विशेष अभियुक्त को पहचानने में सक्षम था, सत्र परीक्षण में काफी समय बाद उसकी (?) विफलता से बहुत गंभीरता से छूट नहीं दी गई है। अभियुक्त का अपना बयान हमें अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है। इसमें घर से लंबे समय तक और आकस्मिक रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है, जो कि महत्वपूर्ण तिथि, ४ फरवरी, १९२२ को आसानी से कवर करता है। चूंकि शिकारी के साक्ष्य से वास्तविक दंगे में उसकी संलिप्तता सामने आती है, इसलिए हमें लगता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अन्य साक्ष्य पुष्टिकर्ता के कथन की पर्याप्त पुष्टि स्वीकार करने में सही किया था। हम नोहर को मुख्य आरोप में दोषी ठहराए जाने की पुष्टि करते हैं।

पंचू (सत्र न्यायाधीश संख्या १३३)

इस अपीलकर्ता का वाद व्यावहारिक रूप से वैसा ही है जैसा कि हमने अभी विचार किया है। सरकारी गवाह की पुष्टि के लिए हमारे पास एक अभियोजन पक्ष के गवाह, सरदार हरचरण सिंह के जमादार बिरजा का सकारात्मक साक्ष्य है। उसका कहना है कि उसने इस अभियुक्त को दंगाइयों के बीच कंकड़ फेंकते हुए देखा था। बाल गवाह, नेउर ने मजिस्ट्रेट के सामने पंचू की पहचान की, लेकिन सत्र परीक्षण के समय तक उसकी याददाश्त कम हो गई। इस मामले में भी हमारे पास बहुत असंतोषजनक बचाव है। अभियुक्त का कहना है कि वह दंगे के दिन पूरे दिन घर पर ही था क्योंकि उसे लकवा मार गया था; लेकिन उसने कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं दिया और यद्यपि वकील द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया, उसने चिकित्सकीय जांच करवाने की इच्छा नहीं जताई। यहाँ भी हमें लगता है कि शिकारी की गवाही को स्वीकार करने के लिए आने वाला पुष्टिकरण पर्याप्त है। हम पंचू के खिलाफ मुख्य आरोप को साबित मानते हैं।

रामेश्वर, पुत्र रामफल (पासी) (सत्र न्यायाधीश क्रमांक १७९)।

शिकारी और ठाकुर दोनों ने इस आरोपी को फंसाया, बाद वाले ने कहा कि वह घास ला रहा था और जलती हुई पुलिस इमारतों में आग फैलाने और उसे खिलाने के लिए खुद को मेहनत कर रहा था। सत्र परीक्षण में तीन गवाहों ने आरोपी (?) दंगाइयों की पहचान की जिन्हें उन्होंने कंकड़ फेंकते देखा था। हसनू ने सीधे ठाकुर के इस दावे की पुष्टि की कि वह इमारतों को जलाने में भाग ले रहा था। एक अन्य चौकीदार ने मजिस्ट्रेट की अदालत में इस रामेश्वर की पहचान की थी, लेकिन सत्र परीक्षण में उसकी उपस्थिति को याद नहीं कर पाया। इस बात के अच्छे सबूत हैं कि वह व्यक्ति एक नामांकित स्वयंसेवक था, हालाँकि वह इस परिस्थिति से इनकार करता है। हम उन सबूतों पर विचार करते हैं जो पुष्टिकर्ताओं ने पर्याप्त रूप से पुष्ट किए हैं और हमारा मानना है कि इस व्यक्ति को आगजनी के आगे के आरोप में सही ढंग से दोषी ठहराया गया था।

रामसरन, पुत्र लालसा (सत्र न्यायाधीश संख्या १६९)

शिकारी के खिलाफ अपीलकर्ता की पुष्टि करने के लिए हमारे पास सबसे पहले चौकीदार हरपाल के डुमरी में स्वयंसेवकों की सभा में मौजूद होने के बारे में निश्चित और संतोषजनक सबूत हैं। इसकी पुष्टि शिवराज और शंकरदास ने की है। आरोपी ने स्वयंसेवक होने की बात स्वीकार नहीं की, हालांकि उसने कहा कि शिकारी ने उसकी जानकारी के बिना उसका नाम स्वयंसेवक के रूप में दर्ज करवा दिया होगा। सब-इंस्पेक्टर के नौकर हरहंगी द्वारा सत्र में उसके खिलाफ दिए गए सबूत भी मौजूद हैं। हम मानते हैं कि मुख्य आरोप पर दोषसिद्धि के लिए पुष्टिकरण पर्याप्त है।

साधोसरण (सत्र न्यायाधीश संख्या १७७)

शिकारी का कहना है कि यह अभियुक्त न केवल डुमरी में सभा में मौजूद था, बल्कि स्वयंसेवकों के भरण-पोषण के लिए कच्ची चीनी इकट्ठा करके इसकी तैयारियों में मदद कर रहा था। चौकीदार हरपाल डुमरी सभा में उसकी उपस्थिति की पुष्टि करता है। अभियोजन पक्ष के गवाह रमेशर (?) के पास दंगों में भागीदारी का प्रत्यक्ष सबूत है, जो लगातार इस अभियुक्त को (?) दंगाई बताता है जिसे उसने कंकड़ फेंकते देखा था। अभियुक्त के बचाव में (?) चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं था। उसने स्वयंसेवक होने की बात स्वीकार की और कोई कारण नहीं सुझा सका कि शिकारी को उसे झूठा क्यों फंसाना चाहिए। यहाँ भी हमारी राय में मुख्य आरोप पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराने के लिए पुष्टिकरण पर्याप्त है।

सुखदेव (पासी) (सत्र न्यायाधीश संख्या २०७)

हमारे पास इस अपीलकर्ता के खिलाफ शिकारी का साक्ष्य है, जिसकी पुष्टि डुमरी सभा में उसकी उपस्थिति के संबंध में हरपाल द्वारा की गई है। लड़के हरहंगी ने मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पहचान उन लोगों में से एक के रूप में की, जो सब-इंस्पेक्टर के क्वार्टर में घुसे थे। हमें लगता है कि यह एक ठोस सबूत है और इसे केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सत्र परीक्षण के समय तक लड़के की याददाश्त खत्म हो गई थी। पुष्टिकर्ता ठाकुर का कहना है कि इस व्यक्ति ने पुलिस भवनों में से एक की टाइलें हटाने में मदद की थी और वह उन लोगों में से एक था, जिन्होंने कांस्टेबल की पिटाई में सक्रिय रूप से भाग लिया था। यह शिकारी के कथन से सहमत है, जो इस आरोपी को उस स्थान पर रखता है, जहां कांस्टेबल की पिटाई की जा रही थी। मूल्यांकनकर्ता सुखदेव के खिलाफ सबूतों से संतुष्ट नहीं थे। ऐसा लगता है कि वे बलदेव (पी.डब्लू. ९३) द्वारा प्राप्त एक बयान से प्रभावित थे, जिसके अनुसार यह अभियुक्त दंगे से दो या तीन दिन पहले चार मील दूर एक गाँव में अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था, (?) बलदेव ने बयान दिया कि उसने इस अभियुक्त को प्रश्नगत दिशा (?) में जाते देखा था। अभियुक्त ने स्वयं कहा है कि वह इस यात्रा पर गया था और दंगे के कुछ समय बाद तक वापस नहीं लौटा।

हमारे मन पर इस साक्ष्य का प्रभाव अलग है। हम हरपाल के बयान को ४ फरवरी की सुबह डुमरी में स्वयंसेवकों के बीच सुखदेव की उपस्थिति साबित करने के रूप में स्वीकार करते हैं। वह व्यक्ति एक पंजीकृत स्वयंसेवक है और यह मानते हुए कि वह अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था, यह अनुमान है कि ४ फरवरी की बैठक के लिए उसका डुमरी लौटना एक सम्मन के पालन में था। डुमरी सभा में कई स्वयंसेवक थे जो चार मील से भी अधिक दूरी से आए थे। इसलिए, हमारा मानना है कि दोनों पुष्टिकर्ताओं द्वारा दिए गए साक्ष्यों की पर्याप्त पुष्टि है और इस व्यक्ति के खिलाफ उनके साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए।

चौरा की दिशा में स्वयंसेवकों के मार्च के बाद हम भोपा के बाजार में पहुँचते हैं, चौराहे पर जहाँ स्वयंसेवकों का समूह कुछ देर के लिए रुका था। यह वह स्थान है जहाँ से एक सड़क सीधे उत्तर की ओर मुंडेरा की दिशा में जाती है, जिसका स्वयंसेवक अनुसरण करते यदि उन्होंने पहले से ही चौरा पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने का संकल्प न लिया होता। हम तदनुसार इस स्थान से एक अपीलकर्ता के वाद का विचरण करते हैं।

नाथे (कांडू) (सत्र न्यायाधीश क्रमांक १२५)

हम देखते हैं कि उसी स्थान पर रहने वाले एक अन्य अभियुक्त मुहम्मद रजा (सत्र न्यायाधीश संख्या ११४) को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में निचली अदालत ने बरी कर दिया था। यह स्वाभाविक रूप से संभव है कि इस स्थान पर रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ने भीड़ के उद्देश्यों के साथ पर्याप्त सहानुभूति पाई हो और वे भीड़ में शामिल हो गए हों। अभियुक्त के गांव के चौकीदार का कथन है कि नाथे एक स्वयंसेवक है और यदि ऐसा है, तो उसके बाद में यह संभावना बहुत अधिक होगी। शिकारी के साक्ष्य में उसे फंसाया गया है, जो कहता है कि वह दंगाइयों में शामिल था। लेकिन उसके खिलाफ मामला वास्तव में पहचान के साक्ष्य से ही पुख्ता होता है। कम से कम ११ चौकीदार, जो निश्चित रूप से दंगे (?) में मौजूद थे, ने इस व्यक्ति को उन लोगों में से एक के रूप में पहचाना जिन्हें उन्होंने कंकड़ फेंकते या अन्यथा दंगा करते हुए देखा था। इनमें से केवल एक, बंसी, अभियुक्त पर इंस्पेक्टर के बंगले में आग लगाने और पौंड के गेट को तोड़ने जैसे गंभीर कृत्यों का आरोप लगाता है। हमारी राय में सामान्य आरोप पर नाथे की दोषसिद्धि को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

अभियुक्तों का एक बड़ा समूह चौरा से, या चौरी के पड़ोसी गाँव से ही आता है जो संयुक्त रूप से चौरी चौरा रेलवे स्टेशन का नाम देता है। सत्र न्यायालय में अभियुक्तों के इस समूह के खिलाफ मामला आम तौर पर मजबूत पाया गया, उनमें से केवल एक को बरी किया गया, जिस व्यक्ति को बरी किया गया वह सतनारायण (संख्या १८७) था। इस व्यक्ति के मामले में निर्णय से पता चलता है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश को उसके अपराध का पूरा विश्वास था, लेकिन वह अभियुक्त के पक्ष में मूल्यांकनकर्ताओं की राय से असहमत होने के लिए तैयार नहीं था। दो अन्य अभियुक्त जिनके खिलाफ सत्र न्यायालय में पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए थे वे आरोपी गुलाम (सं. ७९) और सूबेदार (सं. २०४) है जो चौरा से संबंधित भरटोलिया गांव से आते हैं। इसलिए उन्हें एक ही समूह से संबंधित माना जाना चाहिए। हालांकि इन दोनों मामलों में निर्णय से पता चलता है कि सबूतों की भरमार थी, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मूल्यांकनकर्ताओं के अनुकूल फैसले का लाभ अभियुक्तों को दिया। इस बड़े समूह में से हमें केवल एक अभियुक्त मिला है जिसकी सजा से हम पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं। यह

रामबरन, पुत्र अबिलाख (सत्र न्यायाधीश क्रमांक १५०)

उसके खिलाफ महाबल नामक चौकीदार का प्रत्यक्ष साक्ष्य है, जो इस तथ्य से कुछ हद तक सही है कि इस गवाह ने पहले उसका नाम (?) नहीं लिया था। चौरी के दूसरे चौकीदार पार्षद ने भी आरोपी के खिलाफ साक्ष्य दिया, लेकिन यही बात उसकी गवाही पर भी लागू होती है। रामबरन नामक एक अन्य गवाह (पी.डब्लू. ८९) ने कुछ संकोच के बाद (?) इस आरोपी की पहचान की जिसे उसने डुमरी में सभा में देखा था। उसके खिलाफ बाकी सबूत इस बात के प्रमाण तक सीमित हैं कि वह एक स्वयंसेवक है। हम इस बात से (?) संतुष्ट नहीं हैं कि यह साक्ष्य रामबरन की संलिप्तता को संदेह से परे स्थापित करता है। हम उसके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को निरस्त करते हैं और उसे दोषमुक्ति का निर्णय दर्ज करते हैं।

इस समूह से संबंधित एक अन्य अभियुक्त है जिसके विरुद्ध हम केवल (?) कम गंभीर अपराध का दोषसिद्धि दर्ज करना चाहते हैं।

गोपी (भार) (सत्र न्यायाधीश संख्या ६३)

अभियोजन पक्ष के गवाह सुन्दर, कल्लू, गजाधर और हरहंगी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिए गए पहचान प्रमाण हमें कुछ हद तक संदिग्ध और स्पष्ट रूप से प्रतिकूल टिप्पणी लगते हैं। हालाँकि, अभियुक्त ने स्वयं अपनी गिरफ्तारी के बाद ४ मार्च, १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया

था, जो रिकॉर्ड पर प्रदर्श संख्या २४८ है। उसने स्वयंसेवक होने की बात स्वीकार की और कहा कि अभियुक्त लाल मुहम्मद ने उसे डुमरी में बैठक में बुलाया था। वह उस दिशा में चल पड़ा, लेकिन जब वे भोपा से निकल रहे थे, तो वह स्वयंसेवकों के मुख्य समूह में शामिल हो गया। वह बाद की कार्यवाही में मौजूद था और रेलवे क्रॉसिंग से आगे बढ़कर चौरा के बाज़ार में आ गया था, जहाँ उसने गोलीबारी की आवाज़ सुनी। इस पर उसने कहा कि वह अपना धैर्य खो बैठा और भाग गया। वह मात्र १६ वर्ष का बालक है और चूँकि उसके विरुद्ध दोषसिद्धि मुख्यतः (?) उसके स्वयं के बयान पर आधारित है, इसलिए हमें लगता है कि हमें उसे उसके तथ्यों के (?) संस्करण का लाभ देना चाहिए, जब वह कहता है कि दंगे शुरू होते ही वह अपना धैर्य खो बैठा और भाग गया। इसलिए हम उनके वाद में धारा १४७, आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को छोड़कर सभी दोषसिद्धि और सजाओं को रद्द करते हैं, जिसमें दो साल के कठोर कारावास की सजा शामिल है, जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध कर दिया है। यह सजा सत्र न्यायालय में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगी।
इस समूह के शेष सभी सदस्यों के विरुद्ध हम संतुष्ट हैं कि मुख्य आरोप सिद्ध हो गया है।
हम सबसे पहले भरटोलिया के लोगों की सुनवाई करते है।

छेदी (भार) (सत्र न्यायाधीश क्रमांक ३८)

शिकारी ने बताया कि यह अभियुक्त डुमरी में था और दंगे में भाग ले रहा था। अपील के तहत फैसले में बताए गए कई अन्य गवाहों ने उसका नाम या पहचान बताई है। वह खुद को स्वयंसेवक मानता है और १४ फरवरी १९२२ को उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। बयान की एक दिलचस्प बात यह है कि उसने अभियोजन पक्ष के गवाह सरदार हरचरण सिंह को पुलिस स्टेशन पर हमले में सक्रिय भागीदारी का श्रेय दिया, और दावा किया कि उसने स्वयंसेवकों को पीछे न हटने के लिए उकसाया, और उनसे कहा कि जब तक वे पुलिस की गोलीबारी का सामना करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक स्वराज प्राप्त नहीं होगा। यह संभवतः अभियुक्त की ओर से द्वेष के कारण हुआ है, इस तथ्य के कारण कि उसके खिलाफ दो मुख्य गवाह (?) बिरजा और कल्लू, हरचरण सिंह के नौकर हैं। इसके अलावा, अभियुक्त के बयान में दंगे के समय उसकी मौजूदगी को उस समय तक स्वीकार किया गया जब तक कि गोलियां नहीं चलाई गईं और भीड़ के सदस्य पुलिस की इमारतों को जलाने के लिए तेल के कनस्तर इकट्ठा कर रहे थे। वह कहता है कि वह खुद इस बिंदु पर भाग गया है, लेकिन उसके खिलाफ सबूत इसके विपरीत साबित करने के लिए काफी हैं। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस आदमी के खिलाफ सामान्य आरोप साबित होता है।

तिहुल (सत्र न्यायाधीश क्रमांक २१७)

यहाँ भी हमारे पास पहचान के बहुत से सबूत हैं, जिनमें से ज़्यादातर चौकीदारों द्वारा दिए गए हैं, जिससे पता चलता है कि यह आरोपी दंगाइयों के बीच कंकड़ फेंकते हुए देखा गया था। इनमें से कुछ सबूतों पर टिप्पणी की जा सकती है, जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस आधार पर बताया है कि एक या दो गवाह इस आरोपी और इसी तरह की शक्ल वाले दूसरे आरोपी के बीच भ्रमित लग रहे थे। हालाँकि, रिकॉर्ड पर दो कागज़ात हैं जो तिहुल के खिलाफ़ मामले को पुख्ता करते हैं। राम रूप बरहाई (प्रदर्शनी २२५) के वापस लिए गए इकबालिया बयान में उसका उल्लेख एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया है जो पुलिस स्टेशन के गेट के सामने खड़े लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश करने वाले सभी कांस्टेबलों पर हमला किया या उन्हें बंधक बना लिया। ४ मार्च को आरोपी ने खुद मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। उसने स्वयंसेवक होने की बात स्वीकार की और कहा कि लाल मुहम्मद ने उसे डुमरी में सभा में बुलाया था। उसने उस स्थान पर पहुंचने से इनकार किया, लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले स्वयंसेवकों के मुख्य समूह में शामिल होने और पुलिस स्टेशन से आगे मुंडेरा बाजार की दिशा में मार्च में भाग लेने की बात स्वीकार की। आरोपी गोपी की तरह, जिसके मामले पर हमने अभी विचार किया है, इस आरोपी ने दावा किया कि जैसे ही उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी, वह भाग गया। हालांकि, हमें लगता है कि दंगे में उसकी वास्तविक मिलीभगत के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उसे मुख्य आरोप में सही ढंग से दोषी ठहराया गया है।

शंकर (भर) (सत्र न्यायाधीश संख्या १९१)

विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपने निर्णय में इस अभियुक्त को वास्तविक दंगे में शामिल करने वाले साक्ष्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। उसे कई गवाहों ने देखा, उनमें से कुछ ने कंकड़ फेंकते हुए, दूसरे ने अपने पास के लोगों को हमला करने के लिए कहते हुए, और एक अन्य ने पुलिस स्टेशन के पश्चिमी हिस्से में बरामदे में आग को हवा देने में मदद करते हुए देखा। गवाह उमा ने आरोपी की पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जिसे उसने पुलिस स्टेशन के गेट से फटी हुई सलाखों में

से एक के साथ इधर-उधर भागते हुए देखा था। राम रूप, बरहाई के मुकर गए बयान से उसे किसी भी तरह डुमरी में सभा तक ले जाया जाता है। उसने खुद १७ फरवरी, १९१२ को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। उसने भी कहा कि उसे आरोपी लाल मुहम्मद के संदेश द्वारा डुमरी में सभा में बुलाया गया था और उसने भीड़ के साथ उसके जुड़ाव का वर्णन किया, जब तक कि गोलीबारी शुरू नहीं हो गई। इसके बाद उसने आरोप लगाया कि वह भाग गया। हमें लगता है कि इस कथन को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं और हम संतुष्ट हैं कि शंकर को मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है। उसका मामला विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर लिया और सब-इंस्पेक्टर की पत्नी को धमकी दी।

बद्री पुत्र शाम लाल (केवट) (सत्र न्यायाधीश संख्या १२)

इस अभियुक्त के खिलाफ पहचान के सबूत सिद्दीक, हरनंदन और गजधर के हैं। वह निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक था और उसने ४ मार्च, १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। उसने वहां कहा कि वह भोपा बाजार के ठीक सामने स्वयंसेवकों के साथ शामिल हो गया और उनके साथ तब तक मार्च करता रहा जब तक वे पुलिस स्टेशन के सामने से निकलकर रेलवे क्रॉसिंग नहीं पर पहुंचे। वहां बहुत सारे स्वयंसेवक पीछे मुड़ते दिखे और गोलियों की आवाज सुनी। इसके बाद वह भाग गया और एक खेत में छिप गया, जहाँ से उसने भीड़ के सदस्यों को पुलिस स्टेशन की इमारतों को तोड़ते और आग लगाते देखा। जब कमिटिंग मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ की तो उसने इस बयान का एक हिस्सा वापस ले लिया, लेकिन मुख्य रूप से उसी पर कायम रहा। हम संतुष्ट हैं कि उसे सामान्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

भगवान (अहीर) (सत्र न्यायाधीश संख्या २५)

तथ्यों की सामान्य समीक्षा में हमें इस अभियुक्त का उल्लेख एक से अधिक बार करने का अवसर मिला है। वह स्वयंसेवकों को क्रम में मार्च करना और सीटी की आवाज का पालन करना सिखाने के लिए नियुक्त ड्रिल-प्रशिक्षक है। इसके अलावा, वह एक ऐसा (?) व्यक्ति है, जिसे १ फरवरी को मुंडेरा बाजार में सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह ने बेंत से पीटा था। शिकारी के अनुसार, वह ४ फरवरी को डुमरी में हुई बैठक में मौजूद था, स्वयंसेवकों के बाद के मार्च में नेताओं में से एक के रूप में भाग लिया और दंगे में शामिल हुआ। शिकारी द्वारा उसके खिलाफ यह विश्वसनीय रूप से आरोप लगाया गया है कि उसने मारे गए कई कांस्टेबलों की पिटाई में भाग लिया था; कि वह पुलिस स्टेशन को जलाने के लिए घास लाया था और वह उन लोगों में से एक था, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर की लाश को आग में फेंकने के लिए ले जाया था। गवाह हरिहर जिसने इस अभियुक्त को स्वयंसेवकों की भीड़ के बीच अग्रणी स्थिति में देखा था, जब वे उसके कारखाने से गुजरे थे, निश्चित रूप से उस पर विश्वास किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, चौड़ा बाजार के दुकानदार भगेलू का भी यही कहना है कि भगवान ने उसकी दुकान से तेल का एक डिब्बा जबरन उठा लिया। सरदार हरचरण सिंह के तीन नौकरों द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अनुसार, वह भी दंगे में कंकड़ फेंकने में (?) शामिल है। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उसके विरुद्ध अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से कुछ उसे हिंसा के विशिष्ट कृत्यों में शामिल करते हैं। हम विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाहों सरजू और शुभ्राती के बयानों का संदर्भ ले सकते हैं। जीवित बचे पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक का साक्ष्य भी इस अभियुक्त के विरुद्ध है। वह उसे पुलिस पर हमले के नेताओं में से एक बताता है। (?) मार्च, १९२९ को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा १६४ के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उसके स्वयं के बयान, प्रदर्श संख्या २२६ में कुछ रोचक विवरण हैं, जिनकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए, हालांकि, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि इसमें इस अभियुक्त द्वारा पुलिस पर हमले के समय उपस्थित होने की स्वीकृति (?) शामिल है और बाद के चरणों में भी, जब इमारतों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल लाया गया और जब कांस्टेबल जो भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पर हमला किया गया और उन्हें पड़ोसी खेतों में (?) मार दिया गया। ब्राह्मण कांस्टेबल की हत्या के बारे में इस बयान में बताई गई कहानी वस्तुतः इस बात की स्वीकारोक्ति है कि जिस व्यक्ति ने यह अपराध किया, वह अपराध में शामिल था। हमें कोई संदेह नहीं है कि इस आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। वह पुलिस पर हमले में नेताओं में से एक था और हमें उसके खिलाफ इतने ठोस सबूत प्राप्त हुए हैं कि हमें उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए था और उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए था, अगर यह भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२ के तहत आरोप पर होता, तो यह पूरी तरह से स्पष्ट था।

दुधई, पुत्र समझौता (भर) (सत्र न्यायाधीश की संख्या ४६)

यह एक महत्वपूर्ण वाद है, क्योंकि सरकारी गवाह ठाकुर (?) की गवाही के अनुसार अभियुक्त उन लोगों में से एक है, जिन्होंने वास्तव में सब-इंस्पेक्टर की हत्या में भाग लिया था। अभियोजन पक्ष के गवाह सुंदर का कहना है कि यह अभियुक्त भीड़ के उन सदस्यों में से एक था, जिन्होंने

दुर्भाग्यपूर्ण गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी को घेर लिया और गवाह इंद्रजीत को धमकाया, जब बाद में सब-इंस्पेक्टर के बच्चों में से एक को उनकी हिंसा से बचाने के लिए उठा लिया। इंद्रजीत ने उसकी पुष्टि की है, और हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस सबूत पर अविश्वास करने का कोई वैध कारण नहीं है। इस अभियुक्त के बारे में सबसे अच्छी बात यह कही जा सकती है कि अभियोजन पक्ष के गवाह औतार, जिसने उसे दंगाइयों के बीच देखा था और कहा कि वह कंकड़ फेंक रहा था, ने उसे सब-इंस्पेक्टर के वास्तविक हत्यारों के बीच नहीं देखा। राम रूप, बरहाई के कबूलनामे में उसे सब-इंस्पेक्टर के निजी क्वार्टर में सेंध लगाने में सक्रिय भूमिका निभाने के रूप में फंसाया गया है। उनके बचाव के बारे में विचार करने लायक कुछ भी नहीं है और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप साबित हो गया है। हमें उनके मामले को सबसे गंभीर मामलों में से एक मानना चाहिए।

जगदेव, पुत्र जैसरी (सत्र न्यायाधीश संख्या ७२)

इस अभियुक्त के खिलाफ दंगे में भागीदारी का प्रत्यक्ष सबूत सामने आया था, जैसा कि अपील के तहत निर्णय में बताया गया है। उसने खुद १४ फरवरी, १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसमें उसने सरदार हरचरण सिंह के खिलाफ उसी तरह की दुश्मनी दिखाई थी, जैसा कि हमने इस समूह के दूसरे अभियुक्त के मामले में देखा है। हालाँकि, उसके बयान में सिर्फ़ इतना ही शामिल है कि वह उस समय पुलिस स्टेशन के नज़दीक मौजूद था, जब दंगाई इमारतों में आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। यह कहना मुश्किल है कि मूल्यांकनकर्ता इस आरोपी के खिलाफ सबूतों से संतुष्ट क्यों नहीं थे, खासकर तब जब उसकी गिरफ्तारी के समय उसके शरीर पर चोटें थीं जो कम से कम संदिग्ध थीं। उसके अपने बयान के अनुसार हमें सधाई, भगेलू और हरनंदन द्वारा उसके खिलाफ दिए गए सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता। हम संतुष्ट हैं कि उसे मुख्य आरोप में सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

जगकेसर (सत्र न्यायाधीश संख्या ७३)

अभियुक्त के खिलाफ़ बहुत सारे सबूत हैं जो पुष्टिकर्ता ठाकुर द्वारा दिए गए सबूतों की पुष्टि करते हैं। राम रूप (प्रदर्श २२५) के पक्षद्रोही होने के बाद, वह डुमरी में एकत्रित लोगों तक पहुँचता है। कई गवाहों ने उसे दंगे में कंकड़ फेंकने वाला बताया है। हम खास तौर पर कल्लू के सबूतों पर भरोसा करते हैं, जो पहले से ही उसे जानता था और जिसने उसे दंगे में कंकड़ फेंकते और दंगा खत्म होने के बाद अपने घर की ओर भागते हुए देखा था। हम सिद्दीक द्वारा इस अभियुक्त की पहचान को भी स्वीकार करते हैं, जो जीवित पुलिस कांस्टेबल है और जिसकी पुष्टि कई अन्य पहचानों से होती है। अपने बचाव में, जगेशर ने जो मुख्य बात कहने की कोशिश की, वह यह थी कि उसके दाहिने कोहनी में एक पुरानी चोट है जो उसके लिए उस तरह कंकड़ फेंकना असंभव बनाती है जैसा कि गवाहों ने उसके खिलाफ आरोप लगाया है। स्वीकृत रूप से इस बचाव ने मूल्यांकनकर्ताओं को प्रभावित किया, जिन्होंने उसके खिलाफ बहुत सारे सबूतों के बावजूद इस अभियुक्त को बरी कर दिया। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि सिविल सर्जन, जिन्होंने आरोपी की जांच की थी, ने दाहिनी कोहनी के जोड़ पर एक पुरानी चोट का पता लगाया था, और वे इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे कि इस चोट में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उस व्यक्ति को उस अंग को लेने से रोक सके। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

जानकी, पुत्र समझावन (भर) (सत्र न्यायाधीश क्रमांक ७८)

इस आरोपी के खिलाफ पहचान के सबूत बहुत कम हैं और तर्क में इसके खिलाफ कुछ कहा जा सकता है। उस सबूत में सबसे महत्वपूर्ण बात गजधर का बयान है, जो निश्चित रूप से इस आरोपी से परिचित है और लगता है कि उसने उसे लगातार फंसाया है। हालांकि, उस व्यक्ति के खिलाफ सबसे बड़ी बात यह है कि वह पुलिस की गोली से घायल हुए लोगों में से एक था। ४ मार्च, १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए उसके अपने बयान में कहा गया है कि जब दंगा भड़क उठा और वह यह देखने के लिए ऊपर गया कि क्या हो रहा है और लगभग ३० गज की दूरी से (?) उसके बाएं कंधे में गोली लगी। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि अदालत को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि यह व्यक्ति दंगे में संलिप्त था।

काली चरण (सत्र न्यायाधीश संख्या ८३)

इस आरोपी को सरकारी गवाह ठाकुर (?) द्वारा दिए गए साक्ष्य में फंसाया गया है, जैसा कि विद्व ान सत्र न्यायाधीश ने बताया है, बहुत (?) सारे साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है। पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक और १२ चौकीदारों ने उस व्यक्ति की पहचान दंगाइयों में से एक के रूप में की। गवाह सुंदर का कहना है कि वह केरोसिन तेल ले जा रहा था और इस बात की पुष्टि बिशुनाथ

(कलवार) (पी.डब्लू. १८१) द्वारा की गई है, जिसने सबसे पहले पुलिस के सामने इस आरोपी का नाम बताया था। गवाह हैदर (पी.डब्लू. नं. (?)) का कहना है कि वह दंगे के दौरान थाने में घुसा था और जिसे भी मिल रहा था उसे पीट रहा था। रमेशर (पी.डब्लू. नं. ५३) का आरोप है कि उसने इस आरोपी को थाने के पश्चिम में पीछे की ओर आग लगाते देखा, जबकि सरजू (पी.डब्लू. नं. ५७) ने उसे जलती हुई घास लाते और थाने के पीछे उससे आग लगाते हुए बताया है। उसने ५ मार्च, १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि वह स्वयंसेवकों की भीड़ में शामिल हो गया था जब वे पुलिस थाने की ओर बढ़ रहे थे और स्वयंसेवकों द्वारा कंकड़ फेंकने और पुलिस के वापस लौटने तक (?) वह उनके बीच मौजूद था। उसने कहा कि वह तब डरकर भाग गया था और वह दूसरी तहसील के एक गांव में चला गया और कई दिनों तक वहीं रहा। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह आदमी भागा नहीं था जैसा कि वह दावा करता है, लेकिन उसे विश्वसनीय गवाहों ने पुलिस कांस्टेबलों पर हमले में व्यक्तिगत रूप से भाग लेते हुए देखा था जो हत्या कर रहे थे और पुलिस थाने में आग लगा रहे थे। इस व्यक्ति के खिलाफ मुख्य आरोप पूरी तरह से साबित हो चुका है और हम उसके खिलाफ मामले को बहुत गंभीर मानते हैं।

लाल मुहम्मद (सत्र न्यायाधीश संख्या ९३)

जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही कहा है, यह व्यक्ति स्वयंसेवकों के नेताओं में से एक है। ४ फरवरी की घटनाओं के बारे में हमने जो विवरण दिया है, उसमें (?) उसका नाम एक से अधिक बार आया है। शिकारी और ठाकुर द्वारा दिए गए साक्ष्य और रूप बरहाई के पक्षद्रोही इकबालिया बयान (?) में वह पूरी तरह से लिप्त है। सरदार हरचरण सिंह के अनुसार वह स्वयंसेवकों के नेताओं में से एक था, जब वे पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। ठाकुर उसे सब-इंस्पेक्टर के वास्तविक हत्यारों में से एक मानते हैं। गजधर (पी.डब्लू. संख्या ३३) ने कहा है कि आरोपी दंगे में 'हड़ताल-हड़ताल' चिल्ला रहा था। वह कह रहा था। 'गोलियाँ (?)' 'पानी में बदल गई हैं, किसी को भी मत छोड़ना, चौकीदार या कांस्टेबल।' ठग (पी.डब्लू. संख्या ५६) ने कहा है कि आरोपी 'चौकीदारों और पुलिसवालों को गेट से लकड़ियों से पीट रहा था।' उन्होंने खुद ७ फरवरी, १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने एक लंबा बयान दिया। उन्होंने यह सिद्ध करने की कोशिश (?) की कि उन्होंने डुमरी में स्वयंसेवकों को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वे उनके साथ पुलिस स्टेशन तक मार्च करते रहे और दंगा शुरू होने पर वे वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जब पुलिस ने गोली चलाना शुरू किया, तो पाँचवीं बार गोली चलने पर दो छर्रे उनके बाएं कनपटी में लगे, जिससे वे गिर पड़े और बेहोश हो गए। ८ फरवरी, १९२२ को उनकी जांच करने वाले सिविल सर्जन ने माथे के बाईं ओर बाईं आँख के ठीक नीचे एक गोलाकार गोली का घाव पाया। घाव के बाहरी छोर पर सीसे का चपटा टुकड़ा स्पष्ट रूप से था। यह स्पष्ट रूप से एक तीक्ष्ण गोली थी जिसने उस व्यक्ति को अक्षम कर दिया होगा और जिसने संभवतः उसे और प्रयास करने के लिए उकसाया होगा। हम इस अभियुक्त की सजा से पूरी तरह संतुष्ट हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर बिना किसी संकोच के हत्या के आरोप में दोषी ठहराया जाना चाहिए।

महादेव, पुत्र थग (सत्र न्यायाधीश संख्या १०७)

इस अभियुक्त ने स्वीकार किया कि लोग उसे स्वयंसेवक कहते हैं, हालाँकि उसने वास्तव में स्वयंसेवक होने से इनकार किया। शिकारी के अनुसार, १ फरवरी को मुंडेरा बाजार में सब-इंस्पेक्टर द्वारा पीटे जाने के मामले में उसका नाम भगवान और रामरूप के साथ लिया गया था। शिकारी ने उसे दंगे में शामिल करते हुए कहा कि उसने उसे हाथ में लाठी लेकर भागते हुए देखा था। अभियोजन पक्ष के गवाहों, सुंदर और बिरजा के साक्ष्य में इस कथन की पर्याप्त पुष्टि होती है, हालाँकि उन्होंने अभियुक्त को लाठी से खुद को लैस करने से पहले देखा था। अन्य महत्वहीन साक्ष्यों को छोड़कर, हम पाते हैं कि अभियुक्त ने ४ मार्च १९२२ को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। उसका कहना है कि उसे डुमरी में बैठक के लिए लाल मुहम्मद ने बुलाया था, लेकिन वास्तव में वह स्वयंसेवकों के साथ तब शामिल हुआ जब वे पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे। वह स्वीकार करता है कि उसने लाल मुहम्मद के करीब सबसे आगे की पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण किया और जब सब-इंस्पेक्टर और भीड़ के नेताओं के बीच बातचीत हुई तो वह पास ही था। वह कहता है कि वह आगे बढ़ गया और चौरा बाजार में पहुंचा ही था कि उसने गोलियों की आवाज सुनी। स्वयंसेवक पुलिस स्टेशन की ओर वापस मुड़ गए, लेकिन वह खुद भाग गया। महादेव के खिलाफ अन्य सबूतों के अनुसार हम इस अंतिम कथन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। उसके बयान का बाकी हिस्सा सत्य की तरह है। उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

रघुबीर, पुत्र गणेश (हज्जाम) (सत्र न्यायाधीश संख्या १४४)

यहाँ फिर से एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या अभिलेख पर ऐसे साक्ष्य हैं जो पुष्टिकर्ता शिखरी के कथन की पर्याप्त पुष्टि करते हैं, जिसने इस अभियुक्त को दंगे में कंकड़ फेंकने वाले व्यक्तियों

में से एक बताया है। गवाह हरिहर ने स्वयंसेवकों की भीड़ में उसे पहचान लिया जब वह उसके घर के पास से मार्च कर रही थी, और गोबर्धन (हलवाई) ने भी इसी तरह के साक्ष्य देते हुए भीड़ के भोपा बाजार से गुजरने का उल्लेख किया। दो गवाह सुंदर और कल्लू हैं जो दंगे में इस अभियुक्त की वास्तविक भागीदारी के बारे में पुष्टिकर्ता की पुष्टि करते हैं। उसने ७ फरवरी, १९२२ को मजिस्ट्रेट के समक्ष एक लंबा बयान दिया, जिसमें उसने दंगे के सबसे गंभीर हिस्सों में मौजूद होने की बात स्वीकार की, जिसमें पुलिस भवनों को जलाना और सब-इंस्पेक्टर के निजी क्वार्टरों की लूटपाट भी शामिल है। जिस तरह से वह एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या का वर्णन करता है, जिसने खुद को पड़ोसी खेतों में से एक में छिपाने की कोशिश की, उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उसने इस व्यक्ति की हत्या में वास्तव में भाग लिया था। हालाँकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस अभियुक्त को सही रूप से दोषी ठहराया गया।

रामदास (सत्र न्यायाधीश संख्या १७३)

इस आरोपी के खिलाफ सत्र परीक्षण में पुष्टिकर्ता ठाकुर द्वारा दिए गए बयान को नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक दंगे में उसकी संलिप्तता के बारे में अन्य सबूतों का एक समूह है। हमें लगता है कि अभियोजन पक्ष के गवाह हरनंदन द्वारा उसके खिलाफ दिए गए सबूत विश्वसनीय हैं और इस तथ्य से किसी भी तरह से कम नहीं हैं कि उन्होंने २८ फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बहुत ही संक्षिप्त बयान में इस आरोपी का नाम नहीं लिया। उसका नाम चौकीदारों जिउधन, पलिया और जिउधन, अमकोल और छेदी और काशी ने भी लिया है। उसके खिलाफ कई अन्य पहचान हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह सरजू ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जिसे उसने दंगाइयों के बीच 'जीत' चिल्लाते हुए, अपने साथियों से हड़ताल करने का आह्वान करते हुए और यह घोषणा करते हुए देखा कि वादा किया गया स्वराज आ गया है। रामदास के खिलाफ ब्लावानीडिहल का साक्ष्य और भी गंभीर है, लेकिन इस तथ्य से (?) इसे कमतर आंका जा सकता है कि गवाह इस आरोपी और भगवान दास नाम के एक अन्य व्यक्ति के बीच कुछ हद तक भ्रमित लग रहा था। एकमात्र जीवित पुलिस कांस्टेबल, सिद्दीक ने उसे कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नामित किया जो 'दूसरों को मारने के लिए पुलिसकर्मियों की ओर इशारा कर रहा था'। सत्र परीक्षण में इस आरोपी के संबंध में सिद्दीक (?) का बयान विफल रहा और हम उसके खिलाफ इस विशेष बयान पर जोर देने के लिए तैयार नहीं हैं। हालांकि हम देखते हैं कि आरोपी के शरीर पर चोटें थी जब सिविल सर्जन द्वारा उसकी जांच की गई, जिसके बारे में आरोपी का आरोप है कि उसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने यह आरोप लगाया है। उसने यह बात मजिस्ट्रेट से नहीं कही और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि (?) के इस दावे को सुरक्षित रूप से नज़रअंदाज़ किया जा सकता है। हमने इस आरोपी के खिलाफ़ सबूतों की विशेष सावधानी से जांच की है, क्योंकि किसी कारण से मूल्यांकनकर्ता उसके खिलाफ़ (?) मामले से असंतुष्ट थे और उन्होंने उसे बरी करने का फ़ैसला दर्ज किया होगा। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि, हालांकि रामदास को फंसाने वाले बहुत बड़े सबूतों में कुछ विवरणों को खारिज़ करने की आवश्यकता है, लेकिन जो कुछ बचा है वह मुख्य आरोप पर उसकी दोषसिद्धि को उचित ठहराने और उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

रसूल, पुत्र नासू (सत्र न्यायाधीश संख्या १७४)

यहाँ भी मूल्यांकनकर्ताओं ने दोषमुक्ति का फैसला दर्ज किया, लेकिन हमारे पास इस व्यक्ति के खिलाफ ४ मार्च, १९२२ को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया एक बहुत ही समझौतापूर्ण बयान है। उसने स्वयंसेवक होने की बात स्वीकार की और कहा कि उसे लाल मुहम्मद से संदेश मिला था जिसमें उसे डुमरी बुलाया गया था। वह अंततः भूपा बाजार के पश्चिम में थोड़ी दूर पर भीड़ में शामिल हो गया। उसने कहा कि जब भीड़ पुलिस स्टेशन के पास से गुजरी तो वह भीड़ के साथ था, लेकिन जैसे ही बंदूकें चलने लगी, वह भाग गया। उसने अपने लिए मामले को नहीं सुधारा, हमारे (?) में जब बाद में उसने कमिटिंग मजिस्ट्रेट को बताया कि उसने कभी भी किसी मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि उसने केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा उसे दिए गए कागज पर अपना अंगूठा लगाया था, इस विश्वास के साथ कि यह कागज पहचान कार्यवाही का कुछ रिकॉर्ड था। हमें अभियोजन पक्ष के गवाह सधाई, मृतक सब-इंस्पेक्टर के बेटे के बयान को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं मिला, कि उसने इस आरोपी को दंगे में कंकड़ फेंकते देखा था। उसका नाम गजधर ने भी लिया था, जिसे हम विद्वान सत्र न्यायाधीश (?) के साथ सहमत हैं, जिसे कुछ हद तक अनिच्छुक गवाह माना जाता है, लेकिन फिर भी उस खाते पर भरोसा किया जाना चाहिए जो उसने विशेष अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ कहा है। हम संतुष्ट हैं कि इस अभियुक्त के खिलाफ मुख्य आरोप साबित हुआ है, हालांकि हमें उसे युवा होने के कारण किसी भी उचित संदेह का लाभ देने में खुशी होगी।

सम्पत, पुत्र जिउत (सत्र न्यायाधीश संख्या १८२)

इस आरोपी को दोनों गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्यों में फंसाया गया है, ठाकुर ने उसे उन लोगों में से एक बताया है जिन्होंने पुलिस कांस्टेबलों को पीटने में मदद की थी। हमारे विचार से अभियोजन पक्ष के गवाह सुंदर के साक्ष्य को एक तरफ रख देना चाहिए, जैसा कि उसने कमिटिंग मजिस्ट्रेट को बताया था कि उन्हें तब याद नहीं था कि उन्होंने इस आरोपी को दंगे में देखा था। उसके खिलाफ बहुत गंभीर सबूत गवाह कल्लू ने दिए हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने उसे कंकड़ फेंकते हुए देखा और उसे 'मारो, मारो' कहते हुए सुना, और बालक ने कहा कि उसने उसे पुलिस भवनों में से एक के बरामदे में आग जलाने में मदद करते हुए देखा, जट्टू ने भी कहा कि उसने दंगे के दौरान इस आरोपी को झंडा लेकर पुलिस कांस्टेबलों या चौकीदारों पर हमला करते हुए देखा। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि वह रामरूप, प्रदर्श २२५ के पक्षद्रोही कथन में सम्मिलित है। आरोपी निश्चित रूप से एक नामांकित स्वयंसेवक है और उसका कहना है कि उसे केवल इसी तथ्य के कारण मामले में फंसाया गया है। हमें कोई संदेह नहीं है कि उसके खिलाफ मुख्य आरोप पूरी तरह से साबित हो चुका है और हम उसके मामले को सबसे गंभीर मामलों में से एक मानते हैं।

सुब्बा (सत्र न्यायाधीश संख्या २०३)।

यह एक और अभियुक्त है जिसे दोनों अनुमोदकों द्वारा दी गई गवाही में फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों थग और सरजू द्वारा दिए गए साक्ष्य में पर्याप्त पुष्टि है। रामरूप (प्रकटीकरण २२५) के वापस लिए गए बयान में उसका उल्लेख डुमरी में एकत्रित स्वयंसेवकों में से एक के रूप में किया गया है। अभियुक्त का कहना है कि वह कभी स्वयंसेवक नहीं था और वह केवल एक पेशेवर भिक्षुक है, लेकिन एक बार स्वयंसेवकों की एक सभा में यह देखने के लिए गया था कि क्या वह उनके दान से कुछ प्राप्त कर सकता है। उसने यह साबित करने के लिए चिकित्सा साक्ष्य पेश किए हैं कि वह आदतन अफीम खाता है और इस परिस्थिति, या शायद अभियुक्त के कमजोर शरीर ने मूल्यांकनकर्ताओं को उसके मामले में दोषी न होने का फैसला सुनाने के लिए प्रेरित किया। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप साबित होता है।

थग (सत्र न्यायाधीश संख्या २१७)

इस व्यक्ति के खिलाफ बहुत सारे विविध साक्ष्य हैं। हमें सुंदर (पृष्ठ ८) के कथन पर कोई संदेह नहीं (?) है, कि उसने उसे उन लोगों में पहचाना जिन्होंने पुलिस स्टेशन का गेट तोड़ा था। गवाह इंदर और बिश्नाथ ने उसका नाम उन लोगों में बताया है जिन्होंने सब-इंस्पेक्टर की पत्नी को तब परेशान किया जब उस दुखी महिला को उसके घर से निकाल दिया गया था। यह रामरूप के इकबालिया बयान (प्रदर्श २२५) से मेल खाता है जिसमें थग को उन लोगों में शामिल किया गया है जिन्होंने सब-इंस्पेक्टर के क्वार्टर की खिड़की तोड़ने में मदद की थी। अभियुक्त के पास अपने बचाव में कहने के लिए चर्चा करने लायक कुछ भी नहीं था और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उसके खिलाफ मुख्य आरोप साबित हुआ।

भगवान दान कांदू (सत्र न्यायाधीश क्रमांक २६)

सरकारी गवाह ठाकुर ने इस अभियुक्त को उस समय दंगाइयों में शामिल बताया जब पुलिस कांस्टेबलों की पिटाई हो रही थी। उसने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने उसका नाम बताया, लेकिन यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को पहले दिए गए बयान में उसका नाम नहीं बताया था। हालाँकि, हमें लगता है कि मुकदमे में सरकारी गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि बहुत ज़्यादा है। सरदार हरचरण सिंह ने भीड़ में इस अभियुक्त को देखा जब वह उनसे मिलने गया। गवाह सुंदर और थग के साक्ष्य में उसका नाम शामिल है। थग को शायद ही कोई ग़लतफ़हमी हो जब वह दावा करता है कि उसे खुद इस विशेष अभियुक्त ने मारा था, जो गेट की एक छड़ को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा था।

हम इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं देख सकते कि गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा था। अंत में, सिविल सर्जन ने आरोपी व्यक्ति पर चोटों की खोज को साबित कर दिया जो संभवतः हल्की गोली लगने के घाव थे। भगवान दास, कमिटिंग मजिस्ट्रेट ने कहा कि वह शाम ४ बजे से कुछ पहले किसी अन्य स्थान से चौरा लौटा था, जब उसने पुलिस स्टेशन को जलते हुए देखा और कई दर्शक उसे देख रहे थे, लेकिन उस समय कुछ और नहीं हो रहा था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही टिप्पणी की कि यह अंतिम (?) स्पष्ट रूप से झूठ है। हम संतुष्ट हैं कि भगवान दास को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और थग स्थान मामले के साक्ष्य अधिक गंभीर हैं।

बिशुनाथ, कलवार (सत्र न्यायाधीश संख्या ३२)।

इस व्यक्ति को दोनों पुष्टिकर्ताओं द्वारा दिए गए साक्ष्य में फंसाया गया है। चौरा का एक

दुकानदार (?) और अभियुक्त का एक जाति-साथी, निश्चित रूप से उन लोगों में से है जो पुलिस स्टेशन की इमारतों को जलाने के लिए उसके और आस-पास की दुकानों से तेल के कनस्तरों को ले जाने में लगे हुए थे। अभियुक्त ने अपना बचाव यह किया कि जिस मामले के संबंध में उसके खिलाफ साक्ष्य दिए जा रहे हैं, उसमें (?) असली अपराधी अभियोजन पक्ष का गवाह (पी. डब्लू. १८) था, जिसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह पुलिस को रिश्वत देकर भाग गया था। यह सत्र परीक्षण में पहली बार पेश किया गया एक विलम्बित बचाव था और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बताया कि वास्तविक दंगे में इस अभियुक्त को शामिल करने वाले पहचान के बहुत सारे सबूत थे, जिनमें (?) पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक का सबूत भी शामिल था। वाद के बारे में मूल्यांकनकर्ताओं के विचार अलग-अलग थे, लेकिन हम विद्वान सत्र न्यायाधीश और अल्पसंख्यक मूल्यांकनकर्ताओं से सहमत होने में संकोच महसूस करते हैं। हम इस मामले को अधिक गंभीर मामलों में रखते हैं।

प्रधान (सत्र न्यायाधीश संख्या १३५)

इस अभियुक्त को पुष्टिकर्ता ठाकुर के साक्ष्य में गंभीर रूप से फंसाया गया है, जो उसे सब-इंस्पेक्टर के हत्यारों में से एक बनाता है। अभियोजन पक्ष के गवाहों भवानी प्रसाद, गजधर और अमकोल के जीउधन ने उसका नाम लिया है। उसके खिलाफ अन्य विश्वसनीय पहचान साक्ष्य हैं और हम संतुष्ट हैं कि पुष्टिकर्ता का विशिष्ट कथन कि इस अभियुक्त ने पुलिस स्टेशन के गेट या बाड़ से तोड़ी गई लकड़ी को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा था, जिसकी पुष्टि संतोषजनक रूप से होती है। उसके बचाव में कुछ भी ठोस नहीं था। उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और हमारे विचार से उसका मामला भी सबसे गंभीर मामलों में से एक है।

अब उन आरोपियों के मामलों पर आगे बढ़ना तर्कसंगत लगता है जो मंडेरा या मुंडेरा बाजार में रहते हैं। इस समूह में से विद्वान सत्र न्यायाधीश ने गंगा, पुत्र शिवदीहाल (सं. ५५) को बरी कर दिया है, जिसके खिलाफ बहुत कम (?) सबूत थे और सहदेव, पुत्र भग्गन (सं. १७८) को भी, जो दूसरे गांव का रहने वाला है, मुंडेरा के बाजार में उसकी एक दुकान है। हम पांच आरोपियों के मामलों से चिंतित हैं, जिनमें से तीन जाति से कलवार हैं, एक बरहाई और एक मल्लाह है। हम संतुष्ट हैं कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ मुख्य आरोप पूरी तरह से साबित हो चुका है।

सरजू कलवार (सत्र न्यायाधीश संख्या १८४)।

आरोपी लाल मुहम्मद द्वारा अपनी गिरफ्तारी के बाद दिए गए बयान के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किया गया था। वह दोनों सरकारी गवाह शिकारी और ठाकुर द्वारा दिए गए सबूतों में फंसा हुआ है। इसलिए सवाल यह है कि क्या इस गवाह (?) की गवाही की पुष्टि पर्याप्त है। सिविल सर्जन (?) ने ८ फरवरी को जब इस व्यक्ति की जांच की तो उसके घुटने के पीछे चोट थी, जो उसे दंगे के दौरान लगी होगी। पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में उसकी पहचान की, हालांकि कुछ स्पष्ट कठिनाई के बिना नहीं। अभियोजन पक्ष के गवाह पार्षद ने दंगे में सक्रिय भाग लेने के रूप में उसकी पहचान की और हम इस सबूत से संतुष्ट हैं कि वह एक स्वयंसेवक है। पांच में से चार मूल्यांकनकर्ताओं ने इस आरोपी के खिलाफ साबित मामले पर विचार किया। हम उनसे और विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि दो सरकारी गवाहों की गवाही अदालत द्वारा इसे स्वीकार्य बनाने के लिए पर्याप्त रूप से पुष्ट है। उसके वाद के साथ लिया जा सकता है।

गणेश कलवार (सत्र न्यायाधीश संख्या ५३)

यहाँ फिर से प्रश्न शिकारी के साक्ष्य की पुष्टि के बारे में है। इस पुष्टिकर्ता का कथन है कि अभियुक्त गणेश न केवल डुमरी में बैठक में शामिल हुआ और स्वयंसेवकों के साथ पुलिस स्टेशन गया, बल्कि वह उन लोगों में से था जिसने पुलिस भवनों में आग लगाई और जिसने सब-इंस्पेक्टर की लाश को उस स्थान से पुलिस स्टेशन तक पहुँचाया जहाँ उसकी हत्या की गई थी। दूसरे पुष्टिकर्ता ठाकुर ने उसे डुमरी सभा में देखे गए स्वयंसेवकों में से एक के रूप में पहचाना। उसके खिलाफ इस साक्ष्य की पुष्टि मुथरा (पी. डब्लू. ७८) की गवाही है, जिसने लगातार उसे दंगाइयों में से एक के रूप में पहचाना है जिसे उसने पुलिस पर कंकड़ फेंकते देखा था। हमारी राय में यह पुष्टि पर्याप्त है। इसे मूल्यांकनकर्ताओं के साथ-साथ सत्र न्यायाधीश द्वारा भी स्वीकार किया गया।

बारां (सत्र न्यायाधीश संख्या १९)

जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बताया है, शिकारी द्वारा इस व्यक्ति के खिलाफ दिए गए साक्ष्य की पुष्टि ८ या ९ गवाहों की प्रत्यक्ष गवाही से होती है, जो उसे नाम से जानते हैं और कई चौकीदारों ने उसे पहचाना (?) उन्होंने दंगाइयों के बीच देखा था। किलावन (पी. डब्लू. ९८) का एक बयान भी है कि दंगे के दिन मुंडेरा बाजार में आरोपी की दुकान खुली नहीं थी। हमें इस बात में

कोई संदेह नहीं है कि इस आरोपी को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और हम सबूतों के आधार पर मानते हैं कि वह उन लोगों में से एक था, जो पुलिस स्टेशन में तेल लेकर आए थे और एक इमारत में आग लगाने में मदद की थी।

नैपाल (सत्र न्यायाधीश संख्या ११९)

इस व्यक्ति के खिलाफ दो पुष्टिकर्ताओं द्वारा दिए गए साक्ष्य की पुष्टि लड़के नकेद द्वारा की गई है, जो कहता है कि जब स्वयंसेवकों को सभा में बुलाने के लिए पत्र लिखे गए थे, तब नैपाल मौजूद था। छेदी चौकीदार ने उसे दंगे में कंकड़ फेंकते हुए देखे गए लोगों में से एक के रूप में नामित किया है, और चार अन्य लोगों ने भी उसे ऐसा करते हुए पहचाना है। वह निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक है, और हम नहीं देख सकते कि उसके पास अपने बचाव में पेश करने के लिए कुछ भी ठोस था। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि मूल्यांकनकर्ताओं ने इस व्यक्ति के खिलाफ सबूतों से खुद को असंतुष्ट क्यों बताया। हमारी राय में विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उसे दोषी ठहराते हुए स्पष्ट रूप से सही किया।

रामरूप, पुत्र राम टहल, बरहाई (सत्र न्यायाधीश संख्या १६७)

अपील के तहत निर्णय में इस व्यक्ति के विरुद्ध बहुत सारे सबूत दिए गए हैं, जिन्हें विस्तार से दोहराना हमारे लिए अनावश्यक है। वह निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक था और शिकारी के अनुसार वह उनमें से एक नेता था जो ४ फरवरी की सुबह बैठक में माला पहनाने वाले लोगों में से था। डुमरी सभा में उनकी उपस्थिति और उन्होंने जो प्रमुख भाग लिया, उसकी (?) गवाही गवाह शंकरदयाल ने दी, हालांकि बाद वाले ने, जो निस्संदेह सत्र परीक्षण द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ अपने साक्ष्य के प्रभाव को कम करने का प्रयास कर रहा था, यह संकेत दिया कि रामरुप उन लोगों में से एक था जिन्होंने स्वयंसेवकों को उनके उद्यम पर आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास (?) किया। इसके विपरीत प्रचुर सबूत हैं। ऐसे कई गवाह हैं जिन्होंने दंगे में उस आदमी को देखा था, (?) (पी. डब्लू. ६) ने उसका नाम उन लोगों में से एक के रूप में लिया, जिन्होंने तेल के लिए उसकी दुकानों पर छापा मारा था जब पुलिस स्टेशन में आग लगाने की व्यवस्था की जा रही थी और, जो अभी भी महत्वपूर्ण है, औतार (पी. डब्लू. ४) इस आरोपी को सब इंस्पेक्टर के वास्तविक हत्यारों के अन्तर्गत रखता है। फिर हमारे पास रामरूप का अपना बयान (प्रदर्श २२५) है, जिसका उल्लेख अन्य अभियुक्तों के मामले के संबंध में एक से अधिक बार किया जा चुका है, जिसे उसने ६ मार्च, १९२२ को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया था। यह एक विस्तृत और विश्वसनीय बयान है, जिसे अभियुक्त ने गढ़ा नहीं हो सकता था और हमें पूरा (?) विश्वास है कि उसे किसी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा बताने के लिए निर्देश नहीं दिया गया होगा। वह ४ फरवरी की सुबह डुमरी में स्वयंसेवकों की बैठक तक की घटनाओं और उस बैठक की कार्यवाही के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण विवरण देता है। इसमें पुलिस स्टेशन पर भीड़ के आने, सरदार हरचरण सिंह के साथ उनके नेताओं की बातचीत और उसके बाद उनके और सब-इंस्पेक्टर के बीच हुई चर्चा का वर्णन है। पुलिस पर हमले में सरदार हरचरण सिंह को उसी हद तक फंसाने की कोशिश में, जैसा कि एक या दो अन्य अभियुक्तों ने किया है, रामरूप सरदार का प्रतिनिधित्व करते हुए भीड़ से कहता है कि एक बार पुलिस ने उन पर गोली चला दी तो वे जो चाहें कर सकते हैं। वह खास तौर पर हवा में दागी गई पहली गोली के अप्रभावी परिणाम पर भीड़ के उल्लास और उनके इस विश्वास के बारे में बात करते हैं कि महात्मा (गांधी) की चमत्कारी शक्ति से गोलियां पानी में बदल गई थीं। वह पुलिस स्टेशन पर हमले और (?) बाजार में केरोसिन तेल के लिए दुकानों पर छापा मारने में खुद के द्वारा ली गई गोली का वर्णन करता है। वह खुद को हत्या का दोषी नहीं मानता है, लेकिन यह स्वीकार करता है कि उसने एक चौकीदार पर हमला किया था जो भागने की कोशिश कर रहा था। इस आरोपी के खिलाफ सबूतों के आधार पर एक जबरदस्त वाद है (?) हमें उसे हत्या के एक साधारण आरोप में दोषी ठहराने के लिए तैयार रहना चाहिए था।

अब हम चौरा के पड़ोस में स्थित बाले गांव के आरोपियों के एक समूह के मामलों पर विचार करते हैं। सत्र न्यायाधीश ने इस गांव के दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया है- जगन्नाथ (संख्या ६८), क्योंकि सरकारी गवाह ठाकुर द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि करने के लिए पेश किए गए पहचान संबंधी सबूत कमजोर थे, और नारायण पुत्र गजधर (संख्या १२१), क्योंकि उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि उनके खिलाफ मुख्य गवाही गांव के झगड़े का नतीजा नहीं हो सकती है। हमारे विचार के लिए बचे हुए मामलों में से केवल एक ऐसा है जिसमें सबूत विचारणीय न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से असंतुष्ट हैं। यह मामला है (?)

जोगी (सत्र न्यायाधीश संख्या ८२)

इस व्यक्ति के खिलाफ पुष्टिकर्ता ठाकुर के साक्ष्य की पुष्टि करने के लिए वास्तव में कुछ भी नहीं है, सिवाय चौकीदार मनोहर द्वारा उसकी पहचान के, जिसका प्रभाव इस तथ्य से कम हो जाता है कि सत्र परीक्षण के समय तक गवाह आरोपी की उपस्थिति को भूल गया था। हम यह भी सोचते हैं

कि मजिस्ट्रेट की अदालत में उसकी पहचान कुछ हद तक संदिग्ध थी, क्योंकि यह मुश्किल से और दूसरे प्रयास में की गई थी। हम मनोहर के साक्ष्य को इस आरोपी के खिलाफ साथी की गवाही की विश्वसनीय पुष्टि के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हम जोगी के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को खारिज करते हैं और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

जहां तक समूह से संबंधित शेष अपीलकर्ताओं का प्रश्न है, उनकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जानी चाहिए।

लाहुरी (सत्र न्यायाधीश संख्या १२)

उसे ठाकुर ने फंसाया है, जिसके साक्ष्य की पुष्टि आरोपी के अपने गांव के चौकीदार जिउराखान ने की है। हमने जिउराखान द्वारा आरोपी के व्यक्तियों की पहचान पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है जिन्हें उसने केवल चेहरे से पहचाना है, लेकिन वह लाहुरी को जानता होगा और ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए उसके पास कोई पर्याप्त मकसद नहीं है। गवाह पार्षद द्वारा भी पहचान की गई है और बिरदा द्वारा दिए गए पुष्टिकारी साक्ष्य (पी डब्लू १८५) हैं। इस आशय के चिकित्सा साक्ष्य हैं कि इस आरोपी को जांघ में गोली लगी थी। उसने खुद ११ मार्च को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि वह चौरा पुलिस स्टेशन में सब-इंस्पेक्टर को श्रद्धांजलि देने जा रहा था जब उसे अचानक गोली लग गई। उसके अपने बयान के अनुसार घाव गंभीर नहीं था, क्योंकि वह कहता है कि वह उठकर घर चला गया। उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

लौटू (सत्र न्यायाधीश संख्या १६)

यहाँ पुनः प्रश्न यह है कि क्या ठाकुर के साक्ष्य पर्याप्त रूप से पुष्ट होते हैं। वाद गंभीर है, क्योंकि ठाकुर के बयान के अनुसार यह अभियुक्त सब-इंस्पेक्टर के वास्तविक हत्यारों में से एक है। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर औतार (पी डब्लू ४) के प्रत्यक्ष साक्ष्य से पुष्टिकर्ता की पुष्टि होती है। बाले के चौकीदार जिउराखान ने कंकड़ फेंक रहे दंगाइयों में लौटू को पहचान लिया। अपील के तहत निर्णय में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किए गए पुष्टिकर्ता साक्ष्य अभियोजन पक्ष के गवाह बिरदा, दलसिंगार और रग्घू द्वारा दिए गए हैं। अभियुक्त ने स्वयं ४ मार्च को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया। उसने स्वयंसेवक होने, डुमरी में सभा में बुलाए जाने, सभा में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों के लिए भोजन जुटाने में सहायता करने और पुष्टिकर्ता ठाकुर तथा अपने गाँव के अन्य स्वयंसेवकों के साथ वहाँ जाने की बात स्वीकार की। उसने आगे कहा कि पुलिस थाने जाते समय उसका दिल धड़कना बंद हो गया, इसलिए वह भीड़ से अलग होकर मुंडेरा चला गया। जब कमिटिंग मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ की, तो उसने उपरोक्त बयान का एक हिस्सा देने की बात स्वीकार की, लेकिन उसने दावा किया कि वह डुमरी में सभा तक कभी नहीं गया था। उसने इस बारे में कोई सुझाव नहीं दिया कि मजिस्ट्रेट को उसके नाम से ऐसे बयान क्यों और कैसे लिखने चाहिए जो उसने कभी नहीं दिए। सत्र न्यायालय के समक्ष उसके पास जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था, उसने सरकारी गवाह ठाकुर के खिलाफ दुश्मनी का एक झूठा और स्पष्ट रूप से बेकार आरोप लगाया। इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत पूरी तरह से उसकी सजा को सही ठहराते हैं और, अगर वाद केवल धारा ३०२ के तहत होता, तो हमें बाकी सबूतों के संबंध में ठाकुर और औतार की गवाही को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए था, क्योंकि हत्या के एक स्पष्ट आरोप पर उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए था।

रघुबीर, पुत्र जद्दू (सत्र न्यायाधीश संख्या १४०)

यह भी एक बहुत गंभीर वाद है। लौटू के खिलाफ़ (?) हम जिस तरह के सबूतों पर विचार कर रहे हैं, वे लगभग वैसे ही हैं। अगर कुछ भी हो, तो इसके खिलाफ़ मामला और भी मजबूत है। सरकारी गवाह ठाकुर और गवाह औतार के अनुसार वह सब-इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के वास्तविक हत्यारों में से एक है। उसका नाम जिउराखान, गांव के चौकीदार, और भवानी प्रसाद दंगाइयों द्वारा (?)पहचाना गया है। उसके खिलाफ़ पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक द्वारा की गई पहचान सहित कई पहचान हैं। पुष्टि करने वाले सबूत (?) रघु, बिरदा और दलसिंगार ने भी प्रभावशाली बयान दिया है। ४ मार्च को इस अभियुक्त को एक मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, जिसके सामने उसने स्वैच्छिक बयान दिया। उसने बयान दिया कि उसे एक संदेश मिला जिसमें उसे अपने गाँव के स्वयंसेवकों को डुमरी में सभा के लिए इकट्ठा करने का आदेश दिया गया था, जिसके अनुसार उसने कार्रवाई की और पुष्टिकर्ता लौटू और अन्य स्वयंसेवकों के साथ बैठक में गया। वह संक्षेप में बाद की कार्यवाही का वर्णन करता है, जिसमें जैसा कि हमने अन्यत्र उल्लेख किया है, एक मुसलमान का अंतिम व्याख्यान जिसे उसने अज्ञात मियां के रूप में वर्णित किया है, शामिल है। वह चौरा पुलिस स्टेशन पहुंचने और दंगा शुरू होने, भीड़ पर ईंट-पत्थर फेंकने और पुलिस द्वारा गोलीबारी करने की बात करता है। वह कहता है कि यह वह बिंदु था जब वह डर गया और भाग गया।

कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने उसने स्वीकार किया कि वह स्वयंसेवकों का चौरा तक पीछा किया था। उसने कहा कि जब वह वहां पहुंचा तो उसने कुछ नहीं किया। उनसे जीउरखान के विरुद्ध दुश्मनी का आरोप लगाया है लेकिन कुछ सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा ३ मार्च को दर्ज किए गए बयान (प्रदर्श २५१) का केवल एक हिस्सा पेश किया है, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सकते कि उस बयान को क्यों दर्ज किया जाना चाहिए था। उन्हें सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और उनके मामले को लौटू के मामले की तरह ही माना जाना चाहिए, क्योंकि यह धारा ३०२, असंबद्ध धारा १४९ के तहत हत्या के तुल्य है।

सीता राम (सत्र न्यायाधीश संख्या २०२)

यह अभियुक्त सरकारी गवाह ठाकुर का अपना भाई है, जिसने उसका नाम केवल यह बताकर किया था कि वह डुमरी सभा में था। उसके दंगे में भाग लेने का सबूत रोजन और बालक के बयानों में है। बाद वाले का कहना है कि यह अभियुक्त थाने के बरामदे में था, और अधिक भीषण रूप से आग लगा रहा था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें उसके संबंध में निर्धारित करना है वह यह है कि क्या हम गवाह औतार के बयान को स्वीकार करते हैं, कि वह सब-इंस्पेक्टर के वास्तविक हत्यारों में से एक था। हम संतुष्ट हैं कि औतार ने इस हत्या को देखा था और उसने अपनी याददाश्त और विश्वास के अनुसार सच्ची गवाही दी है। मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयान में सीता राम ने औतार के साथ झगड़े का आरोप लगाया, क्योंकि औतार का एक जानवर अभियुक्त के गन्ने खेत पर चला गया था। उसने एक गाड़ी खरीदने के लिए एक निश्चित बाजार में जाने का बहाना बनाया, उसकी अनुपस्थिति दंगे से एक दिन पहले शुक्रवार से अगले सोमवार तक रही। उन्होंने सत्र न्यायालय में कोई ठोस बात नहीं कही और कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया। दलसिंगार (पी. डब्लू. (?)) उनके अपने जाति-साथी और पड़ोसी हैं, जो स्पष्ट रूप से आरोपी के खिलाफ बहुत कम जितना संभव हो सके, उतना सबूत पेश करते हुए, उन्होंने कहा कि उन्होंने दंगे के बाद ४ अप्रैल को आरोपी की गिरफ्तारी तक उसे बाले गांव में नहीं देखा था। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं, न केवल इस बात से कि आरोपी के खिलाफ सामान्य आरोप साबित होता है, बल्कि दंगे में उसकी भूमिका के बारे में औतार के साक्ष्य को भी स्वीकार किया जाना चाहिए।

ठाकुर (सत्र न्यायाधीश संख्या २१६)

यह व्यक्ति जाति से भर है और उसी गांव का है जहां पुष्टिकर्ता ठाकुर अहीर है। ठाकुर अहीर का कहना है कि उसने इस अभियुक्त को दंगाइयों के बीच देखा था जो पुलिस पर हमला कर रहे थे, लेकिन वह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि वह क्या कर रहा था। कमिटिंग मजिस्ट्रेट से उसने कहा कि यह अभियुक्त दंगाइयों की भीड़ में था, लेकिन उसने उसे कुछ खास करते नहीं देखा। छेदी ने अभियुक्त की पहचान एक दंगाई के रूप में की जो कंकड़ फेंक रहा था, लेकिन उसने कुछ कठिनाई से पहचान की और कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने वह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका। हसनू द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत और सत्र न्यायालय दोनों में दिए गए साक्ष्य में उसे फंसाया गया है, हालांकि गवाह ने इस बारे में सुसंगत नहीं बताया कि उसने अभियुक्त को क्या करते देखा। वह उन लोगों में से एक है जिन्हें बालक हरहंगी ने मजिस्ट्रेट के सामने सब-इंस्पेक्टर के क्वार्टर में घुसने और लूटपाट करने के रूप में पहचाना था, लेकिन जिसे गवाह सत्र न्यायालय में पहचानने में असमर्थ था। गिरफ्तारी के बाद १६ फरवरी को सिविल सर्जन ने पाया कि उसके शरीर पर ऐसी चोटें लगी हैं जो दंगे के दौरान उसे लगी होंगी। पिछले दिन उसने खुद मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान, प्रदर्श संख्या २६१, दिया था जिसमें उसने पुलिस थाना से गुजरने और रेलवे क्रॉसिंग पर या उसके आसपास रुकने तक भीड़ में अपनी मौजूदगी स्वीकार की थी। उसने बाद की घटनाओं का वर्णन किया, जिसमें पुलिस स्टेशन को जलाना भी शामिल था। उसने कहा कि वह खुद इस घटना के आसपास कहीं भाग गया था। कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने इस बयान को खारिज करते समय उसने जिस तरह से इसे दर्ज किया गया, उसके बारे में बेतुके दावे किए। हमें कोई संदेह नहीं है कि उसे मुख्य आरोप में सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

तीरथराज (सत्र न्यायाधीश संख्या २२०)

यह बाले गांव का ही एक और अहीर है, और इसलिए यह जाति-साथी होने के साथ-साथ पुष्टिकर्ता ठाकुर का पड़ोसी भी है। इस व्यक्ति के साक्ष्य के अनुसार तीरथराज न केवल सब-इंस्पेक्टर के हत्यारों में से एक था, बल्कि वह वह व्यक्ति था जिसने पुलिस थाना की इमारत को क्षतिग्रस्त कर दिया और तीन बंदूकों के टुकड़े कुएं में फेंक दिए। ठाकुर की सूचना पर पुलिस ने बाद में इन्हें कुएं से बरामद किया। दंगे के दौरान उसकी मौजूदगी और उसमें सक्रिय भूमिका निभाने, कम से कम कंकड़ फेंकने तक के बारे में पर्याप्त सबूत हैं। हम इस बिंदु पर गवाहों रोज़न, हरनंदन, गजधर और सधाई का उल्लेख कर सकते हैं, और ऐसे अन्य लोग

भी थे जिन्होंने उसे चेहरे से पहचाना। १६ फरवरी को, उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया जिसमें उसने स्वयंसेवक होने और अन्य स्वयंसेवकों के साथ डुमरी में सभा में जाने और फिर पुलिस स्टेशन जाने की बात स्वीकार की। उसने सरदार हरचरण सिंह के खिलाफ़ भी इसी तरह का आरोप लगाया जिसे उसने पहले ही कुछ अन्य अभियुक्तों के बयानों में दर्ज किया है। उसने कहा कि वह खुद ही भाग गया जैसे ही बंदूकें चलनी शुरू हुईं। हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और, हालांकि हम देखते हैं कि ठाकुर के साक्ष्य के उस हिस्से की कोई प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं है जो उसे सब-इंस्पेक्टर के वास्तविक हत्यारों में से एक बनाता है, हमें उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में से एक के रूप में रखना चाहिए।

बैजनाथ कहार (सत्र न्यायाधीश संख्या १४)

यह अभियुक्त वास्तव में उसी समूह का है। अन्य अभियुक्तों के संबंध में पहले ही उल्लेखित गवाह दलसिंगार का कहना है कि यह व्यक्ति डुमरी सभा में स्वयंसेवकों के लिए कच्ची चीनी इकट्ठा करने के लिए उसके पास आया था। उसके खिलाफ पहचान के लिए काफी सबूत हैं, जिनमें से सबसे विश्वसनीय गवाह औतार, छेदी और मनोहर हैं। ४ मार्च को उसने मजिस्ट्रेट को बताया कि उसे अन्य स्वयंसेवकों के साथ डुमरी जाने के लिए आमंत्रित किया गया था और वह उस स्थान पर उनके साथ शामिल हो गया, हालांकि वह थोड़ी देर से चला था। हालांकि, उसने यह भी कहा कि जब वह डुमरी आया तो उसे आगे जाने से मना कर दिया गया और वह घर लौट आया। उसके खिलाफ यह सबूत हमारी राय में सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज की गई सजा को पूरी तरह से सही ठहराता है।

अब हम पोखर भिंडा गांव के अपीलकर्ताओं के एक समूह के मामलों पर विचार करेंगे, जिन पर आरोप है कि उन्होंने स्वयंसेवकों के जमावड़े और दंगे में बड़ी संख्या में लोगों की मदद की थी। हम देखते हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस गांव के चार आरोपियों को बरी कर दिया है, संख्या ६१, ८५, (?) और २०९, और हमने इन बरी किए जाने के उनके कारणों की जांच की है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सत्र न्यायाधीश की सूची में दो और बरी किए जाने को जोड़ा जाना चाहिए।

छत्तर पासी (सत्र न्यायाधीश संख्या ३७)

इस आदमी के खिलाफ सरकारी गवाह ठाकुर द्वारा दिए गए गंभीर सबूतों की पुष्टि में, जिसने हालांकि स्वीकार किया कि उसने पुलिस को दिए अपने पहले बयान में उसका नाम नहीं लिया था, हमारे पास वास्तव में केवल दो गवाहों भवानी प्रसाद, पी.डब्लू. २५, और बिरजू, पी.डब्लू. ११ का बयान है। पूर्व के गवाहों का कथन है कि छत्तर एक स्वयंसेवक है और उसने उसे दंगाइयों के बीच देखा था। बिरजू का साक्ष्य इस आशय का है कि, ४ फरवरी को लगभग सूर्यास्त के समय, पुरुषों का एक समूह गांव की ओर जाते हुए गन्ना कोल्हू के पास से गुजरा। उनमें छत्तर के साथ-साथ रामबरन, रामलगन और कुंजबिहारी भी थे, तीन आरोपी जिनके मामलों पर हमें अभी विचार करना है। वे चिल्ला रहे थे कि चौरा का पुलिस स्टेशन जला दिया गया है और स्वराज प्राप्त कर लिया गया है। यह बयान की पुष्टि नहीं की गई है, इसमें कोई संदेह नहीं कि करिया के बाद में विद्वान सत्र न्यायाधीश कुछ हद तक मूल्यांकनकर्ताओं की राय को स्वीकार कर रहे थे, जिन्होंने उस विशेष आरोपी को दोषमुक्त कर दिया होता, हालांकि उन्हें लगा कि वाद छत्तर के खिलाफ सिद्ध होता है। हालांकि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने करिया के खिलाफ बिरजू के साक्ष्य पर इस आधार पर भरोसा नहीं किया कि उन्हें यकीन नहीं था कि गवाह और गांव के पासियों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। छत्तर और करिया दोनों इसी जाति के हैं। दोनों वाद में विचारणीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की तुलना करने पर हमारे मन में यह धारणा बनती है कि छत्तर के खिलाफ बिरजू द्वारा दिए गए साक्ष्य का मूल्य करिया के खिलाफ दिए गए साक्ष्य से अधिक नहीं हो सकता। कुल मिलाकर हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ ठाकुर की गवाही पर्याप्त रूप से पुष्ट हुई है। हम छत्तर के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को खारिज करते हैं और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

रामबरन, पुत्र बोधन अहीर (सत्र न्यायाधीश संख्या १५१)

इस मामले को पिछले मामले के साथ ही चलना चाहिए। यह वास्तव में कमज़ोर है, क्योंकि इस अभियुक्त को पुष्टिकर्ता की गवाही में फंसाया नहीं गया है। हमारे पास उसके खिलाफ़ केवल भवानी प्रसाद और बिरजू के साक्ष्य हैं। हमारी राय में यह गवाही इस गांव के अभियुक्तों के पक्ष में दर्ज किए गए अन्य बरी किए गए मामलों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जिससे दोषसिद्धि के लिए संतोषजनक आधार नहीं बनता। इसलिए हम इस अभियुक्त की दोषसिद्धि और सज़ा को रद्द करते हैं और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

कुंजबिहारी (अहीर) (सत्र न्यायाधीश क्रमांक ८८)

यद्यपि यह व्यक्ति रामबरन का भाई है, जिसकी दोषमुक्ति हमने अभी दर्ज की है, फिर भी उसके खिलाफ मामला पूरी तरह से भिन्न हैं। उसके खिलाफ पुष्टिकर्ता ठाकुर का साक्ष्य है। उसका नाम उसके अपने गांव के भवानी प्रसाद और जिउराखान ने लिया था। उसके खिलाफ पांच अन्य गवाहों द्वारा की गई पहचान भी है। स्वीकृत रूप से वह बिरजू के साक्ष्य में फंसा हुआ है, जिस पर हमने अन्य आरोपियों के खिलाफ भरोसा करने से इनकार कर दिया है। उसने अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों के खिलाफ दुश्मनी के आरोप लगाए, लेकिन इस साक्ष्य का संचयी प्रभाव हमें पुष्टिकर्ता की प्रत्यक्ष गवाही की भरपूर पुष्टि करता प्रतीत होता है। हमें लगता है कि इस अपीलकर्ता के खिलाफ मुख्य आरोप पूरी तरह से स्थापित है।

रामलगन, पुत्र शिवतहल (सत्र न्यायाधीश क्रमांक १६३)

यहाँ पुनः प्रश्न यह है कि क्या इस व्यक्ति के खिलाफ ठाकुर के साक्ष्य पर्याप्त रूप से पुष्ट होते हैं। पुष्टिकर्ता के अनुसार, इस अभियुक्त को उसने दंगे के दौरान पुलिस स्टेशन के पास किसी प्रकार का लकड़ी का डंडा लेकर खड़े देखा था, जिससे उसने खुद को हथियारबंद किया था और अन्य लोगों को यह कहते हुए पुकार रहा था कि वे पुलिस के भागने के विरुद्ध अन्य दिशाओं में अच्छी तरह से निगरानी रखें, क्योंकि वह स्वयं जहाँ खड़ा था, वहाँ निगरानी कर रहा था। अभियोजन पक्ष के गवाह भवानी प्रसाद द्वारा इसकी लगभग प्रत्यक्ष पुष्टि की गई है, जिन्होंने कहा कि उन्होंने दंगे में अभियुक्त को लाठी लेकर 'पुलिस को मार डालो' चिल्लाते हुए देखा था। बिरजू का साक्ष्य इस व्यक्ति के विरुद्ध अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अधिक महत्वपूर्ण है, जिन्हें उसने फंसाया है, क्योंकि वह विशिष्ट विवरण जोड़ता है कि यह रामलगन, लोहार, पुलिस स्टेशन से पार्टी के लौटने पर अपने हाथ में भाला लेकर जा रहा था। इस अभियुक्त की दो पहचानें गवाह गुजाधर और जिउराखान द्वारा दंगे में ईंट-पत्थर फेंकते हुए देखे गए व्यक्ति के रूप में की गई थीं, जिनमें से पहला अधिक विश्वसनीय है। पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष इसी आशय का बयान दिया और कहा कि उसने इस आरोपी को 'मार डालो और जला दो' चिल्लाते हुए सुना था। सत्र परीक्षण के समय तक वह उस व्यक्ति का चेहरा भूल चुका था, जैसा कि उसने अन्य आरोपियों के मामलों में किया था। हम संतुष्ट हैं कि मजिस्ट्रेट की अदालत में उसके द्वारा दी गई गवाही का काफी महत्व है जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २८८ के तहत विधिवत रूप से रिकॉर्ड में लाया गया है, क्योंकि यह गवाही उस समय दी गई थी जब संबंधित घटनाएँ गवाह की याद में ताज़ा थीं। सिविल सर्जन ने २७ फरवरी को इस आरोपी की जांच की और उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान पाए जो बेहद संदिग्ध थे, जिसके बारे में रामलगन ने हमारी राय में काफी अपर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है। साक्ष्य की इस स्थिति में हम इस बात से संतुष्ट हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश और मूल्यांकनकर्ताओं ने इस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने में सही निर्णय लिया है, तथा ठाकुर और भवानी प्रसाद के साक्ष्य के मद्देनजर हमें इस मामले को सबसे गंभीर मामलों में से एक मानना चाहिए।

अब हम रकबा गांव से संबंधित विभिन्न बस्तियों से आने वाले अपीलकर्ताओं के समूह की ओर बढ़ते हैं। इन बस्तियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है और हालांकि हमें विश्वास है कि हमने अपने सामने मौजूद अपीलकर्ताओं को सही ढंग से वर्गीकृत कर लिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए बरी किए गए आदेशों में से कौन से अभियुक्तों के एक ही समूह से संबंधित हैं। उन्होंने निश्चित रूप से अपने न्यायालय में इस गांव या बस्तियों के समूह (क्रमांक २१ और २१२) के दो लोगों को बरी किया है। साक्ष्य की जांच करने पर हमें लगता है कि हमें बरी किए गए लोगों की सूची में कई और नाम जोड़ने चाहिए।'

अजुधिया पुत्र, सुखारी (सत्र न्यायाधीश क्रमांक ४)

इस व्यक्ति की अपील के संबंध में हमें एक ऐसे बिंदु पर विचार करना होगा जो उसके अलावा अन्य मामलों को भी प्रभावित करता है। अभियोजन पक्ष के गवाह झकरी केवट, संख्या ११८, खुद रकबा के किसान हैं। उन्होंने सत्र न्यायाधीश को यह बताकर शुरुआत की कि जिस दिन पुलिस स्टेशन जलाया गया था, उस दिन वे अपने घर पर थे और शाम को उस घटना की खबर सुनी, लेकिन उन्होंने मामले से संबंधित कुछ भी नहीं देखा और सुना। उन्होंने निश्चित रूप से दावा किया कि उन्होंने उस दिन की सुबह या शाम को किसी को भी 'आते या जाते' नहीं देखा। यह निश्चित रूप से कुछ सबूतों के बिल्कुल विपरीत था जो उन्होंने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे। उस सबूत का सार उसके द्वारा धीरे-धीरे निकाला गया। हमने उनके बयान को ध्यान से पढ़ा है और, जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, इस विषय पर हमारे सामने काफी तर्क दिए गए हैं। गवाह ने आवश्यक बिंदुओं पर बार-बार खुद का खंडन किया। उसके साक्ष्य के अभिलेख से एक बात जो उभर कर आती है, वह यह है कि सत्र परीक्षण में किसी भी अभियुक्त व्यक्ति के लिए जो भी बयान उससे निकलवाया गया हो, गवाह इस बात के लिए बेहद चिंतित था कि

उनमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से काफी हद तक संभव है कि गवाह ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष बिल्कुल स्पष्ट और सत्य बयान दिया हो और सत्र परीक्षण में डर के कारण या अभियुक्त की ओर से उस पर किसी तरह का प्रलोभन दिए जाने के कारण उससे मुकर गया हो। दूसरी ओर, यह भी कम से कम उतना ही संभव है कि गवाह ने, किसी भी उद्देश्य से, मजिस्ट्रेट की अदालत में झूठी गवाही दी हो, पहले इस बात का सत्र परीक्षण में पश्चाताप किया हो और अपने पिछले झूठे बयान के प्रभाव को खत्म करने के लिए झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाने का जोखिम उठाते हुए अपनी पूरी कोशिश की है। विद्वान सत्र न्यायाधीश निश्चित रूप से अपने विवेक से उनके सामने मौजूद सामग्रियों के आधार पर झूठी गवाही के लिए मुकदमा चलाने का आदेश दे सकते थे। हम शायद विद्वान सत्र न्यायाधीशों के साथ इस हद तक सहमत हो सकते हैं कि इन संभावनाओं में से पहली संभावना के पक्ष में संभावना का एक निश्चित संतुलन है; लेकिन एक सामान्य नियम के रूप में किसी मुकदमे के दौरान गवाह द्वारा दी गई गवाही पर निर्माण करने का प्रयास करना बहुत कम उपयोगी है, जब गवाह खुद स्पष्ट रूप से नहीं चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें। ऐसा नहीं है कि झाकरी द्वारा मजिस्ट्रेट को बताए गए किसी भी एक तथ्य की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध थी। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके साक्ष्य पर भरोसा करना खतरनाक होगा और हम इसे पूरी तरह से खारिज करने का प्रस्ताव करते हैं। इस विशेष अपीलकर्ता के खिलाफ़ उसकी अपनी स्वीकारोक्ति है कि वह एक स्वयंसेवक था, और चौकीदार गवाह उमा (पी.डब्लू. ५५) का बयान, जो उसे उन लोगों के समूह में रखता है जिन्हें उसने दंगे के बाद पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर देखा था, जो कुछ हद तक अस्पष्ट रूप से भोपा के पश्चिम में स्वीकृत रूप से घर के रास्ते पर होने का उल्लेख करता है। हम अजुदबिया के खिलाफ़ सबूतों को पूरी तरह से अपर्याप्त मानते हैं। हम उसके खिलाफ़ दोषसिद्धि और सजा को खारिज करते हैं और दोषमुक्ति का निर्देश देते हैं।

बलदेव (सत्र न्यायाधीश संख्या १६)

हमारे पास इस व्यक्ति के खिलाफ रकबा के चौकीदार जीउधन का एकमात्र साक्ष्य है, जो दंगे में उसकी भागीदारी के बारे में है, जबकि एक अन्य गवाह डुमरी सभा में उसकी उपस्थिति के बारे में गवाही देता है। यह व्यक्ति निस्संदेह एक स्वयंसेवक था। मूल्यांकनकर्ता इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि यह कुछ हद तक अल्प साक्ष्य उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त था। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह विशेष अभियुक्त बलदेव है जिसे लाल मुहम्मद के संदेश के साथ खिलाफत समिति के पास भेजा गया था। हमने इस मामले की जांच की है और हम इस बिंदु पर विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत नहीं हैं। वह बलदेव के बारे में कहते हैं कि वह २ फरवरी को लाल मुहम्मद के साथ गोरखपुर गया था, और हमने पहले ही कहीं और उल्लेख किया है कि हम किसी भी तरह से निश्चित नहीं हैं कि लाल मुहम्मद खुद उस तारीख को गोरखपुर गया था। इसके अतिरिक्त, अभिलेख पर कुछ संकेतों से हम इस राय के लिए इच्छुक हैं कि बलदेव नामक व्यक्ति (यह नाम बहुत ही सामान्य है) जिसने यह संदेश गोरखपुर पहुंचाया और चौरा तक का किराया चुकाया, संभवतः उसी नाम का कोई और व्यक्ति था। हमारी राय में, जिस साक्ष्य पर सत्र न्यायाधीश ने भरोसा किया गया है, वह इस अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया है। हम उसके खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को खारिज करते हैं और सभी आरोपों से उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

लाटू उर्फ कालू, पुत्र मोती (सत्र न्यायाधीश क्रमांक ९५)

इस अभियुक्त का मामला एक सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आना चाहिए जिसे हम पहले ही निर्धारित कर चुके हैं, जब हमने किसी भी व्यक्तिगत अभियुक्त के विरुद्ध किसी पुष्टिकर्ता की गवाही को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसकी पुष्टि केवल इस तथ्य से होती है कि वह व्यक्ति स्वयंसेवक था। हम इस व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

नारायण, पुत्र ने। (सत्र न्यायाधीश संख्या १२३)

हमारे पास इस अभियुक्त के विरुद्ध केवल दो चौकीदारों, मनोहर और रमेशर की गवाही है। रमेशर की गवाही इस तथ्य से अस्थिर हो गई है कि उसने अभियुक्त को नाम से नहीं जानने का दावा किया, हालाँकि वह निस्संदेह ऐसा करता था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सोचा कि रमेशर अभियुक्त के हित में सच्चाई से छेड़छाड़ कर रहा था। हमारी राय में उसने खुद को एक अविश्वसनीय गवाह साबित कर दिया; हम मनोहर के साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसने खुद को गलतियाँ करने में सक्षम दिखाया है। हम इस अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं और उसे बरी करने का आदेश देते हैं।

पराग (सत्र न्यायाधीश संख्या १४०)

इस व्यक्ति की सज़ा वास्तव में झाकरी के साक्ष्य पर निर्भर करती है जिसे हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। उसके खिलाफ़ और कुछ नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि वह एक स्वयंसेवक है और गवाह उमा का बयान है कि वह उन लोगों में से था जिन्हें उसने दंगा खत्म होने के बाद भोपा के पश्चिम में देखा था। हमारी राय में यह सबूत सज़ा सजा के लिए उपयुक्त नहीं है। हम इस व्यक्ति के खिलाफ़ सभी सज़ाओं को खारिज करते हैं और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

राम फल (सत्र न्यायाधीश संख्या १६६)

इस आरोपी को भी इसी श्रेणी में रखा जाना चाहिए। इस व्यक्ति के खिलाफ़ कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि वह एक स्वयंसेवक था और झाकरी और उमा द्वारा दिए गए साक्ष्य में उसे फंसाया गया है, जिसे हम पहले ही अपर्याप्त मान चुके हैं। गवाह बंसी ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया था जिसमें उसे एक दंगाई के रूप में पहचाना गया था जो कंकड़ फेंक रहा था, लेकिन बंसी किसी भी पिछली पहचान कार्यवाही में इस व्यक्ति को पहचानने में विफल रहा था और जब वह सत्र परीक्षण में गवाही देने के लिए आया तो उसकी उपस्थिति में उसे भूल गया। हालाँकि मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान धारा २८८ दंड प्रक्रिया संहिता के तहत विधिवत रिकॉर्ड पर लाया गया है, लेकिन हमें लगता है कि इसका व्यावहारिक रूप से कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है। हम इस व्यक्ति के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा को रद्द करते हैं और उसे बरी करने का निर्देश देते हैं।

गंगा, पुत्र तपेशरी (सत्र न्यायाधीश संख्या ५६)

इस व्यक्ति को पुष्टिकर्ता ठाकुर द्वारा दिए गए साक्ष्य में फंसाया गया है, रकबा के चौकीदार जीउधन ने बयान दिया है कि उसने उसे दंगे में भाग लेते देखा था, और उसे दो अन्य चौकीदारों ने पहचाना था। उसे ८ फरवरी की शुरुआत में ही पुलिस के सामने नामित किया गया था, और हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि वह निस्संदेह एक स्वयंसेवक था। उसने अपने बचाव में एक लंबा बयान दिया, जो उसके और राम कुमार नामक एक व्यक्ति के बीच दुश्मनी के आरोपों पर आधारित था, जिसका उसके खिलाफ मामले से थोड़ा भी संबंध नहीं था। हम संतुष्ट हैं कि उसे मुख्य आरोप में सही ढंग से दोषी ठहराया गया है।

जमना (पासी) (सत्र न्यायाधीश संख्या ७५)

इस आरोपी को आरोपी लाल मुहम्मद द्वारा दी गई सूचना पर गिरफ्तार किया गया था, और वह निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक था। दंगे में उसकी भागीदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण तीन गवाहों, मोहर, जीउधन और खिलावन द्वारा दिया गया है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

सम्पत, पुत्र मोहन (सत्र न्यायाधीश संख्या १८३)

इस अपीलकर्ता के विरुद्ध वाद गंभीर है। पुष्टिकर्ता शिकारी का कहना है कि उसने दंगे में उसे लाठी लेकर इधर-उधर भागते, दूसरों को मारने के लिए कहते और ईंट-पत्थर फेंकते देखा था। लड़का नेउर, जो दंगे के समय कुछ पुलिस कांस्टेबलों की सेवा में था, और निश्चित रूप से ४ फरवरी को पुलिस स्टेशन में था, दावा करता है कि उसने इस आरोपी को उन लोगों के बीच देखा था जो मुंशी (हेड कांस्टेबल) पर हमला कर रहे थे, जिसकी हत्या पुलिस स्टेशन के गेट के पास की गई थी। गवाहों (?) लाल, खिलावन और जुइधन ने उसे दंगाइयों में शामिल होने के रूप में पहचाना है, और गवाह उमा ने भी उसकी पहचान की है। आरोपी ने कहा कि वह दंगे के समय चंपारण जिले में अपनी भैंसें चरा रहा था, लेकिन उसने कोई सबूत पेश नहीं किया। बचाव पक्ष की ओर से मुख्य हमला गवाहों राम लाल और नेउर के साक्ष्य के खिलाफ था। हम एक बार और हमेशा के लिए कह सकते हैं कि हमें संबोधित तर्कों पर अपना सर्वश्रेष्ठ विचार करने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि राम लाल ४ फरवरी को पुलिस स्टेशन में था और नेउर उस खिड़की से देख सकता था जिसके बारे में वह बयान में बात कर रहा है। हमें आरोपी के इस सुझाव में कोई बल नहीं प्राप्त होता है कि उसके विरुद्ध वाद राम कुमार की ओर से दुश्मनी के कारण है। हम इस बात से सहमत हैं कि उसके खिलाफ मुख्य आरोप साबित हो चुका है, इसलिए हमें उसके मामले को सबसे गंभीर मामलों में से एक मानना चाहिए।

साधो शरण पुत्र भारत (सत्र न्यायाधीश संख्या १७६)

इस अभियुक्त को ठाकुर द्वारा दिए गए साक्ष्यों में फंसाया गया है और गवाहों जिउधन, भवानी प्रसाद और खिलावन द्वारा दंगों में उसके सक्रिय भाग लेने के बारे में बयान दिए गए थे। गवाह रमेशर

ने भी उसकी पहचान की थी। उसका अपना भाई इउदरजीत अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के विभिन्न भागों में गहराई से शामिल है, लेकिन निचली अदालत में उसके मुकदमे में शामिल नहीं था क्योंकि पुलिस उसे खोजने में असमर्थ थी। अभियुक्त निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक था और हमें उसके बचाव में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हमें उसके खिलाफ सबूतों के किसी भी हिस्से पर अविश्वास हो। हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।

टीमल (सत्र न्यायाधीश संख्या २१९)

यह अभियुक्त एक स्वयंसेवक था और उसके डुमरी सभा में उपस्थित होने के साक्ष्य (जमना पी.डब्लू. १०) हम स्वीकार करते हैं। गवाह राम लाल और उमा ने उसे उन दंगाइयों में से बताया है जो ईंट-पत्थर फेंक रहे थे और रमेशर ने उसकी पहचान की थी। हमें उसके बचाव में कोई ठोस तथ्य नहीं मिला और हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया।

बद्री, पुत्र रामदयाल (सत्र न्यायाधीश संख्या ११)

गवाह रामलाल और नोहर ने इस अभियुक्त को दंगे में सक्रिय भूमिका निभाने वाला माना है। गवाह नेउर द्वारा उसकी पहचान भी हमारी राय में विश्वसनीय है। बिश्नाथ (पी.डब्लू. १७) का कहना है कि यह अभियुक्त नज़र अली और रुदाली सहित पाँच लोगों के समूह में से एक था, जिन्हें उसने सूर्यास्त से कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन से पश्चिम की ओर जाते देखा था। इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है और हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि यह उस व्यक्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष साक्ष्य की पुष्टि करता है। बद्री बेशक एक स्वयंसेवक था और उसके बचाव में वास्तव में कोई ठोस बात नहीं है, जो उसके खिलाफ पूरे मामले को राम कुमार (पी.डब्लू. २१८) की दुश्मनी के लिए आरोपित करता है। उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

रुदाली (सत्र न्यायाधीश संख्या १७५)

इस आरोपी के खिलाफ़ बहुत सारे सबूत हैं और उनमें से कुछ बहुत गंभीर हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह हरिहर प्रसाद ने उसे पुलिस स्टेशन पहुँचने से ठीक पहले लाला हलवाई की फैक्ट्री से गुज़रते समय भीड़ के बीच देखा था। इस गवाह के भाई बिंदेशरी का कहना है कि बाद में उसे जिज्ञासावश अपने घर से बाहर निकलकर यह देखने की कोशिश करनी पड़ी कि क्या हो रहा है। उसने इस आरोपी को उन लोगों के बीच देखा जो एक पुलिस कांस्टेबल का पीछा कर रहे थे और जौ के खेत में उसे मार डाला था। बाद की जाँच से यह साबित हुआ कि जिस जगह का गवाह ज़िक्र कर रहा है, वहाँ निस्संदेह एक कांस्टेबल की हत्या की गई थी। इसकी पुष्टि जगन्नाथ ने की है, जो आखिरी गवाह का चचेरा भाई है। महाबत ने कहा कि उसने रुदाली को एक चौकीदार का पीछा करते देखा था, वह शायद उसी घटना का ज़िक्र कर रहा है और उसने कांस्टेबल को गाँव के चौकीदारों में से एक बताकर गलती की है। इस आरोपी के खिलाफ़ कई अन्य पहचान हैं, जो यह साबित करती हैं कि वह जल्द ही दंगे में पत्थरबाजी कर रहा था, और वह बिशुनाथ हज्जाम के बारे में पहले से ही देखे गए सबूतों में फंसा हुआ है। अभियुक्त ने हरिहर प्रसाद और उसके परिवार के खिलाफ दुश्मनी के आरोप लगाए हैं, जिन पर हम विश्वास नहीं करते। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इस अभियुक्त के खिलाफ़ सभी साक्ष्यों पर सावधानीपूर्वक चर्चा की है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि दोषसिद्धि सही है और साक्ष्यों से यह साबित होता है कि रुदाली वास्तव में हत्या करने वाले लोगों में से एक थी।

पार्षद (सत्र न्यायाधीश सं. १३६)

इस अभियुक्त की सज़ा काफी हद तक चौकीदार रामलाल के साक्ष्य के सही मूल्यांकन पर निर्भर करती है। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इस गवाह पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने पुलिस के सामने पार्षद का नाम बताया था और मुकदमे में उन्होंने उसके खिलाफ जो साक्ष्य दिए हैं, हमारी राय में वे विश्वसनीय हैं। हमारे पास डुमरी सभा में इस आरोपी की उपस्थिति के साक्ष्य हैं और जब वह जेल गया तो उसके शरीर पर दो जले हुए निशान पाए गए। हम इस तथ्य को भी बहुत महत्व देते हैं कि उसे गवाह बिंध्याचल, (?) हसनु और छेदी ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए साक्ष्य में पहचाना था, हालांकि सत्र परीक्षण के दौरान वे उसे पहचानने में असमर्थ थे। हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

रामधनी (सत्र न्यायाधीश सं. १५६)

इस आरोपी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दिनांक २२ मार्च को बयान दिया। उसने स्वयंसेवक होने तथा १ फरवरी को मुंडेरा बाजार में धरना देने के असफल प्रयास में शामिल होने की

बात स्वीकार की। उसने कहा कि वह ४ फरवरी की सुबह डुमरी में आयोजित सभा में मौजूद था और अन्य लोगों के साथ पुलिस थाने के गेट पर गया था। वह उस समय मौजूद था जब स्वयंसेवकों ने पुलिस पर कंकड़ फेंकना शुरू किया और पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाईं। उसने कहा कि वह रेलवे फाटक के पास खड़ा रहा जबकि थाने को जलाया जा रहा था और पुलिस की हत्या हो रही थी। उसने स्वयं को इस घटना में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को पहचानने में असमर्थ बताया, हालांकि उसने अपने कई साथी स्वयंसेवकों के नाम बताए जो उसके साथ थाने तक गए थे। उसके बाद उसका यह दावा कि उसने कभी भी इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया था, बल्कि मजिस्ट्रेट ने उसके विरोध के बावजूद, किसी और के द्वारा दिए गए बयान पर जबरदस्ती उसके अंगूठे का निशान ले लिया था, यह केवल हमारे इस विश्वास को पुष्ट करता है कि प्रश्नगत बयान स्वेच्छा से दिया गया था और उसे इस हद तक स्वीकार किया जाना चाहिए कि इससे अभियुक्त दोषी होने का पात्र बनता है। ऐसी स्थिति में हमें कोई कारण नहीं दिखता कि हम इस आरोपी की दंगे में सक्रिय संलिप्तता साबित करने के लिए गवाहों रामलाल, मनोहर और उमा के प्रत्यक्ष साक्ष्य को क्यों न स्वीकार करें। उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। हम कुसम्ही और आस-पास के गांवों से संबंधित अभियुक्तों के एक समूह की ओर बढ़ते हैं। ऐसे दो या तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त किया गया है जिन्हें इस समूह में रखा जा सकता था, परन्तु हमें इस संबंध में ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ जिससे उन मामलों पर हमारे निर्णय पर असर पड़े जिन्हें अब हमें निर्णीत करना है।

अकलू (सत्र न्यायाधीश सं. ५)

अंततः इस व्यक्ति के विरुद्ध मामला दो गवाहों, उमराव और राम साहब द्वारा दिए गए साक्ष्य की विश्वसनीयता के विषय में हमारी राय पर निर्भर करेगा। पूर्व में कहा गया है कि दंगे की सुबह उसने इस आरोपी अकलू के गन्ना कोल्हू पर स्वयंसेवकों का बड़ा जनसमूह देखा। उसने बताया कि वे डुमरी खुर्द में स्वयंसेवकों की एक सभा में भाग लेने जा रहा है, जो मुंडेरा में स्वयंसेवक भाई द्वारा चौरा के उपनिरीक्षक की पिटाई होने के परिणामस्वरूप आयोजित की जा रही है। उसने उन दस लोगों में अकलू का नाम भी लिया जिसे उसने जाते हुए देखा था। अगली सुबह उसे आरोपी उग्राह द्वारा गांव लौटने पर दिए गए बयान के बारे में कुछ बताया गया और जब उसने उग्राह से पूछताछ की तो उसने बताया कि स्वयंसेवकों ने थाने को जला दिया है और उपनिरीक्षक और उसमें मौजूद अन्य सभी पुलिसकर्मियों को मार डाला है। जब उसने इस बात पर अपनी हैरानी व्यक्त की, तो उग्राह ने उसे कठोरता से उत्तर दिया और कहा कि स्वयंसेवकों ने कोई अपराध नहीं किया है और 'महाराजजी का स्वराज आ गया है।' अंतिम गवाह के भतीजे राम सुभग ने स्वयंसेवकों के एकत्र होने के बारे में अपने साक्ष्य की पूरी तरह पुष्टि की। उसने आगे कहा कि पिछली शाम को यह अभियुक्त भुना हुआ अनाज इकट्ठा करने के लिए गया था और कहा कि वे डुमरी की यात्रा पर स्वयं का भोजन उपलब्ध कराने के लिए ऐसा कर रहे थे। स्वीकृत रूप से यह कहा जा सकता है कि इस साक्ष्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभियुक्त उग्राह को प्रभावित करता है न कि अपीलकर्ता को, जिसके मामले पर हम अभी विचार कर रहे हैं; लेकिन हम यह उल्लेख करने के लिए बाध्य हैं कि दिनांक १ मार्च, १९२२ को उग्राह ने मजिस्ट्रेट के समक्ष एक विस्तृत बयान दिया था जो हमारी राय में निस्संदेह एक स्वीकारोक्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं इस पर दोषी पाया जा सकता था, और इसलिए इसे अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध समुचित रूप से हमारे विचार में लिया जा सकता है। यह बयान दंगे में अकलू को पूर्णतः शामिल करता है और उसे उन लोगों में शामिल करता है जिन्होंने थाने को आग लगाने में सहायता की थी। बयान यह कहकर समाप्त होता है कि घर लौटने पर उग्राह ने ये सारी बातें उमराव को बताईं, जो उसके गांव के मुखिया हैं। इस आरोपी के विरुद्ध दंगे में शामिल होने का एकमात्र प्रत्यक्ष सबूत गवाह मनोहर का बयान था, जो सत्र परीक्षण से पूर्व उसे पहचान नहीं पाया था। हालांकि, हम महसूस करते हैं कि इस साक्ष्य का हमारे मन पर सामान्य प्रभाव यह है कि हम बिना किसी संदेह के संतुष्ट हो गए हैं कि अकलू अन्य स्वयंसेवकों के साथ डुमरी गया था और उनके साथ थाने गया था तथा दंगे में शामिल हुआ था। यह देखते हुए कि वह दूर से डुमरी आया था, और कोई कारण नहीं है कि उसे बाकी स्वयंसेवकों से अलग होना चाहिए था, और वह स्वयं भी नहीं कहता कि उसने कभी ऐसा किया था, हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस अभियुक्त के विरुद्ध आरोप साबित हुआ है।

औतार (सत्र न्यायाधीश सं. १०)

औतार के विरुद्ध मामला बिल्कुल ऐसा ही है और दोनों का एक साथ होना या उठना बैठना एक साथ ही होता है। हम इस बात से सहमत हैं कि औतार को भी सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

इन्दर (सत्र न्यायाधीश सं. ६६)

यह अभियुक्त उमराव और रामसुभग के साक्ष्य में फंसा हुआ है, जिस पर हम अकलू के विरुद्ध मामले के संबंध में पूर्व में ही विचार कर चुके हैं। वह निस्संदेह एक स्वयंसेवक था और उग्राह के

बयान से मुकरने के मामले में उसका हाथ है। उसने स्वयं ही दिनांक १ मार्च १९२२ को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान (प्रदर्श २३६) दिया था, जिसमें उसने अन्य स्वयंसेवकों के साथ डुमरी जाने और फिर थाने जाने की बात स्वीकार की थी। उसने सम्पूर्ण कार्यवाही के एक प्रत्यक्षदर्शी के दृष्टिकोण से दंगे के विषय में बताया, हालांकि उसने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से आरोपित करने वाला कोई बयान नहीं दिया, सिवाय इसके कि 'सभी लोग पीछे मुड़े और पत्थर फेंकने लगे।' उसने कहा कि इसके बाद उसने मंगापट्टी के रघुनाथ को छुड़ाने में मदद की, जो पुलिस की गोलीबारी में घायल हो गया था। बाद में जब मजिस्ट्रेट द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसने यह हास्यास्पद दावा किया कि उसका यह दोषपूर्ण बयान किसी पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को लिखवाया गया था और उस पर जबरन उसके अंगूठे का निशान (संभवतः मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में) लिया गया था। यह समझना मुश्किल है कि मूल्यांकनकर्ताओं ने इस आरोपी को क्यों दोषमुक्त कर दिया। हम संतुष्ट हैं कि उसके विरूद्ध आरोप पूर्णतः साबित हुआ था।

पबारू (सत्र न्यायाधीश सं. १३२)

इस अभियुक्त के विरुद्ध भी हमारे पास उमराव और रामसुभग के साक्ष्य हैं, साथ ही उग्राह के वापस लिए गए बयान पर भी विचार किया जाना चाहिए। कम से कम दो गवाहों ने उसे पुलिस पर पथराव करने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचाना था। उसके विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य चौरी चौरा के स्टेशन मास्टर किशन सहाय द्वारा दिए गए हैं, जिन्होंने पबारू को उन दो स्वयंसेवकों में से एक के रूप में पहचान की थी, जो दंगे की दोपहर उसे आतंकित करने और गोरखपुर को टेलीग्राम भेजने से रोकने के लिए उसके पास आए थे। तर्क में हमें यह बताया गया है कि स्टेशन मास्टर पबारू को इसलिए पहचान सका क्योंकि वह चौरा रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान चलाता है। इस बात पर भी जोर दिया गया कि साक्ष्य देते समय स्टेशन मास्टर एक क्षण के लिए इस आरोपी और महादेव नामक दूसरे आरोपी के बीच भ्रमित हो गए थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट थे कि यह भ्रम केवल क्षणिक था और गवाह को पबारू की पहचान पर पूरा विश्वास था जब उसने उसे अन्य आरोपियों के बीच पाया। हमारे पास स्टेशन मास्टर की पहचान की ईमानदारी पर संदेह करने या उसके महत्व को कम करने का कोई कारण नहीं है। पबारू के विरूद्ध मुख्य आरोप पूर्णतः साबित हो गया है।

रामसुभग (सत्र न्यायाधीश सं. १७२)

इस अभियुक्त को उसके हमनाम रामसुभग (पी.डब्लू. १४१) और उमराव की गवाही में भी आरोपित किया गया है। उग्राह के पक्षद्रोही इकबालिया बयान में उसका उल्लेख उन लोगों में से एक के रूप में किया गया है, जिन्होंने थाने में आग लगाने और पुलिसकर्मियों की हत्या में विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी। गवाह नेउर द्वारा उसकी लगातार पहचान की गई है। हमारे मत में निर्णय (?) अपील में उनके विरुद्ध उल्लिखित अन्य साक्ष्य कम महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमने उनकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिनकी हम पुष्टि करते हैं।

उग्राह (सत्र न्यायाधीश सं. २२५)

यह वही व्यक्ति है जिसका जिक्र हम उसके गांव के अन्य आरोपियों के मामलों पर चर्चा करते समय बार-बार करते आए हैं। वह दंगे से प्रसन्नचित्त होकर लौटा और उसने गवाह उमराव को बताया कि स्वयंसेवकों ने थाने को जला दिया है और पुलिसकर्मियों को मार डाला है। वह पहले गांव में शेखी बघार रहा था कि 'महाराज जी (गांधी) का स्वराज आ गया है।' दिनांक १ मार्च को उसका अपना कबूलनामा (प्रदर्श २३५) स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक और वास्तविक बयान है। इसमें दुर्भाग्यशाली उपनिरीक्षक गुप्तेश्वर सिंह की पत्नी के खतरे और अंततः भागने के बारे में दिलचस्प विवरण हैं, जो कमीशन पर ली गई उस महिला के साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट होते हैं। अभियुक्त ने अपने विरूद्ध केवल इतना ही स्वीकार किया है कि वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने थाने में शरण लेने वाले किसी भी पुलिसकर्मी के संभावित भागने से रोकने में सहायता की थी। वह शायद मामले में अपनी भूमिका को कम कर रहा है, लेकिन जैसा कि रिकार्ड में है, हमें मुख्य आरोप पर उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करने तथा उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में रखने में संतोष करना होगा।

अलगू (सत्र न्यायाधीश सं. ६)

पंचू नामक एक चौकीदार, जिसने मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य दिया था, वर्तमान मामले के सत्र न्यायालय में आने से पहले ही दुखद परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई। मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके द्वारा दिया गया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ३३ के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में लिया गया है। पंचू ने तब गवाही दी कि उसने अभियुक्त अलगू को अन्य स्वयंसेवकों के साथ दंगे की सुबह डुमरी में सभा के लिए जाते देखा था। अन्य के लिए, इस अभियुक्त के विरुद्ध मामला दो गवाहों, कुमार और गोमती

के साक्ष्य पर निर्भर करता है। कुमार का कहना है कि उसने स्वयंसेवकों में से एक से सुना था कि वे शनिवार की सुबह डुमरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। उस शाम वह अपने दरवाजे पर बैठा था जब दंगे में घायल हुए रघुनाथ (पासी) को लाया गया। वह रघुनाथ से मिलने गया और आरोपी चमरू और नारायण ने दंगे के बारे में उसके समक्ष बयान दिए, जो स्वीकारोक्ति की प्रकृति के थे, जिसमें अलगू भी शामिल था। गोमती की गवाही इस अभियुक्त को अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। वास्तव में हम कुमार का उल्लेख केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे गोमती की बात की पुष्टि होती है और हमें संतुष्टि मिलती है कि वह सच बोल रहा है। उसका कहना है कि उसने दंगे के बाद की सुबह भागीरथी और अलगू को देखा था, जब गांव के कई स्वयंसेवक एकत्र हुए थे। उसने उसे बताया कि वे पिछले दिन थाने गए थे और उसे जला दिया था। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि यह साक्ष्य सत्य है, और चूंकि इससे दंगे में अलगू की भागीदारी के विषय में हमारे मन में कोई संशय नहीं रह जाता, इसलिए हम अपनी राय को लागू करने के लिए बाध्य हैं। हमने माना कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

भागीरथी (सत्र न्यायाधीश की सं. २४)

उपरोक्त मामले में लिए गए निर्णय में इस अपील का भी निर्धारण होना चाहिए। उसके खिलाफ साक्ष्य समरूप हैं। वह मजिस्ट्रेट के समक्ष पंचू के बयान के साथ-साथ गोमती और कुमार द्वारा मुकदमे में दिए गए बयानों में भी शामिल है। हमारा मानना है कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

चमरू (सत्र न्यायाधीश सं. ३५)

यह एक अन्य अभियुक्त है, जो लगभग उसी तरह के साक्ष्यों के आधार पर लिप्त है, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। हमारे पास उसके विरूद्ध मजिस्ट्रेट की अदालत में पंचू का बयान और गोमती और कुमार द्वारा मुकदमे में दिए गए साक्ष्य हैं। हुआ यह कि अभियोजन पक्ष के गवाह अलगू (पी.डब्लू. ८२) द्वारा लगातार दंगे में वास्तविक भागीदार के रूप में उसकी पहचान की गई है, और हमारे पास उसके विरूद्ध दो अन्य गवाहों, हरबंस (पी.डब्लू. ११३) और राम लाल (पी.डब्लू. १२९) के समक्ष दिए गए बयान हैं। वह स्वीकार करता है कि वह एक स्वयंसेवक था और उसके पास उसके खिलाफ सबूतों के लिए कोई वास्तविक स्पष्टीकरण नहीं है। हम न केवल उसकी सजा के औचित्य से संतुष्ट हैं, बल्कि हम मानते हैं कि इस व्यक्ति के विरूद्ध आने वाले अतिरिक्त सबूत यह दिखाते हैं कि विचारणीय न्यायालय ने उन दो आरोपियों के विरूद्ध गोमती, कुमार और पंचू के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की थी, जिनके मामलों पर हमने अभी निर्णय लिया है।

नारायण उर्फ शियो नारायण (सत्र न्यायाधीश सं. १२०)

यह एक अन्य अभियुक्त है जो स्वयंसेवक था। पंचू द्वारा कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान और उग्राह के स्वीकारोक्ति बयान, प्रदर्श संख्या २३५ में उसे आरोपित किया गया है। बाकी के लिए हमारे पास चार अभियोजन पक्ष के गवाहों छेदी, मनोहर, (?) और भगेलू द्वारा उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में है जिसे उन्होंने दंगे में कंकड़ फेंकते हुए देखा था। अभियुक्त ने गोरखपुर में अपना बचाव करते हुए दलील दी कि उसके पास कोई सबूत नहीं है और उसने अपने खिलाफ सबूतों का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। हमें लगता है कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

रघुनाथ, पासी (सत्र न्यायाधीश सं. ११८)

यह वही व्यक्ति है जिसके बारे में हम पूर्व में भी कह चुके हैं कि वह घायल अवस्था में गांव लौटा था। कुमार (पीडब्लू?) की गवाही में वह निश्चित रूप से फंसा हुआ है, जिसकी पुष्टि गोमती ने भी की है। हमारे पास मजिस्ट्रेट की अदालत में उसके विरूद्ध दिया गया बयान भी है। गवाह मनोहर ने लगातार उसकी पहचान दंगे में कंकड़ फेंकने वाले व्यक्ति के रूप में की है। सिविल सर्जन के साक्ष्य से उसके विरूद्ध मामला पूरी तरह से साबित हो गया, जिन्होंने उस व्यक्ति के शरीर पर ११ गोलियों के घाव पाए और उसकी जांघ से एक गोली और कपड़े के धागे निकाले। उसके बचाव में कुछ भी नहीं था और उसे बिना किसी संदेह के सही तरीके से दोषी ठहराया गया था। हालांकि मंगापट्टी गांव के तीन आरोपी हैं, जिनका मामला हमने कुसम्ही के आरोपियों के साथ जोड़ दिया है, जिनके विरूद्ध सबूत हमें संतुष्ट नहीं करते। अतः उसके साथ हमें इस मामले पर भी विचार करना चाहिए।

(बल्ली, सत्र न्यायाधीश सं. १७)

इस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे में दिया गया एकमात्र सबूत चौकीदार गिरधारी द्वारा की गई संदिग्ध पहचान थी। अपील के तहत फैसले में पूरी तरह से निर्धारित कुछ अन्य साक्ष्य, उनके खिलाफ

कमिटिंग मजिस्ट्रेट अदालत में दिए गए थे; लेकिन हमारी राय में, सत्र के समक्ष दिए गए रामसरन (पीडब्लू १३१) के साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उसके बयान का प्रभाव इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि वह सभी महत्वपूर्ण मूल्यों से वंचित हो जाता है। हमारे विचार से उस व्यक्ति के खिलाफ सबूत अपर्याप्त हैं। हम उसके विरुद्ध सभी दोषसिद्धि और सजाओं को अपास्त करते हैं तथा उसे आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करते हैं।

लालू (सत्र न्यायाधीश सं. ९४)
मजिस्ट्रेट की अदालत में पंचू ने जो बयान दिया है, उसके अनुसार उसने इस व्यक्ति को अन्य स्वयंसेवकों के साथ डुमरी की ओर जाते देखा था, और यह उसके खिलाफ एकमात्र ठोस सबूत है। साक्ष्य के आधार पर उसी सामान्य विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया, जिसे हमने दो या तीन अन्य अपीलकर्ताओं के मामले में स्वीकार किया था, लेकिन इस मामले में, हमारी राय में, वह साक्ष्य व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है। माधो नामक एक गवाह ने बताया कि, उक्त तिथि को रात होने के बाद, कुछ लोग उसके दरवाजे से १४ या १५ मीटर की दूरी पर आये और उसके पूछने पर बताया कि वे चौरा से आये हैं, जहां उन्होंने थाने को जला दिया था तथा अन्य कृत्य किये थे। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य को महसूस किया था कि माधव शायद ही उन लोगों को पहचान पाया होगा जो अंधेरे में उसके घर के पास से गुजरे थे; लेकिन वह यह मानता है कि जब उसने गवाहों से ये नाम पूछे तो उन्होंने उसे ये नाम बता दिए थे। माधो ने यह नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा किया और हम उनके साक्ष्य में इस तरह का बयान शामिल करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम यह नहीं मानते कि गवाह की ओर से सद्भावना को मानते हुए भी वह उन लोगों की पहचान के बारे में निश्चित हो सकता है जिनके साथ उसने बातचीत की थी, जिसके बारे में वह गवाही दे रहा है। हम लालू की अपील स्वीकार करते हैं, उसके विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं और उन पर लगाए गए आरोपों से उसे दोषमुक्त करते हैं।

नेउर, पुत्र रामफल (सत्र न्यायाधीश सं. १३०)
इस अभियुक्त के विरुद्ध वाद इस तथ्य पर आधारित है कि वह एक स्वयंसेवक है, साथ ही सत्र परीक्षण में गोमती और कुमार के साक्ष्य और पंचू द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान पर भी आधारित है। हालांकि हमें उनके मामले और अन्य मामलों के बीच अंतर करना होगा, जिनमें हमने दोषसिद्धि की पुष्टि की है, क्योंकि न तो कुमार और न ही गोमती नेउर द्वारा स्वयं उन दोनों के समक्ष दिए गए किसी भी बयान को साबित कर पाते हैं। यह भेद सारगर्भित है, क्योंकि यह इस विशेष अभियुक्त के विरुद्ध उसके कुछ सह-अभियुक्तों द्वारा दिए गए इकबालिया बयानों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं छोड़ता है, जिससे पंचू के बयान से न्यायालय द्वारा निकाले जाने वाले निष्कर्षों का समर्थन हो सके, जो निश्चित रूप से दोष का प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। हम नहीं मानते कि इन सामग्रियों के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की जानी चाहिए। हम नेउर के विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं तथा उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

शीयोलागन (सत्र न्यायाधीश सं. १९७)
यहाँ भी हमारे पास इस आरोपी के खिलाफ पंचू द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह कुमार के पास उसके विरुद्ध कहने को कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि दंगे के बाद उन्होंने उसे नहीं देखा। चूंकि सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों के कथित या सिद्ध फरार होने पर बार-बार जोर दिया है, इसलिए हम इस अवसर पर यह टिप्पणी कर सकते हैं कि हम इस तथ्य को (भले ही यह स्थापित हो) व्यावहारिक रूप से महत्व देते हैं कि किसी विशेष अभियुक्त ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसा किया था। हमारा मानना है कि जब दिनांक ४ फरवरी के दंगाइयों का अपनी अस्थायी विजय का नशा उतर गया और आम तौर पर यह महसूस किया जाने लगा कि चौरा पुलिस स्टेशन के विनाश से मौजूदा सरकार का तख्ता पलट नहीं हुआ है, तो आसपास के गांवों के सक्षम किसानों के बीच एक सामान्य दहशत जैसी स्थिति पैदा हो गई। कोई भी व्यक्ति जो यह जानता हो कि उसका नाम स्वयंसेवक के रूप में नामांकित किया गया है, या उसे संदेह हो कि किसी क्रियाशील भर्ती एजेंट ने उसका नाम स्वयंसेवक के रूप में भेजा है, चाहे उसकी पूर्ण सहमति हो अथवा न हो, उसे सामने नहीं आना चाहिए और कम से कम तब तक रास्ते से हटने का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक कि इसकी जानकारी न प्राप्त हो कि पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, हमें प्रतीत होता है कि हमारे सामने आए अपीलकर्ताओं की तरह ही लोगों के लिए आचरण का यह तरीका स्वाभाविक है कि हम इस तरह के फरार होने से किसी भी तरह के दोष का कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं।
इस अपीलकर्ता के विरुद्ध बाकी मामला बद्री (पी.डब्लू. सं. ६१) के साक्ष्य पर आधारित है, जिसे इस तथ्य के कारण कुछ हद तक कमतर आंका गया है कि उन्होंने पुलिस के सामने शीयोलागन का नाम नहीं बताया, तथा पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक द्वारा बहुत ही संदिग्ध और झिझक भरी

पहचान (सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए बेकार) की गई है। हमारी राय में इस आरोपी के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए। हम उसके विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं तथा उसे आरोपित अपराधों से दोषमुक्त करते हैं।

बुद्धू, पुत्र जगरूप (सत्र न्यायाधीश सं. ३४)
इस व्यक्ति को दोषी पाते हुए विद्वान सत्र न्यायाधीश और मूल्यांकनकर्ता संभवतः बिपत (पी.डब्लू. ११४) के साक्ष्य के एक अंश से बहुत प्रभावित हुए हैं, जो इस अभियुक्त का अपना चाचा है। साक्षी ने वस्तुतः यह बयान दिया कि दंगे के बाद की सुबह वह अभियुक्त हरद्वार और तीन अन्य लोगों से मिला, जिनमें (?) वह भी शामिल था और हरद्वार ने अन्य तीनों की उपस्थिति में उससे कहा कि वे चौरा गए थे और थाने को जला दिया गया था और लूट लिया गया था। हालाँकि साक्षी (?) ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट को बताया कि जब यह बातचीत हुई थी, तब हरद्वार अकेला था, और यह बुद्धू के खिलाफ उसके साक्ष्य के महत्व को काफी कम कर देता है। यह मानते हुए कि बयान तब दिया गया था जब बुद्धू मौजूद था, यह सह-अभियुक्त द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति की प्रकृति का बयान है, जिसमें बुद्धू को आरोपित किया गया है। इस प्रकार यह अधिक से अधिक सह-अपराधी द्वारा दिया गया बयान है, जो उस अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिया गया है जिसके मामले पर हम विचार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें लगता है कि इसे बहुत कम महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह अधिक से अधिक सह-अपराधी द्वारा दिया गया बयान है, जो उस अभियुक्त की अनुपस्थिति में दिया गया है जिसके मामले पर हम विचार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें लगता है कि इसे बहुत कम महत्व दिया जाना चाहिए। इस अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत बहुत कम हैं और व्यावहारिक रूप से इसका हर पहलू प्रतिकूल आलोचना के लिए खुला है; उदाहरण के लिए, मनोहर ने उसे उन लोगों में से एक के रूप में नामित किया है जिसे उसने एक घायल दंगाई रघुबीर केवट को ले जाने में मदद करते देखा था, लेकिन इस दावे का खंडन उसके अपने बयान में पहले दिए गए एक अंश से होता है। इसके अलावा मनोहर प्रारंभिक पहचान कार्यवाही में इस अभियुक्त को पहचानने में विफल रहा था। इसी तरह जिउराखान द्वारा उसकी पहचान को इस तथ्य से कमतर आंका जाता है कि जिउराखान मजिस्ट्रेट की अदालत में बुद्धू को पहचानने में असमर्थ था और यह व्यावहारिक रूप से नगण्य प्रतीत होता है। इससे हमें केवल दो संदिग्ध पहचानें मिलती हैं, गवाह छेदी और थग द्वारा, दोनों को सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में उस व्यक्ति को पहचानने में बहुत कठिनाई हुई। हमारी राय में बुद्धू के खिलाफ़ सबूत ऐसे नहीं हैं कि उसे दोषी ठहराया जा सके। हम उसकी अपील स्वीकार करते हैं, सभी आरोपों में उनकी दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं तथा उन्हें दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

मल्लू, पुत्र खिलावन (सत्र न्यायाधीश सं. १०६)
यह मनोहर द्वारा बिपत के संदिग्ध साक्ष्य में शामिल एक और व्यक्ति है, जो स्वयंसेवक रघुबीर को ले जाने में मदद करने वाले लोगों में से एक है। मनोहर प्रारंभिक पहचान कार्यवाही में उसे पहचानने में विफल रहा और हम बिपत पर भरोसा करने में असमर्थ हैं। इससे हमें केवल अभियोजन पक्ष के गवाह चत्तर द्वारा संदिग्ध पहचान और यह तथ्य बचता है कि मल्लू, जब जेल में भर्ती हुआ था, उसके बाएं हाथ पर जलने के निशान थे। इनमें से उसे कोई अन्य स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा गया। किसी भी मामले में, हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि उसके खिलाफ सबूत युक्तियुक्त संदेह से परे उसकी मिलीभगत को स्थापित करते हैं। हम जगरूप के बेटे बुद्धू के साथ-साथ उसे भी दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

सुएओनाथ, पुत्र जयपाल (सत्र न्यायाधीश सं. १९९)
जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही टिप्पणी की है कि सत्र परीक्षण में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके आधार पर इस अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सके। गवाह रामजीत द्वारा कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए साक्ष्य में उसे आरोपित किया गया था। उसके विरुद्ध व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि उसने स्वीकार किया है कि वह स्वयंसेवक है। हम इस साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहराने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सभी आरोपों में इस अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

शिवनाथ, पुत्र दुर्गा (सत्र न्यायाधीश सं. १०८)
इस व्यक्ति के विरुद्ध बहुत सारे साक्ष्य हैं। दंगे में उसकी संलिप्तता हर प्रश्न से परे सिद्ध हो चुकी है। विचार करने के लिए एकमात्र मुश्किल बात यह है कि उसके अपराध के प्रकार का मूल्यांकन किया जाए। दिनांक १४ फरवरी को जब सिविल सर्जन ने उसकी जांच की, तो उसके शरीर पर चार गोलियों के घाव थे, जैसे कि उसे दस दिन पहले थाने पर हुए हमले में लगी होंगी। दिनांक १३ फरवरी को उसने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया, जिसमें उसने डुमरी सभा में अपनी उपस्थिति स्वीकार की और कहा कि वह बाकी स्वयंसेवकों के साथ चौरा चला गया था। यह ध्यान देने वाली एक रोचक बात है कि पुलिस थाने में उपनिरीक्षक और स्वयंसेवकों

के नेताओं के बीच हुई बातचीत के विवरण में उसने बताया है कि उपनिरीक्षक की मानसिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि उन्होंने स्वयंसेवकों से कहा कि वे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वह (उपनिरीक्षक) स्वराज को 'महात्मा' (गांधी) को सौंप देंगे। यह संभवतः उन अफवाहों में से एक थी जो भीड़ में फैली थी कि उपनिरीक्षक ने क्या कहा था। शिवनाथ के अनुसार, कुछ ही देर बाद, किसी अज्ञात कारण से गोलियां चलने लगीं। उन्हें गोली मार दी गई और उन्होंने इस मामले में आगे कोई हिस्सा नहीं लिया। अपने स्वयं के बयान के आधार पर इस अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के अंतर्गत दंगा करने के साधारण अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, और हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए, यदि हम संतुष्ट हों कि उसे लगी चोटें इतनी गंभीर प्रकृति की थीं कि वह आगे की कार्रवाई के लिए अक्षम हो सकता है और यदि हमारे पास उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत न हो कि वह इतना अक्षम नहीं है। अभियोजन पक्ष के गवाह मनोहर, जो इस अभियुक्त को पहले से जानता था, ने उसका नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया है जिसे उसने दंगे के बहुत बाद के चरण में पुलिस थाने में आग लगाने के लिए घास लाते हुए देखा था। सिविल सर्जन के साक्ष्य में दिए गए घावों के विवरण से हमें ऐसा नहीं लगता कि वे ऐसे थे कि उन्हें प्राप्त करने वाला व्यक्ति अक्षम हो गया होगा और हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि मनोहर के बयान पर विश्वास किया जाना चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि इस अभियुक्त को सही रूप से दोषी ठहराया गया है और साक्ष्य के आधार पर उसे आग लगाने वालों में रखा जाना चाहिए।

बहादुर उर्फ गदुरा (सत्र न्यायाधीश सं. १३)
यह एक अन्य आरोपी है जिसके बारे में मेडिकल साक्ष्य से यह साबित होता है कि उसे दंगे में गोली लगी थी। दिनांक ८ फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष उसने स्वयं ही इस मामले का विवरण दिया। उसने स्वीकार किया कि उसे डुमरी में स्वयंसेवकों की एक सभा में बुलाया गया था, वह भूपा बाजार में अन्य लोगों के साथ शामिल हुआ और उनके साथ पुलिस थाने गया। उसने सामान्य सी बात कही कि किसी अज्ञात कारण से गोलियां चलाई गईं और घायल होने पर वह वहां से चला गया। उसने स्वयं ही बताया कि उसका घाव मामूली था, क्योंकि वह अपनी सामान्य दिनचर्या पर लौट आया था। उसका नाम गवाह सोहन ने बताया है, जिसने कहा है कि उसने दंगे के दौरान उसे कंकड़ फेंकते देखा था और एक अन्य गवाह जड्डू ने उसकी पहचान की थी। इसके अलावा, गोकुला (पी.डब्लू. ११९) ने उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत दिए हैं। गवाह ने कहा कि दंगे के अगले दिन दोपहर के समय बहादुर उसके पास आया और उसे पुलिस थाने को जलाने, टेलीग्राफ के तार काटने, रेलवे लाइन को तोड़ने के बारे में सब कुछ बताया और इन कारनामों में शामिल होने की बात स्वीकार की। इस अभियुक्त को सही रूप से दोषी ठहराया गया है, और यदि वह युवा न होता तो हमें उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में वर्गीकृत करना चाहिए था।

रामरूप, पुत्र सुक्खू (सत्र न्यायाधीश सं. १६८)
यह अभियुक्त बिपत के साक्ष्य में शामिल व्यक्तियों में से एक है, जिसे हमने अविश्वसनीय माना है, सिवाय हरद्वार के विरुद्ध । हालाँकि, गांव के चौकीदार मनोहर द्वारा दंगाइयों में से एक के रूप में उनकी सकारात्मक पहचान की गई है और दो अन्य चौकीदारों थग और अलग्गू द्वारा भी लगातार उनकी पहचान की गई है। हम संतुष्ट हैं कि दंगे में उसकी सामान्य मिलीभगत साबित हुई है और मुख्य आरोप पर उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि की जानी चाहिए।

हरद्वार (सत्र न्यायाधीश सं. ६४)
इस व्यक्ति के विरुद्ध हम बिपत के साक्ष्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, इस सीमा तक कि उसने गवाह के समक्ष ऐसा बयान दिया जो दंगे में सहयोग की स्वीकारोक्ति के बराबर था। वह निश्चित रूप से एक स्वयंसेवक था। मनोहर के साक्ष्य में वह पूरी तरह से शामिल है और मुकदमे के दौरान कम से कम छह अन्य गवाहों ने उसकी पहचान की थी। हमें उसके बचाव में कोई बल नहीं दिखता और हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।

सेवक (सत्र न्यायाधीश सं. १८८)
हमारे पास इस अभियुक्त के डुमरी में बैठक के लिए प्रस्थान करने के साक्ष्य हैं। वह निस्संदेह एक स्वयंसेवक था और यह स्वाभाविक रूप से असंभव है कि वह स्वयंसेवकों के बाद के कारनामों में अपनी भूमिका निभाए बिना डुमरी गया होगा। इन परिस्थितियों में हमें अभियोजन पक्ष के गवाह बद्री के सकारात्मक साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता, जिसने अभियुक्त को कंकड़ फेंकने वाले दंगाइयों में से एक के रूप में देखा और पहचाना। रामलगन (पी.डब्लू. ११६) के साक्ष्य के अलावा, यह भी है कि दंगे के बाद जब सेवक अपने घर लौटा तो उसने गवाह को पुलिस थाने को जलाने और पुलिसकर्मियों

की हत्या के बारे में बताया और स्वीकार किया कि यह सब स्वयंसेवकों ने किया था, जिनमें वह स्वयं भी एक था। हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

महाबली (सत्र न्यायाधीश सं. ९८)

यह चौकीदार गवाह मनोहर के साक्ष्य में मुख्य रूप से शामिल आरोपियों में से एक है; लेकिन हमारे पास पुष्टि के तौर पर गवाह सरजू द्वारा की गई पहचान है और यह तथ्य भी है कि गवाह उमा ने, कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान में, इस अभियुक्त की पहचान बहुत सकारात्मक रूप से उन दंगाइयों में से एक के रूप में की है, जिन्हें उसने ईंट-पत्थर फेंकते और बाद में पुलिस थाने के गेट के पास लकड़ी की बाड़ को तोड़ते हुए देखा था। यह तथ्य कि उमा बाद में सत्र परीक्षण में इस अभियुक्त को पहचानने में विफल रही, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष दी गई उसकी गवाही के प्रभाव को पूरी तरह से कम नहीं माना जा सकता है, जबकि उसकी याददाश्त ताज़ा थी। मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए उनके बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २८८ के अंतर्गत रिकार्ड में लाया गया है। मजिस्ट्रेट को दिए गए उसके बयान को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २८८ के अंतर्गत रिकॉर्ड पर लाया गया है। सत्र परीक्षण में इस अभियुक्त की दो बार पहचान गवाहों झकरी और गिरधारी द्वारा की गई थी, जिन्हें यदि वे अकेले होते तो हम विश्वसनीय नहीं मानते, लेकिन वे हमें यह संतुष्टि प्रदान करते हैं कि हम मनोहर और सरजू के प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा ऊपर उल्लिखित उमा के बयान के आधार पर सुरक्षित रूप से कार्य कर सकते हैं। महाबली निस्संदेह एक स्वयंसेवक था। उसने अपने बचाव में सुझाव दिया है कि मनोहर ने इस कारण से उसे भयादोहन करने का प्रयास किया और जब उसने कुछ भी भुगतान करने से इनकार कर दिया तो उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया। यह आरोप सबूतों द्वारा समर्थित नहीं है और हमें नहीं लगता कि मनोहर दूसरे गवाह की गवाही हासिल कर सकता था जिसने महाबली के खिलाफ सबूत दिया था। हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

महादेव, पुत्र कुंज बिहारट (सत्र न्यायाधीश सं. १०२)

मनोहर ने बताया कि यह आरोपी उन लोगों में से एक है जिसे उसने घायल दंगाई रघुबीर को ले जाने में मदद करते देखा था। दंगे में उसकी भागीदारी के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जो कंकड़ फेंकने वाले लोगों में से एक था, और हम इस तथ्य को कुछ सीमा तक महत्व देते हैं कि मजिस्ट्रेट की अदालत में बालक हरहंगी ने उसकी पहचान की थी, हालांकि गवाह सत्र परीक्षण के दौरान उसका चेहरा या रूप याद नहीं कर पाया। हम जगन्नाथ (पी.डब्लू. ६०) के सकारात्मक कथन को स्वीकार करते हैं कि उसने इस अभियुक्त को उन व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचाना, जिन्हें उसने पुलिस थाने के गेट-पोस्ट में से एक लकड़ी के मोटे टुकड़े से एक कांस्टेबल पर प्रहार करते देखा था। अभियोजन पक्ष के गवाह भगेलू ने साबित किया कि यह अपीलकर्ता, जो निस्संदेह एक स्वयंसेवक था, ने डुमरी में बैठक में आने के लिए स्वयंसेवकों को बुलाने में सक्रिय भूमिका निभाई और रामलगन (पी.डब्लू. ११६) के साक्ष्य ने महादेव को अभियुक्त सेवक के साथ फंसाया, जिसकी सजा हम पहले ही पुष्टि कर चुके हैं। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि महादेव को सही रूप से दोषी ठहराया गया था और दुर्भाग्यशाली पुलिस कांस्टेबलों में से एक की हत्या में उनकी वास्तविक भागीदारी के खिलाफ विश्वसनीय सबूत हैं।

मातर (सत्र न्यायाधीश सं. ११०)

इस व्यक्ति के विरुद्ध मामले के संबंध में हमारे समक्ष कुछ तर्क आए हैं कि हम इस तथ्य को किस हद तक ध्यान में रख सकते हैं कि वह अपने सह-आरोपी दुखी द्वारा दिए गए आंशिक इकबालिया बयान में आरोपित किया गया है। किसी भी स्थिति में, हमें स्वयं अभियुक्त से यह पता चला है कि दुखी द्वारा नाम लिए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वह बिना किसी सबूत के यह दावा करता है कि दुखी ने एक छोटे से झगड़े के कारण ऐसा झूठा आरोप लगाया था। गवाह शिवराज, मनोहर और दुखी द्वारा दिए गए साक्ष्यों के अनुसार दंगे में उनकी सक्रिय भूमिका साबित हुई है। वह निस्संदेह एक स्वयंसेवक था। हमें उसके बचाव में कोई ठोस आधार नहीं मिला और हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

मनराज (सत्र न्यायाधीश सं. १०९)

कुसमी समुदाय से संबंधित एक अन्य आरोपी मनराज सथरी गांव का निवासी है। सरकारी गवाह ठाकुर ने उसका नाम उन दंगाइयों में से एक के रूप में लिया है, जिन्हें उसने हाथ में डंडा लिए देखा था। सबसे महत्वपूर्ण बात उनके गांव के चौकीदार राजबली के बयान की पुष्टि करती है। हमारे सामने इस बात पर काफी बहस हुई है कि क्या इस गवाह का साक्ष्य उसके द्वारा बताई गई कहानी की

अंतर्निहित असंभावना के कारण बदनाम है या नहीं। इस बिन्दु पर सर्वोत्तम विचार करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इस गवाह की स्थिति में एक व्यक्ति जो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के भय तथा पुलिस थाने में वास्तव में क्या हो रहा है, यह देखने की जिज्ञासा के बीच विभाजित था, वह आसानी से उस तरह से व्यवहार कर सकता था जैसा कि राजबली ने कहा है। हम उनके इस कथन को स्वीकार करते हैं कि उन्होंने आरोपी मनराज को दंगाइयों के बीच देखा था, कि आरोपी के पास एक लकड़ी का डंडा था, जो संभवतः पुलिस थाने के प्रवेशद्वार से तोड़ा गया एक डंडा था, तथा उन्होंने आरोपी के कपड़ों पर तेल और खून के धब्बे देखे थे। पहचान के लिए कुछ और साक्ष्य हैं तथा मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस अभियुक्त के विरुद्ध अनुमोदक के सकारात्मक साक्ष्य पूर्णतः तथा पर्याप्त रूप से पुष्ट हैं। उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है और हमें उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में वर्गीकृत करना चाहिए। अब हम आरोपियों के एक छोटे समूह के मामले पर चर्चा करेंगे जो थुन्नी गांव से हैं, जिसे थुन्नी बाजार भी कहा जाता है।

गंगा, पुत्र मुल्हू (सत्र न्यायाधीश सं. ५४)

इस अभियुक्त को मुख्य रूप से बिल्लर (पीडब्लू?) द्वारा दिए गए साक्ष्य और बिल्लर नाम के एक गवाह द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में आरोपित किया गया है, जो उस समय कहीं नहीं था जब मामला सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए आया था। इस बयान को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा १२ के तहत साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। यदि इस साक्ष्य पर विश्वास किया जाए तो गंगा निश्चित रूप से उन लोगों में शामिल था जो डुमरी में बैठक के लिए निकले थे, और बिल्लर ने गवाही दी कि जब वह शाम को लौटा तो वे पुलिस थाने के विनाश का बखान कर रहे थे। बिहारी ने भी ऐसा ही साक्ष्य दिया, सिवाय इसके कि उसने केवल आरोपी गरीब से ही सुना कि उसने और अन्य स्वयंसेवकों ने क्या किया था। दंगे में अभियुक्त की भागीदारी को साबित करने के लिए प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य व्यावहारिक रूप से लापरवाही है, लेकिन जब उसे १५ मार्च को गिरफ्तार किया गया तो उसके माथे पर एक संदिग्ध निशान पाया गया, जिसे वह स्वयं बैल के सींग का निशान बताता है, जो स्पष्ट रूप से एक असंभावित बयान है। इस विशेष मामले में यह तथ्य कि पुलिस को संदिग्ध व्यक्ति के रूप में उसका नाम प्राप्त होने के बाद भी एक महीने से अधिक समय तक आरोपी का पता नहीं चल सका, वास्तविक महत्व रखता है, क्योंकि उसके शरीर पर चोट के निशान के साक्ष्य के संबंध में उस पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि, हालांकि उसके खिलाफ उपलब्ध सबूत कमजोर थे, यह विश्वसनीय है और मुख्य आरोप पर उसकी सजा को उचित ठहराता है।

ग़रीब (सत्र न्यायाधीश सं. ५७)

यह अभियुक्त भी स्वयंसेवक था और उसके विरुद्ध सबूत बहुत हद तक उसी तरह के हैं जिस तरह हम अभी गंगा, पुत्र मल्हू के विरूद्ध विचार कर रहे हैं। यह इसलिए भी मजबूत है क्योंकि वह बिहारी द्वारा दिए गए बयान में सीधे तौर पर शामिल है, जब वह भर्ती हुआ था तब उसके शरीर पर कई चोटें थीं (?)। मजिस्ट्रेट के सामने लड़के हरहंगी ने उसकी पहचान की थी। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

रामधन, पुत्र हरनाम (सत्र न्यायाधीश सं. १५५)

इस अभियुक्त का मामला उन दो मामलों से अलग नहीं किया जा सकता जिन पर हम अभी विचार कर रहे हैं। हम सत्र परीक्षण में रमेशर द्वारा दिए गए पहचान साक्ष्य के साथ-साथ बिल्लर और बिहारी की गवाही को स्वीकार करते हैं जो दर्ज की गई सजा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है।

शियोबरन, पुत्र रामेशर (सत्र न्यायाधीश सं. १९४)

इस अभियुक्त का मामला फिर से उन मामलों से निकटता से संबंधित है जिन पर हम अभी विचार कर रहे हैं। बिल्लर और बिहारी की गवाही में उसे फंसाया गया था। शंकरदयाल ने उसे स्वयंसेवकों के बीच देखा था और नेउर और छेदी ने उसे सीधे पहचाना था। किसी भी मामले में पूर्व द्वारा की गई पहचान विश्वसनीय प्रतीत होती है। हमें अभियुक्त के बचाव में कोई तथ्य नहीं मिला और हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया था। अब हम मोतीपाकन गांव के तीन आरोपियों के मामले पर चर्चा करेंगे

अजुधिया, पुत्र महंगी (सत्र न्यायाधीश सं. ३)

सरकारी गवाह ठाकुर ने गवाही में कहा कि यह व्यक्ति उन दंगाइयों में शामिल था, जिन्होंने पुलिस थाने की इमारतों की छत गिराने में सहायता की थी। उसने कहा कि उसने

एक बीम को बाहर निकालते और टाइलों को तोड़ते हुए देखा। मजिस्ट्रेट की अदालत में ठाकुर ने गवाही दी कि यह हथियारबंद व्यक्ति दंगे में बीम से हमला कर रहा था। हमारी राय में यह विसंगति बहुत गंभीर नहीं है, लेकिन सजा के मामले में हमें अभियुक्त को सत्र परीक्षण में उसके विरुद्ध दिए गए तुलनात्मक रूप से कम दोषपूर्ण बयान का लाभ देना चाहिए। अभियुक्त को लाल मुहम्मद द्वारा दिए गए बयान के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किया गया था। निस्संदेह वह पुलिस स्टेशन पहुंचने से ठीक पहले स्वयंसेवकों के मुख्य समूह के साथ था। इस बिंदु पर हम बंधु, पी.डब्लू. ८८, और सरदार हरचरण सिंह के साक्ष्य पर भरोसा करते हैं। गवाह छेदी द्वारा उसे दंगे में शामिल बताया गया है और दो अन्य गवाहों द्वारा उसकी पहचान की गई है, जिनमें से एक, तापसी ने उसे एक दंगाई के रूप में वर्णित किया है, जिसे उसने थाना जलाने में संलिप्त देखा था। हमें लगता है कि सरकारी गवाह के साक्ष्य पर्याप्त रूप से पुष्ट हैं। महांगी के बेटे अजुधिया की मुख्य आरोप में दोषसिद्धि की पुष्टि की जानी चाहिए और सजा के मामले में हमें उसे उन आरोपियों में शामिल करना चाहिए जो कम से कम आगजनी के व्यक्तिगत रूप से दोषी थे।

मल्लू, पुत्र रघुनाथ (सत्र न्यायाधीश सं. १०७)

इस अभियुक्त ने १२ फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। उसके सिर पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बारे में वह कुछ बताना चाहता था। इस अभियुक्त ने दिनांक १२ फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। उसके सिर पर चोट के निशान पाए गए, जिसके बारे में वह कुछ बताना चाहता था। उसने बताया कि वह मुंडेरा के बाजार से वापस आ रहा था, तभी वह किसी तरह चौकीदारों और ग्रामीणों के बीच झगड़े में शामिल हो गया, जो थाने के सामने हो रहा था। उसने आगे बताया कि झंडे लिए स्वयंसेवक भी वहां मौजूद थे। इस उलझन में किसी ने उसके सिर पर वार किया और वह भीड़ में किसी को पहचान नहीं पाया और भाग गया। गवाह बिरजा द्वारा दिए गए साक्ष्य में वह सीधे तौर पर आरोपित किया गया है और छेदी और जिउराखान ने उसकी पहचान की है। हम यह साबित करते हैं कि वह न केवल मौजूद था, बल्कि उसने अन्य अभियुक्तों के साथ दंगे में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

पिरथी (सत्र न्यायाधीश सं. १३९)

इस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया है कि दंगे के दौरान उसके चेहरे पर गोली लगने से घाव हो गया था। बहस के दौरान इस साक्ष्य को गलत साबित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि घाव का कभी भी विशेषज्ञ परीक्षण नहीं किया गया था। हम दिनांक १२ फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिए गए इस स्पष्ट बयान को गलत साबित करने का कोई कारण नहीं देख सकते कि उसे ठोड़ी के दाहिने हिस्से पर गोली लगी थी। रघुनाथ के बेटे मल्लू की तरह उसने भी कहा कि मुंडेरा बाजार से लौटते समय वह गलती से भीड़ में शामिल हो गया था। गवाह शंकरदयाल ने उन्हें स्वयंसेवकों की भीड़ के बीच या तो डुमरी में देखा था, या जब वे पुलिस थाने की ओर कूच करते हुए भोपा बाजार में रुके थे। इस आरोपी के विरूद्ध और कोई सबूत नहीं है। हमें लगता है कि हम गवाह लछमन की दंगाइयों में से एक के रूप में पहचान को स्वीकार कर सकते हैं। हमारी राय में उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। अपीलकर्ताओं में से पांच जोधपुर के गांव से हैं। इनमें से एक के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला हमें संतुष्ट नहीं करता।

बांसी (सत्र न्यायाधीश सं. १८)

यह व्यक्ति निश्चित रूप से स्वयंसेवक था। दंगे में उसकी भागीदारी के सबूत बहुत कम हैं। इस मामले में उसके खिलाफ एकमात्र गवाह चौकीदार जगन्नाथ है और जब कोई प्रत्यक्ष पुष्टि नहीं है तो हम इस गवाह पर पूर्णतः भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आरोपों पर इस आरोपी की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दोषमुक्त करने का आदेश दर्ज करते हैं।

इस गांव के शेष आरोपियों के विरुद्ध हमारी राय में साक्ष्य विश्वसनीय हैं।

झिंगनु (सत्र न्यायाधीश सं. ८०)

वह एक स्वयंसेवक था और जगन्नाथ और माताबदल के पास दंगे में उसकी वास्तविक भागीदारी के सबूत हैं। वह गोली लगने से घायल हो गया था और उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसमें उसने कहा था कि वह चौरा के बाजार से गुजर रहा था, तभी उसने स्वयंसेवकों को अपनी ओर आते देखा और गोलीबारी की आवाज सुनी। फिर वह गोली लगने से घायल हो गया और भाग गया। इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वह वास्तव में दंगे में भाग ले रहा था। उसे उचित रूप से दोषी ठहराया गया है।

मुन्नी (सत्र न्यायाधीश सं. ११७)

इस अभियुक्त के विरूद्ध मामले में केवल एक ही कठिनाई है। माताबदल और जगन्नाथ द्वारा दिए गए साक्ष्यों में वह फंसा हुआ है, जो दोनों उसे पहले से जानते थे, और उसके खिलाफ दो अन्य पहचानें भी हैं, जो गवाहों द्वारा की गई हैं, जो उसे कमिटिंग मजिस्ट्रेट की अदालत में पहचानने में असमर्थ थे। उनके विरूद्ध सबूत का मुख्य विश्वसनीय स्रोत उनके अपने गांव के चौकीदार दुबरी का बयान है, जिसका कहना है कि वह व्यक्ति स्वयंसेवक है और उसने उसे दंगे के दौरान कंकड़ फेंकने वाले लोगों के बीच देखा था। उसके विरूद्ध सबूतों में मुश्किल बात यह है कि माताबदल, जो निस्संदेह उसे जानता था और जिसने पुलिस के सामने उसका नाम बताया था, मजिस्ट्रेट की अदालत में उसे पहचानने में असमर्थ था। हमारा मानना है कि यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जिसमें हवालात में बंद रहने के दौरान आरोपी के चेहरे पर दाढ़ी मूँछ उग आने के कारण उसका स्वरूप बदल गया था। उसके विरूद्ध समग्र साक्ष्य के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

तुलसी (सत्र न्यायाधीश सं. २२४)

इस अभियुक्त के खिलाफ उसके अपने गांव के दुबरी चौकीदार और जगन्नाथ तथा माताबदल के साक्ष्य हैं, जो दोनों उसे पहले से जानते थे। गवाह शियोराज ने उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की थी जिसे उसने दंगे में ईंट-पत्थर फेंकते और दूसरों को हड़ताल के लिए उकसाते देखा था। विवेचना के प्रारंभिक चरण में ही उसका नाम पुलिस को बता दिया गया था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उसके बचाव पर काफी विस्तार से चर्चा की है और यद्यपि मूल्यांकनकर्ता संतुष्ट नहीं थे, फिर भी हमें प्रतीत होता है कि उसके खिलाफ समग्र रूप से विचार किए गए साक्ष्य उसकी सजा को पूरी तरह से उचित ठहराते हैं।

सहदेव, पुत्र गद्दी (सत्र न्यायाधीश सं. १८०)

चौकीदार जगन्नाथ और दुबरी ने इस अभियुक्त का नाम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया है जो दंगे में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था। उसे कई अन्य गवाहों ने पहचाना है। उसने पहले स्वीकार किया, लेकिन बाद में एक नामांकित स्वयंसेवक होने के कारण इनकार कर दिया। इस बिंदु पर उसके खिलाफ जगन्नाथ का साक्ष्य प्रभावी है और इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यहां भी मूल्यांकनकर्ता स्वयं को संदिग्ध बताते हैं, लेकिन हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि साक्ष्य उस सजा को सही ठहराते हैं जिसे उन्होंने दर्ज किया है। शिवपुर गांव से हमारे पास सात अपीलकर्ताओं का एक समूह है, जिनमें से छह के विरुद्ध हमारा मानना है कि मुख्य अपराध पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। जिस एक व्यक्ति के पक्ष में हम अपवाद करते हैं, वह (?) है।

शियो चरण (सत्र न्यायाधीश सं. १९७)

अभियुक्त द्वारा उसके स्वयंसेवक होने से इनकार करने का खंडन करने के लिए कोई संतोषजनक सबूत नहीं है। उसके खिलाफ मामला हसनु और बिशेषर द्वारा उसकी पहचान पर आधारित है, जिनमें से कोई भी उसे पहले से नहीं जानता था, और जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्वीकार किया है, उनके साक्ष्य कुछ बिंदुओं पर प्रतिकूल टिप्पणी के लिए खुले हैं। हम इस सबूत से संतुष्ट नहीं हैं। हम सभी आरोपों में शियो चरण की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दोषमुक्त करते हैं।

जगदेव, पुत्र बैज नाथ (सत्र न्यायाधीश सं. ७०)

यह भी उन लोगों में से एक है जो दंगे के दौरान गोली लगने से घायल हो गए थे। दिनांक १९ फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान में उसने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था। अन्य लोगों की तरह उसने भी कहा कि वह विपरीत दिशा से आते समय गलती से भीड़ में शामिल हो गया था। उसका यह दावा कि उसने वहां अपने ही गांव के एक व्यक्ति को देखा था, विशेष रूप से संदेहास्पद है, क्योंकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस घटना के समय शिवपुर से स्वयंसेवकों का एक दल मौजूद था। यह अभियुक्त निस्संदेह स्वयंसेवक है और हमारे पास उसके विरूद्ध गवाह जिउधन और खिलावन, चौकीदार जो उसे नाम से जानते हैं, के प्रत्यक्ष साक्ष्य हैं कि वह दंगे में शामिल हो रहा था। उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया।

लक्ष्मण, पुत्र शियो दयाल (सत्र न्यायाधीश सं. ९१)

यह एक अन्य व्यक्ति है जो निश्चित रूप से स्वयंसेवक है। चौकीदार राम लाल

द्वारा दिए गए साक्ष्य में उसे कंकड़ फेंकने वाले दंगाइयों में से एक के रूप में आरोपित किया गया है। उसके अपने गांव के चौकीदार खिलावन ने उसे दिन में बाद में पुलिस स्टेशन की दिशा से भागते हुए देखा। यदि इस अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को और अधिक प्रभावी बनाने की कोई इच्छा होती, तो खिलावन के लिए यह दावा करना आसान होता कि उसने दंगे के दौरान उस व्यक्ति को देखा था, जबकि वह इसके विपरीत स्वीकार करता है। गवाह रमेशर और उमा द्वारा दंगाइयों में से एक के रूप में उसकी पहचान विश्वसनीय लगती है, और इस बात के सबूत हैं कि वह डुमरी में सभा में मौजूद था। हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

पत्ती (सत्र न्यायाधीश सं. १३७)

इस अभियुक्त के खिलाफ़ सबूत का मुख्य बिंदु चौकीदार खिलावन का बयान है, कि जब वह, गवाह, पुलिस थाने से भागने की कोशिश कर रहा था, तो अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से उसे छुड़ाया गया। उसका नाम भी (?) ने दिया है, जिसने दिनांक ८ फरवरी को पुलिस को अपना नाम बताया और गवाह बिंध्याचल और उमा ने उसकी पहचान की। उनके मामले की सबसे रोचक बात दिनांक ३ मार्च को मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया उनका अपना बयान है। वहां उसने स्वीकार किया कि वह संभवतः स्वयंसेवकों के मुख्य दल के साथ भोपा से चौरा पुलिस थाने आए थे। उसने आगे कहा कि जब गोलियाँ चलने लगीं तो वह भाग गया और उसने यह भी कहा कि गलती से उसकी टक्कर चौकीदार खिलावन से हो गई, जो उसी समय पुलिस थाने से बाहर भाग रहा था। यह असंभव बात हमें अभियुक्त द्वारा बचाव के लिए प्रस्तुत की गई सबसे अच्छी कहानी लगती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि (?) का सकारात्मक सबूत होगा। अभियुक्त ने बाद में कमिटिंग मजिस्ट्रेट को बताया कि दिनांक ३ मार्च का बयान (प्रदर्श २७७) उसने ही लिखवाया था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसने जबरन आरोपी के अंगूठे का निशान उस पर लगाया था, जो बयान दर्ज करने की पुष्टि करता है। हमें यह समझना कठिन लगता है कि मूल्यांकनकर्ताओं ने इस अभियुक्त को इस प्रकार से निर्दोष कैसे पाया। ऐसा भी नहीं है कि उसने दिनांक ३ मार्च को जो कहानी सुनाई थी, उस पर ही कायम रहा हो। जाहिर है, वे इस तथ्य से प्रभावित थे कि वह एक बूढ़ा व्यक्ति (लगभग ५२) है और उन्हें लगा कि इतने बूढ़े और कमजोर व्यक्ति का ऐसे मामले में कोई हाथ नहीं है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान सत्र न्यायाधीश की राय सही थी और हम मुख्य आरोप में पत्ती की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं।

रामजतन (सत्र न्यायाधीश सं. १६१)

इस अभियुक्त के खिलाफ मुख्य गवाह पुनः चौकीदार खिलावन है। दंगे के चार चश्मदीद गवाहों ने उसकी पहचान या तो कंकड़ फेंकते हुए या फिर आग को जलाने के लिए घास लाने के लिए की है। दिनांक १२ फरवरी को उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया, जिसमें उसने स्वीकार किया कि डुमरी में बैठक में बुलाने का संदेश मिलने के बाद वह भोपा में स्वयंसेवकों की भीड़ में शामिल हो गया और भीड़ के साथ पुलिस थाने तक चला गया। उसने कहा कि जैसे ही गोलियाँ चलनी प्रारम्भ हुईं, वह भाग गया। उसके विरूद्ध साक्ष्य हमें संतुष्ट करते हैं कि वह वहीं रुका और कम से कम पुलिस पर कंकड़ फेंकने तक दंगे में शामिल हुआ।

राम लोचन (सत्र न्यायाधीश सं. १६४)

यह एक और आरोपी है जिसे खिलावन के साक्ष्य में आरोपित किया गया है। उसका नाम रकबा के जिउधन ने पुलिस को बताया था, जिसने यह बयान दिया कि वह व्यक्ति एक प्रमुख स्वयंसेवक था और उसने दंगे के दौरान उसे कंकड़ फेंकते हुए देखा था। मोहर (पी.डब्लू.१७) और रामजीत के बयान में उसके विरूद्ध अन्य साक्ष्य हैं। हमें अपील के तहत निर्णय में बताए गए इस आरोपी के बचाव में कोई सार नहीं मिला और मुख्य आरोप पर उसकी दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं।

सूरत (सत्र न्यायाधीश सं. २१३)

यह एक और आरोपी है जो रकबा के जिउधन चौकीदार और खिलावन तथा उमा की गवाही में आरोपित किया गया है। उसने दिनांक १२ फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि वह समन का पालन करते हुए डुमरी में बैठक में गया था और वह भीड़ के साथ चला गया, 'गांधी जी की जय' के नारे लगाता रहा, जब तक कि वे पुलिस स्टेशन से आगे नहीं निकल गए। उसने स्वीकार किया कि उसे स्वयंसेवकों में शामिल किया गया है, लेकिन कहा कि ऐसा मजबूरी में किया गया क्योंकि इंदरजीत नामक व्यक्ति ने उससे कहा था कि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। बाद में उसने दावा किया कि उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष कभी कोई बयान नहीं दिया तथा उसका बयान प्रदर्श संख्या २७० हास्यास्पद है कि अवश्य ही जिउधन द्वारा लिखवाया गया होगा, जबकि वह उसे अपना शत्रु बताता है। हम संतुष्ट हैं कि उसे सही तरीके से दोषी

ठहराया गया है। बरहाऊ गांव से तीन अपीलकर्ताओं का एक छोटा समूह है, जिनमें से प्रत्येक के खिलाफ, जैसा कि होता है, हम अभियोजन पक्ष का मामला असंतोषजनक पाते हैं।

बड़कू (सत्र न्यायाधीश सं. २०)

वह व्यक्ति निस्संदेह एक स्वयंसेवक था; लेकिन जहां तक दंगे में उसकी भागीदारी का प्रश्न है तो मामला हरहंगी, नेउर और छेदी द्वारा उसकी पहचान पर आधारित है, जिनमें से कोई भी उसे पहले से नहीं जानता था। उसने अपने दावे में कुछ विस्तार से बताया कि वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। इस बहाने के समर्थन में कुछ सबूत मौजूद थे, हालांकि वे शायद पूरी तरह निर्णायक नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे मूल्यांकनकर्ता प्रभावित हुए और उन्होंने उसे निर्दोष करार दिया। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि पहचान संबंधी साक्ष्य, जो कि तीन गवाहों का है, जिनमें से प्रत्येक ने अन्य अभियुक्तों के संबंध में प्रतिकूल टिप्पणी के लिए स्वयं को खुला छोड़ दिया है। हम बड़कू के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

राम सरन, पुत्र रमेशर (सत्र न्यायाधीश सं. १७०)

सत्र परीक्षण में इस अभियुक्त के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था, सिवाय गवाह सोहन द्वारा उसकी पहचान के, जो उससे पहले दंगे में कंकड़ फेंकने वाले व्यक्ति के रूप में से परिचित नहीं था। नेउर नामक लड़के ने मजिस्ट्रेट न्यायालय में अभियुक्त की पहचान की थी, लेकिन सत्र परीक्षण के समय तक वह उसकी शक्ल भूल चुका था। हालाँकि वह व्यक्ति स्वयंसेवक है, लेकिन हमें उसके विरुद्ध साक्ष्य इतने कमज़ोर लगते हैं कि उसे किसी भी आरोप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए हम उसे दोषमुक्त करते हैं।

सरूप, पुत्र गणेश (सत्र न्यायाधीश सं. १८६)

इस अभियुक्त के विरुद्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि दिनांक २० फरवरी को सिविल सर्जन द्वारा जांच किए जाने पर उसके शरीर पर संदिग्ध चोट के निशान पाए गए। उसने कहा कि वह अपने घर का छप्पर गिरा रहा था तब उसे बांस से चोट लगी थी । निश्चित रूप से (?) ऐसा लगता है कि यह सच यह हो सकता है कि उसे ये चोटें पुलिस थाने की छत गिराते समय लगी थीं, और यही बात उसके खिलाफ शुब्रती (पी.डब्लू. २८) ने अपने मुकदमे में आरोप लगाया था।

इस तथ्य के बावजूद कि शुब्रति उस व्यक्ति को पहले से नहीं जानती थी; यदि शुब्रति सुसंगत होती, तो हम इस साक्ष्य के आधार पर उसे दोषी ठहरा सकते थे; लेकिन हम पाते हैं कि बार-बार प्रयास करने के बावजूद, शुब्रति कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष इस अभियुक्त को पहचानने में पूरी तरह से असमर्थ थी। इसी प्रकार, इस अपीलकर्ता को दोषी ठहराने वाले एकमात्र अन्य गवाह शियोराज (पी.डब्लू. ४०) द्वारा दिए गए साक्ष्य असंगत हैं तथा उन पर प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य संतोषजनक नहीं हैं। हम इस अभियुक्त की दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हैं। गौरी पुलिस क्षेत्र के बरमपुर गांव से हमारे पास तीन अपीलकर्ताओं का एक छोटा सा समूह है।

बिपत (सत्र न्यायाधीश सं. ३०)

हमारे पास इस अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य हैं कि वह उन लोगों में से एक था जो दिनांक ४ फरवरी से पहले शराब ठेकेदारों को धमका रहा था। दो गवाह, फेंकू और घुन्नू, स्वतंत्र रूप से साक्ष्य देते हैं कि वे दंगे से लौटते समय महादेव भुज और सरूप भर के साथ इस आरोपी से मिले थे और बिपत ने उनकी उपलब्धियों का बखान किया था। हमें इस साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखता, और हमारे पास यह तथ्य भी है कि बिपत की पहचान ४ चौकीदारों ने स्वतंत्र रूप से की है, जो उसे पहले से नहीं जानते थे, वह दंगे में भाग लेने वाले व्यक्तियों में से एक है। उसकी दोषसिद्धि उचित थी। उपरोक्त निष्कर्ष, विरुद्ध मामले को भी प्रभावित करता है।

महादेव, पुत्र सुखलाल (सत्र न्यायाधीश सं. १०४)

शराब ठेकेदार शिव लाल और गवाह फेंकू व घुन्नू द्वारा दिए गए साक्ष्यों में भी वह इसी तरह फंसा हुआ है। मुकदमे में उसे ५ चौकीदारों ने पहचाना, जिन्होंने कहा कि उन्होंने उसे दंगे में कंकड़ फेंकते हुए देखा था। २७ फरवरी को उसने मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया जिसमें कुछ सुंदर और स्पष्ट रूप से वास्तविक विवरण शामिल हैं। उदाहरण के लिए, उसने कहा कि पहली गोलीबारी के बाद उसने स्वयंसेवकों को एक-दूसरे से चिल्लाते हुए सुना, 'आओ भाइयों, यह बंदूक की गोली नहीं है बल्कि फूलों

की वर्षा है अभियुक्त हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह स्वयं बाकी लोगों के उत्साह से इतना कम प्रेरित था कि इस सटीक समय पर वह भाग गया। हम उसकी सजा के औचित्य से पूरी तरह संतुष्ट हैं।

सरूप, पुत्र अचंभित (सत्र न्यायाधीश सं. १८५)

इस आरोपी के विरूद्ध भी हमारे पास शिवलाल, फेंकू और गुन्नू के साक्ष्य पहले से ही मौजूद हैं। दंगे के गवाहों द्वारा इस व्यक्ति की पहचान करने में काफी परेशानी हुई थी जो पूर्व परिचित नहीं थे। जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बताया है, यह अत्यधिक संभावना है कि यह कठिनाई मुख्यतः इस तथ्य के कारण थी कि अभियुक्त ने हिरासत में रहने के दौरान अपने चेहरे पर बाल बढ़ने दिए थे। हालांकि परिणाम यह है कि पहचान संबंधी साक्ष्य संतोषजनक नहीं हैं, लेकिन इस तथ्य से उसके विरूद्ध मामला मजबूत हो जाता है कि उसने स्वीकार किया है कि उसकी दाहिनी आंख के ठीक नीचे बंदूक की गोली से हल्का घाव हुआ है। यह सिविल सर्जन के साक्ष्य से साबित होता है, और अभियुक्त ने स्वयं २७ फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष बताया कि जब वह मुंडेरा बाजार से अपने घर जा रहा था तब उसे चौरा पुलिस थाने के पड़ोस में दुर्घटनावश गोली लग गई थी। साक्ष्य उसके दोषसिद्धि को उचित ठहराते हैं। अब हम ऐसे चरण पर पहुंच गए हैं जहां अभियुक्तों को उनके गांवों के अनुसार वर्गीकृत करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तथापि, सुविधा की दृष्टि से, हम शेष अपीलकर्ताओं के मामलों को उसी क्रम में विचार करने का प्रस्ताव करते हैं, जिस क्रम में वे अंतिम सूची में हैं, जिसे हमने अपने निर्देश के लिए तैयार किया है, जिसमें उन्हें वर्णानुक्रम में व्यवस्थित गांवों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसलिए हम अगला मामला लेते हैं

चिरकुट (सत्र एवं न्यायाधीश सं. ४२)

यह भी उन लोगों में से एक है जिसे निस्संदेह गोली लगने से हल्का घाव हुआ था। सहायक सर्जन द्वारा उसके गले के पास से एक छर्रा निकाला गया था। अभियुक्त का कहना है कि वह दंगे में केवल एक दर्शक के रूप में मौजूद था, लेकिन इन परिस्थितियों में हम भवानीडीहल (पी.डब्लू. सं. ७५) द्वारा सत्र परीक्षण में दिए गए साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, साथ ही उसके सह-अभियुक्त रामरूप, बरहाई द्वारा इस व्यक्ति के विरूद्ध दिए गए दोषपूर्ण बयान को यह साबित करने के लिए पर्याप्त मानते हैं कि गोलीबारी प्रारम्भ होने के बाद वह दंगाइयों में से एक के रूप में मौजूद था। इसलिए उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

पराहु (सत्र न्यायाधीश सं. १३४)

यह एक अन्य आरोपी है, जिसकी १० फरवरी को सिविल सर्जन द्वारा जांच करने पर गोली लगने के स्पष्ट निशान मिले थे। उसका कहना है कि वह खरीदारी करने के लिए चौरा बाजार जा रहा था, तभी उसे चोट लगी। उन्होंने यह हास्यास्पद बयान दिया कि उस समय पुलिस थाने के सामने या यहां तक कि रेलवे क्रॉसिंग पर भी किसी प्रकार की भीड़ नहीं थी। इन परिस्थितियों में हमें गवाह देबीदीन और जड्डू, जो उस व्यक्ति को पहले से जानते हैं, द्वारा दिए गए सकारात्मक साक्ष्य तथा गवाह कुदई द्वारा उसकी पहचान उन लोगों में से एक के रूप में करने को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, जिन्हें उसने कंकड़ फेंकते हुए देखा था। इसलिए उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

सुखारी (सत्र न्यायाधीश सं. २०६)

यह वह अभियुक्त है जिसके घर में छप्पर के अंदर एक बोल्ट-स्क्रू (प्रदर्श संख्या २८५) छुपा कर रखा हुआ पाया गया था, जो बंगाल एवं उत्तर-पश्चिमी रेलवे कंपनी की संपत्ति है। उसने पहले मजिस्ट्रेट को एक हास्यास्पद कहानी सुनाई कि यह उसके कब्जे में कैसे आया, फिर उसने यह बयान देने से इनकार कर दिया और अदालत को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि किसी ने उसके घर में यह आपत्तिजनक वस्तु रख दी है। स्टेशन मास्टर किशन सहाय की गवाही के अनुसार, यह बोल्ट चौरी चौरा रेलवे स्टेशन और पुलिस थाने के बाड़े के बीच की तार की बाड़ से निकाला गया होगा। इस अभियुक्त के विरूद्ध एक महत्वपूर्ण गवाह राम लाल है, जो उस नाम का चौकीदार नहीं है, बल्कि पी.डब्लू. १४३ है, जो आरोपी के गांव का एक काश्तकार है। उसने बताया कि दंगे की सुबह उसने सुखारी को दो या तीन अन्य लोगों के साथ जाते हुए देखा था, जो गांधी-महात्मा की जीत का नारा लगा रहे थे, और उसने उनसे कुछ बातचीत भी की थी। अभियुक्त ने कहा कि वह डुमरी में स्वयंसेवकों की एक बैठक में जा रहा था और उसने यह भी बताया कि उपनिरीक्षक (गुप्तेश्वर सिंह) ने उसके पिता को जेल में डाल दिया है और वह प्रतिशोध लेने का अवसर ढूँढ रहा था। रामलाल ने सुखारी के साथ जिन लोगों का उल्लेख किया है उनमें से एक उसका जाति-साथी है जिसका नाम सुमई है। नंदन नामक एक प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि जिस दिन चौरा थाना जलाया गया था, उस दिन शाम को उसने सुखारी और सुमई को आपस में बातें करते और विजय का जयघोष करते हुए जाते देखा था। सुमई के हाथ में

एक बोल्ट-स्क्रू था जिसे उसने सुखारी को दे दिया। उसने गवाह को बताया कि वे चौरा गए थे, जहां पुलिस थाने को जला दिया गया था और उपनिरीक्षक की हत्या कर दी गई थी। सुखारी ने आगे कहा कि उसने अपने पिता का प्रतिशोध ले लिया है। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि इस सबूत को क्यों स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमारी राय में इससे पुलिस थाने पर हमले में अपीलकर्ता की संलिप्तता पूर्णतः साबित होती है तथा उसके विरुद्ध मामला बहुत गंभीर बन जाता है।

अजुध्या, पुत्र दुर्जन (सत्र न्यायाधीश सं. २)

गवाह वजीर (पी.डब्लू. ११०) यह साबित करता है कि यह अपीलकर्ता चौरा अभियान से घायल अवस्था में लौटा था और गवाह ने उसकी जांघ से गोली निकाली थी। अभियुक्त ने स्वयं बयान दिया कि वह उस सुबह डुमरी गया था और भीड़ के साथ चौरा पुलिस थाने गया था। उसने बताया कि पुलिस ने भीड़ से क्षमा याचना की और माफी मांगी। इसके बाद वह पुलिस थाने के पास से आगे बढ़ा और अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनी तथा देखा कि अन्य लोग भी ईंट-पत्थर फेंक रहे हैं। इस दौरान उसकी जांघ में गोली लगी, लेकिन वह उठा और धीरे-धीरे चलकर घर पहुंचा। जैसा कि उसके स्वयं के बयान से पता चलता है कि यह अभियुक्त निःसंदेह एक स्वयंसेवक था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही टिप्पणी की है कि यह ठीक उन्हीं मामलों में से एक है, जिसमें यदि पुलिस अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में हेरफेर करने के लिए इच्छुक होती, तो वे दंगे में शामिल व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते। ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, हालांकि बगेलू (पी.डब्लू. ?) का कहना है कि जब अभियुक्त शाम को घर आया तो उसने बताया कि पुलिस थाने को जला दिया गया है और चौकीदारों और उपनिरीक्षक को आग लगा दी है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इस अपीलकर्ता को मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

नाजिर (सत्र न्यायाधीश सं. १२८)

इस अभियुक्त को डुमरी के स्वयंसेवकों के नेता नज़र अली के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। दंगे में उसकी संलिप्तता के बारे में उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं। मनोहर ने उसका नाम लिया और गजाधर ने उसकी पहचान की है। निस्संदेह उसे डुमरी में स्वयंसेवकों की सभा के लिए जाते हुए देखा गया था, जहाँ शंकरदयाल ने स्वयंसेवकों की भीड़ के बीच उसे देखा था। १० मार्च को अभियुक्त ने स्वयं मजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दिया जो सत्य और झूठ का मिश्रण है और जिसे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि उसने पुलिस थाने के पास अपनी मौजूदगी को स्वीकार किया जब गोलियाँ चल रही थीं और लोग पुलिस पर ईंट-पत्थर बरसाने लगे थे। इस बयान से जो कहानी उसने कमिटिंग मजिस्ट्रेट को बताई वह सामान्य से अधिक हास्यास्पद थी। दंगे में उसकी भागीदारी पूर्णतः साबित हो चुकी है।

तापसी (सत्र न्यायाधीश सं. २१४)

इस अभियुक्त के विरुद्ध हम मुख्यतः रघुवीर (पी.डब्लू. १९५) और नेउर नामक बालक के साक्ष्य पर भरोसा करने को तैयार हैं। रघुबीर के अनुसार, अभियुक्त निस्संदेह डुमरी में स्वयंसेवकों की बैठक के लिए निकला था (उसने स्वीकार किया कि वह स्वयं भी बैठक में शामिल था), और अगले दिन उसने गवाह को बताया कि पुलिस थाने को जला दिया गया है और उपनिरीक्षक और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। नेउर ने लगातार इस अभियुक्त को दंगाइयों में से एक के रूप में पहचाना है। सत्र परीक्षण में उसे पहचानने में उसे कुछ कठिनाई हुई, लेकिन विद्वान सत्र न्यायाधीश ने नोट किया कि यह स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि नेउर के पहली बार घूमने पर आरोपी ने अपना चेहरा विशेष रूप से छिपा लिया था। नेउर के साक्ष्य के बारे में एकमात्र कठिनाई यह है कि उसने इस विशेष अभियुक्त को जो कुछ करते देखा था, उसके बारे में वह पूरी तरह सुसंगत नहीं रहा है। उसके लिए उस व्यक्ति का चेहरा याद रखना निश्चित रूप से आसान था, जिसे उसने दंगों के बीच देखा था, बजाय इसके कि वह निश्चित रूप से याद रखे कि वह विशेष व्यक्ति क्या था (?)। परिणाम यह है कि हमें नेउर के इस कथन पर कार्रवाई करना कठिन लगेगा कि उसने इस अभियुक्त को पुलिस पर हमला करते देखा था, यदि गवाह गिरीश ने भी उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं की थी जिसे उसने एक चौकीदार को कंकड़ और लकड़ी के डंडे से प्रहार करते देखा था। हमारे पास उसके विरुद्ध गवाह चरित्तर द्वारा उसकी पहचान का भी प्रमाण है। साक्ष्य इस अभियुक्त के विरुद्ध मुख्य आरोप को साबित करते हैं और नेउर और गिरधारी के बयान उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में शामिल करते हैं।

बुद्धू, पुत्र अबिलाख (सत्र न्यायाधीश सं. ३३)

इस व्यक्ति को निश्चित रूप से सरदार हरचरण सिंह, (?) कल्लू और अन्य गवाहों ने दंगे में देखा था। वह स्पष्ट रूप से एक प्रमुख भूमिका निभा रहा था क्योंकि वह झंडा लेकर

चलने वाले लोगों में से एक था। डुमरी सभा में उसकी उपस्थिति के बारे में विश्वसनीय गवाहों ने बताया है और वह रामरूप बरहाई के मुकर गए बयान में शामिल है। प्रदर्श २६२ में शामिल बयान, जिसे उसने स्वयं १९ फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया था, में उसने डुमरी में हुई बैठक और दंगे में अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया, तथा उस समय तक दंगे में भी अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया जब तक कि पुलिस थाने की इमारतों में आग नहीं लगी और पुलिसकर्मियों की हत्या नहीं हुई। यह बयान स्पष्ट रूप से स्वैच्छिक था और इसमें कुछ रोचक विवरण हैं। उसने कमोबेश पूरे बयान का पालन किया है, हालांकि वह इसके कुछ हिस्सों को स्पष्ट करने की कोशिश करता है। उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है और उसके मामले को अधिक गंभीर मामलों में रखा जाना चाहिए।

इदान (सत्र न्यायाधीश सं. ६५)

सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात हम इस अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्यों से संतुष्ट नहीं हैं। उसके विरूद्ध मुख्य गवाह तिरबेनी, चौकीदार है, जिसने ८ फरवरी को पुलिस के सामने उसका नाम बताया था। उसे द्वारका (पी.डब्लू. ७६) ने भी आरोपित किया है। हम गवाह तापई द्वारा उसकी पहचान को कोई महत्व नहीं देते, जो सत्र न्यायालय में आने से पूर्व उसे पहचानने में कभी सफल नहीं हुआ था। कुल मिलाकर, तिरबेनी और द्वारका के साक्ष्य हमारे मन में विश्वास पैदा करने में असफल रहे। हम मानते हैं कि इस अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई भी आरोप संतोषजनक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है और हम उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

छांगुर (सत्र न्यायाधीश सं. ३६)

छांगुर के विरूद्ध मामला पिछले मामले से काफी मिलता-जुलता है, लेकिन उससे थोड़ा कमजोर है। गवाह जगन्नाथ और दुबरी ने उसे दंगे में शामिल होने वाला बताया है। हमने जगन्नाथ की पहचान के बारे में गलत राय बनाई है और यद्यपि यह अभियुक्त निस्संदेह एक स्वयंसेवक था, हम गलत पहचान की संभावना को विद्वान सत्र न्यायाधीश की तुलना में अधिक महत्व देने के लिए तैयार हैं। संयोगवश, हम देखते हैं कि भगेलू नामक एक अन्य अभियुक्त, जो छांगुर के ही गांव का स्वयंसेवक था, को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया था, और हमारी राय में छांगुर के विरूद्ध साक्ष्य, भगेलू के विरूद्ध साक्ष्य से अधिक प्रभावी नहीं है। हम इस अभियुक्त के विरूद्ध दोषसिद्धि को खारिज करते हैं और उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हैं।

दुक्खी (सत्र न्यायाधीश सं. ४७)

यह एक बहुत ही विशिष्ट वाद है। आरोपी ने अपने विरूद्ध सभी साक्ष्यों को सत्य मान लिया है, परन्तु इस बात पर ज़ोर दिया है कि वह दंगे के दौरान केवल एक दर्शक के रूप में उपस्थित था। अभियोजन पक्ष के गवाह शियोराज का कहना है कि उसने इस अभियुक्त को हाथ में बंदूक लेकर पुलिस थाने से बाहर निकलते देखा था। दंगाइयों ने उसे चौकीदार या पुलिसवाला समझकर उस पर हमला कर दिया और उसे पीटना आरम्भ कर दिया। उस व्यक्ति के सिर पर घाव था और उसने भी लगभग यही कहानी बताई। उसके विरूद्ध सबसे बड़ी बात यह है कि उसने स्वीकार किया है कि वह भोपा में स्वयंसेवकों से मिला था और उनके साथ पुलिस थाने गया था। मूल्यांकनकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से अभियुक्त की कहानी पर विश्वास कर लिया। उन्हें लगा कि वह केवल एक दर्शक के रूप में उपस्थित था और उसे दोषमुक्त कर दिया होता। अभियुक्त का कहना है कि उसने बंदूक इसलिए उठाई थी ताकि बाद में उसे अधिकारियों को सौंप सके। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि दुक्खी स्वयंसेवकों के साथ पुलिस थाने गया होगा, ताकि कम से कम पुलिस को डराने में तथा मुण्डेरा बाजार में उनके द्वारा की जाने वाली किसी कार्रवाई में उनका साथ दे सके। साथ ही हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हैं कि जिस समय स्वयंसेवकों ने उस पर हमला किया, उस समय उसने भीड़ से खुद को अलग करने का मन नहीं बनाया था, उसने जो बंदूक उठाई थी, उसे अपने पास रखा, ताकि बाद में वह पुलिस के पास शायद अपने अच्छे इरादों के सबूत के तौर पर पहुंच सके। किसी भी स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि इस व्यक्ति को दूसरे आरोप में ही दोषी ठहराया जाना चाहिए, जो केवल दंगा फैलाने का आरोप है। हम भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा को छोड़कर, अन्य सभी आरोपों में उनके विरुद्ध दोषसिद्धि तथा उनको दी गई सभी सजाओं को अपास्त करते हैं। हम उस आरोप पर दोषसिद्धि और सज़ा दोनों की पुष्टि करते हैं। यह सज़ा सत्र न्यायालय में दोषसिद्धि की तारीख़ से प्रभावी होगी।

लोचन (सत्र न्यायाधीश सं. ०७)

इस आरोपी के विरूद्ध दंगों में सक्रिय रूप से शामिल होने वाले व्यक्तियों में से एक के रूप में पहचान के लिए कई साक्ष्य हैं, जिन्हें अपील के तहत फैसले में पूरी तरह से प्रस्तुत किया गया है।

शियोराज (पी.डब्लू. ४०) अपने ही गांव का चौकीदार है जो निश्चित रूप से इस आरोपी से पूर्व परिचित था, उसने उसे दंगों में कंकड़ फेंकने वाले लोगों में से एक बताया। उसके विरूद्ध सबसे गंभीर आरोप गवाह मुसाफिर, तपसी और बिंध्याचल ने लगाए हैं, जिन्होंने पुलिस थाने की इमारतों को आग लगाने में उसकी मदद करने का आरोप लगाया है, और गवाह (?) ने कहा है कि उसने उसे गेट तोड़ते हुए देखा था। उसके बचाव में कोई बल नहीं है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है और हमें उसे ऐसे अभियुक्तों में से एक के रूप में मानना चाहिए जिसका अपराध कम से कम आगजनी के अपराध तक फैला हुआ है।

रामेश्वर पुत्र छांगुर (सत्र न्यायाधीश सं. १७८)

इस अभियुक्त को भी शियोराज के साक्ष्य में आरोपित किया गया है, जो कंकड़ फेंकने वाले दंगाइयों में से एक था। शियोराज ने ९ फरवरी को पुलिस के सामने उसका नाम बताया। उसका नाम गवाह दुबरी ने भी लिया है और कई अन्य गवाहों ने भी उसकी पहचान की है। उसे मुख्य आरोप में सही ठहराया गया है।

जगदेव पुत्र दुधई (सत्र न्यायाधीश सं. ७१)

इस अपीलकर्ता के मामले में हम अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि साक्ष्य अपर्याप्त हैं। उसे (?) के कपटपूर्ण बयान में फंसाया गया है, जिस पर हमने पहले ही कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। गवाह उमा ने उसे भोपा बाजार के पश्चिम में कहीं देखा था। हो सकता है कि वह स्वयंसेवक रहा हो, हालाँकि उसने खुद इस बात से इनकार किया। उसके विरूद्ध एकमात्र वास्तविक मूल साक्ष्य राम लाल, चौकीदार द्वारा दंगाइयों में से एक के रूप में उसकी पहचान है। हम इस सबूत पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हम इस अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को पूरी तरह से अपास्त करते हैं और उसे सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हैं।

रामसरन, पुत्र सालिक (सत्र न्यायाधीश सं. १७१)

इस अभियुक्त के गांव के चौकीदार मुसाफिर ने ९ फरवरी को पुलिस के सामने उसका नाम बताया और उसने तथा छेदी चौकीदार ने दावा किया कि उन्होंने उसे दंगाइयों के बीच देखा था जो कंकड़ या ईंट-पत्थर फेंक रहे थे। अपने बचाव में अभियुक्त ने इस तथ्य को प्रभावी रूप से कहा कि वह युद्ध के दौरान मेसोपोटामिया में संभवतः श्रमिक कोर में कार्यरत था, और वह दावा करता है कि उसका गवाहों छेदी और मुसाफिर के साथ कुछ झगड़ा था। दोनों गवाह उसे पहले से जानते थे और उसकी पहचान के संबंध में कोई गलती नहीं कर सकते थे। पुलिस को उनका नाम बहुत पहले ही बता दिया गया था और लगभग एक माह के बाद ही उसकी गिरफ्तारी हुई। विद्वान सत्र न्यायाधीश और मूल्यांकनकर्ता उसके विरूद्ध साक्ष्यों से संतुष्ट थे और हम उनके फैसले का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। हम इस आरोपी के विरूद्ध साबित हुए मुख्य आरोप को सही मानते हैं।

शेयोबालक (सत्र न्यायाधीश संख्या १९२)

यह उन अभियुक्तों में से एक है, जिसके विरूद्ध अभियोजन पक्ष के साक्ष्य अपर्याप्त हैं। उमा जो अपने गांव की चौकीदार है, उसे दंगाइयों में से एक बताता है जिसे उसने भोपा बाजार के पश्चिम में कहीं सूर्यास्त से ठीक पहले देखा था। वास्तव में उसके विरूद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, सिवाय इसके कि वह एक स्वयंसेवक है और माना जाता है कि वह फरार हो गया है। विद्वान सत्र न्यायाधीश का मानना है कि उमा ने इस अभियुक्त तथा अन्य के विरूद्ध अपने साक्ष्य को कमजोर कर दिया है, संभवतः इसलिए क्योंकि उसके साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की गई है; लेकिन हमें उस साक्ष्य को उसी रूप में लेना चाहिए जैसा वह है। इस व्यक्ति के विरूद्ध दंगे में शामिल होने का कोई संतोषजनक साक्ष्य नहीं है। अतः हम उसके विरूद्ध सभी दोषसिद्धियों को खारिज करते हैं और उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

मेगनु, पुत्र धौंतल, चमार (सत्र न्यायाधीश सं. १११)

यह उन अभियुक्तों में से एक है जिनके विरूद्ध अभियोजन पक्ष का मानना है कि उन्होंने ठोस सबूत जुटा लिए हैं। उसे १० फरवरी को छबैला गांव में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था और तब उसके पास एक लोटा और घी से भरा एक छोटा मिट्टी का बर्तन मिला था। ठग चौकीदार, जिसने दंगाइयों के बीच इस अभियुक्त को देखने की गवाही दी है, कहता है कि लोटा उसकी अपनी संपत्ति है (?) जिसे उसने दंगा से ठीक पहले पुलिस थाने पहुंचने पर इंस्पेक्टर के बंगले में रख दिया था। लोटा पुराना है जिसके निचले हिस्से पर एक अजीब सा दाग है जिसका हमने खुद निरीक्षण किया है। हमारा मानना है कि यह

वस्तु पहचान के लिए काफी संवेदनशील है और हमें ठग के साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई सही कारण नहीं दिखता है, जिसकी पुष्टि उसके ही एक जाति-साथी बिजई (पी.डब्लू. १३३) द्वारा की गई है। इस अभियुक्त को लोटे से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य भी हैं। गवाह हसनू का कहना है कि दंगे के दौरान उसने आरोपी को एक चौकीदार पर लकड़ी के डंडे से हमला करते और लोटा व मिट्टी के बर्तन लेकर भागते हुए देखा था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने साक्षी के कथन का तात्पर्य यह माना कि अभियुक्त ने ये वस्तुएं उस चौकीदार से लीं, जिसे उसने अभी-अभी पीटा था; लेकिन भले ही उस समय गवाह के मन पर यही प्रभाव पड़ा हो, लेकिन हो सकता है कि यह सही प्रभाव न रहा हो। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि चौकीदार ठग की सम्पत्ति एक लोटा, जिसे किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति ने उस स्थान से उठा लिया था, जहां ठग ने उसे पुलिस थाने में रखा था, छह दिन बाद इस अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया। उसके विरुद्ध अन्य साक्ष्य भी हैं। सरकारी गवाह ठाकुर का कहना है कि वह उन लोगों में से था जिन्होंने पुलिस की पिटाई की और बाद में तार काटने तथा रेलवे लाइन को तोड़ने में मदद की। यह अंतिम कथन असंभव है, क्योंकि यदि अभियुक्त ने पुलिस थाने से चोरी की गई संपत्ति उठाई होती तो वह उसे लेकर घर भागना चाहता और हम शायद ही यह मानें कि उसने रेलवे लाइन को तोड़ने में मदद करने के लिए जाते समय उसे कहीं नीचे रख दिया था। हालांकि, अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सरदार हरचरण सिंह के चपरासी कल्लू का साक्ष्य, जो इस अभियुक्त को पहले से जानता था, कहता है कि उसने दंगे के दौरान उसे इधर-उधर भागते और अपने साथियों को हमला करने के लिए कहते देखा था। अभियुक्त के पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है। उसने लोटा को अपना बताया और आरोप लगाया कि उसे अपने जमींदार बी. संत बख्श सिंह की दुश्मनी के कारण इस मामले में फंसाया गया है। यह सज्जन मुंडेरा बाजार के हैं और सामान्य शब्दों में कहें तो सरदार हरचरण सिंह से उनका कोई खास घनिष्ठ संबंध नहीं है, जिनका नौकर इस अभियुक्त के खिलाफ मुख्य गवाह है। हमें कोई संदेह नहीं है कि धौंतल के बेटे मेघू को मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है और जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, उसके खिलाफ यह साबित हो गया है कि उसने यह लोटा और संभवतः घी का बर्तन भी पुलिस थाने से चुराया था।

शिवधर (सत्र न्यायाधीश सं. १९६)

यह उन लोगों में से एक है, जिनकी पहचान गवाह मनोहर ने घायल दंगाई रघुबीर को ले जाने वाले के रूप में की है। जैसा कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बताया है कि इस व्यक्ति के खिलाफ पहचान के बहुत सारे सबूत हैं। सत्र परीक्षण में आठ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह दंगे में कम से कम कंकड़ फेंकने तक में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा था। उसके विरुद्ध सबसे गंभीर आरोप नेउर नामक लड़के द्वारा लगाए गए हैं, जिसने सत्र न्यायाधीश को बताया कि (?) उन लोगों में से एक ने उस कमरे की सलाखों वाली खिड़की को तोड़ा जिसमें (?) वह था और हसनू द्वारा, जिसने कहा कि उसने इस आदमी को पुलिस स्टेशन में आग लगाने में मदद करते हुए और पुलिस थाने के गेट से टूटी लकड़ी के टुकड़े से कुछ चौकीदारों पर हमला करते हुए देखा था। ऐसा हुआ कि नेउर और हसनु (?) दोनों ने समय-समय पर अपने बयानों में थोड़ा-बहुत अंतर किया कि उन्होंने इस अभियुक्त को क्या करते हुए देखा, इसलिए हम उसके खिलाफ उनके विशेष कथनों पर जोर देने के लिए तैयार नहीं हैं। समग्र साक्ष्य के आधार पर हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है और हम इस बात से सहमत हैं कि उसने दंगों में असाधारण रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी। समग्र साक्ष्य के आधार पर हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है और हम इस बात से सहमत हैं कि उसने दंगों में असाधारण रूप से सक्रिय भूमिका निभाई थी।

सूरजबली, पुत्र नायपाल (सत्र न्यायाधीश सं. २११)

पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक ने दंगाइयों की भीड़ में इस व्यक्ति को पुलिस थाने के एक तरफ से दूसरी तरफ लौटते हुए देखा। छेदी, जो उसे पहले से जानता था, कहता है कि उसने उसे दंगाइयों के बीच देखा था जो पुलिस पर कंकड़ फेंक रहे थे और इसी तरह का साक्ष्य नेउर, झकरी, मनोहर और सरजू द्वारा सत्र परीक्षण में दिया गया था। हमें लगता है कि इस मामले में इस तथ्य का उल्लेख करना अनावश्यक है कि अन्य गवाहों ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने साक्ष्य में अभियुक्त को फंसाया लेकिन सत्र में उसे पहचानने में विफल रहे। दिनांक २३ फरवरी को सिविल सर्जन ने इस व्यक्ति के दाहिने हाथ के पीछे एक गोलाकार निशान पाया, जिसके बारे में आरोपी व्यक्ति के बयान के आधार पर हमें संदेह है कि यह दंगे के दौरान उसे लगी गोली की वजह से लगी चोट है। सूरजबली ने २६ फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने एक संक्षिप्त बयान दिया जिसमें वह स्पष्ट रूप से केवल अपने (?) को इस चोट के बारे में बताने के लिए चिंतित था। उसने बताया कि वह मुंडेरा बाजार से चौरा में क्या हो रहा है यह देखने के लिए जल्दी में था, तभी उसे अचानक एक गोली लग गई। उसने बाद में इस कथन को आगे बढ़ाते हुए कुछ असंभावित विवरण भी जोड़े, जैसे कि उसने यह कहा कि जब वह (?) नीचे गिरा तो भीड़ उसके शरीर के ऊपर से गुजर गई। हमें

इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि इस व्यक्ति ने दंगे में सक्रिय रूप से भाग लिया था और उसे मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

फलल (सत्र न्यायाधीश सं. १३८)

जैसा कि २१ फरवरी को हुए उसके मेडिकल परीक्षण के संबंध में सिविल सर्जन के साक्ष्य से साबित होता है, यह एक अन्य व्यक्ति है जिसे निस्संदेह दंगे के दौरान गोली मारी गई थी। २० फरवरी को इस अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जिसके समक्ष उसने अपना बयान (प्रदर्श २४४) रिकार्ड पर दर्ज कराया। उसने बताया कि जब उसने अफवाह सुनी कि वहां कुछ हो रहा है तो काफी संख्या में लोग मुंडेरा बाजार से चौरा पुलिस थाने की ओर चले गए। उसने बताया कि वह रेलवे क्रॉसिंग के पास स्वयंसेवकों के साथ शामिल हुआ ही था कि तभी उस गोली लग गई और वह भाग गया। सत्र परीक्षण में गवाहों जिउराखान, हसनु और उमा द्वारा दिए गए साक्ष्य, जिनकी तुलना विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उनके पिछले बयानों से सावधानीपूर्वक की है, इस निष्कर्ष को सही ठहराने के लिए पर्याप्त है कि फलई उस समय दंगे में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था जब उसे मारा गया था। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

शाहमत (सत्र न्यायाधीश सं., १९०)

मूल्यांकनकर्ताओं की राय इस अभियुक्त के बारे में विभाजित थी, हालांकि उनमें से केवल एक ने ही उसे निर्दोष करार दिया। चरित्तर (पी.डब्लू. १४४) और बद्री (पी.डब्लू. १४५) के बयानों में बहुत अच्छे साक्ष्य हैं कि इस अभियुक्त को अन्य लोगों के साथ दंगे के दृश्य से सूर्यास्त के समय लौटते हुए देखा गया था, जो 'विजय' के नारे लगा रहे थे, और उन्होंने गवाहों को बताया कि पुलिस थाने को जला दिया गया है और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। यह साबित करने के लिए सबूत हैं कि अभियुक्त डुमरी में एक स्वयंसेवक के रूप में बैठक में शामिल हुआ था। गवाह हरद्वार का यह कथन कि शाहमत सरकारी गवाह शिकारी का साला है, इस तथ्य की पुष्टि कर सकता है कि वह उस गवाह के साक्ष्य में शामिल नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं कि १३ फरवरी को सिविल सर्जन ने इस अभियुक्त के शरीर पर ऐसी चोटें पाईं जो उसे दंगे के दौरान लगी होंगी। इसमें उसकी भागीदारी का प्रत्यक्ष सबूत बहुत कम है; सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जड्डू ने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष एक बयान दिया है, जिसमें उसने उसे पुलिस पर कंकड़ फेंकने वाले दंगाइयों में से एक के रूप में पहचाना है। जड्डू सत्र परीक्षण में उस व्यक्ति को पहचानने में असमर्थ था, लेकिन हमें लगता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान इस तथ्य से अधिक महत्वपूर्ण है कि गवाह गजधर, जिसने पहले कभी इस आरोपी की पहचान नहीं की थी, अंततः सत्र न्यायालय में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह उन लोगों में से एक था, जिन्हें उसने दंगाइयों के बीच देखा था। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि कुल मिलाकर साक्ष्य विद्वान सत्र न्यायाधीश और अधिकांश मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को सही ठहराते हैं और शहमत को मुख्य आरोप में सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

तिरलोक (सत्र न्यायाधीश सं. २२३)

यह अभियुक्त भी पिछले अभियुक्त के ही गांव से है और गवाहों हरद्वार, बद्री और अछैबर द्वारा दिए गए साक्ष्य में उसके साथ ही आरोपित है। शंकरदयाल के साथ-साथ उसके साक्ष्य से हमें संतुष्टि मिलती है कि वह डुमरी में स्वयंसेवकों की सभा में उपस्थित था और बद्री तथा अछैबर के साक्ष्य के अनुसार वह पूरे समय भीड़ के साथ रहा होगा तथा पूरी कार्यवाही में शामिल हुआ होगा। साक्ष्यों से पता चलता है कि वह अवश्य ही स्वयंसेवक रहा होगा, हालांकि उसने केवल इतना ही स्वीकार किया कि उन्होंने स्वयंसेवी आंदोलन के लिए चंदा दिया था। इस मामले में कोई भी मूल्यांकनकर्ता साक्ष्य की पर्याप्तता के बारे में किसी भी संदेह की उम्मीद नहीं करता है। हम स्वयं इस बात से संतुष्ट हैं कि इस व्यक्ति को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

रामबली, (सत्र न्यायाधीश सं. १४९)

जगत नारायण पांडे की गवाही यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह व्यक्ति डुमरी में हुई सभा में मौजूद था। मुकदमे के दौरान पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक, हरबंगी नामक लड़का तथा दो चौकीदारों ने उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की, जो दंगाइयों की विभिन्न गतिविधियों में शामिल थे। उनके खिलाफ मामले की एक रोचक विशेषता रामसरूप (पी.डब्लू. १०८) द्वारा दिए गए साक्ष्य हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने उन्हें देर शाम हाथों में लाल और हरा झंडा लेकर आते हुए देखा था, जो चिल्ला रहे थे कि पुलिस थाने को जला दिया गया है, उपनिरीक्षक की हत्या कर दी गई है, और स्वराज आ गया है। जिन झण्डों की बात की जा रही है, वे निस्संदेह चौरा रेलवे स्टेशन पर कार्यरत काउन्समैनों के झंडे थे, जो दंगे के दौरान

गायब हो गए। रामसरूप का साक्ष्य गवाह बादल द्वारा कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान से मेल खाता है, वह सत्र परीक्षण के समय नहीं मिल सका। इसके अलावा, जब अभियुक्त स्वयं ७ मार्च को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुआ, तो उसने बयान दिया कि वह घटना का एक निर्दोष दर्शक था, लेकिन उसने यह भी स्वीकार किया कि दंगे के दौरान वह रेलवे स्टेशन के पास मौजूद था और वह दो झंडे, एक लाल और एक हरा, लेकर वहां से चला गया था। उसने कहा कि उसने बस उन्हें उठाया था और एक स्वयंसेवक ने उसे उससे छीन लिया और उसे जला दिया। इस व्यक्ति के खिलाफ सबूत बहुत अधिक हैं और उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

द्वारका, पुत्र नन्द प्रसाद (सत्र न्यायाधीश सं. १९)

यह जंगल महादेवा (?) गांव के दो अपीलकर्ताओं में से एक है, जिनके बारे में हमारा मानना है कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, हालांकि उसी गांव के दो अन्य आरोपियों को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया। शिकारी द्वारा दिए गए साक्ष्यों में द्वारका को हमेशा से ही फंसाया गया है। उसने रामरूप बरहाई के मुकर गए बयान का हवाला दिया। सिविल सर्जन (?) ने उस व्यक्ति के हाथ पर एक घाव का उल्लेख किया जो निस्संदेह बंदूक की गोली से हुआ था। गवाह सीता राम, जो उस आदमी को जानता था, ने कहा कि उसने दंगे में कंकड़ फेंका और उसके बाद घायल अवस्था में चौरा बाजार की ओर अपने घर जा रहा था। कई चौकीदारों और पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक ने उसे कंकड़ फेंकने वाले दंगाइयों में से एक के रूप में पहचाना। गवाह भवानी प्रसाद का कहना है कि वह लाठी लेकर चल रहा था और दूसरों को हमला करने के लिए कह रहा था। उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है, हालांकि यह भी संभव है कि कार्यवाही के किसी चरण में उसके हाथ में घाव के कारण बहुत अधिक रक्त बह जाने के कारण उसने काम पूरा करने का काम अन्य दंगाइयों पर छोड़ दिया हो और स्वयं घर लौट गया हो। हमें न केवल उसे सही रूप से दोषी ठहराया जाना चाहिए, बल्कि उसे उन लोगों में से एक मानना चाहिए जिन्होंने इस मामले में प्रमुख भूमिका निभाई थी। स्थानीय मंदिर में पुजारी के रूप में वह स्थानीय स्तर पर कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होगा और हम इस अपराध में उसकी भागीदारी को गंभीरता से लेते हैं।

सहदेव, पुत्र जित्तू (सत्र न्यायाधीश सं. १८१)

सरकारी गवाह ठाकुर का कहना है कि उसने इस व्यक्ति को पुलिस थाने के प्रवेश द्वार के पास लाठी लेकर खड़ा होना पाया था और भागने की कोशिश करने वाले किसी भी पुलिसकर्मी या चौकीदार पर हमला कर रहा था। इस साक्ष्य की पुष्टि के लिए बहुत कुछ सामने आया है। कुंजी (पी.डब्लू. १०५) का कहना है कि उसने इस अभियुक्त और अन्य लोगों को डुमरी में सभा के लिए जाते हुए देखा और जब वे वापस लौटे, तो उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने पुलिस थाने को जला दिया है और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई है। इसी आशय के साक्ष्य मिंडई (पी.डब्लू. १०४) द्वारा दिए गए हैं। दंगे में वास्तविक भागीदारी के संबंध में सीता राम, जो उस व्यक्ति को पहले से जानता था, कहता है कि उसने उसे ईंट-पत्थर फेंकते देखा था। मनोहर ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जो रेलिंग तोड़ रहा था, जबकि बालक ने उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना जो पुलिस स्टेशन को आग लगाने में मदद कर रहा था। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत बचाव उसके गांव के मुखिया के विरुद्ध शत्रुता के आरोपों पर आधारित था, जिसने वास्तव में उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिया, जिसे हमने चर्चा के योग्य समझा। मूल्यांकनकर्ता इस तथ्य से प्रभावित प्रतीत होते हैं कि इस व्यक्ति और छोटू के बीच छह साल पहले झगड़ा हुआ था और सीता राम, जो छोटू का पुत्र है, ने स्वीकार किया कि आरोपी को एक खेत की पट्टेदारी दी गई थी, जहां से उसे और उसके पिता को बेदखल कर दिया गया था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अभियोग पक्ष को 'दोषी नहीं' का निर्णय देने के लिए क्यों तैयार होना चाहिए। दंगे में उनकी सामान्य संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य हैं। अभियुक्त को सही रूप से दोषी ठहराया गया है और साक्ष्य की सामान्य समीक्षा के आधार पर हम ठाकुर के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि वह उन लोगों में से एक था, जिन्होंने वास्तव में कुछ पुलिसकर्मियों या चौकीदारों पर हमला किया था।

रामजस (सत्र न्यायाधीश सं. १६०)

यह अभियुक्त नि:संदेह एक स्वयंसेवक था और अंधु तिवारी के साक्ष्य से पता चलता है कि वह निश्चित रूप से उस भीड़ में शामिल था जो पुलिस थाने पहुंची थी। ऐसा होने के कारण, हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि गवाहों भवानी प्रसाद और लछमन द्वारा उसकी पहचान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की गई जो दंगे में सक्रिय रूप से शामिल हुआ था, स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है।

अली रजा खान (सत्र न्यायाधीश सं. ८)

अपील के तहत निर्णय में इस व्यक्ति के विरुद्ध पहचान संबंधी जो सबूत प्रस्तुत किए गए

हैं, वे बहुत प्रभावी हैं। गवाह बंसी को पूरा विश्वास है कि वह उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचानता है जिसने उस पर कंकड़ का टुकड़ा फेंका था। सिविल सर्जन ने पाया कि उसके शरीर पर चोटें थीं जो संभवत: गोली लगने से आई थीं। १९ फरवरी को आरोपी ने मजिस्ट्रेट को बताया कि वह पुलिस थाने तक मार्च करने वाले स्वयंसेवकों में शामिल था और जब तक भीड़ ने पुलिस पर पत्थर और कंकड़ फेंकना शुरू नहीं कर दिया, तब तक वह उनके साथ था। उसने बताया कि डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन कंकड़ का एक टुकड़ा उनके पैर में लग गया, जिससे उस वह चोट लगी, जो सिविल सर्जन ने बताई है। उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

(लछमन, पुत्र गजार, सत्र न्यायाधीश सं. ९०)

यह वाद वास्तव में अभियुक्त कौलेशर से संबंधित है जिसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने दोषमुक्त कर दिया है। वह एक लड़के से थोड़ा बड़ा है और हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं कि उसे गांव के मुखिया छोटू के साथ झगड़े के परिणामस्वरूप इस मामले में नहीं फंसाया गया है। दंगे में उसके शामिल होने का प्रत्यक्ष सबूत लगभग सीता राम, जो छोटू का बेटा है, के बयान तक ही सीमित है। हम सत्र परीक्षण में जड्डू द्वारा उसकी पहचान को बहुत कम या कोई महत्व नहीं देते हैं, जिसने कमिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा था, और हम गवाह काशी के साक्ष्य को कम से कम संदिग्ध मानते हैं। हम इस व्यक्ति के विरूद्ध मामले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और हमारी यह राय है कि यदि कौलेशर को सही तरीके से दोषमुक्त किया गया था, तो उसके मामले में भी यही बयान दर्ज किया जाना चाहिए। इसलिए हम इस अभियुक्त के विरूद्ध सभी दोषसिद्धि और उसे दी गई विभिन्न सजाओं को अपास्त करते हैं और दोषमुक्ति का निर्णय पारित करते हैं।

मेघू उर्फ लालबिहारी, पुत्र जानकी (सत्र न्यायाधीश सं. ११२)

दोनों सरकारी गवाहों, शिकारी और ठाकुर के साक्ष्य के अनुसार, यह उन व्यक्तियों में से एक था, जिसने आरोप में उल्लिखित सबसे गंभीर अपराध कारित करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। शिकारी का कहना है कि वह उन लोगों में से एक था जो पुलिस थाने के गेट पर घुस गए और बाद में पांच कांस्टेबलों की हत्या कर दी। ठाकुर (?) ने उसे उन लोगों में शामिल किया जिन्होंने उपनिरीक्षक की हत्या कर दी और बाद में उसके मकान को लूट लिया। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि आगे क्या पुष्टि हो रही है। रामरूप बरहाई की स्वीकारोक्ति में उसका उल्लेख चौरा के बाजार से मिट्टी का तेल लाने, उपनिरीक्षक के घर में घुसने में मदद करने और बाद में संभवत: लूट के इरादे से उसमें प्रवेश करने के रूप में किया गया है। भवानी प्रसाद ने उसे डुमरी सभा में देखा और दंगे के दौरान उसे तेल का एक कनस्तर लाते हुए देखा। औधु तिवारी ने उसे पुलिस थाने पहुंची स्वयंसेवकों की भीड़ में शामिल होना बताया है और सरदार हरचरण सिंह ने दंगों के बाद के चरण में उसके सक्रिय रूप से शामिल होना बताया है। गवाह औतार का कहना है कि उसने उसे न केवल उपनिरीक्षक के हत्यारों के बीच देखा था, बल्कि उन लोगों के बीच भी देखा था जिन्होंने एक हेड कांस्टेबल और एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या की थी, जिनका उसने नाम बताया है। इस साक्ष्य के अतिरिक्त हमारे पास बहुत से गवाहों के बयान हैं, जिनके नाम हमें पुन: स्मरण करने की आवश्यकता नहीं लगती, जिन्होंने इस व्यक्ति की पहचान दंगाइयों के बीच आग लगाने, दूसरों को जलाने और मारने के लिए उकसाने तथा स्वराज आने की घोषणा करते हुए देखी थी। अभियुक्त ने एक विशेष बैल की खरीदने के आधार पर अपना बचाव प्रस्तुत किया। वह स्वयं पुलिस थाने के पड़ोस में था, ठीक उसी समय दुर्भाग्यवश उस उपनिरीक्षक की पत्नी और बच्चे रेलवे क्रॉसिंग के पास से आ रहे थे, जो दंगाइयों की भीड़ से बड़ी मुश्किल से बचकर आ रहे थे, जिन्होंने उन्हें घेर लिया था और उनकी जान को खतरा पैदा कर दिया था। उसने बताया कि वह महिला और उसके बच्चों को अपने घर ले गया और अपने घर पर उनका आतिथ्य सत्कार किया। उपनिरीक्षक की विधवा को निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के घर में रात भर ठहराया गया था और अभियोजन पक्ष की ओर से यह स्वीकार किया गया है कि वह व्यक्ति अभियुक्त मेघू उर्फ लालबिहारी था। उप-निरीक्षक की विधवा से प्राप्त बयान, अभियुक्त के इस दावे का पूरी तरह से खंडन करता है कि उनका आतिथ्य किस प्रकार किया गया था। हमें इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि महिला सच बोल रही है जब वह कहती है कि धमकियों के कारण वह अपनी बेटी के साथ एक घर में जाने को मजबूर हो गई, जिसके बरामदे से वे रात में आते जाते थे। हम समझते हैं कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला है जब उन्होंने कहा कि अभियुक्त मेघू ने उन्हें अपने घर आने के लिए मजबूर किया, अत: वह आदेश देते हैं कि यदि संभव हो तो इस परिस्थिति को अपने पक्ष में साक्ष्य के रूप में उपयोग करें। जिस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त ने अपने बचाव का प्रयास किया था, उसे विद्वान सत्र न्यायाधीश ने जो टिप्पणियां की हैं, उनसे पर्याप्त रूप से नष्ट कर दिया गया है। वास्तव में, हमें ऐसा लगता है कि, एक बैल को खरीदने की रसीद, जो कि इस मामले में आधारशिला थी, की जांच करने पर दस्तावेज स्वयं इतना संदिग्ध प्रतीत होता है कि यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि बचाव पक्ष के साक्ष्य में विसंगतियां वास्तव में इस

तथ्य के कारण है कि यह सब मनगढ़ंत था और कहानी में थोड़ी भी सच्चाई नहीं है। हमारी राय में इस अभियुक्त का अपराध अत्यधिक सबूतों से साबित हो चुका है और हम बेहिचक उसे हत्या के सीधे आरोप में दोषी ठहराते हैं।

मिंढाई (सत्र न्यायाधीश सं. ११३)

इस अपील में यह प्रश्न उठाया गया है कि दंगे में संलिप्तता के किसी प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में, क्या अभियुक्त के विरुद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य उसकी दोषसिद्धि का आधार है अथवा नहीं। वह गोरखपुर जिले के उत्तर में स्थित एक गांव का रहने वाला है, जो चौरा से काफी दूर है। लेकिन उसके स्वयं के बयान के अनुसार वह दंगे के दिन चौरा के पड़ोस में था। वह वास्तव में रकबा गांव में एक रिश्तेदार के यहां रह रहा था, जिसने दंगाइयों को काफी संख्या में सहायता प्रदान की थी। अपने घर लौटने के बाद वह चौरा में हुई घटना के बारे में बात कर रहा होगा, क्योंकि स्थानीय पुलिस थाने तक सूचना पहुंच गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके घर की तलाशी ली गई। उसके शरीर पर संदिग्ध चोटें पाई गई और उसके घर से एक लंगोटी बरामद की गई, जिस पर दाग थे, जो विशेषज्ञ जांच में मानव रक्त के दाग साबित हुए। जेल क्लर्क के साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि जेल में दाखिल होने के समय इस अभियुक्त के शरीर पर काफी संख्या में जलने के निशान थे। मिंडई को १३ फरवरी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां उसने स्वैच्छिक बयान दिया। उसने कहा कि वह मुंडेरा बाजार जा रहा था, तभी डुमरी के पड़ोस में स्वयंसेवकों की भीड़ से उसकी मुलाकात हुई और वह उनके साथ पुलिस थाने गया। वह वहां मौजूद था, जब उपनिरीक्षक ने भीड़ के नेताओं से पूछताछ की, जब भीड़ तितर-बितर होने लगी और कुछ चौकीदारों ने उनमें से कुछ को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। उसने बताया कि उस जो चोटें आईं उनमें से एक लाठी की वजह से लगी थी, जो संभवतः किसी चौकीदार ने उन्हें मारी थी। उसने देखा कि भीड़ ने पुलिस पर कंकड़ फेंकना प्रारम्भ कर दिया और पुलिस ने गोली चला दी। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मिंढाई ने लगभग बीस गोलियाँ चलाईं। वह तब तक वहीं रहा, जबकि भीड़ के सदस्यों जिन्हें वे स्वयंसेवक बताता है, ने पुलिस थाने को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। बाद में उसने इस बयान को खारिज कर दिया; लेकिन यह निश्चित रूप से उसकी अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया गया था और यह उसकी विरुद्ध तथ्यों के बारे में उसकी सबसे अच्छी व्याख्या है जो वह स्वयं प्रस्तुत कर सकता था। इस बयान में प्रतिकूल टिप्पणी के लिए विषय यह है कि इससे कोई कारण नहीं पता चलता कि अभियुक्त को कार्यवाही को इतनी देर तक क्यों देखना चाहिए था, जैसा कि वह कहता है, कि वह स्पष्ट रूप से झूठ बोल रहा है जब वह कहता है कि उसने वहां रकबा से किसी व्यक्ति को नहीं देखा और वह अपने शरीर पर जलने के निशानों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है, जो उसके विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्यों में से एक है। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा उसका अपना बयान (प्रदर्श २४०) इस अभियुक्त को मुख्य आरोप में दोषसिद्धि का आधार बनाते हैं।

दशरथ, (सत्र न्यायाधीश सं. ४३)

यह एक ऐसा अभियुक्त है जिसका मामला वास्तव में रकबा के अन्य लोगों के साथ विचार किया जा सकता था। काफी हद तक उसकी दोषसिद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि अदालत गवाह राजबली के साक्ष्य पर क्या दृष्टिकोण अपनाती है। हमने पहले ही अपनी राय बना ली है और घोषित कर दिया है कि इस गवाह द्वारा बताई गई कहानी मुख्य रूप से सत्य और विश्वसनीय है। एकमात्र संभावित प्रश्न यह है कि क्या वह व्यक्तिगत रंजिश की संतुष्टि के लिए इस विशेष अभियुक्त को फंसा नहीं सकता है। विद्वान सत्र न्यायाधीश इस बिंदु पर गवाह द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे जब उनसे इस बिंदु पर पूछताछ की गई थी। हालाँकि, दशरथ के विरुद्ध कई अन्य पहचानें हैं, विशेष रूप से गवाह बिंध्याचल, झाकरी और तिरबुल द्वारा, जो हमें संतुष्ट करती हैं कि इस अभियुक्त को सही तरीके से दोषी ठहराया गया है।

अब्दुल्ला उर्फ सुखई (सत्र न्यायाधीश सं. १)

यह एक और गंभीर मामला है। शिकारी की गवाही के अनुसार, यह अभियुक्त स्वयंसेवकों के नेताओं में से एक था और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपनी टिप्पणी में सही कहा कि इस कथन की पुष्टि लड़के नकछेद और जगत नारायण पांडे की गवाही से भी होती है। रामरूप बरहाई के इकबालिया बयान (प्रदर्श २२५) के अनुसार, अपीलकर्ता उन लोगों में से एक था, जिन्होंने पुलिस थाने का गेट तोड़ा, चौड़ा बाजार की दुकानों से तेल लाने में मदद की, पुलिस थाने की एक खिड़की तोड़ी और एक चौकीदार को पीटा। ऊपर उल्लिखित जगत नारायण पांडे ने स्पष्ट रूप से अब्दुल्ला को स्वयंसेवकों के नेताओं में से एक माना था, जिन्हें उन्होंने डुमरी में इकट्ठा पाया था। शिकारी के साक्ष्य उपनिरीक्षक की हत्या में इस अभियुक्त को आरोपित करते है, हालांकि दूसरे सरकारी गवाह ठाकुर और गवाह औतार धोबी ने इस संबंध में उसका नाम नहीं लिया। उसके विरुद्ध तीन पहचान करने वाले गवाह थे। हमें लगता है कि पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक के सामने उसकी पहचान सच्ची और विश्वसनीय है और गवाह सुरजू

द्वारा की गई पहचान भी। हम जड्डू द्वारा उसकी देर से की गई पहचान को बहुत महत्व नहीं देते। आरोपी स्वीकृत रूप से एक स्वयंसेवक है और वह स्वीकार करता है कि दंगे के बाद वह कुछ समय के लिए छिपा हुआ था। उसके विरूद्ध साथी की गवाही बहुत मजबूत है और उसके बचाव में कोई बल नहीं था। अपने सह-अभियुक्त नज़र अली की तरह उसने भी कहा कि उसे उसी गांव के एक अन्य व्यक्ति के स्थान पर फंसाया जा रहा है, जिसे वह सरकारी गवाह शिकारी का ससुर बताता है। हमारी राय में, इस व्यक्ति के विरूद्ध सहयोगी की गवाही पर्याप्त रूप से पुष्ट है, और उसने सरगना के रूप में कानून की कठोर सजा अर्जित की है, चाहे वह उपनिरीक्षक गुप्तेश्वर सिंह के वास्तविक हत्यारों में से एक था अथवा नहीं।

जगलाल (सत्र न्यायाधीश सं. ७४)

यह अभियुक्त एक बूढ़ा व्यक्ति है। सिविल सर्जन ने उसकी उम्र लगभग ६५ साल समझी थी; लेकिन उसके विरूद्ध कई साक्ष्य हैं और चूंकि मूल्यांकनकर्ताओं ने उसे दोषी पाया है, इसलिए हम यह मान सकते हैं कि उन्होंने उसके रूप-रंग में ऐसा कुछ नहीं देखा जिससे दंगे में उसकी सक्रिय भूमिका के बारे में सबूतों को गलत साबित किया जा सके। वह स्वयंसेवकों में एक प्रमुख व्यक्ति रहा होगा। शिकारी के साक्ष्य से पता चलता है कि वह उन लोगों में से एक था, जिन्हें नकछेद द्वारा लिखा गया पत्र भेजा गया था। उक्त सरकारी गवाह ने यह भी बयान दिया है कि यह अभियुक्त डुमरी सभा और दंगे में मौजूद था। इसी आशय का साक्ष्य अनुमोदक ठाकुर द्वारा दिया गया है, तथा यह अभियुक्त रामरूप के इकबालिया बयान (प्रदर्श २२५) में भी शामिल है। कई गवाहों, सीता राम, शिवबरन, भवानी प्रसाद, हरपाल, ठग और नूरई ने इस व्यक्ति का नाम दंगे में सक्रिय भूमिका निभाने के रूप में लिया है और उनमें से कुछ ने उल्लेख किया है कि वह झंडा लेकर चल रहा था। उसे सीधे तौर पर आगजनी की घटनाओं में शामिल करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। अपने बयान में उसने स्वयंसेवक होने की बात स्वीकार की, लेकिन कहा कि दंगे के दिन वह न तो डुमरी गया और न ही पुलिस थाने। उसके बचाव में कोई बल नहीं है और उसे सही तरीके से दोषी ठहराया गया है। हम उसके वाद को गंभीर मानते हैं।

श्यामसुंदर (सत्र न्यायाधीश सं. २०१)

यह एक अन्य सबसे गंभीर वाद है जिस पर हमें विचार करना है। इस अपीलकर्ता के बारे में सबसे अच्छी बात यह कही जा सकती है कि वह एक युवा व्यक्ति है। अभिलेख में उसकी उम्र लगभग २० वर्ष बताई गई है। वह निश्चित रूप से स्वयंसेवकों का एक नेता था और डुमरी में स्वयंसेवकों के एकत्र होने के क्षण से ही कार्यवाही में प्रमुख भूमिका निभाई। शिकारी का कहना है कि उस सभा में उसे माला पहनाई गई थी और वह उन लोगों में से एक था जिसने जगत नारायण पांडे का विरोध करने और उस गवाह को बैठक से बाहर करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब वे भूपा के पास अवधू तिवारी से बातचीत कर रहे थे, तब उसने भीड़ के नेता के रूप में काम किया और उसके बाद हुए दंगों में वह उन लोगों में से एक था जो उपनिरीक्षक की हत्या में शामिल थे। इसी आशय का साक्ष्य दूसरे अनुमोदक ठाकुर द्वारा दिया गया है, जो यह अपमानजनक बयान देता है कि श्यामसुंदर ने उपनिरीक्षक के मकान को लूटने में शामिल था। सरदार हरचरण सिंह के अनुसार यह आदमी भीड़ के नेताओं में से एक था। नेउर का कहना है कि वह भीड़ के आगे जा रहा था और सीटी बजाकर भीड़ की गतिविधियों को निर्देशित करने वाले लोगों में से एक था। गवाह सरजू का कहना है कि वह पुलिस थाने को नष्ट करने और जलाने में सहायता कर रहा था और आगे कहता है कि वह 'गिरने वाले लोगों' को जलती हुई घास से जला रहा था। हम मानते हैं कि उसका मतलब है कि वह व्यक्ति लाशों को जलाने में सहायता कर रहा था। भीड़ में नेतृत्व की स्थिति लेने के बारे में उसके पास अन्य साक्ष्य हैं। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने बताया है कि इस व्यक्ति के विरूद्ध कुछ गवाह अनिच्छा से अपनी गवाही देते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि सामान्य रूप से उसके विरूद्ध साक्ष्य सत्य हैं और साथी की गवाही पूरी तरह से पुष्ट होती है। अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह एक स्वयंसेवक था और उसने अन्य स्वयंसेवकों को नामांकित किया था। वह अपने विरूद्ध कुछ गवाही का वर्णन महात्मा गांधी के अनुयायियों और खिलाफत के पक्षधरों के बीच टकराव के रूप में करता है, साक्ष्यों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस आरोप का समर्थन करता हो कि ऐसा टकराव था। उसने अवध के एक जिले में होने का दावा किया जिसे उसने सबूतों से समर्थन देने का कोई प्रयास नहीं किया। उसे पर्याप्त सबूतों के आधार पर दोषी पाया गया है और उसकी युवावस्था को देखते हुए भी, हम उसे विचारणीय न्यायालय द्वारा दी गई सजा की पुष्टि करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकते। वह निस्संदेह एक हत्यारा है।

गज्जी को गज्जू भी कहा जाता है (सत्र न्यायाधीश सं. ५२)

इस अपीलकर्ता के मामले पर उन अन्य लोगों के साथ विचार किया जाना चाहिए था जो बिल्लौर और बिहारी के साक्ष्य में शामिल हैं। सिविल सर्जन ने पाया कि उसकी कमर में गोल छेद थे तथा शरीर पर कई संदिग्ध चोटें थीं। पुलिस कांस्टेबल सिद्दीक और आठ चौकीदारों ने मुकदमे

में उसकी पहचान दंगों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले के रूप में की थी। उसका बचाव का अपील के तहत फैसले में पर्याप्त रूप से चर्चा की गई है। उसे सही रूप से दोषी ठहराया गया है और सबूतों के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि उसने कम से कम पुलिस थाने के भवनों को तोड़ने और नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

कमला (सत्र न्यायाधीश सं. ८४)

इस अभियुक्त के विरुद्ध एक उल्लेखनीय साक्ष्य गवाह परमेश्वर लाल, जो उसके गांव का पटवारी है, का बयान है कि दंगे के अगले दिन आरोपी ने उसे धमकियां देते हुए कहा था कि बेहतर होगा कि वह सरकारी नौकरी छोड़ दे, क्योंकि हमने (अभियुक्तों और अन्य लोगों ने) चौरा पुलिस थाने को जला दिया था और पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी और यदि वह सरकारी नौकरी जारी रखेगा तो उसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। हमें कोई कारण नहीं दिखता कि परमेश्वर लाल ने यह बयान क्यों दिया। अभियुक्त ने कोई भी सुझाव नहीं दिया। दिनांक १४ फरवरी को, सिविल सर्जन ने इस अभियुक्त के शरीर पर एक संदिग्ध चोट पाई, जो संभवतः बंदूक की गोली से आई हुई प्रतीत हुई। इन परिस्थितियों में सरजू चौकीदार (पी.डब्लू. सं. २४), सरजू चौकीदार (पी.डब्लू. सं. ५४), (?) जड्डू, जिन्होंने गवाही दी कि उन्होंने इस व्यक्ति को दंगे में सक्रिय भाग लेते देखा था, को सत्य माना जाता है। हम संतुष्ट हैं कि इस व्यक्ति को सही ढंग से दोषी ठहराया गया है।

द्वारका, पुत्र नैपाल (सत्र न्यायाधीश सं. ४८)

सरकारी गवाह शिकारी के अनुसार यह अभियुक्त एक बहुत ही सक्रिय स्वयंसेवक था और उसने दूसरों के नामांकन और डुमरी में सभा के लिए स्वयंसेवकों को एकत्र करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शिकारी ने उसे न केवल दंगाइयों में बल्कि उपनिरीक्षक के वास्तविक हत्यारों में गिना है। (?) इसकी पुष्टि ठाकुर या औतार द्वारा नहीं की गई है। गवाह शंकर और हरपाल ने इस अभियुक्त को डुमरी में सभा में देखा था। दंगे में उसके शामिल होने के बारे में पहचान के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं। उसे भवानी प्रसाद, जिउधन और उमा के साथ-साथ हरपाल और नेउर ने भी पहचाना था। डॉ. सुरेन्द्र नाथ मुखर्जी ने गवाही दी कि वह फरवरी के पहले पखवाड़े में (?) में एक (?) द्वारा लगाए गए घाव के लिए गया था और अभियुक्त ने उसे बताया था कि उसने चौरा दंगे में भाग लिया था और वहाँ उसे चोट लगी थी। इस तथ्य पर बहुत तर्क किया गया कि डॉ. मुखर्जी की सूचना पर (?) को गिरफ्तार करने के बाद, पुलिस ने उसके विरुद्ध कोई ठोस सबूत न मिलने पर उसे छोड़ दिया। हमने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की है, लेकिन हम इसके अलावा किसी अन्य निष्कर्ष के लिए कोई कारण नहीं पा सके कि इस (?) और जटिल जांच के दौरान जांच करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा बड़ी गलती की गई है। हम विद्वान सत्र न्यायाधीश से सहमत हैं कि इस मामले में दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और उनके विरुद्ध मामला बहुत गंभीर है। एक अभियुक्त अभी भी शेष है।

जानकी, पुत्र छ (सत्र न्यायाधीश सं. ७६)

जिसके मामले को हमने आगे विचार के लिए रोक लिया है, क्योंकि हम उसके विरुद्ध साक्ष्यों से संतुष्ट नहीं थे, लेकिन उसके विरुद्ध साक्ष्यों और पार्षद (न्यायाधीश संख्या १३६) के विरुद्ध साक्ष्यों के बीच अंतर करने में कुछ कठिनाई महसूस कर रहे थे, जिसकी सजा की हमने पुष्टि की है। जानकी के विरुद्ध भी मुख्य साक्ष्य चौकीदार राम लाल है, और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने पूरी तरह से इसी पर भरोसा किया है। दंगे में इस अभियुक्त की मिलीभगत के बारे में साक्ष्य भी भवानी प्रसाद द्वारा दिए गए थेरू कुमार (पी.डब्लू. ?) द्वारा सत्र परीक्षण में उसकी पहचान संदिग्ध है जो कि व्यर्थ है। भवानी प्रसाद के साक्ष्य और अभियुक्त के बयान को पढ़ने पर हमें यह संदेह होता है कि गवाह उसे पहले से जानता था, हालांकि उसने पुलिस के सामने उसका नाम नहीं बताया और केवल (?) से उसे पहचानने का दावा किया। हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि इस अभियुक्त को किसी गांव के झगड़े के परिणाम में नहीं फंसाया गया है, जिसका उसने अपने बयान में उल्लेख किया है। हम उसके खिलाफ दोषसिद्धि को अपास्त करते हैं और उसे दोषमुक्त करने का निर्देश देते हैं।

अब हमें उन प्रत्येक अपीलकर्ता के संबंध में उचित सजा पर विचार करना है, जिनके संबंध में हमने भारतीय दंड संहिता की धारा ३०२/१४९ के अंतर्गत मृत्युदंड के आरोप में दोषसिद्धि की पुष्टि की है। कानून हमें कुछ हद तक विवेकाधिकार देता है। हम प्रत्येक मामले में निचली अदालत द्वारा पारित मौत की सज़ा की पुष्टि करने के लिए अधिकृत हैं; या हम उस सज़ा को अपास्त कर सकते हैं और उसकी जगह आजीवन निर्वासन की सज़ा दे सकते हैं। इस विवेकाधिकार का प्रयोग उसी शर्त के अधीन है जिसके द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश ने स्वयं को बाध्य महसूस किया था। हत्या के आरोप में दोषसिद्धि के प्रत्येक मामले में कानून मृत्युदंड को सामान्य एवं उचित सजा मानता है। जहां न्यायालय आजीवन निर्वासन की कम सजा पारित करना उचित समझता है, उसे ऐसा करने के अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए। तथापि, हम विद्वान सत्र न्यायाधीश के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि इस मामले में किसी भी अपीलकर्ता के संबंध में ऐसे कारण बताना असंभव है, जिनकी मृत्युदंड के आरोप में

दोषसिद्धि की पुष्टि हमने की है। हम इस बिंदु पर बहुत अधिक कहना उचित नहीं समझते, क्योंकि हम किसी भी तरह से अपराध की बर्बर प्रकृति को कम नहीं करना चाहते, या भीड़ की अराजकता के लिए माफी मांगने के लिए आगे नहीं आना चाहते। फिर भी हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि यह अपराध एक राजनीतिक आंदोलन से उपजा है। अपीलकर्ता मुख्यतः अशिक्षित किसान हैं; उनमें से अधिकांश को तथ्यों की गलत व्याख्या और स्वराज की सहस्राब्दी के संबंध में निरर्थक वादों द्वारा इस कार्य में शामिल किया गया था, जो उनके साहस और दृढ़ संकल्प द्वारा ही संभव हो पाया था। कुछ लोग तो इस विश्वास से प्रभावित थे कि श्री गांधी चमत्कार करने वाले व्यक्ति थे। हम इस मामले को इस असहज भावना के बिना नहीं छोड़ सकते कि इस समय ऐसे व्यक्ति खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पर इस मामले के संबंध में मुकदमा भी नहीं चलाया गया है, जिनकी फरवरी की दोपहर को चौरा पुलिस थाने में जो कुछ हुआ उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी कम से कम उतनी ही है जितनी कि नज़र अली और लाल मुहम्मद जैसे लोगों की है, जिन्होंने दिन के उजाले में खुलेआम नेताओं की तरह काम किया और कम से कम बाकी लोगों के साथ अपनी जान जोखिम में डाली।

हमारी राय में, ये पर्याप्त कारण हैं, जो हमारे द्वारा प्रस्तावित मार्ग अपनाने के पक्ष में हैं। हम सरगनाओं तथा उन व्यक्तियों के लिए कानून की सर्वोच्च सजा सुरक्षित रखते हैं, जिनके विरुद्ध हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, जिनके आधार पर हम उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा १४९ के विशेष प्रावधानों के अलावा हत्या के आरोप में दोषी ठहराने के लिए बाध्य होते हैं। इनके सम्बन्ध में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसके आधार पर मृत्युदण्ड के अतिरिक्त कोई अन्य दण्ड दिया जा सके। शेष के विरुद्ध हम कानून द्वारा अनुमेय एकमात्र अन्य सजा, आजीवन निर्वासन, पारित करते हैं।

हम इससे एक कदम आगे जाने का प्रस्ताव रखते हैं। जिन व्यक्तियों को हम आजीवन निर्वासन की सजा सुना रहे हैं, उनमें से काफी संख्या के संबंध में हमारी राय यह है कि उनके मामले राजत्व के क्षमादान की दृष्टि से विचार किए जाने योग्य हैं।

सरकारी अधिसूचना संख्या ३२४८/वी१-११४८-१९२० की प्राप्ति के बाद से हमारी यह प्रथा रही है कि हम अपने निर्णय के अंतिम भाग में सजा में उस सटीक कमी को बताते हैं जिसे हम मामले की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त मानते हैं। इसलिए हमने इन अपीलकर्ताओं के मामलों की सावधानीपूर्वक जांच की है, जिन्हें आजीवन निर्वासन की सजा सुनाई गई है, और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध साबित हुए विशेष कृत्यों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही अपराधियों की उम्र, जीवन में उनकी स्थिति और इसी तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने ऐसे ११० लोगों के लिए आजीवन निर्वासन के बदले में अवधि कारावास की सिफारिश करते हुए सूचियां तैयार की हैं।

अब हम उन परिणामों का सारांश प्रस्तुत करेंगे जिन पर हम पहुंचे हैं। निम्नलिखित ३८ अपीलकर्ताओं में से (?) में हम पाते हैं कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य उनके विरुद्ध लगाए गए किसी भी आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहे हैं। हम इनमें से प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि और विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा को अपास्त करते हैं, उन्हें सभी आरोपों से दोषमुक्त करते हैं और उनकी उन्मुक्ति का निर्देश देते हैं -

क्रमांक ४. अजुधिया पुत्र सुखारी
क्रमांक १६. बलदेव
क्रमांक १७. बल्ली
क्रमांक १८. बंसी
क्रमांक २०. बड़कु
क्रमांक २३. भागीरथी पुत्र काशी
क्रमांक ३४. बुद्धू पुत्र जगरूप
क्रमांक ३६. छांगुर.
क्रमांक ३७. छत्तर.
क्रमांक ४५. दुधई पुत्र देबिदिन

क्रमांक ६०. गोबर्धन.
क्रमांक ६५. ईडन
क्रमांक ७१. जगदेव, पुत्र दुधई
क्रमांक ७६. जानकी पुत्र छरू
क्रमांक ७९. झाकड़ी
क्रमांक ८२. योगी
क्रमांक ९०. लछ्मन, पुत्र गजर
क्रमांक ९४. लालू, पुत्र इशरी
क्रमांक ९५. लालू उर्फ कालू पुत्र मोती
क्रमांक १०३. महादेव, पुत्र रामाधीन
क्रमांक १०६. मल्लू पुत्र खिलावन
क्रमांक १०८. मंगरू.
क्रमांक १२३. नारायण, पुत्र नेउर
क्रमांक १३०. नेउर, पुत्र रामफल
क्रमांक १४०, पराग
क्रमांक १४२. पूरनमाशी
क्रमांक १५०. कम्बरन पुत्र अबिलाख
क्रमांक १५१. रामबरन पुत्र बोधन
क्रमांक १५४. रामदत्त
क्रमांक १६६. रामफल
क्रमांक १७०. रामसरन, पुत्र रामेश्वर
क्रमांक १७३. रसूल, पुत्र ईश्वर
क्रमांक १८६. सरूप पुत्र गणेश
क्रमांक १९२. शेओबालास
क्रमांक १९५. शिवचरण
क्रमांक १९७. शेओलागन.
क्रमांक १९९. शिवनाथ पुत्र जयपाल
क्रमांक २२१. तिरबेनी पुत्र बुआल

निम्नलिखित तीन अपीलकर्ताओं के विरुद्ध हम पाते हैं कि केवल दंगा करने का आरोप, जो भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के अंतर्गत दंडनीय है, साक्ष्यों से साबित होता है। हम शेष सभी आरोपों में उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध दोषसिद्धि और सजा को अपास्त करते हैं तथा उन्हें दोषमुक्त करते हैं। हम उनमें से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा १४७ के तहत आरोप में दोषी ठहराए जाने तथा उक्त आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा की पुष्टि करते हैं; ये सजाएं सत्र न्यायालय में दोषसिद्धि की तारीख से प्रभावी होंगी। ये तीन हैं -
क्रमांक ९. ओढ़ी.
क्रमांक ४७. दु:खी.
क्रमांक ६३. गोपी

शेष सभी १२९ अपीलकर्ताओं के संबंध में हम पाते हैं कि जिन आरोपों में उन्हें दोषी ठहराया गया है और विशेष रूप से धारा ३०२/१४९, दं.प्र.सं. के तहत लगाए गए हत्या के आरोप, संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा साबित हुए हैं।

अब हमें यह तय करना है कि इनमें से किसी के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा दी गई मृत्युदंड की पुष्टि की जानी चाहिए अथवा नहीं। निम्नलिखित उन्नीस अपीलकर्ताओं के संबंध में हमारा स्पष्ट मत है कि उनके खिलाफ साक्ष्यों, अपराध करने में उनमें से प्रत्येक द्वारा निभाई गई प्रमुख भूमिका और उपनिरीक्षक, पुलिस कांस्टेबल या गांव के चौकीदारों पर जानलेवा हमले में उनकी वास्तविक भागीदारी साबित करने वाले साक्ष्यों को देखते हुए, मृत्युदंड की पुष्टि करना हमारा कर्तव्य है। हम अपनी राय दोहराते हैं और इस बात

पर जोर देते हैं कि इन उन्नीस मामलों में से प्रत्येक में मृत्यु और केवल मृत्यु ही उचित सजा है। इसलिए हम निम्नलिखित आरोपियों के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा पारित सजा की पुष्टि करते हैं और निर्देश देते हैं कि इसे उचित विधिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया जाए -

क्रमांक १. अब्दुल्ला उर्फ सुक्खी.
क्रमांक २५. भगवान अहीर पुत्र राम नाथ
क्रमांक २८. बिक्रम.
क्रमांक ४६. दुधई, पुत्र समझावन
क्रमांक ८३. कालीचरण.
क्रमांक ९३. लाल मुहम्मद
क्रमांक ९६. लौटू
क्रमांक १०२. महादेव, पुत्र कुंजबिहारी
क्रमांक ११२. मेघु उर्फ लालबिहारी, पुत्र जानकी
क्रमांक १२७. नज़र अली.
क्रमांक १४६. रघुबीर पुत्र जड्डू
क्रमांक १६३. राम लगन. पुत्र. टहल
क्रमांक १६७. राम रूप, पुत्र राम टहल
क्रमांक १७५. रुदाली.
क्रमांक १८१. सहदेव, पुत्र जित्तू
क्रमांक १८२. सम्पत पुत्र जिउत
क्रमांक १८३. सिम्पत पुत्र मोहन
क्रमांक २०१. श्याम सुंदर.
क्रमांक २०२. सीता राम.

शेष ११० अपीलकर्ताओं के संबंध में, जिनके विरुद्ध हम धारा ३०२/१४०, दं.प्र.सं. के अंतर्गत आरोप सिद्ध पाते हैं, लेकिन जिनके संबंध में हम मृत्युदंड की सजा की पुष्टि करने के लिए सहमत नहीं हैं, कानून हमें केवल एक विकल्प देता है। उनमें से प्रत्येक के संबंध में हमारा आदेश यह है कि हम केवल सजा के प्रश्न पर अपील स्वीकार करते हैं, हम दर्ज किए गए दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं, लेकिन मृत्युदंड की सजा को अपास्त करते हैं और इसके बदले में इनमें से प्रत्येक अपीलकर्ता को आजीवन निर्वासन की सजा सुनाते हैं।

तथापि हमें स्थानीय सरकार के समक्ष दया की ऐसी अनुशंसा प्रस्तुत करनी होगी जो हमें उचित लगे। प्रत्येक अपीलकर्ता के मामले की अत्यंत सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात, साक्ष्यों द्वारा स्थापित सटीक तथ्यों तथा जहां उचित हो, अपराधी की आयु को ध्यान में रखते हुए, हमने इन अपीलकर्ताओं को चार पृथक सूचियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है।

प्रथम सूची (सूची ए) में १४ व्यक्तियों के नाम हैं जिनके संबंध में हमारा यह मत है कि कानून द्वारा दी गई क्षमादान की अनुमति तथा जो हमने उन्हें पहले ही प्रदान कर दी है, उनमें से प्रत्येक को दी गई मृत्युदंड की सजा को आजीवन निर्वासन में परिवर्तित करने में, उनके अपराध की प्रकृति तथा लोक व्यवस्था के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए अधिकतम जो किया जा सकता है या किया जाना चाहिए, दर्शाया गया है। इन व्यक्तियों के मामले में हम कोई अनुशंसा नहीं कर सकते-

सूची ए
(चौदह नाम)
क्रमांक २६. भगवान दास
क्रमांक ३२. विषनाथ

क्रमांक ४१. चिंगी
क्रमांक ४८. द्वारका पुत्र नायपाल
क्रमांक ४९. द्वारका पुत्र नन्द प्रसाद
क्रमांक १०९. मनराज.
क्रमांक १३५. प्रधान.
क्रमांक १५३. राम दास.
क्रमांक १९१. शंकर.
क्रमांक १६९. शिव धार.
क्रमांक २०६. सुखारी.
क्रमांक २१४. तापसी
क्रमांक २२०. तीर्थराज
क्रमांक २२५. उगरा.

दूसरी सूची (सूची-बी) में हमने उन्नीस व्यक्तियों के नाम दिए हैं जिनके संबंध में हमारी अनुशंसा है कि उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध सजा को घटाकर आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा कर दी जाए, जो सत्र न्यायालय में दोषसिद्धि की तारीख से प्रभावी होगी।

सूची बी
(उन्नीस नाम)
क्रमांक ३. अजुधिया पुत्र महंगी
क्रमांक १९. बरन
क्रमांक ३१. बिरजा
क्रमांक ३३. बुद्ध, पुत्र अबलीख
क्रमांक ५२. गज्जी को गज्जू भी कहा जाता है
क्रमांक ५३. गणेश
क्रमांक ७४ जगलाल
क्रमांक ८४. कमला
क्रमांक ९७. लोचन
क्रमांक ९९. महाबत
क्रमांक १११. मेघू पुत्र धौंतल
क्रमांक १३२. पबारू
क्रमांक १४४. रघुबीर पुत्र गणेश
क्रमांक १५९. रमेशर पुत्र रामफल
क्रमांक १६१. रामजतन
क्रमांक १७२ राम सुभाग
क्रमांक २०७. सुखदेव
क्रमांक २१५. ठग
क्रमांक २१७. तिहोल

तीसरी सूची (सूची-सी) में ५७ व्यक्तियों के नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक के लिए हमारी अनुशंसा यह है कि सजा को घटाकर पांच वर्ष के कठोर कारावास कर दिया जाए।

सूची-सी

(सत्तावन नाम)

क्रमांक २.	अजुधिया, पुत्र दुर्जन
क्रमांक ५.	अकलू
क्रमांक ६.	अलगू
क्रमांक ८.	अली रज़ा खान
क्रमांक ११.	बद्री पुत्र रामदिहाल
क्रमांक १४.	बैजनाथ
क्रमांक २४.	भागीरथी
क्रमांक ३५.	चमरू
क्रमांक ३८.	छेदी
क्रमांक ४२.	चिरकुट
क्रमांक ५६.	तपेशरी पुत्र गंगा
क्रमांक ५७.	ग़रीब
क्रमांक ५८.	गौस अली
क्रमांक ६४.	हरिद्वार
क्रमांक ६६.	इंदर
क्रमांक ७०.	जगदेव पुत्र समझावं
क्रमांक ७३.	जागेशर
क्रमांक ७८.	जानकी पुत्र समझावं
क्रमांक ८८.	कुंजबिहारी
क्रमांक १००.	महावीर
क्रमांक १०५.	ठग पुत्र महादेव
क्रमांक ११०.	मटर
क्रमांक ११३.	मिंढाई
क्रमांक ११५.	मुन्नी
क्रमांक ११६.	नागेश्वर
क्रमांक ११९.	नायपाल
क्रमांक १२०.	नारायण उर्फ शिवनारायण
क्रमांक १२५.	नाथे
क्रमांक १२८.	नजर
क्रमांक १३१.	नोहर
क्रमांक १३३.	पंचू
क्रमांक १३६.	प्रसाद
क्रमांक १३८.	फलाई
क्रमांक १३९.	पिरथी
क्रमांक १४८.	रघुनाथ
क्रमांक १४९.	रामबली
क्रमांक १५५.	रामधन पुत्र हरनाम
क्रमांक १५६.	रामधनी
क्रमांक १५८.	रामेश्वर पुत्र छांगुर
क्रमांक १६०.	रामजस.
क्रमांक १६४.	राम लोचन
क्रमांक १६८.	रामरूप पुत्र सुक्खू
क्रमांक १७१.	रामसरन पुत्र सालिक
क्रमांक १७६.	साधोसरण पुत्र भरत

क्रमांक १७७.	साधूसरन पुत्र मोहर
क्रमांक १८०.	सहदेव पुत्र गट्टी
क्रमांक १८४.	सरजू
क्रमांक १८५.	सरुप पुत्र अचंभित
क्रमांक १८८.	सेवक
क्रमांक १९०.	शाहामत
क्रमांक २०३.	सुब्बा
क्रमांक २११.	सूरजबली पुत्र नायपाल
क्रमांक २१३.	सूरत
क्रमांक २१६.	ठाकुर
क्रमांक २१९.	टिमल
क्रमांक २२३.	तिरलोक
क्रमांक २२४.	तुलसी

चौथी सूची (सूची-डी) के लिए हमने २० अपराधियों की एक छोटी संख्या को आरक्षित किया है, जिन्हें हम तीन वर्ष तक कठोर कारावास की सजा काटने के बाद रिहा करने की अनुशंसा करते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में हम जिस विशेष क्षमादान की अनुशंसा करते हैं, वह मुख्यत: अपराधियों की युवावस्था पर आधारित है। हमने तीन ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया है जिनके बारे में हमारा मानना है कि उनकी वृद्धावस्था या सामान्यत: साक्ष्य द्वारा कमजोर रूप से स्थापित (?) आधार पर उन्हें भी यही क्षमादान दिया जा सकता है।

सूची-डी
(बीस नाम)
क्रमांक १०.	अवतार
क्रमांक १२.	बद्री पुत्र शाम लाल
क्रमांक १३.	बहादुर पुत्र गरीब
क्रमांक ३०.	बिपत
क्रमांक ४३.	दशरथ
क्रमांक ५४.	गंगा पुत्र मूल्हू
क्रमांक ७२.	जगदेव, पुत्र जैसरी
क्रमांक ७५.	जमना
क्रमांक ८०.	झिंगनु
क्रमांक ९१.	लछ्मन पुत्र शिवदयाल
क्रमांक ९२.	लहुरी
क्रमांक ९८.	महाबली
क्रमांक १०४.	महादेव पुत्र सुखलाल
क्रमांक १०७.	मल्लू पुत्र रघुनाथ
क्रमांक १३४.	प्रभु
क्रमांक १३७.	पट्टी
क्रमांक १६९.	रामसरन पुत्र लालसा
क्रमांक १७४.	रसूल पुत्र नस्सु
क्रमांक १९४.	शिवबरन पुत्र रमेशर
क्रमांक १९५.	शिवनाथ पुत्र दुर्गा

३० अप्रैल १९२३

मूल निर्णय स्त्रोत : https:@www2-allahabadhighcourt-in@others@ChauriChaura19&02&2021-pdf
(पीडीएफ़ पृष्ठ संख्या 19 से 115 तक)

सुवास प्रकोष्ठ की संरचना

उप निबंधक
श्री विवेक श्रीवास्तव

सहायक निबंधक
श्री गोपाल सिंह बिष्ट (लखनऊ)

अनुभाग अधिकारी
सर्वश्री डॉ० मो. शहाब सिद्दीकी, सुधीर तिवारी, विनोद कुमार त्रिपाठी, सुनील कुमार कुशवाहा, अजीत सिंह, रजनीकांत वर्मा, राजेश तिवारी (लखनऊ)

समीक्षा अधिकारी
सर्वश्री राधा रमन, डॉ० अनुपम श्रीवास्तव, देवेंद्र सिंह, अमित कुमार पांडे, प्रियंका गौतम, आकृति मिश्रा, धीरेन्द्र प्रताप, सत्येन्द्र कुमार द्विवेदी, मनीष कुमार सिंह,

समीक्षा अधिकारी (हिन्दी)
सर्वश्री प्रियरंजन, कुलदीप निगम, आदित्य मिश्रा, सुश्री अक्षिता चौधरी, सर्वेश कुमार वर्मा, शुभम पांडे, शुभम गुप्ता, सूरज गोस्वामी, सैयद असीम रसीद, जय शंकर यादव, प्रदीप कौशल, सुश्री अंकिता सचान, आशुतोष कुमार (लखनऊ), गजेन्द्र प्रताप सिंह (लखनऊ), श्रीमती काव्या यादव (लखनऊ), जितेंद्र कुमार (लखनऊ)

सहायक समीक्षा अधिकारी
सुश्री शालिनी सिंह, श्रीमती अंजलि कुशवाहा,

कंप्यूटर सहायक
श्री अतुल सागर

निर्णय अनुवादक (संविदा कर्मी)
सर्वश्री मनीष पाण्डेय, दिलीप शुक्ला, मनीष मिश्रा, उमेश शुक्ला

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
श्रीमती मंजू दुबे, श्री राकेश कुमार

संपादक मण्डल

वरिष्ठ संपादक

श्री विजय कुमार सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री विनय सरन, वरिष्ठ अधिवक्ता

विधि प्रतिवेदक

श्री कुणाल शाह,
श्री आशीष सिंह,
श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव,
श्री पी. के. श्रीवास्तव,
श्री अनिल मिश्रा,
श्री अनिल गुप्ता,
श्री यावर मुख्तार,

श्री पंकज कुमार अस्थाना,
श्री प्रखर सरन श्रीवास्तव,
सुश्री गौरी दुबे,
सुश्री साक्षी मेहरोत्रा,
श्री ब्रिज भूषण मिश्रा,
सुश्री अर्चना सिंह,
श्री कार्तिकेय सिंह

श्री आशीष कुमार,
श्री आशुतोष कुमार राय,
सुश्री निधि वर्मा,
श्री विनायक वर्मा,
सुश्री साधना सिंह,
सुश्री नाज़िया नफीस,

पदेन सदस्य

श्री दिवाकर द्विवेदी (समिति के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी)-समन्वयक-संपादक मंडल

श्री विवेक श्रीवास्तव, उप-निबंधक, सुवास प्रकोष्ठ इलाहाबाद

श्री विनोद कुमार त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

डॉ. अनुपम श्रीवास्तव, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

श्री मनीष कुमार सिंह, समीक्षा अधिकारी, सुवास प्रकोष्ठ, इलाहाबाद

आभार अभिव्यक्ति

परम सम्मान के साथ, हम **माननीय न्यायमूर्ति श्री अभय एस. ओका, अध्यक्ष, ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन कमेटी, माननीय उच्चतम न्यायालय** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी दूरदर्शिता से न्यायिक निर्णयों को आम जनमानस की भाषा में उपलब्ध कराया जा सका।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी के तत्वावधान में **सुवास प्रकोष्ठ द्वारा ई-इलाहाबाद उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका** एवं त्रैमासिक ई-पत्रिका **न्यायाभा - न्याय की किरण** के प्रकाशन के पश्चात, अब ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय का प्रकाशन किया जा रहा है। यह नूतन कड़ी न्यायिक एवं विधिक ज्ञान का विस्तार करेगी।

इस अवसर पर हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी** का विशेष आभार व्यक्त करते हैं, जिनके संरक्षण और मार्गदर्शन में यह कार्य संभव हो पाया है।

ए.आई.असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अजित कुमार जी, जिन्होंने ऐतिहासिक निर्णयों की पुस्तिका के प्रकाशन का विचार प्रस्तुत किया और संपादकीय मंडल का कुशल नेतृत्व किया एवं **समिति के माननीय सदस्यगण न्यायमूर्ति श्री मुहम्मद फैज़ आलम खान जी तथा न्यायमूर्ति श्री विक्रम डी. चौहान जी** का हृदय से धन्यवाद, जिनके दिशा-निर्देशन में यह प्रकाशन साकार हुआ है।

श्री राजीव भारती, विद्वान महानिबंधक, इलाहाबाद उच्च न्यायालय को प्रकाशन प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु विशेष धन्यवाद।

श्री तेजप्रताप तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर का धन्यवाद जिन्होंने **चौरी चौरा शहीद स्थल व स्मारक** के छायाचित्र उपलब्ध कराए।

इस अवसर पर हम **ए.आई. असिस्टेड लीगल ट्रांसलेशन एडवाइज़री एवं ई-लॉ रिपोर्ट कमेटी के माननीय अध्यक्ष एवं समिति के माननीय सदस्यगणों** के निजी सचिव श्री मनोज विक्रम सिंह, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री मो. उमर खान, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री विश्व मोहन अरोरा, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III; श्री भास्कर, उप निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-III श्री संजीव रंजन, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री धीरेन्द्र तमांग, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री शशि प्रकाश, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री आत्मेश केसरी, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II; श्री इरफान उद्दीन सिद्दीकी, सहायक निबंधक-सह-निजी सचिव ग्रेड-II एवं श्री प्रवीण कुमार, निजी सचिव ग्रेड-I का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रकाशन में अपना अमूल्य योगदान दिया है।

अंत में, हम माननीय उच्च न्यायालय के सुवास प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करने के साथ ही आशा करते है कि यह प्रकाशन न्यायिक ज्ञान के प्रसार में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

संपादक मण्डल

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

ई-निर्णय पत्रिका

ई-पुस्तिका स्वरूप में ऐतिहासिक निर्णय